भारत
के
नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

का

31 मार्च 1996 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

प्रतिवेदन

संख्या 2

(वाणिज्यिक)

उत्तर प्रदेश सरकार

भारत
के
नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

का

31 मार्च 1996 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

प्रतिवेदन

संख्या 2

(वाणिज्यिक)

उत्तर प्रदेश सरकार

विषय सूची

	सन्दर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ संख्या
प्राक्कथन		(iii) - (iv)
विहंगावलोकन		(v) - (xvi)
अध्याय-1		
सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों का सामान्य अवलोकन	1	1 - 44
अध्याय-2		
सरकारी कम्पनियों से सम्बन्धित समीक्षायें	2	
उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड में बकायों की वसूली	2 अ	45 - 68
उत्तर प्रदेश खनिज विकास निगम लिमिटेड	2 ब	69 - 90
उत्तर प्रदेश हिल-इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड	2 स	91 - 114
अध्याय-3		
सांविधिक निगमों से सम्बन्धित समीक्षायें	3	
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद		
टांडा तापीय विद्युत स्टेशन	3 अ	115 - 140
वितरण जोन, आगरा	3 ब	141 - 164
रिहन्द एवं ओबरा जल विद्युत केन्द्र	3 स	165 - 180

	सन्दर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ संख्या
उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम		
निधि प्रबंधन	3 द	181 - 200
अध्याय - 4		
सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों से सम्बन्धित विविध रुचिकर विषय	4	
सरकारी कम्पनियां	4 अ	201 - 224
सांविधिक निगम	4 ब	225 - 238
परिशिष्ट - 1 उन कम्पनियों की सूची जिनमें सरकार ने 10 लाख रुपयों से अधिक धनराशि निवेशित की किन्तु भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा लेखा परीक्षा के अधीन नहीं हैं।		241 - 254
परिशिष्ट - 2 अद्यतन पूँजी, बजट वर्हिगमन, बजट से दिये गये ऋण एवं अनिस्तारित ऋणों को दर्शायी हुई विवरणी		255 - 267
परिशिष्ट- 3 सरकारी कम्पनियों के नवीनतम वर्ष के संक्षिप्त वित्तीय परिणाम जिनके लेखाओं का अन्तिम रुप दे दिया गया		268 - 278
परिशिष्ट - 4 क्षमता उपयोग दशनि वाली विवरणी		279
परिशिष्ट-5 सांविधिक निगमों के अद्यतन वर्ष के संक्षिप्त वित्तीय परिणामों को दशनि वाली विवरणी जिनके वार्षिक लेखाओं को अन्तिम रुप दिया जा चुका है।		280

प्राक्कथन

यह प्रतिवेदन सरकारी कम्पनियों और उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद सहित सांविधिक निगमों के क्रिया कलापों को प्रस्तुत करता है । प्रतिवेदन समय समय पर यथा संशोधित नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, अधिकार, एवं सेवा शर्त) अधिनियम, 1971 की धारा 19 अ के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश शासन को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

पूर्ण स्वामित्व वाली सरकारी कम्पनियों के लेखाओं की लेखा परीक्षा, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (4) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा सम्पन्न की जाती है। कुछ ऐसी कम्पनियां हैं जिनमें सरकार और सरकारी कम्पनियां/निगम सम्मिलित रुप से 51 प्रतिशत अंश पूंजी धारण करते हैं, की लेखा परीक्षा भी कम्पनी अधिनियम की धारा 619 बी के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा की जाती है।

तथापि, कुछ कम्पनियां ऐसी हैं जो सरकारी निवेश के होने पर भी भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा लेखा परीक्षण के अन्तर्गत नहीं है क्योंकि सरकार या सरकारी स्वामित्व/नियंत्रण वाली कम्पनियां / निगम 51 प्रतिशत से कम अंश पूंजी धारण करते हैं।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद एवं उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम जो कि सांविधिक निगम हैं, के सम्बन्ध में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक एक मात्र लेखा परीक्षक हैं। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम एवं उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम के सम्बन्ध में उन्हें उनके लेखाओं की लेखा परीक्षा सम्बन्धित अधिनियमों के अन्तर्गत नियुक्त शासपत्रित लेखाकारों द्वारा किये गये लेखा परीक्षण से अलग स्वतन्त्र रुप से सम्पन्न करने का अधिकार प्राप्त है। इन निगमों के लेखाओं के लेखा परीक्षण प्रतिवेदन उत्तर प्रदेश शासन को पृथक रुप भेजे जाते हैं।

इस प्रतिवेदन में चार अध्याय सम्मिलित हैं। अध्याय-1 में सरकारी कम्पनियों और सांविधिक निगमों के क्रिया कलापों के परिणामों के सामान्य पहलुओं की चर्चा की गई है।

अध्याय-2 में सरकारी कम्पनियों से सम्बन्धित तीन समीक्षायें सम्मिलित हैं जैसे, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड में बकायों की वसूली, उत्तर प्रदेश खनिज विकास निगम लिमिटेड की कार्य प्रणाली, एवं उत्तर प्रदेश हिल इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड की कार्य प्रणाली।

अध्याय तीन सांविधिक निगमों से सम्बन्धित चार समीक्षाओं से सम्बन्धित हैं, जैसे उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद के टांडा ताप विद्युत केन्द्र, वितरण जोन आगरा, रिहन्द एवं ओबरा जल विद्युत केन्द्र एवं उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में निधि प्रबन्ध।

अध्याय-4 हानि, मितव्ययिता, अथवा कार्य कुशलता में कमी तथा लोक रुचि के अन्य प्रकरणों से जुड़े हुये विविध विषयों से सम्बन्धित हैं। इस खण्ड में प्रतिवेदित मामले वर्ष 1995-96 के दौरान लेखा परीक्षण के समय संज्ञान में आये तथा वे भी जो पहले ही संज्ञान में आ चुके थे परन्तु पूर्ववर्ती वर्षों के प्रतिवेदनों में सम्मिलित नहीं किये गये थे। 1995-96 के अनुवर्ती अवधि से सम्बन्धित प्रकरण भी, यथा आवश्यकता सम्मिलित किये गये हैं।

विहंगवालोकन

विहंगावलोकन

31 मार्च 1996 तक राज्य के पास 97 सरकारी कम्पनियां (37 सहायक कम्पनियों सहित) 6 कम्पनियां, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 बी के अन्तर्गत तथा 4 सांविधिक निगम थे। ग्यारह कम्पनियां (आठ सहायक कम्पनियाँ सहित) समापन की प्रक्रिया में थीं।

(प्रस्तर 1.2.1, 1.2.10 एवं 1.3)

सरकारी कम्पनियों की समस्त प्रदत्त पूंजी 1560.40 करोड़ रुपये थी, जिसमें से 1199.22 करोड़ रुपये राज्य सरकार, 40.10 करोड़ रुपये केन्द्र सरकार द्वारा, रुपये 300.65 करोड़ रुपये नियंत्रक कम्पनी द्वारा एवं रुपये 20.43 करोड़ रुपये अन्य द्वारा निवेशित किये गये थे। 31 मार्च 1996 तक 60 कम्पनियों के विरुद्ध कुल बकाया दीर्घ कालीन ऋण रुपये 1677.45 करोड़ रुपये के थे।

राज्य सरकार ने ऋणों की अदायगी एवं उस पर ब्याज की अदायगी की प्रतिभूति दी थी। मार्च 1996 के अन्त में प्रतिभूतियों की कुल बकाया राशि 511.77 करोड़ रुपये की थी।

(प्रस्तर 1.2.1, 1.2.4 एवं परिशिष्ट -2)

86 सरकारी कम्पनियों में से 77 कम्पनियों के लेखे 1 वर्ष से 21 वर्षों तक की अवधि तक बकाये में थे।

(प्रस्तर 1.2.5)

9 कम्पनियों में से जिन्होंने वर्ष 1995-96 के अपने लेखाओं को अन्तिम रुप दिया था, 6 कम्पनियों ने 6.10 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित किया तथा 1.66 करोड़ रुपये के लाभांश घोषित किये।

(प्रस्तर 1.2.6.2)

अद्यतन प्राप्त लेखाओ के अनुसार 31 कम्पनियों ने अपनी प्रदत्त पूंजी का क्षरण कर दिया था क्योंकि इन कम्पनियों की संचित हानि 1675.35 करोड़ रुपये इन्हीं कम्पनियों की प्रदत्त पूंजी 973.51 करोड़ रुपये से अधिक हो गई थी। 49 हानि उठाने वाली कम्पनियों में से, 18 कम्पनियों ने मार्च 1996 तक विगत पांच वर्षों मे हानि उठाई।

(प्रस्तर 1.2.6.3)

चार सांविधिक निगमों में से उत्तर प्रदेश भण्डारागार निगम एवं उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद ने वर्ष 1995-96 के लेखाओं को अन्तिम रुप दिया एवं शेष दों निगमों ने वर्ष 1994-95 के लेखाओं को अन्तिम रुप दिया। जबकि उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन ने 35.62 करोड़ रुपये की हानि उठाई एवं उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम ने 23.32 करोड़ रुपये का लाभ वर्ष 1994-95 में कमाया, शेष दो निगमों ने 26.44 करोड़ रुपये का लाभ/आधिक्य अर्जित किया।

(प्रस्तर 1.3.3)

उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम में बकायों की वसूली

उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड के बकाये में वृद्धि ग्राहकों से प्राप्त धन से अधिक व्यय, कम्पनी द्वारा ग्राहकों को निर्गत बिलों में कार्य परिमाण एवं दरों की कमी करना, सामग्री का अधिक उपयोग एवं देर से कार्य करने के कारण दण्डनीय वसूली के कारण हुई।

(प्रस्तर 2 अ.1)

कम्पनी के बकाये में निरन्तर वृद्धि हुई जो मार्च 1991 में 28.70 करोड़ रुपयें से बढ़कर मार्च 1995 में 91.94 करोड़ रुपये हो गई। बकाये का विक्रय से प्रतिशत भी 1990-91 में 30.1 से बढ़कर 1994-95 में 51.6 हो गया।

(प्रस्तर 2 अ.5.2)

कम्पनी ने बिना संशोधित प्राक्कलनों के अनुमोदित करवाये/प्राक्कलनों के जमा किये 39 कार्य पूर्ण किये व इस पर रुपये 4.51 करोड़ रुपये ग्राहको द्वारा निर्गत धन से अधिक व्यय किये।

नौ कार्यों के विरुद्ध 1.68 करोड़ रुपये के बकायों की वसूली कम्पनी द्वारा नही की जा सकी क्योंकि कम्पनी ने बिना शर्तों के निश्चित किये ही कार्य शुरु कर दिये।

(प्रस्तर 2अ.6.3.2 एवं 2अ.6.3.3)

कम्पनी ने 2.01 करोड़ रुपये के दावों का विगत दो से तीन वर्षों से सम्बन्धित विभागों से अनुसरण नही किया यद्यपि विवादों के शीघ्र निस्तारण हेतु राज्य सरकार द्वारा नियुक्त हाई पावर कमेटी द्वारा उन्हें कम्पनी के पक्ष मे निर्णित किया गया था ।

(प्रस्तर 2अ.7.2)

उत्तर प्रदेश खनिज विकास निगम लिमिटेड

उत्तर प्रदेश खनिज विकास निगम का निगमन मार्च 1974 में पूर्ण स्वामित्व वाली सरकारी कम्पनी के रुप में राज्य के खनिज श्रोतो के दोहन एवं विकास, खनिज आधारित उद्योगों के विकास एवं गौड़ खनिजों के व्यापार के लिये की गई थी।

(प्रस्तर 2ब.1)

कम्पनी को खनिज परियोजना के त्यागे गये बैलास्ट खनिज परियोजनाओं के खर्चों के अपलेखन, छोटे खनिजों के क्रिया कलापों के खराब प्रबन्धन, अकुशल अनुश्रवण एवं निधियों के नियंत्रण के कारण हानियाँ हुई।

(प्रस्तर 2ब.6)

प्रबन्धकीय कमियों के कारण कम्पनी को मूल्य वृद्धि के करण 2.12 करोड़ रुपये का भुगतान टर्नकी कन्ट्रैक्टर को करना पड़ा क्योंकि कम्पनी समय से मूलभूत सुविधायें प्रदान नहीं कर सकी । इसमें अतिरिक्त अनुबन्धीय भुगतान के 1.95 करोड़ रुपये सम्मिलित थे ।

(प्रस्तर 2ब.7.1.2(ब))

एक यूनिट प्रभारी की लापरवाही एवं खनन अधिकार लेने से पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन न करने के प्रबन्धकीय खामियों के कारण कम्पनी को मोठ एवं कर्वी की बैलास्ट परियोजनाओं को 1.13 करोड़ रुपये खर्च करने के बाद छोड़ देना पड़ा।

(प्रस्तर 2ब.8)

गौड़ खनिजों के व्यवसाय में ग्यारह घाटों के समर्पण में हुई देर के कारण, अपर्याप्त सम्भाव्यता अध्ययन, एंव अमान्य भुगतानों के कारण कम्पनी को 1.23 करोड़ की हानि हुई।

(प्रस्तर 2ब.9)

उत्तर प्रदेश हिल इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड

उत्तर प्रदेश हिल इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड का निगमन 25 जून 1985 को राज्य के पर्वतीय जिलों में इलेक्ट्रानिक उद्योगों के विकास को प्रोन्नत एवं प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से किया गया

था। 31 मार्च 1995 को कम्पनी की प्रदत्त पूंजी 7.95 करोड़ रुपये थी।

(प्रस्तर 2स.1 व 2स.5)

कम्पनी की संचित हानियाँ 31 मार्च 1995 तक 0.71 करोड़ रुपये तक हो गयी जो मुख्यतः खराब उत्पादन सम्पादन व ऊंची लागत के कारण थी ।

(प्रस्तर 2स.6.2)

कम्पनी को 0.59 करोड़ रुपये की नकद हानि श्वेत श्याम टी वी के उत्पादन में ऊपरी खर्चों में नियंत्रण न रख पाने के और इसके ऊंची लागत व कार्य में सहायक वातारण प्रदान न कर पाने के कारण हुई।

(प्रस्तर 2स.7.1.1)

कम्पनी को 3 सहायक कम्पनियों व 12 सहायक इकाईयों में निवेशित 3.81 करोड़ रुपये पर कोई प्रतिलाभ नहीं मिला । उपरोक्त में से, 2 सहायक व 10 पोषित इकाईयां 2 से 6 वर्षों से बन्द पड़ी थीं ।

(प्रस्तर 2स.9)

टांडा ताप विद्युत केन्द्र

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद ने टांडा में 110 मेगावाट की चार ताप इकाइयों मे से केवल तीन इकाइयों को मार्च 1988 से मार्च 1990 के मध्य चालू किया। इन इकाइयों का संस्थापन क्रमशः 36, 48, एवं 60 महीने विलम्ब से हुआ, परिणामस्वरुप 475.91 करोड़ रुपये (मूल रुप से अनुमोदित लागत 159.25 करोड़ रुपये) का लागत अतिक्रमण मुख्यतः मानचित्रों के अन्तिमकरण में देरी, मशीनरी एवं उपकरणों की आपूर्ति में देरी एवं धन की कमी के कारण हुआ । इकाई IV के कार्य, फरवरी 1992 तक 80 करोड़ रुपये व्यय करने के बाद निलम्बित कर दिये गए, जो अभी तक पुनः शुरु नहीं किये गये (मार्च 1996) ।

(प्रस्तर 3 अ.1, 3 अ.4.1 एवं 3 अ.4.2)

छः एच. पी. हीटरों एवं तीन एच. पी./एल. पी. बाई पास सिस्टम के चालू न करने से, न केवल आवश्यक तापीय दक्षता ही उपलब्ध हो सकी अपितु इसके क्रय पर किया गया 1.12 करोड़ रुपये का व्यय अनुत्पादक रहा।

(प्रस्तर 3 अ.5.3)

85 प्रतिशत निर्धारित मानक के विरुद्ध, परियोजना द्वारा प्राप्त प्लाण्ट उपलब्धता 35.2 एवं 51.4 प्रतिशत मात्र के बीच रही। उपलब्ध घंटों में क्षमता का उपयोजन भी बहुत कम रहा एवं परिणाम स्वरुप 1796.13 एम. यू. विद्युत, जिसका मूल्य 219.13 करोड़ रुपये आंका गया, का कम उत्पादन हुआ जब सभी राज्य विद्युत बोर्डों के औसत क्षमता उपयोजन से इसकी तुलना की गयी।

आन्तरिक कारकों से हुयी बन्दी को रोकने में प्रबंधन की असफलता के परिणाम स्वरुप 3589.54 एम यू ऊर्जा के उत्पादन की हानि हुई जिसका मूल्य 437.92 करोड़ रुपये था। उर्जा का वास्तविक सहायक उपयोग मानक से 80.729 एम. यू. अधिक था जिसका मूल्य 9.85 करोड़ रुपये था।

(प्रस्तर 3 अ.6.1, 3 अ.6.2 एवं 3अ.6.4)

विद्युत केन्द्र में उत्पादन की लागत 91 पैसे प्रति इकाई की प्रक्षिप्त लागत के विरुद्ध 155.17 और 228.86 पैसे के बीच रही। उत्पादन की उच्च लागत कोयले, तेल व खनिज हीन पानी के अधिक उपभोग के कारण थी। 1995-96 तक के पांच वर्षों के दौरान ऐसे अधिक उपयोग का मूल्य, जैसा कि लेखा परीक्षा द्वारा आगणित किया गया, 68.39 करोड़ रुपये था।

(प्रस्तर 3 अ.8, 3 अ.8.1, 3 अ.8.2 और 3 अ.8.4)

वितरण क्षेत्र आगरा

आगरा वितरण क्षेत्र उन तेरह क्षेत्रों में एक है जिनमें उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद विद्युत वितरण एवं बिलिंग के नियोजन एवं अनुश्रवण पर प्रभावी नियंत्रण रखने के उद्देश्य से विभाजित हैं और इसके प्रधान मुख्य क्षेत्रीय अभियंता हैं।

(प्रस्तर 3 ब.1)

मार्च 1996 तक के पांच वर्षों में क्षेत्र के कार्य चालन परिणाम ने 547.22 करोड़ रुपये का घाटा प्रदर्शित किया जो मुख्यतः अधिक लाइन हानियों, विद्युत मूल्य के निर्धारण न होने, कम निर्धारण होने तथा

वितरण ट्रांसफार्मरों के अत्यधिक क्षतिग्रस्त होने के कारण था।

(प्रस्तर 3 ब.4)

पारेषण विभाग के उप केन्द्रों की परिवर्तन क्षमता (912.5 एम. वी. ए.) आगरा क्षेत्र के पारेषण उप केन्द्रो की क्षमता (1767.4 एम. वी. ए.) एवं वितरण प्रणाली (1767.4 एम.वी.ए.) से यथावत तुलनात्मक नही थी जिसके परिणाम स्वरुप आपूर्ति में रुकावट, निम्न विभव की समस्या, अधिक लोड शेडिंग थी।

(प्रस्तर 3 ब.5)

आवश्यकतानुसार कैपेसिटर बैंक न लगाने के परिणाम स्वरुप 11.16 एम यू प्रणाली गत हानियों की हानि हुई जिसका मूल्य 1.51 करोड़ प्रतिवर्ष था। मानकों से अधिक वितरण हानियां 1362.675 एम यू आगणित हुई जिसका मूल्य 171 करोड़ था एवं 1991-92 से 1995-96 के दौरान मानक से अधिक क्षतिग्रस्त हुये वितरण ट्रान्सफार्मरो का मूल्य 59.59 करोड़ रुपये आगणित हुआ।

(प्रस्तर 3 ब.5.1, 3 ब.5.2 और 3 ब.5.3.1)

मूल्य सूची के गलत लगाने के परिणामस्वरुप 2.08 करोड़ रुपये तक के कम राजस्व प्रभारित हुये। बकायों में वृद्धि के बावजूद प्रबन्धन ने 43.75 करोड़ रुपये के वसूली प्रमाण पत्र भी निर्गत नहीं किये।

(प्रस्तर 3 ब.6.1.3 एवं 3 ब. 6.6)

रिहन्द एवं ओबरा के जलीय विद्युत केन्द्र

राज्य के पूर्वी जिलों के चतुर्मुखी विकास हेतु सस्ती विद्युत उर्जा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से परिषद ने 50 मेगावाट प्रत्येक के छः विद्युत केन्द्र (कुल लागत 51.52 करोड़ रुपये) रिहन्द (पिपरी) मे फरवरी 1962 एवं अप्रैल 1965 की अवधि में एवं तीन उत्पादन इकाइयां प्रत्येक 33 मेगावाट की (कुल लागत 24.24 करोड़ रुपये) ओबरा में मई 1970 से अप्रैल 1971 के मध्य चालू की।

(प्रस्तर 3 स.1)

मानक के विपरीत कम प्लाण्ट उपलब्धता प्राप्त करने के कारण उत्पादन में 11287 एम यू की कमी हुई जिसका मूल्य 1362.02 करोड़ रुपये था। प्रबंधन द्वारा मरम्मत में मानक से 16139 घंटे अधिक लेने के परिणामस्वरुप उत्पादन में 724.3 एम यू की हानि हुई जिसका मूल्य 91.18 करोड़ रुपये था एवं

मानक से अधिक बस बार में नष्ट हुई ऊर्जा 140.589 एम यू थी जिसका मूल्य 15.25 करोड़ था।

(प्रस्तर 3 स.4.1, 3 स.4.2 एवं 3 स.4.3)

जलीय विद्युत केन्द्र ओबरा में अधिक मानव शक्ति पर 6.07 करोड़ रुपये का व्यय करने के अलावा, परिषद ने 0.17 करोड़ रुपये के रोजमर्रा के कार्य ठेकेदारों से करवाये एवं 1.18 करोड़ रुपये का ओवर टाइम व्यय किया।

(3स.7)

रेणुकूट की एक रसायन फैक्ट्री को देर से भुगतान के कारण लगाये गये वसूली योग्य प्रभार को अनियमित माफी करने के कारण परिषद को 2.07 करोड़ रुपये की हानि हुई।

परिषद 294.54 करोड़ रुपये की धनराशि को वसूल नही कर सका क्योंकि इसने एन. टी. पी. सी. को आपूर्ति किये जाने वाले जल की दरों को फरवरी 1982 आपूर्ति से पूर्व मे निर्णित नहीं किया।

(प्रस्तर 3 स. 9.1, एवं 3 स. 9.3)

निधि प्रबन्धन

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के निधि के अन्तर प्रवाह का मुख्य साधन बस टिकटों की बिक्री से राजस्व, राज्य एवं केन्द्र सरकारों द्वारा प्राप्त पूँजी योगदान एवं वित्तीय संस्थाओं एवं राज्य सरकार द्वारा प्राप्त ऋण है । इसके निधियों कें बाह्य प्रवाह में रख-रखाव के व्यय, बसों का संचालन एवं मरम्मत, ऋणों का पुनर्भुगतान एवं ऋणों के ब्याज के भुगतान एवं सम्पत्तियों को धारण करना शामिल है।

(प्रस्तर 3 द.1)

निगम के घाटे वर्ष 1991-92 के 23.03 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 1995-96 में 29.57 करोड़ रुपये मुख्यतः बजट नियंत्रण के अभाव एवं निधियों के उत्पादन एवं उपयोग में कमी के कारण थे।

निगम ने ऋणों में पुनर्भुगतान में देरी के कारण 3.84 करोड़ रुपये के दण्डात्मक ऋणों का भुगतान किया एवं 0.81 करोड़ रुपये के पुनः दायित्व की अतिरिक्त बढ़ोत्तरी की। निगम ने 1.04 करोड़ रुपये एवं 0.45 करोड़ रुपये के दण्ड का भुगतान भी यात्री कर एवं कर्मचारी भविष्य निधि के भुगतान को जमा करने में हुई देरी के कारण किया।

(प्रस्तर 3 द.4)

निगम के पुर्जों एवं ईंधन के खर्चे अनुमानित खर्चों से क्रमशः 22.57 करोड़ रुपये एवं 36.87 करोड़ रुपये अधिक थे।

(प्ररुतर 3 द. 5. 1 .2)

निगम ने 261.95 करोड़ रुपये के संभावित राजस्व का घाटा निर्दिष्ट यात्राओं की अत्याधिक कटौती के कारण उठाया जो निगम की कार्यशालाओं द्वारा सड़कों पर चलने वाली अच्छी बसों को निश्चित समय सीमा में उपलब्ध न करा पाने के कारण हुआ।

(प्रस्तर 3 द. 6.1)

अपनी बसों का बीमा आवरण न लेने के कारण निगम को 3.94 करोड़ रुपये की दुर्घटना दावों के कारण परिहार्य हानि हुई।

(प्रस्तर 3 द.8)

विविध रुचिकर विषय

ऊपर उल्लेख की गई समीक्षाओं के अतिरिक्त सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों के अभिलेखों की सामान्य जांच में निम्न विन्दु प्रकाश में आये:

दि प्रादेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इनवेस्टमेंट कारपोरेशन आफ उत्तर प्रदेश लिमिटेड ने 0.30 करोड़ रुपये अर्जित करने का एक अवसर खो दिया क्योंकि इसने एक राईट आफर के बिना प्रीमियम वसूली के प्रयास के परित्याग किया।

कम्पनी ने 0.12 करोड़ रुपये का घाटा भी उठाया क्योंकि इसने अंशों के अपनिवेश पर अग्राहय कटौती प्रदान की।

(प्रस्तर 4 अ.1 एवं 4 अ.2)

उत्तर प्रदेश राज्य सीमेंट निगम लिमिटेड को 0.84 करोड़ रुपये की परिहार्य हानि हुई क्योंकि इसने अपने विद्युत भार को जो कि इसकी आवश्यकता से कहीं अधिक था कम नहीं करवाया।

कम्पनी को 1.18 करोड़ रुपये की भी हानि हुई क्योंकि इसने बिना हैण्डलिंग एजेंट द्वारा जांचे खराब स्तर के कोयले को स्वीकार किया।

(प्रस्तर 4 अ.11 एवं 4 अ.12)

उत्तर प्रदेश स्माल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड ने 0.11 करोड़ रुपये का घाटा उठाया क्योंकि इसने तांबे के बिना गोली की कारतूसों के विक्रय मूल्य को समयानुसार पुनः निर्धारित नहीं किया।

(प्रस्तर 4 अ. 17)

उत्तर प्रदेश हैण्डलूम कारपोरेशन लिमिटेड ने 0.21 करोड़ रुपये का घाटा दरियों की आपूर्ति में को ग्राहक द्वारा आदेशित मूल्य से अधिक मूल्य पर क्रय करके उठाया।

(प्रस्तर 4 अ. 23)

अनुच्छेद - 1
सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों का सामान्य अवलोकन

प्रस्तर	विवरण	पृष्ठ संख्या
1	प्रस्तावना	
2	सामान्य अवलोकन	
2.1	सरकारी कम्पनियां	
2.2	क्षेत्रवार निवेश	
2.3	निवेश का विश्लेषण	
2.4	प्रत्याभूतियां	
2.5	लेखाओं का अन्तिमकरण	
2.6	कार्यचालन परिणाम	
2.6.1	लाभ अर्जित करने वाली कम्पनियां	
2.6.2	लाभ एवं लाभांश	
2.6.3	घाटा उठाने वाली कम्पनियां	
2.6.4	पूंजी पर प्रतिलाभ	
2.7	सरकारी कम्पनियों द्वारा प्रोन्नत संयुक्त क्षेत्र की कम्पनियों द्वारा अशंदानों का पुनः क्रय	
2.8.1	कम्पनी लेखा परीक्षकों द्वारा सरकारी कम्पनियों के लेखाओं में पाये गये दोष	
2.8.2	लेखा परीक्षा द्वारा पाई गयी प्रमुख त्रुटियां एवं चूक (क से य तक)	
2.9	क्षमता उपयोग	
2.10	619 बी कम्पनियां	
2.11	अन्य निवेश	
3	सांविधिक निगम	
3.1	सामान्य पहलू	
3.2	निवेश	
3.3	निगमों के लाभ/हानि	
3.4	लेखाओं का अन्तिम रुप दिया जाना	
3.5	ऋणों पर प्रत्याभूति	
3.6	बजट बर्हिगमन	
3.7	उपदान	
3.8	कार्य चालन परिणाम	

प्रस्तर	विवरण	पृष्ठ संख्या
4	उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद	
5	उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम	
6	उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम	
7	उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम	

प्रस्तावना

अध्याय-1

सरकारी कम्पनियों एवं संविधिक निगमों का सामान्य अवलोकन

1.1 प्रस्तावना

सरकारी कम्पनियों और मान्य सरकारी कम्पनियों (कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619 बी में यथा परिभाषित) के लेखों का लेखा परीक्षण सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा किया जाता है जिन्हें कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619 (2) के प्राविधानों के अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी0ए0जी0) की सलाह पर केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। कम्पनी अधिनियम की धारा 619 (4) के प्रावधानों के अनुसार ये लेखे भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा की जाने वाली पूरक लेखा परीक्षा के अन्तर्गत भी आते हैं।

चार सांविधिक निगमों में से उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद तथा उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के लेखों का लेखा परीक्षण सी0ए0जी0 द्वारा अपने सम्बन्धित अधिनियमों के अन्तर्गत एक मात्र रुप से किया जाता है। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम एवं उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम के लेखों का लेखा परीक्षण राज्य सरकार द्वारा सी0ए0जी0 की सलाह पर, जो इन निगमों का पृथक रुप से भी लेखा परीक्षण करते हैं, नियुक्त शासपत्रित लेखाकारों द्वारा किया जाता है। सभी सांविधिक निगमों के लेखों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सी0ए0जी0 द्वारा संबन्धित संगठनों/राज्य सरकार को जारी किये जाते हैं।

1.2 समान्य अवलोकन

1.2.1 सरकारी कम्पनियां

31 मार्च 1996 को 97 सरकारी कम्पनियां (37 सहायक सहित) जिसमें से 11 (8 सहायक सहित) परिसमापनाधीन थीं के पास 13.35 करोड़ रुपये प्रदत्त पूंजी थी। शेष 86 कम्पनियों (29 सहायक सहित) में कुल निवेश, 31 मार्च 1995 तक 89 कम्पनियों के कुल निवेश 3161.22 करोड़ रुपये (अंश पूंजी 1497.02 करोड़ व दीर्घकालीन ऋण 1644.20 करोड रुपये) के विरुद्ध 3237.85 करोड़ रुपये (अशं पूंजी 1560.40 करोड रुपये व दीर्घकालीन ऋण 1677.45 करोड़ रुपये) था। 31 मार्च 1996 को छः मान्य सरकारी कम्पनियाँ थी।

कम्पनियों का विश्लेषण निम्न प्रकार है :-

		कम्पनियों की संख्या	प्रदत्त पूंजी (करोड़ रुपये में)
(अ)	कार्यशील कम्पनियां	67	1535.60
(ब)	अकार्यशील कम्पनियां		
(i)	अप्रचलित कम्पनियां	19	24.80
(ii)	परिसमापनाधीन कम्पनियां	11	13.35

19 अप्रचलित कम्पनियों में से कोई भी बी. आई. एफ. आर. को निर्देशित नहीं थी।

1.2.2 सभी सरकारी कम्पनियों की वित्तीय स्थिति एवं कार्यचालन परिणाम क्रमशः परिशिष्ट 2 एवं 3 में दिये गये हैं।

सभी 92 कम्पनियों में (6 मान्य सरकारी कम्पनियों के 194.81 करोड रुपये के निवेश सहित) क्षेत्र वार निवेश निम्न प्रकार है :-

(करोड़ रुपये में)

विभाग/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम की श्रेणी (पी.एस.यू.)	31 मार्च 1996 को संख्या	अशंदान	ऋण	31 मार्च 1995 को संख्या	अशंदान	ऋण	31 मार्च 1996 को ऋण अशंपूंजी अनुपात
कृषि							
सरकारी कम्पनियां	3	35.87	15.59	3	27.22	4.86	0.03:1
मान्य सरकारी कम्पनी	1	2.46	--	1	2.38	--	0:1
पशुपालन							
सरकारी कम्पनियां	2	4.35	1.65	2	4.26	1.89	0.14:1
मान्य सरकारी कम्पनी	1	0.24	0.31	1	0.24	0.36	1.29:1
क्षेत्रीय विकास							
सरकारी कम्पनियाँ	10	9.37	4.07	10	9.36	4.94	0.15:1
सहायक कम्पनी	1	0.02	--	1	0.02	--	0:1

(करोड़ रुपये में)

विभाग/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम की श्रेणी (पी.एस.यू.)	31 मार्च 1996 को			31 मार्च 1995 को			31 मार्च 1996 को
	सख्या	अशंदान	ऋण	संख्या	अशंदान	ऋण	ऋण अशंपूंजी अनुपात
सीमेन्ट							
सरकारी कम्पनी	1	68.28	118.56	1	68.28	235.53	0.80:1
इलेक्ट्रानिक्स							
सरकारी कम्पनी	1	80.60	26.11	--	5.60	25.10	0.32:1
सहायक कम्पनियां	6	57.15	88.56	--	56.19	115.87	0.22:1
मान्य सरकारी कम्पनियां	2	42.49	143.51	2	42.49	143.51	3.38:1
निर्यात प्रोत्साहन							
सरकारी कम्पनियां	3	17.86	5.80	3	16.26	5.43	0.27:1
वित्त							
सरकारी कम्पनियां	3	148.88	453.84	3	137.40	448.95	2.65:1
मत्स्य विभाग							
सरकारी कम्पनी	1	1.00	--	1	1.00	--	0:1
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति							
सरकारी कम्पनी	1	5.50	15.27	1	5.50	15.46	2.78:1
हरिजन एवं समाज कल्याण							
सरकारी कम्पनियां	6	59.84	47.34	6	57.96	31.57	0.77:1
पर्वतीय विकास							
सरकारी कम्पनियां	3	22.99	15.48	3	21.88	12.96	0.67:1
सहायक कम्पनियां	9	73.80	6.49	9	6.30	5.82	0.05:1
मान्य सरकारी कम्पनी	1	2.00	2.90	1	2.00	5.00	1.45:1
गृह							
सरकारी कम्पनी	1	3.00	--	1	3.00	--	0:1

(करोड़ रुपये में)

विभाग/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम की श्रेणी (पी.एस.यू.)	31 मार्च 1996 को			31 मार्च 1995 को			31 मार्च 1996 को
	संख्या	अशंदान	ऋण	संख्या	अशंदान	ऋण	ऋण अशंपूंजी अनुपात
उद्योग एवं औद्योगिक विकास							
सरकारी कम्पनियाँ	3	64.13	1.53	3	64.13	4.54	0.02:1
सहायक कम्पनियाँ	5	5.46	13.09	7	56.09	213.90	2.54:1
संस्थागत वित्त							
सरकारी कम्पनी	1	8.18	0.16	1	8.18	4.85	0.02:1
सिंचाई							
सरकारी कम्पनी	1	5.90	--	1	5.40	--	0:1
पंचायत राज्य							
सरकारी कम्पनी	1	1.46	--	1	1.39	--	0:1
योजना विभाग							
सरकारी कम्पनियां	2	1.06	--	2	1.06	--	0:1
विद्युत							
सरकारी कम्पनियां	2	3.23	19.00	2	1.70	44.00	5.88:1
सार्वजनिक निर्माण							
सरकारी कम्पनियां	2	11.00	--	2	11.00	8.90	0:1
ग्रामीण एवं लघु उद्योग							
सरकारी कम्पनियां	2	28.81	21.96	2	28.70	19.53	0.68:1
सहायक कम्पनियां	2	0.78	0.76	2	0.78	0.67	0.97:1
मान्य सरकारी कम्पनी	1	0.90	--	1	0.01	--	0:1
चीनी एवं गन्ना विकास							
सरकारी कम्पनियां	5	488.84	633.76	5	480.06	307.63	0.67:1
सहायक कम्पनियां	4	72.23	39.80	4	69.88	26.62	0.27:1

(करोड़ रुपये में)

विभाग/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम की श्रेणी (पी.एस.यू.)	31 मार्च 1996 को			31 मार्च 1995 को			31 मार्च 1996 को
	संख्या	अशंदान	ऋण	संख्या	अशंदान	ऋण	ऋण अशंपूंजी अनुपात
वस्त्र							
सरकारी कम्पनी	1	160.79	83.61	1	155.79	26.26	0.51:1
सहायक कम्पनियां	2	110.33	58.14	3	112.93	90.87	0.40:1
पर्यटन							
सरकारी कम्पनी	1	8.19	6.08	1	8.20	8.04	0.74:1
वक्फ							
सरकारी कम्पनी	1	1.50	--	1	1.50	--	0:1
योग	92	1608.49	1824.17	95	1544.14	1813.06	

1.2.3 निवेश का विश्लेषण

अ. निवेश में वृद्धि पर्वतीय क्षेत्र एवं वित्तीय उद्योगों में अतिरिक्त निवेश के कारण है।

ब. पी. एस. यू. में अंश पूंजी को अपनिवेशित करने की केन्द्र सरकार की औद्योगिक नीति के संदर्भ में, राज्य सरकार ने 50 पी. एस. यू. के मामले ' अधिकार प्राप्त कमेटी' के पास उनके पुनर्निर्माण/पुनर्गठन/संयोजन/निजीकरण के विचार केलिये संदर्भित किया उनका प्रतिवेदन राज्य सरकार अनुमोदनों के साथ प्रतीक्षित है (अक्टूबर 1996)।

1.2.4 प्रत्याभूतियां

बैकों आदि द्वारा पी. एस. यू. को दिये गये 1995-96 तक के पूर्ववर्ती तीन वर्षो के तथा 31.3.96 को बकाया ऋणों एवं उधार के विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियां निम्न तालिका में प्रदर्शित है :-

(करोड़ रुपये में)

क्रम सं0 प्रत्याभूति	प्रत्याभूति राशि 1993-94	1994-95	1995-96	31 मार्च 1996 को अनिस्तारित प्रत्याभूति की राशि
1. भारतीय स्टटे बैंक तथा अन्य राष्ट्रीय बैको से नकद उधार	25.45	33.55	142.93	511.70
2. अन्य स्रोतों से ऋण	10.70	9.80	182.78	

बजटरी बर्हिगमन एवं बकायों का अधित्याग

1993-94 से 1995-96 के वर्षो के दौरान साधारण अशंपूजी, ऋणों एवं उपदान के रुप में 86 पी. एस. यू. को राज्य सरकार से बर्हिगमन निम्न प्रकार है :

(करोड़ रुपये में)

	1993-94	1994-95	1995-96
1. बजट से अंश पूंजी बहिर्गमन	57.36	54.56	34.45
2. बजट से प्रदत्त ऋण	102.29	79.36	87.36
3. उपदान	2.32	0.07	164.68
कुल बहिर्गमन	161.97	133.99	286.49

1.2.5 लेखाओं का अन्तिम करण

विधायिका के प्रति प. एस. यू. का उत्तरदायित्व निर्धारित समय सूची के अन्दर सम्प्रेक्षित वार्षिक लेखाओं के विधायिका के समक्ष प्रस्तुत करने पर पूर्ण होता है। 86 में से 77 कम्पनियों के लेखे 1 वर्ष से लेकर 21 वर्ष की विस्तीर्ण अवधियों से बकाये में थे जैसा कि परिशिष्ट-3 में इंगित किया गया है (30 सितम्बर 1996 तक)। केवल 9 कम्पनियों के वर्ष 1995-96 के लेखाओं का अन्तिमीकरण सितम्बर 1996 तक हुआ था।

इन कम्पनियों के नवीनतम अन्तिम रुप दिये गये लेखाओं के अनुसार, 49 कम्पनियों ने 251.45 करोड़ रुपये तथा शेष* 31 कम्पनियों ने 15.59 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित किया जैसा कि निम्न तालिका से स्पष्ट है :-

(रुपये लाख में)

क्रम संख्या	कम्पनियों की संख्या	वर्ष जब तक लेखे अन्तिम किये गये	लाभ		हानि		परिशिष्ट 3 में कम्पनी की क्रम संख्या का संदर्भ	
			कम्पनियों की सं0	धनराशि	कम्पनियों की सं0	धनराशि	लाभ वाली	हानि वाली
1.	1	1974-75			1	0.81		64
2.	1	1976-77			1	0.01		59
3.	1	1979-80			1	0.78		22
4.	1	1981-82	1	0.44			11	
5.	1	1982-83			1	4.00		29
6.	2	1983-84			2	12.37		7, 37
7.	2	1984-85			2	135.83		3, 8
8.	2	1985-86	2	37.07			10, 28	
9.	5	1986-87	1	11.24	4	331.08	6	9, 13, 14, 66
10.	6	1987-88			6	66.96		15, 16, 27, 35, 41, 55
11.	2	1988-89	1	0.25	1	36.33	58	63
12.	4	1989-90	3	15.29	1	1.61	4, 77, 79	40

* परिशिष्ट 3 की क्रम संख्या 31 एवं 49 पर दी गई दो कम्पनियां निर्माणाधीन थीं तथा क्रम संख्या 18, 44, 46 एवं 53 पर दी गई चार कम्पनियों ने अपने लेखे प्रस्तुत नहीं किये ।

(रुपये लाख में)

क्रम संख्या	कम्पनियों की संख्या	वर्ष जब तक लेखे अन्तिम किये गये	लाभ कम्पनियों की सं0	लाभ धनराशि	हानि कम्पनियों की सं0	हानि धनराशि	परिशिष्ट 3 में कम्पनी की क्रम संख्या का संदर्भ लाभ वाली	हानि वाली
13.	2	1990-91	2	55.32			30, 65	
14.	6	1991-92	2	35.54	4	228..19	36, 48	25, 38, 39, 42
15.	11	1992-93	4	23.56	7	10012.76	5, 33, 68, 73	12, 45 56, 60 67,70,75
16.	10	1993-94	4	560.34	6	1316.36	32, 54 62, 69	2, 24, 26,43 61,74
17.	14	1994-95	5	209.92	9	11839.49	47,71, 72,80,85	1,19 50,51 52,82 83,84 86
18.	9	1995-96	6	610.02	3	1158.73	17,20,23 34,76,78	21,57 81
योग	**80**		**31**	**1558.99**	**49**	**25145.31**		

प्रशासकीय विभागों को पर्यवेक्षण करना एवं सुनिश्चित करना होगा कि कम्पनियों द्वारा लेखाओं को अन्तिम रुप दे दिया जाता है तथा सामान्य वार्षिक बैठक में कम्पनी अधिनियम 1956 में निर्धारित समय सीमा में अधिग्रहीत कर लिया जाता है। यद्यपि लेखा परीक्षा द्वारा सम्बन्धित प्रशासकीय मंत्रालयों एवं सरकार के अधिकारियों को बकाये की स्थिति से त्रैमासिक रुप में अवगत करा दिया गया था, सरकार द्वारा इन लेखाओं को अन्तिम रुप देने के विषय में कोई प्रभावी कदम नहीं उठाये गये। चूंकि, इन कम्पनियों ने समय सूची का अनुसरण नहीं किया, इन कम्पनियों में किये गयें निवेश लेखा परीक्षा के कार्य क्षेत्र से बाहर रहे और उनके उत्तरदायित्व सुनिश्चित नहीं किये जा सके।

लेखाओं का अन्तिमीकरण

वर्ष जब तक के लेखाओं को अन्तिम रूप दे दिया गया

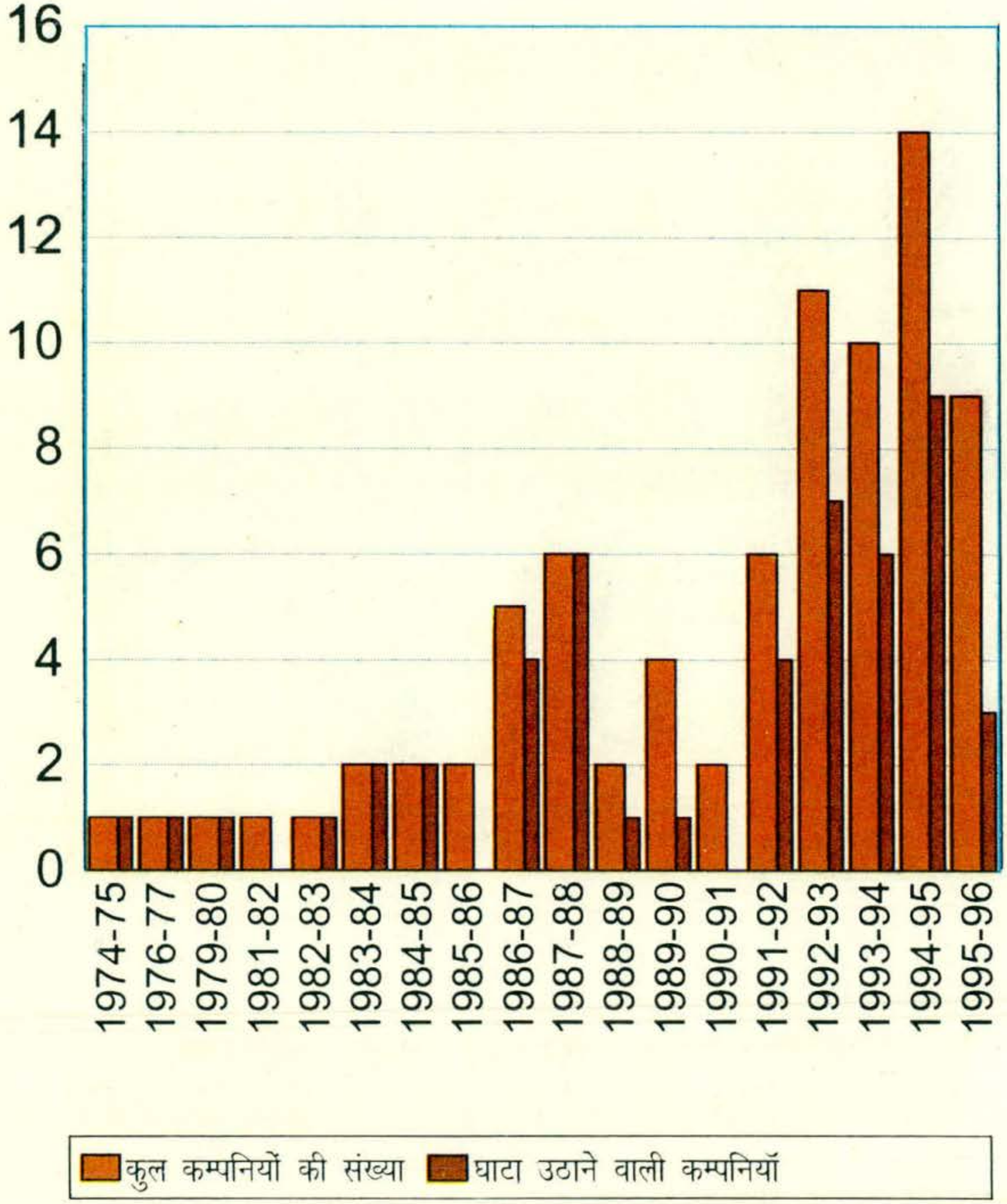

(सन्दर्भ : प्रस्तर संख्या - 1.2.5)

1.2.6 कार्यचालन परिणाम

1.2.6.1 लाभ अर्जित करने वाली कम्पनियां

वर्ष के दौरान 23* कम्पनियों ने जिन्होने वर्ष 1995-96 अथवा पूर्व वर्षो के लेखाओं को अन्तिम रुप दे दिया था, कुल 14.41 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित किया । इनमें से 14@ कम्पनियों ने लगातार दो या अधिक वर्षो से लाभ कमाया एवं तीन कम्पनियों ने लाभांश घोषित किये। 50 कम्पनियों ने 64.28 करोड़ रुपये के स्वतन्त्र निधियां एवं अवशेष बनाये ।

1.2.6.2 लाभ एवं लाभांश

नौ कम्पनियों में से जिन्होंने सितम्बर 1996 तक 1995-96 के अपने लेखाओं को अन्तिम रुप दिया था छः कम्पनियों (परिशिष्ट 3 की क्रम संख्या 17, 20, 23, 34, 76 एवं 78) ने 202.28 करोड़ रुपये की कुल अंशपूंजी पर 6.10 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित किया एवं एक कम्पनी ने 1.66 करोड़ रुपये का लाभांश घोषित किया जिसका विवरण निम्नांकित है :

(करोड़ रुपये में)

कम्पनी का नाम	अर्जित लाभ	प्रतिशत	धनराशि
		घोषित लाभांश	
प्रादेशिय इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन आफ उत्तर प्रदेश	4.74	1.5	1.66
योग	**4.74**		**1.66**

* परिशिष्ट 3 की क्रम संख्या : 10,17,20,23,28,32,33,34,36,47,48,54,62,65,68,69,71,72,76,77,78,79 एवं 85

@ परिशिष्ट 3 की क्रम संख्या : 17,20,23,32,33,34,36,47,65,70,72,77,78 एवं 85

लाभ अर्जित करने वाली कम्पनियों में अशंपूंजी के प्रतिशत के रूप में लाभांश 1.22 आगणित हुआ। शेष पांच लाभ अर्जित करने वाली कम्पनियों ने 1995-96 में उनके द्वारा अर्जित 1.36 करोड़ के लाभ पर कोई लाभांश घोषित नहीं किया। कुल अंशं पूंजी पर, 1994-95 में 0.15 प्रतिशत की तुलना में 1995-96 में 0.11 प्रतिशत प्रतिलाभ आगणित हुआ।

1.2.6.3 घाटा उठाने वाली कम्पनियां

नवीनतम उपलब्ध लेखाओं के अनुसार 31* कम्पनियों ने 973.51 करोड़ रुपये की अपनी प्रदत्त पूंजी का क्षय कर दिया क्योंकि इन कम्पनियों की 1675.35 करोड़ रुपये की संचित हानियां प्रदत्त पूंजी से कहीं अधिक हो गई। 49 घाटा उठाने वाली कम्पनियों में से 18 कम्पनियों ने लगातार पांच वर्षो से घाटा उठाया तथा अपनी पूंजी का क्षय किया जैसा कि निम्न तालिका में प्रदर्शित है :

(करोड़ रुपये में)

क्रम संख्या	कम्पनी का नाम	वर्ष जब तक लेखे प्राप्त हुए	प्रदत्त पूंजी	संचित हानियां	क्षय हुई पूंजी का प्रतिशत	हानि के कारण	परिशिष्ट 3 की क्रम संख्या की संदर्भ संख्या
1.	छाता शुगर कम्पनी लिमिटेड, (उ प्र चीनी निगम की सहायक कम्पनी)	1992-93	12.25	15.17	123.86	क्षमता का नीचा उपयोग एवं अधिक ह्रास मूल्य का बोझ	67
2.	नन्दगंज सिहोरी शुगर कम्पनी लिमिटेड (उ प्र चीनी निगम की सहायक कम्पनी)	1992-93	32.21	50.32	156.21	कच्चे माल में वृद्धि एवं चीनी के मूल्य में कमी	70
3.	इण्डियन टरपेंटाइन एण्ड रोजिन कम्पनी लिमिटेड	1994-95	0.22	7.17	3255.59	कच्चे माल की कमी के कारण क्षमता का नीचा उपयोग	50
4.	उत्तर प्रदेश राज्य ब्रासवेयर कारपोरेशन लिमिटेड	1991.92	5.38	6.49	120.64	खराब विक्रय सम्पादन एंव अजीवन क्षम योजनाओं का क्रियान्वयन	25
5.	ट्रासं केबलस लिमिटेड (कुमायूं मण्डल विकास निगम लिमिटेड की सहायक)	1993-94	0.63	2.24	354.66	उ0 न0	43

* परिशिष्ट 3 की क्रम संख्या: 2,3,4,10,17,19,22,24,25,26,39,43,48,50,51,52,55,56,61,62,63,66,67,68,70,74,75,81,82,83 एवं 84 ।

अधिक घाटा उठाने वाली कम्पनियाँ जिनकी प्रदत्त पूंजी का पूर्ण रूप से क्षय हो गया

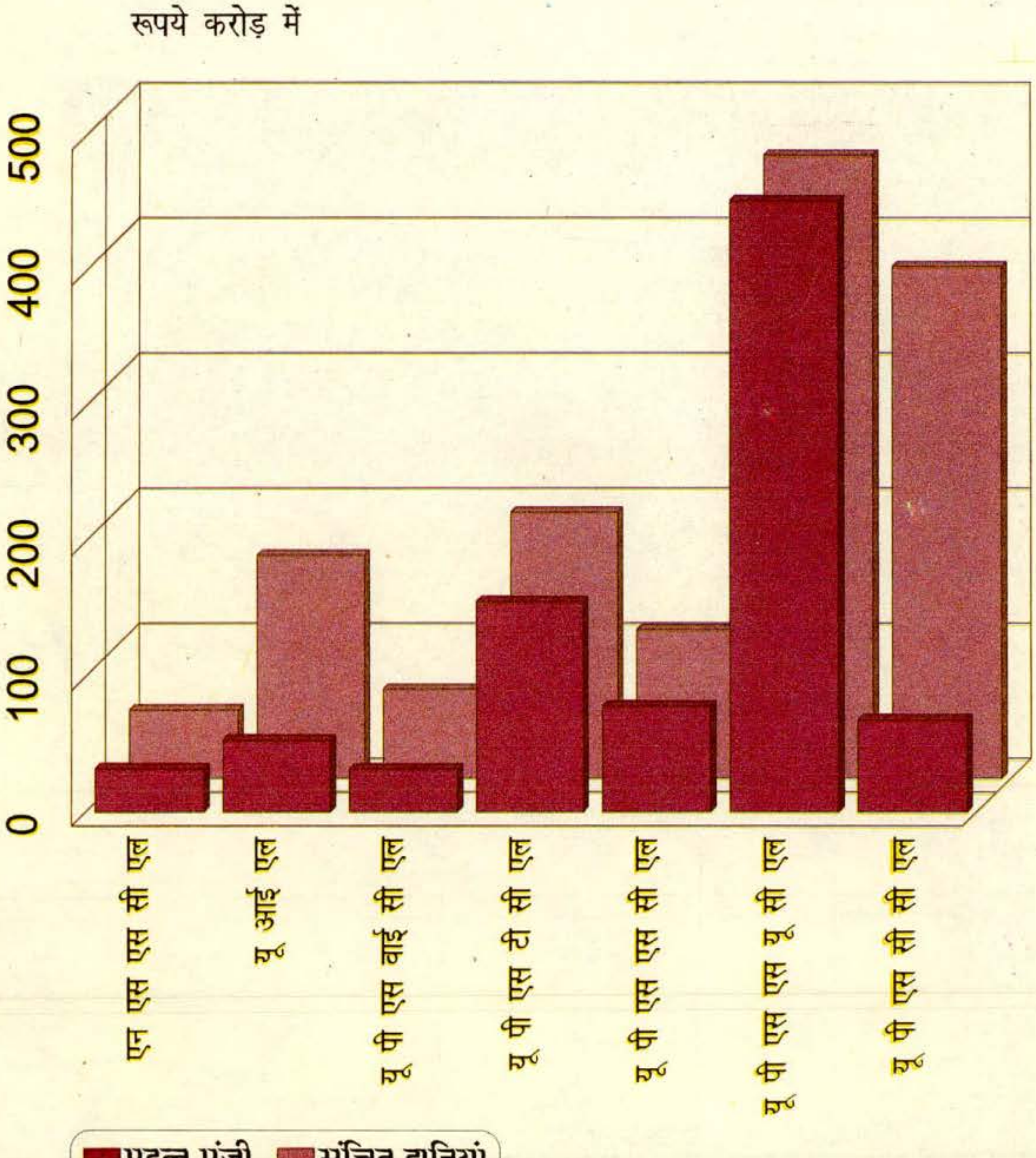

(सन्दर्भ : प्रस्तर संख्या - 1.2.6.3)

(करोड़ रुपये में)

क्रम संख्या	कम्पनी का नाम	वर्ष जब तक लेखे प्राप्त हुए	प्रदत्त पूंजी	संचित हानियां	क्षय हुई पूंजी का प्रतिशत	हानि के कारण	परिशिष्ट 3 की क्रम संख्या की संदर्भ संख्या
6.	यू०पी०एस०आई०सी० पाटरीज लिमिटेड (उ०प्र० स्माल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक कम्पनी)	1988-89	0.59	1.89	318.92	कार्यशील पूंजी की कमी	63
7.	अपट्रान इण्डिया लिमिटेड (उ०प्र० इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक)	1994-95	53.16	164.81	310.05	उ० न०	19
8.	उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम लिमिटेड	1992-93	8.18	10.14	123.91	अजीवन क्षम व्यापार कार्य प्रणाली	56
9.	उत्तर प्रदेश डिजिटल्स लिमिटेड (उ० प्र० औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड की सहायक कम्पनी	1994-95	0.35	4.68	1330.88	एच०एम०टी० द्वारा अपर्याप्त पुर्जों की आपूर्ति एवं श्रम विवाद	52
10.	उत्तर प्रदेश स्टेट यार्न कम्पनी लि० (उ०प्र० स्टेट टेक्सटाईल कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक कम्पनी)	1995-96	31.91	65.69	205.90	व्यापार की विपरीत परिस्थितियां एवं ब्याज का बोझ	81
11.	उत्तर प्रदेश स्टेट टेक्सटाईल कारपोरेशन लिमिटेड	1994-95	155.79	196.55	126.16	क्षमता का नीचा उपयोग कर्मचारियों का अधिकाय एवं असाधारण क्षय	82
12.	उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग कम्पनी लि० (उ०प्र० स्टेट टेक्सटाईल कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक कम्पनी)	1994-95	78.43	109.80	140.00	बाजार की विपरीत परिस्थितियां एवं वित्तीय एवं विद्युत समस्या	83
13.	उत्तर प्रदेश स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रिज कारपोरेशन लिमिटेड	1993-94	19.04	49.73	261.17	ब्याज का बोझ एवं कार्यशील पूंजी की कमी	2
14.	उत्तर प्रदेश स्टेट शुगर कारपोरेशन	1992-93	452.01	460.48	101.87	पुरानी मशीनों के कारण क्षमता का नीचा उपयोग एवं चीनी की कम प्राप्ति	75

(करोड़ रुपये में)

क्रम संख्या	कम्पनी का नाम	वर्ष जब तक लेखे प्राप्त हुए	प्रदत्त पूंजी	संचित हानियां	क्षय हुई पूंजी का प्रतिशत	हानि के कारण	परिशिष्ट 3 की क्रम संख्या की संदर्भ संख्या
15.	उत्तर प्रदेश स्टेट सीमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड	1994-95	68.28	378.24	553.94	क्षमता का नीचा उपयोग एवं कार्यशील पूंजी की कमी	84
16.	उत्तर प्रदेश स्टेट हेण्डलूम कारपोरेशन लिमिटेड	1986-87	10.43	11.16	106.91	ब्याज का अत्यधिक बोझ एंव स्थिर व्यय	66
17.	उत्तर प्रदेश स्टेट चर्म विकास एण्ड मार्केटिंग कारपोरेशन लिमिटेड	1993-94	5.74	6.25	108.83	क्षमता का नीचा उपयोग एवं अपर्याप्त कार्यशील पूंजी	26
18.	उत्तर प्रदेश स्टेट होर्टीकल्चर मार्केटिंग एण्ड प्रोसेसिंग कारपोरेशन लिमिटेड	1984-85	1.91	2.55	133.85	क्षमता का नीचा उपयोग	3
	योग		**936.51**	**1543.36**			

86 कार्यरत कम्पनियों में से 11 * कम्पनियां या तो रुग्ण थीं या बी. एफ. आई. आर. को संदर्भित होने की प्रक्रिया में थी। 31 कम्पनियों में जिन्होने अपनी पूंजी का क्षय किया से 3 ** कम्पनियां अप्रचलित या अकार्यशील थी।

प्रदत्त पूंजी को सम्पूर्ण क्षति पंहुचाते हुये खराव सम्पादन के बाबजूद, राज्य सरकार कम्पनियों को साधारण अशंदानों में योगदान, ऋण एवं उपदान आदि के रुप में वित्तीय सहयोग देती रही। वर्ष 1995-96 के दौरान इन में से 12 *** कम्पनियों को दिया गया कुल वित्तीय सहयोग 81.74 करोड़ रुपये का था।

* परिशिष्ट 3 की क्रम संख्या 15, 17, 19, 50, 68, 70, 75, 81, 82, 83 एवं 84

** परिशिष्ट 3 की क्रम संख्या 3, 10, 56

*** परिशिष्ट 3 की क्रम संख्या 2, 17, 39, 50, 51, 66, 68, 70,, 74, 75, 81, एवं 82

1.2.6.4 पूंजी पर प्रति लाभ

(अ) निवेशित पूंजी पर प्रति लाभ

चूंकि पूंजी संरचना प्रत्येक कम्पनी में भिन्न होती है तथा कम्पनी को दिये गयें दीर्घकालीन ऋणों पर प्रभारित ब्याज एक समान नही है, कम्पनियों के लाभ को पूर्ण रुप से इन लेखाओं में प्रदर्शित लाभ एवं हानि के आधार पर तुलना करना अवास्तविक हो सकता है। परिणामों को समान आधार पर अध्ययन करने के लिये, उस पूंजी को लिया गया था जिसमें कुल प्रदत्त पूंजी, दीर्घकालीन ऋण एवं स्वतन्त्र निधि सम्मिलित थे तथा वर्ष के अन्त में संचित हानियां घटा दी गई थी। इसी प्रकार, प्रति लाभ के रुप में लाभ या हानि कर पूर्व और पूर्व अवधि के समयोजन को ही नही जैसे लेखाओं में दिखाया गया परन्तु दीर्घकालीन ऋणों पर भुगतान किया ब्याज भी लिया गया। इस आधार पर, वर्ष 1995-96 के दौरान 86 कम्पनियों में 931.01 करोड़ रुपये के कुल निवेश पर, 1995-96 में 180.04 करोड़ रुपये का नकारात्मक प्रति लाभ (कर पूर्व और पूर्व अवधि के समायोजन) हुआ। वर्ष 1995-96 के दौरान विभिन्न क्षेत्रों की कम्पनियों में निवेशित पूंजी पर प्रतिलाभ (पूर्ववर्ती वर्ष के आकड़े कोष्ठक में दिये गये) निम्न प्रकार है :-

(करोड़ रुपये में)

क्षेत्र	निवेशित पूंजी	निवेशित पूंजी पर प्रतिलाभ	निवेशित पूंजी पर प्रतिलाभ का प्रतिशत
कृषि	-29.79	- 1.38	--
	(21.37)	(- 5.69)	--
पशुपालन	2.75	0.26	9.53
	(2.16)	(0.26)	(12.04)
क्षेत्रीय विकास	7.59	- 0.97	--
	(6.98)	(- 0.98)	--
सीमेंट	- 245.27	- 42.09	--
	(- 222.90)	(- 37.26)	--
इलेक्ट्रानिक्स	40.81	- 27.23	--
	(166.69)	(- 27.83)	--
निर्यात प्रोत्साहन	4.19	- 2.73	--
	(6.56)	(0.60)	(9.15)
वित्त पोषण	525.28	5.23	1.00
	(604.49)	(61.11)	(10.11)

(करोड़ रुपये में)

क्षेत्र	निवेशित पूंजी	निवेशित पूंजी पर प्रतिलाभ	निवेशित पूंजी पर प्रतिलाभ का प्रतिशत
मत्स्य	1.64	- 0.35	--
	(3.36)	(- 0.18)	--
खाद्य एवं	1.45	0.35	23.92
नागरिक आपूर्ति	(5.46)	(- 0.05)	--
हरिजन एवं समाज	49.86	2.19	4.39
कल्याण	(56.64)	(173.02)	(3.05)
पर्वतीय विकास	29.41	- 2.01	--
	(44.29)	(- 0.29)	--
गृह	4.67	1.00	21.42
	(2.10)	(1.06)	(50.48)
उद्योग एवं औद्योगिक	167.94	- 4.18	--
विकास	(202.80)	(- 7.35)	--
संस्थागत वित्त	- 1.45	- 0.11	--
	(- 1.26)	(0.04)	--
सिंचाई	6.33	- 1.16	--
	(2.03)	(2.00)	--
पंचायती राज	1.42	0.00	--
	(1.42)	(0.01)	(0.70)
योजना	1.03	- 0.02	--
	(1.04)	(0.01)	(0.96)
विद्युत	157.23	1.98	1.26
	(183.56)	(- 0.50)	--
सार्वजानिक निर्माण	25.93	- 7.31	--
	(60.90)	(- 3.40)	--
ग्रामीण एवं लघु उद्योग	17.37	- 1.82	--
	(22.23)	(1.80)	(8.10)
चीनी एवं गन्ना विकास	187.37	- 85.64	--
	(563.47)	(- 84.29)	--
वस्त्र	- 37.20	- 14.18	--
	(105.48)	(-8.68)	--

(करोड़ रुपये में)

क्षेत्र	निवेशित पूंजी	निवेशित पूंजी पर प्रतिलाभ	निवेशित पूंजी पर प्रतिलाभ का प्रतिशत
पर्यटन	11.46	0.14	1.24
	(12.19)	(- 3.80)	--
वक्फ	1.00	0.00	--
	(1.50)	(0.01)	(0.67)
योग	**931.01**	**- 180.04**	
	(1852.56)	**(- 115.67)**	

(ब) नियोजित पूंजी पर प्रति लाभ

नियोजित पूंजी निवल एवं अचल परिसम्पत्तियों (पूंजीगत प्रगतिशील कार्यो को छोड़कर) और कार्यशील पूंजी के योग के रुप में ली गई है। उधार ली गई निधियों पर ब्याज शुद्ध लाभ/हानि में जोड़ा/घटाया गया है जैसा कि लाभ एवं हानि लेखे में प्रदर्शित किया गया है। अतः, वर्ष 1995-96 के दौरान 86 कम्पनियों में कुल नियोजित पूंजी 1557.13 करोड़ रुपये आगणित हुई जिस पर कुल नकारात्मक प्रति लाभ वर्ष 1994-95 के 23.57 करोड़ रुपये के विरुद्ध 103.46 करोड़ रुपये हुआ।

वर्ष 1995-96 के नवीनतम अन्तिमीकृत लेखाओं के आधार पर क्षेत्रवार कम्पनियों की नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ (पूर्ववर्ती वर्ष के आँकड़े कोष्ठक में दिये गये हैं) निम्न प्रकार है :

(करोड़ रुपये में)

क्षेत्र	निवेशित पूंजी	निवेशित पूंजी पर प्रतिलाभ	निवेशित पूंजी पर प्रतिलाभ का प्रतिशत
कृषि	17.95	2.25	12.51
	(- 1.41)	(- 2.34)	--
पशुपालन	3.01	0.26	--
	(3.01)	(0.39)	(12.89)
क्षेत्रीय विकास	9.63	- 0.78	--
	(8.80)	(- 0.72)	--

(करोड़ रुपयें में)

क्षेत्र	निवेशित पूंजी	निवेशित पूंजी पर प्रतिलाभ	निवेशित पूंजी पर प्रतिलाभ का प्रतिशत
सीमेंट	- 77.81	- 35.43	--
	(210.10)	(- 37.26)	--
इलेक्ट्रानिक्स	94.38	- 10.03	--
	(94.38)	(- 4.31)	--
निर्यात प्रोत्साहन	15.81	- 2.54	--
	(14.98)	(1.09)	(7.27)
वित्त पोषण	609.93	5.23	0.86
	(601.25)	(63.29)	(10.58)
मत्स्य	3.32	- 0.35	--
	(3.32)	(- 0.18)	--
खाद्य एवं	5.24	1.21	23.08
नागरिक आपूर्ति	(5.46)	(0.53)	(9.63)
हरिजन एवं समाज	48.53	2.19	4.51
कल्याण	(53.92)	(1.73)	(3.21)
पर्वतीय विकास	40.00	- 1.91	--
	(45.22)	(- 0.36)	--
गृह	4.66	1.00	21.43
	(2.10)	(1.06)	(50.51)
उद्योग एवं	- 48.86	- 3.77	--
औद्योगिक विकास	(- 23.72)	(- 4.45)	--
संस्थागत वित्त	3.23	- 0.11	--
	(3.41)	(0.04)	(1.32)
सिंचाई	5.71	- 1.16	--
	(0.52)	(- 2.00)	--
पंचायती राज	1.40	0.00	--
	(1.40)	(0.01)	(0.18)
योजना	1.03	- 0.02	--
	(1.04)	(0.01)	(1.20)
विद्युत	147.68	1.98	1.34
	(144.93)	(- 0.50)	--

(करोड़ रुपये में)

क्षेत्र	निवेशित पूंजी	निवेशित पूंजी पर प्रतिलाभ	निवेशित पूंजी पर प्रतिलाभ का प्रतिशत
सार्वजानिक निर्माण	48.06	- 7.31	--
	(60.89)	(- 0.70)	--
ग्रामीण एवं लघु उद्योग	47.76	- 1.82	--
	(23.61)	(1.84)	(7.78)
चीनी एवं गन्ना विकास	446.69	- 46.73	--
	(339.81)	(- 45.19)	--
वस्त्र	117.89	- 5.76	--
	(65.76)	(8.24)	(7.78)
पर्यटन	10.73	0.14	1.32
	(11.34)	(- 3.79)	--
वक्फ	1.28	0.00	--
	(1.49)	(0.01)	(0.44)
योग	**1557.13**	**- 103.46**	
	(1250.46)	**(- 23.57)**	

1.2.7 सरकारी कम्पनियों द्वारा प्रोन्नत संयुक्त क्षेत्र की कम्पनियों द्वारा अशंदानों का पुनः क्रय

कुछ सरकारी कम्पनियाँ राज्य में उद्योगों के विकास/प्रोत्साहान में उन्हें ऋण देकर अथवा उनकी अंशपूंजी में निवेश करने में कार्यरत हैं। प्रोत्साहन समझौते की शर्तो में, सहप्रोन्नत कर्त्ता द्वारा प्रोन्नत इकाई के वाणिज्यिक उत्पादन आरम्भ करने के पश्चात सरकारी कम्पनियों से अंशदानों के पुनः क्रय करने का प्रावधान है। वर्ष के दौरान, 88.24 लाख रुपये मूल्य के अशंदान उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड द्वारा निम्न विवरण के अनुसार अपनिवेशित किये गये:

(रुपये लाख में)

क्रम संख्या	इकाई का नाम (संयुक्त क्षेत्र की कम्पनियां)	अपनिवेशित शेयरों की संख्या	फेस वैल्यू	बिक्री मूल्य
1.	परफेक्ट लेटक्स (प्राईवेट) लिमिटेड	3000	3.00	4.20
2.	इनटिग्रेटेड आर्गेनिक्स लिमिटेड	36000	3.60	6.33
3.	यीबरोस आर्गेनिक्स लिमिटेड	30000	3.00	4.49
4.	ट्रेक पैक इण्डिया लिमिटेड	33000	3.30	4.99
5.	हमीरपुर एलायज (प्राईवेट) लिमिटेड	49000	4.90	8.10
6.	ईसम पॉली फिल्मस लिमिटेड	30000	3.00	5.86
7.	बनवारी पेपर मिल्स लिमिटेड	2250	2.25	5.76
8.	जय सिलेण्डर्स लिमिटेड	30000	3.00	7.68
9.	कपूर लेटक्स (प्राईवेट) लिमिटेड	85000	8.50	10.37
10.	आशा रिफायनरीज (प्राईवेट) लिमिटेड	10000	1.00	2.11
11.	इण्डिया केमिक्लस इण्डिया (प्राईवेट) लिमिटेड	6000	6.00	17.78
12.	अमित पॉली सीट्स (प्राईवेट) लिमिटेड	30000	3.00	5.83
13.	मवाना स्टीलस (प्राईवेट) लिमिटेड	30000	3.00	4.74
	योग			**88.24**

1.2.8.1 कम्पनी अधिनियम 1956 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को सरकारी कम्पनियों के लेखा-परीक्षकों को उनके कार्य निष्पादन के संदर्भ में निर्देश जारी करने के लिये प्राधिकृत करता है। ऐसे जारी किये गये निर्देशों के अनुसरण में 6 कम्पनियों के लेखाओं पर कम्पनी लेखा परीक्षकों के विशेष प्रतिवेदन अक्टूबर 1995 से सितम्बर 1996 के दौरान प्राप्त किये गये। इन प्रतिवेदनों में दिये गये मुख्य बिन्दु अगले पृष्ठ पर संक्षेपित हैं।

कम्पनियों की संख्या जिनमें कमियाँ देखी गयीं

(कमियां / अभाव)

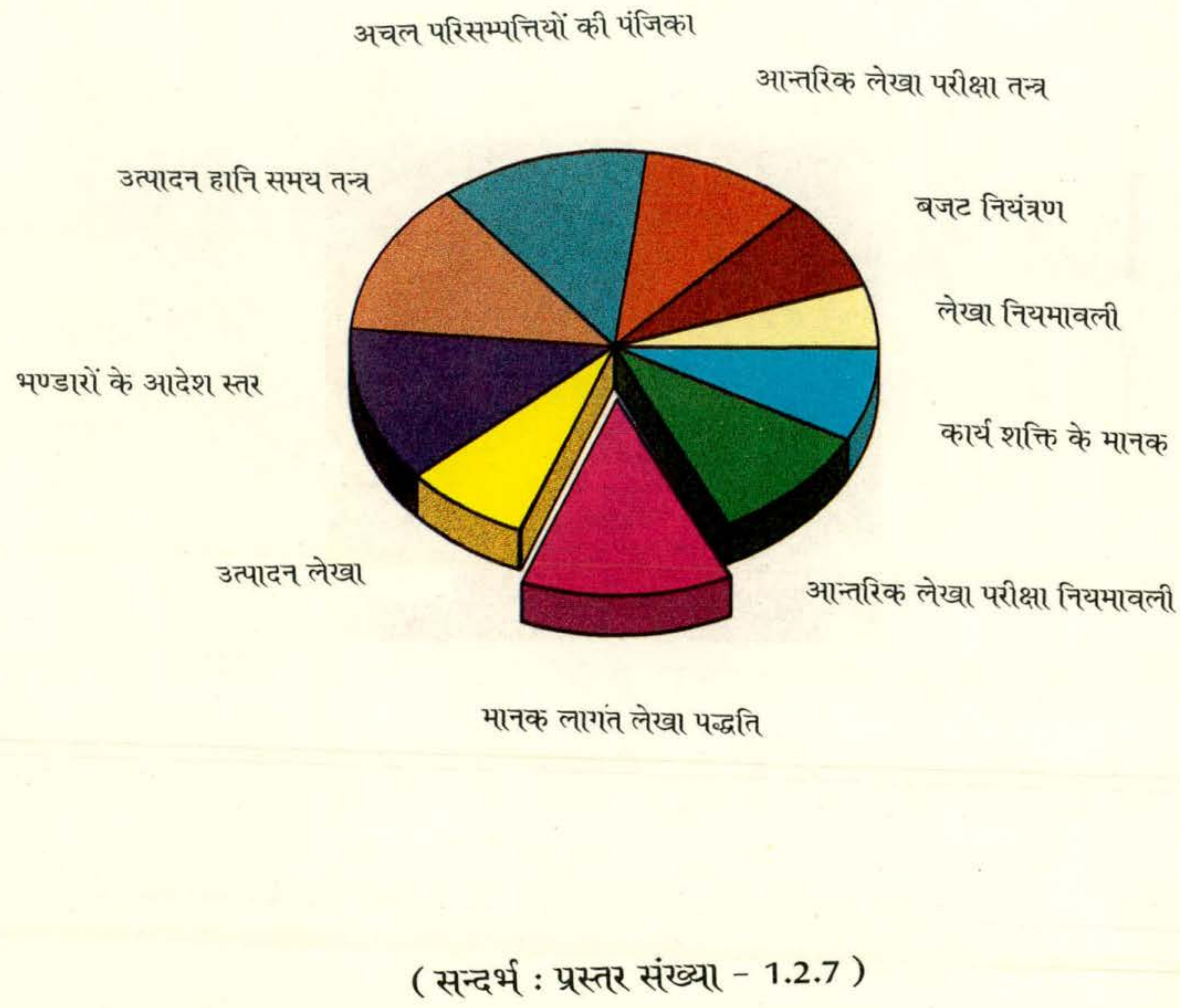

(सन्दर्भ : प्रस्तर संख्या - 1.2.7)

क्रम संख्या	खामियों की प्रकृति	कम्पिनयों की संख्या जहाँ खामियाँ देखी गई	परिशिष्ट 3 की संदर्भ संख्या
1.	लेखा नियमावली की कमी	2	24 एवं 48
2.	पर्याप्त बजट नियंत्रण प्रणाली की कमी	3	24,48 एवं 54
3.	आन्तरिक सम्प्रेक्षण प्रणाली व्यापार की प्रकृति व आकार में अनुरुप नही थी या उसको मजबूत बनाने की आवश्यकता थी	4	2,24,48 एवं 78
4.	अचल सम्पत्ति पंजिका बनाने में कमियाँ या न बनाना	5	2,24,48,54 एवं 78
5.	मशीनो व श्रम के निरर्थक समय का पता लगाने की प्रणाली का अभाव	5	2,24,48,54 एवं 78
6.	भण्डार एवं पुर्जे का आदेश स्तर न निश्चित किया जाना/पालन न किया जाना	5	2,19,24,48 एवं 54
7.	उत्पादन लेखाओं को अलग से न बनाया जाना	3	2,24 एवं 48
8.	प्रमाप लागत प्रणाली का अभाव	5	2,24,48,54 एवं 78
9.	आन्तरिक सम्प्रेक्षण नियमावली का अभाव	4	24,48,54 एवं 78
10.	कार्यशक्ति के मानकों का निश्चित किया जाना	3	2,24 एवं 78

1.2.8.2 कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा (4) के अन्तर्गत, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को सांविधिक लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन पर टिप्पणी का अथवा अनुपूरित करने का अधिकार है। इस प्राविधान के अन्तर्गत, सरकारी कम्पनियों के वार्षिक लेखाओं की समीक्षा चयन आधार पर की जाती है। वर्ष के दौरान 69 कम्पनियों के 76 लेखे प्राप्त किये गये, 60 कम्पनियों के लेखे अक्टूबर 1995 से सितम्बर 1996 की अवधि में समीक्षा के लिये चुने गये/ऐसी समीक्षाओं के फलस्वरुप महत्वपूर्ण टिप्पणियों के कुल परिणाम अगले पृष्ठ पर दिये गये विवरणानुसार थे :-

(लाख रुपये में)

विवरण	लेखाओं की संख्या	धनराशि जो प्रभावित हुई
लाभ में कमी/ हानि में वृद्धि	13	410.19

नवीनतम उपलब्ध लेखाओं पर आधारित समस्त 86 कम्पनियों के वित्तीय परिणाम परिशिष्ट-3 में दिये गये हैं।

सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा उल्लिखित न की गई कुछ कम्पनियों के वार्षिक लेखाओं की समीक्षा के दौरान देखी गई त्रुटियां एवं चूकें नीचे उल्लिखित हैं:

(क) घाटमपुर सुगर कम्पनी लिमिटेड (1992-93)

सुरक्षित ऋण: 193.96 लाख रुपये के अन्य ऋण (टर्म लोन) जिनके सम्बन्ध में कोई वास्तविक प्रतिभूति कम्पनी द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई।

(ख) यू0 पी0 एस0 आई0 सी0 पाटरीज लिमिटेड, कानपुर (1988-89)

कम्पनी ने अपनी नियंत्रक कम्पनी (यू0 पी0 एस0 आई0 सी0 लिमिटेड) से 59.27 लाख रुपये का असुरक्षित ऋण लिया था। यह तथ्य सम्प्रेक्षकों के प्रतिवेदन में प्रकट नहीं किया गया था। तथापि, नियंत्रक कम्पनी ने अपने अभिलेखों में 31 मार्च 1989 को 37.47 लाख रुपये के लम्बित ऋण यू0 पी0 एस0 आई0 सी0 पाटरीज की ओर दर्शाये थे। 21.80 लाख रुपये के अन्तर का समाधान नही किया गया था।

(ग) किच्छा सुगर कम्पनी लिमिटेड (1993-94)

बिक्री मूल्य : 4181.87 लाख रुपये की चीनी में (जैसा कि कम्पनी के लाभ और हानि खाते में उल्लिखित है) 13.62 लाख रुपये की दण्ड या क्षति सम्मिलित थी जो चीनी के निश्चित तिथि तक न उठाने के कारण लगाई गई थी। इसे विभिन्न प्राप्तियों में अलग से दिखाया जाना चाहिये था।

(घ) उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम लिमिटेड (1994-95)

(अ) अचल सम्पत्तियां : भूमि - 173.09 लाख रुपये

इसमें 130.00 लाख रुपये उस भूमि के लिये सम्मिलित है जो एल. डी. ए. से खरीदी गई थी, जिसके स्वामित्व कम्पनी को स्थानान्तरित नहीं किये गये हैं। यह तथ्य प्रदर्शित नहीं किया गया है।

(ब) 185.03 लाख रुपये के व्यय भारत सरकार से प्राप्त उपदान (ई ई सी के अन्तर्गत) से किये गये, को उपदान में नामे नही किया वरन विभिन्न देनदारों को नामे किया गया। इस कारण उपदान व विभिन्न देनदार अधिक प्रदर्शित किये गये थे।

(ड) उत्तर प्रदेश एग्रो इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड (1992-93)

व्यापार में स्कंध : 726 लाख रुपये में मेरठ क्षेत्र में 6.22 लाख रुपये मूल्य का खाद का बिक्री के अयोग्य पड़ा भण्डार सम्मिलित था जिसके लिये लेखाओं में कोई प्रदर्शन नहीं किया गया।

(च) इण्डियन टर्पेन्टाइन एण्ड रोजिन कम्पनी लिमिटेड (1994-95)

(अ) सुरक्षित ऋण-सरकारी ऋण: 45.00 लाख रुपये

यह असुरक्षित ऋण था और उसी प्रकार प्रदर्शित किया जाना चाहिये था।

(ब) चल सम्पत्ति - आग से हानि के दावे : 3.09 लाख रुपये

उक्त दावा स्वीकार कर लिया गया था और 4.88 लाख रुपये लेखाओं के अन्तिमीकरण से पूर्व प्राप्त कर लिये गये थे लेकिन तथ्य को प्रदर्शित नहीं किया गया था ।

(द) उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड (1993-94)

अचल सम्पत्तियां : भवन : 52.32 लाख रुपये

इसमें 1990 में क्रय किया गया अहमदाबाद प्रदर्शन कक्ष भवन सम्मिलित था किन्तु विक्रय पत्र के पंजीकृत न होने के कारण स्वामित्व का अभी तक हस्तांतरण नहीं हो सका । यद्यपि यह भवन 1991-92 से प्रयोग में है, कोई ह्रास नहीं काटा गया, परिणाम स्वरूप 1.37 लाख की संचयी हानि का कम प्रदर्शन हुआ।

(ज) उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट सिस्टम्स कारपोरेशन लिमिटेड (1992-93)

विविध देनदार : 52.80 लाख रुपये में 13.96 लाख रुपये के संदिग्ध ऋण सम्मिलित है जिसे उसी प्रकार दर्शाना चाहिये।

(झ) उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड (1992-93)

(अ) चल सम्पत्तियां - स्कंध एवं भंडार - मार्गस्थ सामग्री - 6.27 लाख रुपये इसमें एल डी बी से सम्बन्धित मार्गस्थ धन सम्मिलित था जिसे रोकड़ में दिखाया जाना चाहिये था।

(ब) विविध देनदार : रुपये 3567.44 लाख में एक धनराशि रुपये 371.93 लाख सम्मिलित थी जिसकी वसूली कठिन थी। यह उन कार्यों से सम्बन्धित था जो ग्राहको को सौप दिये गये थे। यह तथ्य कहीं प्रदर्शित नहीं किया गया।

(स) मियादी जमा : 542.42 लाख रुपये में आई. जी. नक्षत्रशाला लखनऊ के 18.69 लाख रुपये सम्मिलित थे जो बैंक से बंधक थे लेकिन तथ्य प्रदर्शित नही किया गया।

(द) लाभ एवं हानि खाता - ब्याज एवं वित्तीय खर्चे - अन्य के ब्याज - 1.93 लाख रुपये

इसमें एक ग्राहक को देय मोबलाइजेशन एडवांस पर 1.37 लाख रुपये का ब्याज सम्मिलित नहीं था।

(य) उत्तर प्रदेश लघु जल विद्युत निगम लिमिटेड : (1994-95)

(अ) अचल सम्पत्तियां - अस्थाई संरचना - नेट ब्लाक - 12.40 लाख रुपये जैसा आयकर अधिनियम निर्दिष्ठ था 100 प्रतिशत ह्रास न लगाकर इसे निर्माण के प्रासंगिक व्ययों में स्थानान्तरित कर दिया गया।

(ब) उसी प्रकार सरकारी ऋण पर 82.10 लाख रुपये के दण्डनीय ब्याज की व्यवस्था न करने के परिणाम स्वरुप निर्माण के दौरान के प्रासंगिक व्यय उस सीमा तक कम दशयि गये।

(स) कम्पनी को सरकार द्वारा दिनांक 28.3.95 के ड्राफ्ट के माध्यम से 100.02 लाख रुपये के उपदान को लेखों में प्रदर्शित नहीं किया गया।

1.2.9 क्षमता उपयोग

निर्माता कम्पनियों की संस्थापित अथवा निर्धारित क्षमता (जहां तक सूचना उपलब्ध हो पाई) परिशिष्ट चार में दी गई है । पांच चीनी कम्पनियों के प्रकरण में क्षमता उपयोग में कमी का मुख्य कारण गन्ने की अनुपलब्धता, पुरानी मशीनों में मशीनी रुकावट थी जबकि अन्य के मामलों मे मांग में कमी, कच्चे माल की कमी एवं श्रम अशांति कम क्षमता उपयोग के मुख्य सहयोगी कारक थे । 14 कम्पनियों में क्षमता उपयोग का प्रतिशत 3.25 से लेकर 99.37 के मध्य था ।

1.2.10 619 - बी कम्पनियां

कम्पनी अधिनियम की धारा 619 बी के अन्तर्गत 6 कम्पनियां आती थीं । नीचे दी गई तालिका इन कम्पनियों की प्रदत्त पूंजी एवं कार्यचालन परिणाम नवीनतम उपलब्ध लेखाओं के आधार पर इंगित करती है :

(करोड़ रुपये में)

कम्पनी का नाम	लेखाओ का वर्ष	प्रदत्त पूंजी	निवेश			लाभ(+)/
			राज्य सरकार	सरकारी कम्पनियां	अन्य	हानि(-)
अल्मोडा मैग्नोसाइट लिमिटेड	1995-96	2.00	--	1.22	0.78	(-)0.43
कमाण्ड एरिया पोल्ट्री डेवलेपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड	1992-93	0.24	--	--	0.24	(-)0.15
इलेक्ट्रानिक्स एण्ड कम्प्यूटर्स (इण्डिया) लिमिटेड	शुरु से ही लेखे नहीं बनाये गये (1975-76)					
स्टील एण्ड फास्टनर्स लिमिटेड	1978-79	0.90	--	0.55	0.35	(-)0.45
अपट्रान कलर पिक्चर ट्यूब्स लिमिटेड	1993-94	42.49	--	30.38	12.11	(-)48.97
उत्तर प्रदेश बीज एवं तराई विकास निगम लिमिटेड	1995-96	2.46	0.75	0.53	1.18	(+)6.02

अल्मोड़ा मैग्नोसाइट लिमिटेड, कमाण्ड एरिया पोल्ट्री डेवलेपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड तथा अपट्रान कलर पिक्चर ट्यूब्स लिमिटेड से सम्बन्धित 5.62 करोड़ रुपये, 0.35 करोड़ रुपये तथा 208.44 करोड़ रुपये की संचित हानियां उनकी प्रदत्त पूंजी क्रमशः 2 करोड़ रुपये, 0.24 करोड़ रुपये तथा 42.49 करोड़ रुपये से अधिक हो गई ।

1.2.11 अन्य निवेश

राज्य सरकार ने 63 अन्य कम्पनियों में 78.50 करोड़ रुपये का निवेश किया । यद्यपि सरकार ने इन कम्पिनयों में 10 लाख और अधिक का निवेश किया, ये नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा लेखा परीक्षण के अधीन नहीं हैं, क्योंकि सरकार, सरकारी कम्पनियों एवं निगमों एवं वित्तीय संस्थानों द्वारा निवेश की गई कुल धनराशि सम्बन्धित कम्पनियों के साधारण अंशपूंजी के 51 प्रतिशत से कम थी । इन कम्पनियों की सूची परिशिष्ट 1 में दी गई है ।

1.3 सांविधिक निगम

1.3.1 सामान्य पहलू

31 मार्च 1996 को राज्य में चार सांविधिक निगम थे । इन निगमों की लेखा परीक्षा व्यवस्थायें नीचे दी गई हैं :

निगम का नाम	संविधि जिसके अन्तर्गत गठन हुआ	स्थापना की तिथि	लेखा परीक्षा व्यवस्था	वर्ष जब तक के लेखाओं को अन्तिम रूप दिया गया	वर्ष जब तक पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (एस ए आर) विधायिका में रखा गया	भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा लेखा परीक्षा का प्राधिकार
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद	विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम 1948 की धारा 5(1)	अप्रैल 1959	भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक द्वारा एक मात्र लेखा परीक्षा	1995-96	1989-90	विद्युत आपूर्ति अधिनियम 1948 की धारा 69(2)
उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम	सड़क परिवहन अधिनियम 1950 की धारा 3	जून 1972	तदैव	1994-95	1992-93	सड़क परिवहन अधिनियम 1950 की धारा 33(2)
उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम	राज्य वित्तीय निगम अधिनियम 1951 की धारा 3	नवम्बर 1954	शासपत्रित लेखाकार, एस ए आर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा निर्गत किया जाता है ।	1994-95	1992-93	राज्य वित्तीय निगम अधिनियम 1951 की धारा 37(6)
उत्तर प्रदेश भण्डारागार निगम	भण्डारागार निगम अधिनियम 1962 की धारा 18(1)	मार्च 1958	तदैव	1995-96	1993-94	भण्डारागार निगम अधिनियम 1962 की धारा 31(8)

1.3.2 निवेश

31 मार्च 1995 के 13042.52 करोड़ रुपये (अंश पूंजी 423.08 करोड़ रुपये, दीर्घ कालीन ऋण 12619.44 करोड़ रुपये) के विरुद्ध, 31 मार्च 1996 को चार सांविधिक निगमों में कुल निवेश 13537.88 करोड़ रुपये (अंशपूंजी 424.28 करोड़ रुपये, दीर्घकालीन ऋण 13113.60 करोड़ रुपये) था ।

इन निगमों में क्षेत्रवार निवेश नीचे दिया गया है:

(करोड़ रुपये में)

निगम का नाम	साधारण अंश पूंजी एवं ऋण वर्ष के अन्त में				1995-96 में ऋण पूंजी अनुपात
	1995-96		1994-95		
	अंश पूंजी	ऋण	अंश पूंजी	ऋण	
1. विद्युत विभाग					
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद	--	11973.91	--	11682.90	--
2. परिवहन विभाग					
उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम	314.01	73.32	313.51	43.26	0.23:1
3. उद्योग विभाग					
उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम	100.00	1063.70	100.00	888.26	10.64:1
4. सहकारिता विभाग					
उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम	10.27	2.67	9.57	5.02	0.26:1
योग	**424.28**	**13113.60**	**423.08**	**12619.44**	

1.3.3 निगमों के लाभ / हानि

दो निगमों ने वर्ष 1994-95 के अपने लेखाओं को अन्तिम रुप दे दिया है जिसमें से उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने 35.62 करोड़ रुपये का घाटा उठाया एवं उत्तर प्रदेश राज्य वित्तीय निगम ने 23.32 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित किया । उत्तर पदेश राज्य भण्डारागार निगम एवं उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद जिन्होने वर्ष 1995-96 के लेखाओं को अन्तिमीकरण किया ने क्रमश: (कर से पूर्व) 4.24 करोड़ रुपये का लाभ एवं 22.20 करोड़ रुपये का निबल आधिक्य अर्जित किया ।

1.3.4 लेखाओं को अन्तिम रुप दिया जाना

उत्तर प्रदेश राज्य वित्तीय निगम एवं उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने वर्ष 1994-95 के लेखाओं को अन्तिम रुप दिया । उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम एवं उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद ने 1995-96 तक के लेखाओं को अन्तिम रुप दिया ।

1.3.5 ऋणों पर प्रत्याभूति

सांविधिक निगमों को 1995-96 तक के पूर्ववर्ती तीन वर्षों में राज्य सरकार द्वारा बैंकों द्वारा दिये गये ऋणों उधार (ब्याज सहित) के विरुद्ध दी गई प्रत्याभूति एवं 31 मार्च 1996 को अनिस्तारित प्रत्याभूति की स्थिति निम्न तालिका में दी गई है:

(क्रम संख्या 1,2,3 पर दी गई राशि करोड़ रुपये में)

क्रम संख्या	प्रत्याभूति	राज्य सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूति 1993-94	1994-95	1995-96	31 मार्च 1996 को अनिस्तारित प्रत्याभूति की राशि
1.	भारतीय स्टेट बैंक व अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों से नकद उधार	7.50	9.00	18.00	7.64
2.	अन्य श्रोतों से ऋण	216.40	258.30	91.16	1698.55
3.	भारतीय स्टेट बैंक व अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा विद्युत के क्रय हेतु खोले गये साखपत्र	75.00	123.00	109.00	--
4.	विदेशी सलाहकारों अथवा ठेकेदारों के साथ समझौते के अन्तर्गत भुगतान की बाध्यता	--	--	--	27.39 (बिलियन येन)

1.3.6 बजट बहिंगमन

वर्ष 1993-94 से 1995-96 के दौरान साधारण अंशपूंजी, ऋण एवं उपदान के रुप में राज्य सरकार से सांविधिक निगमों को बर्हिगमन अगले पृष्ठ पर दी गई तालिका में दिये गये विवरण के अनुसार है:

(करोड़ रुपये में)

विवरण	1993-94	1994-95	1995-96
1. बजट से साधारण पूंजी का बर्हिगमन	45.01	0.37	0.50
2. बजट से दिये गये ऋण	625.15	679.14	519.44

1.3.7 उपदान

राज्य सरकार परिषद की ग्रामीण विद्युतीकरण की हानियों के लिये उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद को उपदान देती है ।

राज्य सरकार ने ग्रामीण विद्युतीकरण की हानियों के लिये उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद को उपदान उपलब्ध करने हेतु विश्व बैंक को एक वचन दिया (मार्च 1979) ताकि परिषद अपनी औसत पूंजी आधार पर 9.5 प्रतिशत का प्रतिलाभ प्राप्त एवं अनुरक्षित कर सके । उपदान या तो ग्रामीण विद्युतीकरण के कार्यों के सम्बन्ध में संचालन व्यय और संचालन राजस्व के मध्य अन्तर था अथवा ऐसी छोटी धनराशि जो कथित प्रतिलाभ को प्राप्त करने और अनुरक्षित करने के लिये हो सकती थी । वर्ष 1993-94, 1994-95 एवं 1995-96 के लिए राज्य सरकार से क्रमशः 1160.67 करोड़ रुपये, 1236.60 करोड़ रुपये एवं 1517.20 करोड़ रुपये के उपदान प्राप्त हुए। 31 मार्च 1996 को राज्य सरकार से वसूली योग्य उपदान 5848.10 करोड़ रुपये था ।

1.3.8 कार्यचालन परिणाम

सांविधिक निगमों के नवीनतम वर्ष के, जिनके लेखाओं को अन्तिम रुप दे दिया गया है कार्य चालन परिणाम परिशिष्ट-5 में संक्षिप्त किये गये हैं । इन निगमों के लेखाओं और भौतिक निष्पादन के बारे में प्रमुख बिन्दु प्रस्तर 1.4 से 1.7 में नीचे दिये गये हैं ।

1.4 उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद

1.4.1 परिषद की पूंजीगत आवश्यकतायें सरकार, जनता, बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त ऋण के माध्यम से पूरी की जाती हैं ।

परिषद द्वारा सरकार से प्राप्त ऋण सहित 31 मार्च 1996 को अनिस्तारित दीर्घकालीन ऋणों का कुल योग 11973.91 करोड़ रुपये और पिछले वर्ष तक अनिस्तारित 11682.90 करोड़ रुपये के दीर्घकालीन ऋणों पर 291.01 करोड़ रुपये की वृद्धि का प्रतिनिधित्व करता था । राज्य सरकार तथा अन्य

स्रोतों से उपलब्ध किये गये तथा 1995-96 तक के दो वर्षों में प्रत्येक के अन्त में अनिस्तारित ऋणों के विवरण अगले पृष्ठ पर दिये गये हैं:

(करोड़ रुपये में)

स्रोत		31 मार्च को अनिस्तारित धनराशि 1995	1996	वृद्धि(+)/कमी(-) का प्रतिशत
1. राज्य सरकार		8980.33	9499.77	(+)5.78
2. अन्य स्रोत				
(i)	केन्द्र सरकार	35.45	32.27	(-)8.97
(ii)	लोक ऋण			
	-ऋण पत्र	702.00	667.62	(-)4.90
	-वाणिज्यिक निक्षेप	7.38	7.29	(-)1.22
(iii)	विदेशी मुद्रा आस्थगित क्रेडिट्स	365.35	267.62	(-)26.75
(iv)	वित्तीय संस्थायें	877.86	810.11	(-)7.72
(v)	ग्रामीण विद्युतीकरण निगम	528.36	579.38	9.66
(vi)	राज्य सरकार कम्पनियां एवं निगमित निकाय	186.17	109.85	(-)41.00
योग		**11682.90**	**11973.91**	**(+)2.49**

1.4.2 सरकार ने 3294.15 करोड़ रुपये की सीमा तक के लिये लिये गये ऋणों के पुनर्भुगतान और उसके ब्याज के भुगतान की प्रत्याभूति दी थी । 31 मार्च 1996 को, उसके विरुद्ध अनिस्तारित धनराशि 1672.24 करोड़ रुपये थी ।

1.4.3 31 मार्च 1996 तक के तीन वर्षों के अन्त में परिषद की वित्तीय स्थिति नीचे दी गई है:

(करोड़ रुपये में)

विवरण	1993-94	1994-95	1995-96
अ. देयतायें			
दीर्घकालीन ऋण			
(क) सरकार से	8303.19	8980.33	9499.77
(ख) अन्य स्रोतों से	2554.32	2701.57	2474.14

(करोड़ रुपये में)

विवरण	1993-94	1994-95	1995-96
राजकीय प्रदान एवं अनुदान			
(क) सरकार से	108.46	108.66	128.66
(ख) अन्यान्यों से	0.46	6.85	15.58
आरक्षित निधि एवं अतिशेष	776.60	1017.58	1209.09
चल देयतायें एवं प्राविधान	5262.71	6747.19	8800.21
योग "अ"	17005.74	19562.18	22127.45
ब. सम्पत्तियां			
कुल अचल सम्पत्तियां	9435.50	11811.08	12925.28
घटाया-मूल्य ह्रास	1929.10	2307.66	2815.91
घटाया-उपभोक्ता योगदान	560.19	625.22	693.41
निबल अचल सम्पत्तियां	6946.21	8878.20	9415.96
पूंजीगत प्रगतिगत कार्य	3085.34	1713.33	1559.39
चल सम्पत्तियां	3626.68	4484.24	5132.24
सरकार से प्राप्त उपदान	3095.00	4331.60	5848.10
निवेश	87.72	154.42	171.29
(क) अमूर्त सम्पत्तियां	0.33	0.39	0.47
(ख) संचित घाटा	164.46	--	--
योग "ब"	17005.74	19562.18	22127.45
स. नियोजित पूंजी*	**8492.93**	**11101.27**	**11767.38**
द. निवेशित पूंजी**	**11743.03**	**12814.99**	**13327.24**

* नियोजित पूंजी निबल अचल सम्पत्तियों एवं कार्यशील पूंजी का प्रतिनिधित्व करती है ।

** निवेशित पूंजी दीर्घकालीन ऋण एवं राजकीय प्रदान तथा अनुदानों सहित मुक्त आरक्षित निधियों के योग का प्रतिनिधित्व करती है ।

1.4.4 परिषद के 1995-96 तक के तीन वर्षों के कार्य चालन परिणाम नीचे संक्षेपित हैं:

(करोड़ रुपये में)

विवरण	1993-94	1994-95	1995-96
1. (अ) राजस्व प्राप्तियां	2868.77	3486.10	4134.52
(ब) सरकार से उपदान	1160.67	1236.60	1517.20
योग	4029.44	4772.70	5651.72
2. राजस्व व्यय*	2969.80	3064.21	3890.30
3. कुल अधिशेष(1-2)	1059.64	1658.53	1761.42
4. उपयोजन			
(अ) मूल्य ह्रास	282.52	391.60	522.77
(ब) ब्याज			
-राज्य सरकार के ऋणों पर	785.33	897.33	961.93
-केन्द्र सरकार के ऋणों पर	3.20	2.93	2.67
-अन्य ऋण एवं ऋण पत्रों पर	317.66	352.67	426.35
योग	1106.19	1252.93	1390.95
(स) घटाया पूंजीगत ब्याज	390.30	244.39	174.50
(द) निबल ब्याज	715.89	1008.54	1216.45
योग (अ+द)	998.41	1400.14	1740.41
5. शुद्ध अतिशेष	61.23	258.44	22.20
6. नियोजित पूंजी एवं निवेशित पूंजी पर प्रतिलाभ (शुद्ध अतिशेष धन शुद्ध ब्याज)	777.12	1266.98	1238.65
7. प्रतिलाभ का प्रतिशत			
(अ) नियोजित पूंजी पर	9.15	11.50	10.53
(ब) निवेशित पूंजी पर	6.62	9.96	9.29

1.4.5 उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद के वर्ष 1995-96 के वार्षिक लेखाओं (संशोधित एवं अन्तिम) पर पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में निम्नलिखित प्रेक्षण किये गये जिसमें, लेखा परीक्षा को प्रस्तुत लेखाओं में दिये गये 89.99 करोड़ रुपये के स्थान पर 22.20 करोड़ रुपये का अतिशेष प्रदर्शित किया गया ।

* राजस्व व्यय मूल्यह्रास तथा ऋणों एवं ब्याज को सम्मिलित नही करता है ।

लेखाओं (संशोधित एवं अन्तिम) में दिखाया गया 22.20 करोड़ रुपये का अतिशेष निम्न कारणों से 60.94 करोड़ रुपये से अधिक प्रदर्शित था:

	विवरण	धनराशि (करोड़ रुपये में)
अ-	ट्रांसफार्मरों की मरम्मत व अनुरक्षण पर व्ययों को कम प्रदर्शित किया जाना	65.54
ब-	विद्युत बिक्री राजस्व का कम प्रदर्शित किया जाना	4.60
	शुद्ध प्रभाव (अ-ब)	60.94

1.4.6. निम्न तालिका परिषद का 1995-96 तक के तीन वर्षों का संचालन सपादन इंगित करती हैं:

विवरण		1993-94	1994-95	1995-96
1. संस्थापित क्षमता (एम डब्ल्यू)				
(अ) तापीय		4054.00	4544.00	4544.00
(ब) जलीय		1504.75	1504.75	1504.75
	योग	**5558.75**	**6048.75**	**6048.75**
2. उत्पादित विद्युत(एम के डब्ल्यू एच)				
(अ) तापीय		14560.00	15611.00	17813.00
(ब) जलीय		5287.00	6064.00	5014.00
	योग	**19847.00**	**21675.00**	**22827.00**
(स) घटाया सहायक उपभोग		1618.00	1642.00	1732.00
(द) शुद्ध उत्पादित विद्युत		18229.00	20033.00	21095.00
(य) क्रय की गई विद्युत		12775.00	13331.00	14014.00
(र) बिक्री हेतु उपलब्ध कुल विद्युत(द+य)		31004.00	33364.00	35109.00
3. बेची गई विद्युत (एम के डब्ल्यू एच)		23813.00	25810.00	26771.00
4. पारेषण एवं वितरण हानियां(एम के डब्ल्यू एच)		7194.00	7554.00	8338.00
5. पारेषण एवं वितरण हानियों का प्रतिशत		23.20	22.64	23.75
6. संस्थापित क्षमता की प्रति के डब्ल्यू उत्पादित इकाईयां (के डब्लयू एच)		3570.41	3583.41	3374.84
7. संस्थापित क्षमता से उत्पादन का प्रतिशत		40.46	40.80	42.96
8. संयंत्र भार कारक का प्रतिशत		49.80	43.59	47.48
9. वर्ष के अन्त में विद्युतकृत ग्राम एवं कस्बे(संख्या)		84906	85334	85657

विवरण	1993-94	1994-95	1995-96
10. वर्ष के अन्त में ऊर्जीकृत पम्प सेट्स/नलकूप(संख्या)			
(अ) निजी नलकूप	690119	706404	729356
(ब) सरकारी नलकूप	31814	31916	उपलब्ध नहीं
11. संयोजित भार (एम डब्ल्यू)	12087	12843	13385
12. उपभोक्ताओं की संख्या(लाख में)	55.90	58.87	61.40
13. कर्मचारियों की संख्या*	97711	97711	96153
14. प्रति एम के डब्ल्यू एच कर्मचारी व्यय (लाख रुपये में)	2.06	2.05	2.18
15. उपभोक्ताओं की श्रेणियों के अनुसार बिक्री की गई इकाईयों का ब्यौरा			
(अ) कृषि	8924	9485	9507
(ब) उद्योग	6030	6281	6674
(स) वाणिज्यिक	1706	1901	2134
(द) घरेलू	5124	6025	6148
(य) अन्य	2026	2118	2300
योग	**23810**	**25810**	**26771**
16. (अ) प्रति के डब्ल्यू एच राजस्व(पैसे)	120	135	143
(ब) प्रति के डब्लयू एच व्यय(पैसे)	167	172	210
(स) प्रति के डब्ल्यू एच लाभ(+)/हानि(-)(पैसे)	(-)47	(-)37	(-)67

1.5 उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम

1.5.1 अधिनियम की धारा 23(1) के अनुसार, राज्य एवं केन्द्रीय सरकारे निगम द्वारा अपेक्षित पूँजी 4:1 के अनुपात में जो जनवरी 1976 में 1:1 में संशोधित कर दिया गया उपलब्ध कराती हैं।

31 मार्च 1996 को निगम की प्रदत्त साधारण पूँजी 314.01** करोड़ रुपये (राज्य सरकार: 244.76 करोड़ रुपये एवं केन्द्र सरकार: 69.25 करोड़ रुपये) 31 मार्च 1995 के 313.51 करोड़ रुपये (राज्य सरकार: 244.58 करोड़ रुपये और केन्द्र सरकार : 69.25 करोड़ रुपये) के विरुद्ध थी। पुन: 31 मार्च 1996 को 73.32** करोड़ रुपये के ऋण (राज्य सरकार: 4.05 करोड़ रुपये, भारतीय जीवन बीमा निगम: 44.27 करोड़ रुपये एवं भारतीय औद्योगिक विकास बैंक: 25.00 करोड़ रुपये) अनिस्तारित थे। राज्य सरकार ने निगम द्वारा अन्य स्रोतों से ऋणों के पुनर्भुगतान तथा उसके ब्याज के भुगतान की प्रतिभूतियां दी थीं । 31 मार्च 1996 को उनके विरुद्ध बकाया मूलधन अगले पृष्ठ पर दिये गये विवरणानुसार थे:

* वर्ष के प्रारम्भ में कर्मचारियों की संख्या को इंगित करता है ।

** आंकड़े प्रबन्धकों द्वारा उपलब्ध कराये गये ।

(करोड़ रुपये में)

विवरण	प्रत्याभूत धनराशि	31 मार्च 1996 को बकाया धनराशि
(i) बैंकों से नकद उधार	6.00	5.35
(ii) भारतीय जीवन बीमा निगम	24.97	16.94
(iii) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	25.00	25.00
योग	**55.97**	**47.29**

1.5.2 निगम ने वर्ष 1995-96 के लेखाओं को अद्यतन (अक्टूबर 1996) अन्तिमी कृत नही किया। वर्ष 1994-95 तक के तीन वर्षों के अन्त में निगम की वित्तीय स्थिति नीचे दी गई है:

(करोड़ रुपये में)

विवरण	1992-93	1993-94	1994-95
(अ) देयतायें			
पूंजी	265.34	313.13	313.51
आरक्षित निधि एवं अतिशेष	2.85	1.38	0.95
ऋण	107.54	112.40	127.34
व्यापार बकाये एवं अन्य चल देयतायें	134.63	80.77	122.25
योग "अ"	**510.36**	**507.68**	**564.05**
(ब) परिसम्पत्तियां			
कुल परिसम्पत्तियां	443.50	452.71	483.44
घटाया मूल्य ह्रास	288.76	306.67	318.01
निबल अचल परिसम्पत्तियां	154.74	146.04	165.43
पूंजीगत प्रगतिगत कार्य	3.27	4.20	4.88
निवेश	0.80	0.80	0.80
चल सम्पत्तियां, ऋण एवं अग्रिम	47.56	52.67	52.71
संचित हानियां	303.99	330.97	340.23
योग "ब"	**510.36**	**507.68**	**564.05**

(करोड़ रुपये में)

विवरण	1992-93	1993-94	1994-95
(स) नियोजित पूंजी*	70.48	120.90	99.61
(द) निवेशित पूंजी**	299.06	351.55	356.78

1.5.3 1994-95 तक के तीन वर्षों में निगम के कार्यचालन परिणाम नीचे संक्षिप्त किये गये हैं:

(करोड़ रुपये में)

विवरण	1992-93	1993-94	1994-95
कुल राजस्व	400.28	444.43	457.91
कुल व्यय			
(अ) ब्याज के अतिरिक्त	398.51	435.58	473.36
(ब) ब्याज	24.28	17.60	20.17
योग	422.79	453.18	493.53
शुद्ध हानि	22.51	8.75	35.62
कुल प्रतिलाभ			
(अ) नियोजित पूंजी पर	1.77	8.85	(-)15.45
(ब) निवेशित पूंजी पर	1.77	8.85	(-)15.45
प्रतिशतता प्रतिलाभ			
(अ) नियोजित पूंजी पर	2.51	7.32	--
(ब) निवेशित पूंजी पर	0.59	2.52	--

निगम ने वर्ष 1993-94 में 8.75 करोड़ रुपये की हानि की तुलना में वर्ष 1994-95 के दौरान 35.62 करोड़ रुपये की हानि उठाई। निगम की हानि 1993-94 की तुलना में वर्ष 1994-95 के दौरान 307.08 प्रतिशत से वृद्धिगत हुई। 1994-95 के दौरान हानि का श्रेय मुख्यतः संचालन व्यय, ईंधन एवं तेल, मरम्मत एवं अनुरक्षण, कल्याण एवं प्रशासनिक व्ययों के मूल्य में वृद्धि को था।

* नियोजित पूंजी निबल अचल परिसम्पत्तियों एवं कार्यशील पूंजी के योग को दर्शाती है ।

** निवेशित पूंजी प्रदत्त पूंजी, दीर्घकालीन ऋण एवं स्वतन्त्र आरक्षित निधि को दर्शाती है ।

वर्ष 1994-95 के अन्त में संचित हानियाँ 340.23 करोड़ रुपये थी जो अशोध्य ऋणों के प्राविधान (2.76 करोड़ रुपये), भण्डार की कमियों (0.25 करोड़ रुपये) एवं यात्री कर का प्राविधान (0.16 करोड़ रुपये) न करने से 3.17 करोड़ रुपये कम प्रदर्शित थी ।

1.5.4. नीचे दी गई तालिका निगम के 1994-95 तक के तीन वर्षो का भौतिक सम्पादन इंगित करती है:

(करोड़ रुपये में)

विवरण	1992-93	1993-94	1994-95
अधिकृत वाहनों की औसत संख्या (प्रभावी बेड़ा)	7956	8023	7920
चालू वाहनों की औसत संख्या*	7052	7112	6891
उपयोजन का प्रतिशत	89	89	87
पूरे किये गये किलोमीटर (लाख में)			
-कुल	6379	6645	6507
-प्रभावी	6213	6479	6344
-निष्प्रभावी	157	166	163
कुल किलोमीटरों से निष्प्रभावी किलोमीटरों का प्रतिशत	2.46	2.50	2.50
प्रति बस प्रतिदिन पूरे किये गये औसत किलोमीटर	241	249	252
प्रति किलोमीटर औसत राजस्व (पैसे)	644	686	722
प्रति किलोमीटर औसत व्यय (पैसे)	680	699	778
प्रति किलोमीटर हानि (पैसे)	36	13	56
कुल मार्ग किलोमीटर (लाख में)	5.45	5.90	5.98
संचालित डिपो की संख्या	105	106	108
प्रति लाख किलोमीटर पर व्यवधानों की औसत संख्या	3.54	3.96	4.43
प्रति लाख किलोमीटर पर दुर्घटनाओं की औसत संख्या	0.23	0.21	0.20
यात्री किलोमीटर			
-अनुसूचित (लाख में)	334511	348924	341371
-संचालित (लाख में)	227467	240758	221891
अधिभोग अनुपात (प्रतिशत)	68	69	65

* वाहनों में बसें, टैक्सी व ट्रक सम्मिलित है ।

1.6. उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम

1.6.1 31 मार्च 1995 व 31 मार्च 1996 को निगम की प्रदत्त पूँजी 100 करोड़ रुपये थी (राज्य सरकार: 63.12 करोड़ रुपये, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक: 34.21 करोड़ रुपये एवं अन्य: 2.67 करोड़ रुपये)।

1.6.2 राज्य सरकार ने राज्य वित्तीय निगम अधिनियम 1951 की धारा 6(1) के अन्तर्गत 10.32 करोड़ रुपये की अंशपूँजी के पुनर्भुगतान व उस पर 3.5 प्रतिशत न्यूनतम लाभांश के भुगतान की प्रत्याभूति दी। वर्ष 1995-96 के दौरान, निगम की कुल आय 162.47 करोड़ रुपये थी व राजस्व व्यय 131.54 करोड़ रुपये (अनन्तिम) थे । अतः 30.93 करोड़ का लाभ था।

सरकार ने निगम द्वारा उठाये गये 491.45 करोड़ रुपये के बाजार ऋण (ऋण पत्र एवं डिबेन्चर) के पुनर्भुगतान की भी प्रत्याभूति थी ।

1.6.3 1995-96 तक के तीन वर्षों में से प्रत्येक के अन्त में निगम की वित्तीय स्थिति नीचे दी गई है:

(करोड़ रुपये में)

विवरण	1993-94	1994-95	1995-96 (अनन्तिम)
(अ) देयतायें			
(i) प्रदत्त पूंजी	100.00	100.00	100.00
(ii) आरक्षित निधि एवं अतिशेष	15.87	9.64	23.95
(iii) ऋण			
(अ) ऋण पत्र	378.28	428.28	491.45
(ब) अन्य*	463.07	459.98	572.25
(iv) अन्य देयतायें एवं प्राविधान	76.61	86.43	22.10
योग - अ	**1033.83**	**1084.33**	**1209.75**
(ब) परिसम्पत्तियां			
(i) नकद एवं बैंक इतिशेष	47.62	32.98	38.20
(ii) निवेश	0.27	0.75	2.26

* 1992-93 में 20 करोड़ रुपये तथा 1993-94 एवं 1994-95 में 18.60 करोड़ रुपये के अशंपूंजी के बदले ऋणों को सम्मिलित करता है ।

(करोड़ रुपये में)

विवरण	1993-94	1994-95	1995-96 (अनन्तिम)
(iii) ऋण एवं अग्रिम	864.60	921.65	1105.78
(iv) निबल अचल परिसम्पत्तियां	2.89	11.33	30.59
(v) अन्य परिसम्पत्तियां	118.45	117.62	32.92
योग - ब	**1033.83**	**1084.33**	**1209.75**
(स) नियोजित पूंजी*	941.07	977.56	1092.78
(द) निवेशित पूंजी**	957.22	997.90	1187.65

1.6.4 निगम के वर्ष 1995-96 तक के तीन वर्षों के कार्यचालन परिणाम नीचे दिये गये हैं:

(करोड़ रुपये में)

विवरण	1993-94	1994-95	1995-96 (अनन्तिम)
आय			
(अ) ऋण एवं अग्रिमों पर ब्याज	86.13	106.26	149.88
(ब) अन्य आय	0.89	3.69	12.59
योग	**87.02**	**109.95**	**162.47**
व्यय			
(अ) दीर्घकालीन ऋणों पर ब्याज	95.03	72.15	111.65
(ब) अन्य व्यय	13.69	14.48	19.89
योग	**108.72**	**86.63**	**131.54**
कर पूर्व लाभ(+)/हानि(-)	(-)21.70	(+)23.32	(+)30.93
कर पश्चात् लाभ(+)/हानि(-)	--	(+)23.32	(+)30.93
अन्य विनियोजन	--	19.30	27.95

* नियोजित पूंजी, प्रदत्त पूंजी के इतिशेष, ऋण पत्रों एवं डिबेन्चरों, आरक्षित निधियों (पुनर्वित्त पोषण सहित) तथा जमा के योग के औसत का प्रतिनिधित्व करता है ।

** निवेशित पूंजी, प्रदत्त पूंजी तथा मुक्त आरक्षित निधियों एवं दीर्घकालीन ऋणों के योग का प्रतिनिधित्व करती है ।

(करोड़ रुपये मे)

विवरण	1993-94	1994-95	1995-96 (अनन्तिम)
लाभांश हेतु उपलब्ध धनराशि	--	4.02	2.98
भुगतान योग्य लाभांश	--	--	--
कुल प्रतिलाभ*			
(अ) नियोजित पूंजी पर	63.33	95.47	132.58
(ब) निवेशित पूंजी पर	63.33	95.47	132.58
प्रतिलाभ का प्रतिशत			
(अ) नियोजित पूंजी पर	6.73	9.77	12.13
(ब) निवेशित पूंजी पर	6.62	9.57	11.16

नीचे दी गई तालिका 1995-96 तक के तीन वर्षो के लिये प्रार्थना पत्रों की प्राप्तियों और निस्तारणों से सम्बन्धित स्थिति इंगित करती है:

(करोड़ रुपये में)

विवरण	1993-94		1994-95		1995-96 (अनन्तिम)	
	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि
वर्ष के प्रारम्भ में लम्बित प्रार्थना पत्र	107	15.27	72	7.68	145	78.83
प्राप्त प्रार्थना पत्र	458	76.42	1193	441.98	1939	860.22
योग	565	91.69	1265	449.66	2084	919.17
स्वीकृत प्रार्थना पत्र	273	46.40	974	333.14	1593	620.34
निरस्त/वापस लिये गये/अस्वीकृत/लघुकृत प्रार्थना पत्र	220	37.61	146	37.69	230	132.09
वर्ष के अन्त में लम्बित प्रार्थना पत्र	72	7.68	145	78.83	261	110.46
वितरित ऋण	390	75.25	643	175.89	1227	389.39
वर्ष के अन्त में अनिस्तारित ऋण	24063	864.60	26068	921.65	27187	1105.78

* निगम के आय व व्यय मुख्य श्रोत में दीर्घकालीन ऋण का ब्याज सम्मिलित है जो कार्यचालन परिणाम का आधार है।

(करोड़ रुपये में)

विवरण	1993-94		1994-95		1995-96 (अनन्तिम)	
	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि
वर्ष के अन्त में वसूली हेतु अतिदेय धनराशि						
(अ) मूलधन	--	109.89	--	136.06	--	154.03
(ब) ब्याज	--	212.12	--	331.19	--	375.79
योग	--	322.01	--	467.25	--	529.42
वसूली प्रमाण पत्र प्रकरणों में निहित धनराशि	--	131.18	--	127.92	--	90.65
योग	--	453.19	--	595.17	--	620.07
कुल अनिस्तारित ऋणों से बकाये का प्रतिशत	--	52.46	--	65.58	--	56.08

जैसा कि उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है कि 31 मार्च 1996 को 1105.78 करोड़ रुपये (ब्याज रहित) के अनिस्तारित ऋणों में से 529.42 करोड़ रुपये (375.79 करोड़ रुपये के ब्याज सहित) की एक धनराशि वसूली के लिए अतिदेय थी। कुल बकाये से अतिदेय राशि का प्रतिशत 1993-94 के 52.46 प्रतिशत 1994-95 से 64.58 प्रतिशत तक बढ़ा एवं वर्ष 1995-96 में घटकर 56.08 प्रतिशित हो गया।

निगम द्वारा अतिदेय ऋणों का वर्षवार विश्लेषण नहीं किया गया। रुग्ण एवं बन्द इकाईयों में निवेश के आंकड़े उपलब्ध नहीं थे।

31 मार्च 1995 तक निगम ने निष्पादन न करने वाली परिसम्पत्तियों के लिए 70.70 करोड़ रुपये का संचित प्राविधान किया। इसके अतिरिक्त निगम ने 1993-94 (0.12 करोड़ रुपये), 1994-95 (0.23 करोड़ रुपये) एवं 1995-96 (0.33 करोड़ रुपये) के अशोध्य ऋणों का अपलेखन कर दिया।

1.7 उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम

1.7.1 31 मार्च 1996 को निगम की प्रदत्त पूंजी 10.27 करोड़ रुपये (राज्य सरकार 5.59 व केन्द्रीय भण्डारागार निगम 4.68 करोड़ रुपये), 31 मार्च 1995 के प्रदत्त पूंजी 9.57 करोड़ रुपये (राज्य सरकार 5.59 करोड़ रुपये व केन्द्रीय भण्डारागार निगम 3.98 करोड़ रुपये) के विरुद्ध थी।

1.7.2 निगम द्वारा लिये गये ऋणों के पुनर्भगतान एवं उन पर ब्याज के भुगतान के लिए सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों के विपणन अगले पृष्ठ पर दी गई तालिका में दिये गये हैं:

	विवरण	प्रत्याभूति का वर्ष	प्रत्याभूति का धनराशि	31 मार्च 1996 को अनिस्तारित धनराशि		
				मूलधन	ब्याज	योग
1.	भूमि विकास बैंक से ऋण	1986-87	0.45	1.20	0.11	1.31
2.	पंजाब नेशनल बैंक से ऋण	1989-90 एवं 1990-91	4.53	--	0.09	0.09
	योग		4.98	1.20	0.20	1.40

1.7.3 31 मार्च 1996 तक के तीन वर्षों में प्रत्येक के अन्त में निगम की वित्तीय स्थिति नीचे दी गई है:

(करोड़ रुपये में)

विवरण	1993-94	1994-95	1995-96
(अ) देयतायें			
प्रदत्त पूंजी	9.57	9.57	10.27
आरक्षित निधियां एवं अतिशेष	6.16	8.47	11.94
ऋण	8.06	5.02	2.67
व्यापार बकाये एवं अन्य चल देयतायें	9.05	10.37	12.91
योग - अ	32.84	33.43	37.79
(ब) परिसम्पत्तियां			
कुल परिसम्पत्तियां	33.83	34.02	38.53
घटाया मूल्य-ह्रास	12.71	13.27	14.15
निवल अचल परिसम्पत्तियां	21.12	20.75	24.38
पूंजीगत प्रगतिगत कार्य	0.98	1.03	0.49
चल सम्पत्तियां, ऋण एवं अग्रिम	10.74	11.65	12.92
योग - ब	32.84	33.43	37.79
(स) नियोजि पूंजी*	22.81	26.35	24.39
(द) निवेशित पूंजी**	23.79	23.06	24.88

* नियोजित पूंजी, निवल अचल परिसम्पत्तियों एवं कार्यशील पूंजी के योग का प्रतिनिधित्व करती है।

** निवेशित पूंजी, प्रदत्त पूंजी आरक्षित निधियां एवं अधिशेष एवं ऋणों के योग का प्रतिनिधित्व करती है।

1.7.4 **निगम का 1995-96 तक के तीन वर्षो के कार्यचालन परिणाम नीचे संक्षिप्त किया गया है :**

(करोड़ रुपये में)

विवरण	1993-94	1994-95	1995-96
आय			
(अ) भण्डारण प्रभार	**10.20**	**14.98**	**19.55**
(ब) अन्य आय	**0.40**	**0.26**	**0.54**
योग	10.60	15.24	20.09
व्यय			
(अ) स्थापना प्रभार	**7.61**	**8.75**	**10.57**
(ब) ब्याज	**0.97**	**0.89**	**0.42**
(स) अन्य व्यय	**2.89**	**2.76**	**3.63**
योग	11.47	12.40	14.62
शुद्ध लाभ(+)/ हानि(-)	(-)0.87	(+)2.84	(+)5.47
पूर्ण अवधि के समायोजन	**(+)0.12**	**(-)0.13**	**(-)1.23**
कर पूर्व लाभ	**(-)0.75**	**(+)2.71**	**(+)4.24**
लाभांश के लिए उपलब्ध धनराशि	**--**	**2.71**	**4.24**
सामान्य आरक्षित निधि से/को हस्तांतरण	**0.75**	**2.31**	**3.75**
प्रस्तावित लाभांश	**--**	**0.40**	**0.47**
कुल प्रतिलाभ			
(अ) नियोजित पूंजी पर	**(+)0.22**	**(+)3.60**	**(+)4.66**
(ब) निवेशित पूंजी पर	**(+)0.22**	**(+)3.60**	**(+)4.66**
प्रतिशत प्रतिलाभ			
(अ) नियोजित पूंजी पर	**0.96**	**13.66**	**19.11**
(ब) निवेशित पूंजी पर	**0.92**	**18.61**	**18.73**

1.7.5 **निगम का 1995-96 तक के तीन वर्षो का भौतिक सम्पादन अगले पृष्ठ पर संक्षिप्त किया गया है :**

(करोड़ रुपये में)

विवरण	1993-94	1994-95	1995-96
प्रबन्धित केन्द्रों की संख्या	117	102	100
वर्ष के अन्त तक उत्पन्न की गई भण्डारण क्षमता		(टन लाख में)	
(अ) अधिष्ठीत	11.50	11.54	11.72
(ब) किराये पर	1.19	1.17	1.33
योग	12.69	12.71	13.05
उपयोजित औसत क्षमता	7.94	9.22	11.72
उपयोजन का प्रतिशत	62.57	72.54	98.80
		(रुपये प्रति टन)	
औसत राजस्व	128.46	161.06	166.81
औसत व्यय	144.46	136.44	124.74
औसत शुद्ध आय	(-)16.00	(+)24.62	(+)42.07

अनुच्छेद -2 अ
बकायों की वसूली

प्रस्तर	विवरण	पृष्ठ संख्या
	मुख्य अंश	47
1.	प्रस्तावना	48
2.	संगठनात्मक ढाँचा	48
3.	लेखा परीक्षा का कार्य क्षेत्र	48
4.	वित्तीय स्थिति	49
5.	लेखा प्रक्रिया एवं बकाया स्थिति	50
5.1	आय की लेखा निरुपण नीति	50
5.2	बकायों की स्थिति	51
5.3	ऋण का समयवार विश्लेषण	51
5.4	अवसूली योग्य बकाये	51
6.	लागत योग कार्यो के बकाये	52
6.1	कार्य के सौंपने तथा नियंत्रण प्रणाली हेतु प्रक्रिया	52
6.2	बकायों की स्थिति	52
6.3	बकायों का विश्लेषण	53
6.3.1	मुख्यालय द्वारा इकाईयों की निधि का अधिक निर्गम	53
6.3.2	अतिरिक्त लागत के दावे हेतु आर0 पी0 ई0 का प्रस्तुतीकरण	56
6.3.3	बिना अनुबन्ध के कार्य का निष्पादन	59
7.	निविदा कार्यों के बकाये	62
7.1	निविदा कार्यों के बकाया दावे	62
7.2	अदत्त दावों का उच्च शक्ति समिति को सदंर्भित करना	64
	उपसंहार	68

उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड

अनुच्छेद 2 अ

उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड
बकायों की वसूली

मुख्य अंश

ग्राहकों से प्राप्त निधियों से अधिक व्यय करने, कम्पनी द्वारा निर्गत बीजकों से मात्रा एवं दर में ग्राहकों द्वारा कटौती, कार्य समापन में विलम्ब हेतु दण्ड आरोपित होने तथा ग्राहकों की सामग्री के अधिक उपयोग के लिए दण्डस्वरुप वसूली के कारणों से कम्पनी के बकाये उत्पन्न हुए।

(प्रस्तर 2 अ 1)

कम्पनी के बकाये मार्च 1991 के अन्त में 2869.80 लाख रुपये से निरन्तर बढकर मार्च 1995 के अन्त में 9194.37 लाख रुपये तक हो गए। कुल बिक्री से बकायों की प्रतिशतता भी 1990-91 में 30.1 से 1994-95 में 51.6 तक बढ़ी।

(प्रस्तर 2 अ 5.2)

कम्पनी ने बिना पुनरींक्षित अनुमानों को प्रस्तुत किये/स्वीकृत प्राप्त किये, 39 कार्य समाप्त किये तथा 451.33 लाख रुपये का व्यय ग्राहकों द्वारा कम्पनी को आज तक निर्गत निधियों से अतिरिक्त एवं आधिक्य में किया।

(प्रस्तर 2 अ 6.3.2)

नौ कार्यों के विरुद्ध 167.78 लाख रुपये की धनराशि के बकाये वसूल नही किये जा सके क्योंकि कम्पनी ने बिना नियमों एवं शर्तों को तय किये कार्य प्रारम्भ कर दिया था।

(प्रस्तर 2 अ 6.3.3)

उच्च शक्ति की समिति द्वारा 201.73 लाख रुपये की धनराशि के दावों को कम्पनी के पक्ष में निर्णित होने के बावजूद, दावों को सम्बधिंत विभागों से प्राप्त करने हेतु पिछले 2 से 3 वर्षों में प्रयत्न नही किये गये।

(प्रस्तर 2 अ 7.2)

2 अ 1 **प्रस्तावना**

कम्पनी की स्थापना अगस्त 1975 में राज्य सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली कम्पनी के रुप में मुख्य रुप से राज्य सरकार एवं स्वायत्त निकायों के निर्माण कार्यो को करने एवं इन कार्यो को ठेकेदारी प्रथा को समाप्त करके सीधे निष्पादन करते हुए गुणवत्ता एवं मितव्ययिता के साथ द्रुत गति से निर्माण करने के उददेश्य से की गई थी।

कम्पनी कार्यो को, या तो लागत एवं शत दर के आधार पर या निविदाओं के विरुद्ध अपनी प्रस्तावित दरों पर करती है। जबकि राज्य सरकार के कार्य सामान्यतया कम्पनी को लागत योग आधार पर सुपुर्द किये जाते हैं, राज्य सरकार के स्वायत्त निकायों तथा राज्य के बाहर के कार्य या तो लागत योग आधार पर या निविदा में भाग लेकर प्राप्त किये जाते हैं। लागत योग कार्यो से सम्बन्धित बकाये कम्पनी द्वारा ग्राहकों से प्राप्त निधियों से अधिक व्यय करने के कारण उत्पन्न होते हैं। निविदा कार्यो के सम्बन्ध में बकाये कम्पनी द्वारा निर्गत बीजकों से ग्राहकों द्वारा मात्रा एवं दरों में कटौती के साथ साथ कार्यो के समापन में विलम्ब हेतु दण्ड आरोपण एवं ग्राहकों की सामग्री का अपेक्षाकृत अधिक उपभोग हेतु दण्ड वसूली के कारण उत्पन्न होते हैं।

2 अ 2 **संगठनात्मक ढांचा**

कम्पनी के दैनिक क्रिया कलाप निदेशक मण्डल द्वारा निर्गत शक्तियों के अन्तर्गत प्रबन्ध निदेशक द्वारा देखे जाते हैं। प्रबन्ध निदेशक की सहायता मुख्यालय पर एक वित्त सलाहकार तथा तीन सामान्य प्रबन्धकों द्वारा की जाती है जिनके अतिरिक्त आठ मण्डलीय सामान्य प्रबन्धक हैं जो अपने अधिकार क्षेत्रों के अर्न्तगत परियोजनाओं पर नियत्रंण प्रयोग करते हैं। बकायों की उगाही हेतु प्रयत्न सामान्य प्रबन्धक (निविदा) के अन्तर्गत कार्यरत मुख्यालय पर दावा अनुभाग के साथ साथ मण्डल के सामान्य प्रबन्धकों द्वारा किया जाता है।

2 अ 3 **लेखा परीक्षा का कार्य क्षेत्र**

31 मार्च 1995 को 346 समाप्त तथा 164 जारी कार्यो के विरुद्ध कम्पनी के कुल बकायों की धनराशि 4016.31 लाख रुपये थी। इनमें से 924.37 लाख रुपये के बकायों से सम्बन्धित 110 कार्यो की लेखा- परीक्षा में अगस्त से सितम्बर 1995 तथा दिसम्बर 1995 से मार्च 1996 की अवधि के मध्य समीक्षा की गई। समीक्षित कार्य उन मामलों को दशति हैं जिनके बारे में समापन की अवधि एवं अनुमानों के पुर्नरीक्षण से सम्बन्धित विवरण उपलब्ध थे। उपरोक्त के अतिरिक्त, निविदा कार्यो के वर्तमान बकाये जो लेखों में कम्पनी की लेखा नीति (वसूली आधार/अनुबन्ध की समाप्ति पर आय की प्रविष्टि) के कारण अप्रदर्शित रहते हैं, उनमें से 6 समाप्त कार्यों की भी समीक्षा की गई।

2 अ 4 वित्तीय स्थिति

नीचे दी गई तालिका 1994-95 तक के 5 वर्षों में कम्पनी की वित्तीय स्थिति को संक्षेपित करती है:

(लाख रुपयों में)

	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95
दायित्व					
प्रदत्त पूंजी	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
आरक्षित नीधि एवं अवशेष	1739.45	1740.65	1980.77	1046.08	1114.28
ऋण एवं अग्रिम	107.21	--	1.64	1.16	3.88
चालू दायित्व एवं प्राविधान	10445.38	11457.99	13123.28	18415.05	23249.13
	12392.04	**13298.64**	**15205.69**	**19562.29**	**24467.29**
सम्पत्तियां					
सकल अचल सम्पत्तियां	2179.69	2276.97	2315.01	2977.55	3201.96
घटाया ह्रास	1217.93	1372.11	1502.97	1786.22	1919.30
शुद्ध अचल सम्पत्तियां	961.76	904.86	812.04	1191.33	1282.67
पूंजीगत कार्य प्रगति में	208.95	398.73	513.80	---	---
चालू परि सम्पत्तियां					
ऋण एवं अग्रिम	11221.33	11995.05	13879.85	18370.96	23184.62
	12392.04	**13298.64**	**15205.69**	**19562.29**	**24467.29**
कार्यरत पूंजी	775.95	537.06	756.57	(-)44.09	(-)64.51

कार्यरत पूंजी परिसम्पत्तियां, ऋण एवं अग्रिम से चालू दायित्व घटाकर प्रर्दशित करती है।

1993-94 एवं 1994-95 के दौरान ऋणात्मक कार्यरत पूंजी का मुख्य कारण प्रगतिरत निविदा कार्यो के विरुद्ध ग्राहक से प्राप्त निधि के लेखा निरुपण में परिवर्तन था। 1993-94 से प्रारम्भ की गई पुर्नरीक्षित लेखा प्रक्रिया के अन्तर्गत प्रगतिरत निविदा कार्यो के जारी बीजकों के विरुद्ध ग्राहक से प्राप्तियों के आधिक्य को बजाय आय के रुप में अंकित करने के दायित्व रुप में निरुपित किया गया। इसका परिणाम 1993-94 में कार्यरत पूंजी में 464.81 लाख रुपये की कमी हुई (1994-95 के आंकडे को अभी अन्तिम रुप देना था)।

2 अ 5 लेखा प्रक्रिया एवं बकाया स्थिति

2 अ 5.1 आय की लेखा निरुपण नीति

(अ) निविदा कार्य

निविदा कार्यो के सम्बन्ध में, कम्पनी वर्ष 1991-92 तक आगामी वर्ष में 30 अप्रैल तक ग्राहक द्वारा स्वीकृत बीजकों के विरुद्ध प्राप्त भुगतान के तुल्य आय को लेखाबद्ध करती थी। इस प्रकार इसके लेखे केवल वो उधार दशति थे जिनका अगले वर्ष के अप्रैल के माह के दौरान भुगतान प्राप्त हो जाता था। वर्ष 1992-93 में कम्पनी ने लेखे की नई पद्धति अपनाई जिसके अन्तर्गत मुख्य लागत व्यय के तुल्य धनराशि का अनुबन्ध लेखे में जमा दिखाया जाने लगा जिसमें ग्राहक द्वारा प्राप्त निधियाँ तथा प्राप्त निधियों से अधिक व्यय (जो प्रगतिरत कार्य के रुप में लेखें से निरुपित थे) सम्मिलित थे। इस प्रकार निविदा कार्यो के लाभ एवं हानियाँ तथा देय को लेखाओं में दर्शाया नहीं गया। लेखा पद्धति नीति में परिवर्तन के परिणामस्वरुप, जो लागत एवं राजस्व के समतुल्य सिद्धान्तों को क्रियान्वित करने हेतु लागू किया गया था, ने कम्पनी की कुल आय में 916.98 लाख रुपये की वृद्धि कर दी अन्यथा वर्ष 1993-94 के दौरान कम्पनी को 291.85 लाख रुपये की हानि वहन करनी पड़ती।

(ब) लागत योग कार्य

लागत योग कार्यो के सम्बन्ध में कम्पनी व्यय की गई धनराशि तथा उस पर शतदर की धनराशि के बराबर आय को निरुपित करती है। इस पद्धति से प्रायः ग्राहक द्वारा स्वीकृत लागत से अधिक आय लेखों में निरुपित होती है।

इसके परिणाम स्वरुप कम्पनी की आय में 17 कार्यो पर स्वीकृत लागत से अधिक व्यय किये रुपये 216.02 लाख का व्यय सम्मिलित था (प्रस्तर 6.3.2 में सन्दर्भित) जो कम्पनी को देय नहीं था क्योंकि ग्राहकों को कार्य समाप्ति के तीन वर्ष से अधिक हो जाने पर भी पुर्नरीक्षित अनुमान प्रस्तुत नहीं किये गये थे।

2 अ 5.2 बकायों की स्थिति

कम्पनी की कुल बिक्री में प्रगतिरत निविदा कार्यो के मुख्य लागत व्यय का वह भाग जो ग्राहक द्वारा स्वीकार्य नहीं था भी सम्मिलित थे। ऐसी अवसूल आय को लेखों में बकाये के रुप में सम्मिलित नही किया गया अपितु इसे प्रगतिरत कार्य के रुप में दर्शाया गया। सही तुलना हेतु ऐसे प्रगतिरत कार्यो का मूल्य बकाये की राशि में जोडकर नीचे दी गई तालिका में दिया गया है जो 1994-95 तक के पिछलें 5 वर्षो हेतु कुल बिक्री तथा अवशेष बकायों को इंगित करती है:

(लाख रुपयें में)

वर्ष	कुल बिक्री	अवशेष बकाया	प्रगतिरत कार्य	कुल अवशेष	कुल बिक्री का प्रतिशत
1990-91	9544.73	2869.80	---	2869.80	30.1
1991-92	11459.13	3666.32	---	3666.32	32.0
1992-93	12654.63	3567.64	916.98	4484.62	35.4
1993-94	12732.30	3876.34	2840.15	6716.49	52.8
1994-95	17831.95	4039.88	5154.49	9194.37	51.6

2 अ 5.3. ऋण का समयवार विश्लेषण

कम्पनी की नियमावली समाप्त कार्यो के बकायों का अनुश्रवण निर्दिष्ट नहीं करती है जिसके परिणामस्वरुप समाप्त कार्यो के विरुद्ध बकाये प्रबन्धन द्वारा असमीक्षित रहे। मंडल के निर्णय (अक्टूबर 1991) कि प्रत्येक बैठक में बकायों की स्थिति समयवार विश्लेषण के साथ प्रस्तुत की जाय, के बावजूद प्रबन्धन ने मंडल के सम्मुख इन विवरणों को कभी नही रखा। ऐसे बकायों का समयवार विश्लेषण लेखापरीक्षा द्वारा भी सम्भव न हुआ क्योंकि कम्पनी द्वारा बनाये गये अभिलेख प्रत्येक कार्य की प्रगति स्थिति, कार्यो की समापन तिथि दशनि में अपूर्ण थे। इसके अतिरिक्त, समाप्त एवं प्रगतिरत लागत योग कार्यो के सम्बन्ध में बकायों की धनराशि साथ -साथ युग्मित थी।

2 अ 5.4. अवसूली योग्य बकाये

अक्टूबर 1995 में, प्रबन्धन ने संचालक मंडल को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि लागत योग कार्यो के सम्बन्ध में 372 लाख रुपये के बकाये 1992-93 वर्ष के लेखों में बटटे खाते में डाल दिये जायं क्योकि इनके कार्य के समापन से 5 से 17 वर्ष बीत जाने के कारण से वसूल नहीं किया जा सकता है। इन

बकायों को इतने लम्बे समय तक वसूल न होने के कारणों की प्रबन्धन द्वारा जाँच नही की गई। मंडल के निदेशक प्रबन्धन के प्रस्ताव से सहमत नहीं हुए तथा वित्त एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग के संयुक्त सचिवों तथा कम्पनी के प्रबन्ध निदेशक से समावेशित एक समिति गठित कर दी जिसे विस्तृत जांच के पश्चात प्रत्येक मामले में प्रस्ताव प्रस्तुत करना था। उप समिति ने अभी तक (मार्च 1996) कोई प्रस्ताव परिषद को प्रस्तुत नहीं किया है।

2 अ 6. लागत योग कार्यों के बकाये

2. अ 6.1 कार्य के सौपने तथा नियंत्रण प्रणाली हेतु प्रक्रिया

लागत योग कार्य ग्राहकों द्वारा कम्पनी को कार्य के निष्पादन में वास्तविक लागत तथा उस पर 15 प्रतिशत की शतदर के साथ सौपे जाते हैं जब तक कम्पनी अन्य शर्तो पर सहमत न हो। कार्य का प्रारम्भ कुर्सी क्षेत्र दरों पर निर्धारित प्रारम्भिक अनुमान (पी. ई.) पर प्रशासनिक अनुमोदन एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होने पर किया जाता है। समयबद्ध निधि आवश्यकता, परियोजना लागत पर अनुमन्य मूल्य वृद्धि तथा प्रत्येक पक्ष् की जिम्मेदारी/दायित्वों को स्पष्ट करने वाले किसी अनुबन्ध को ग्राहकों के साथ निष्पादित नहीं किया जाता है। इसलिए, कार्य हेतु निधियों का निर्गम ग्राहक के पास निधियों की उपलब्धता तथा पुर्नरीक्षित आरम्भिक आंकलन (आर. पी .ई.) की स्वीकृति पर निर्भर करता है जिसके लिए ग्राहक पर बाध्यता नहीं है।

कम्पनी की नियमावली ग्राहकों की निधि से अधिक व्यय करने को निषिद्ध करती है। राज्य सार्वजनिक निर्माण विभाग (पी. डब्लू. डी.) की वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग - VI (प्रस्तर 395) के अनुसार, आर. पी. ई. ग्राहक को तुरन्त जैसे ही यह देखा जाय कि स्वीकृत अनुमान से 5 प्रतिशत से ज्यादा व्यय होने वाला है प्रस्तुत करना चाहिए। लागत योग कार्यो में बकाये इकाईयों द्वारा ग्राहकों द्वारा अवमुक्त निधि से अधिक व्यय, इकाई प्रभारियों द्वारा एक कार्य से दूसरे कार्य पर नकदी तथा भण्डारों के अनाधिकृत स्थानान्तरण के कारण उत्पन्न हुए। स्थानान्तरणों पर पर्याप्त नियंत्रण के अभाव में तथा ग्राहकों से प्राप्त धनराशि तक ही निधियों की अवमुक्तता को निषिद्ध करने में मुख्यालय की असमर्थता से प्रोत्साहित हुआ।

2. अ 6.2 बकायों की स्थिति

लागत योग कार्यो के बकाये 31 मार्च 1995 को 491 कार्यो के विरुद्ध 3827.38 लाख रुपये थे। अगस्त 1996 तक मुख्यालय में पूर्णतया बन्द कार्यो के लेखा अवशेषों को युग्मित करने के स्थिति अगले पृष्ठ पर दी गई हैं

	संख्या	अवशेष बकाया (लाख रुपयें में)
समाप्त कार्य	184	591.94
समाप्त/निलम्बित कार्य जिनके लेखे बन्द नहीं किये गये।	143	930.52
प्रगतिरत कार्य	164	2304.92

327 बन्द/समाप्त कार्यों में से 75 की समयवार विश्लेषण, जैसा कि लेखा परीक्षा में आंकलित किया गया, नीचे दिया गया है:

(लाख रुपयें में)

अवधि हेतु बकाया	कार्यों की संख्या	अवशेष बकाये
15 वर्ष से अधिक	4	5.01
10 वर्ष से अधिक तथा 15 वर्ष तक के	30	90.23
5 वर्ष से अधिक 10 वर्ष तक के	41	182.59

2 अ 6.3 बकायों का विश्लेषण

2 अ 6.3.1 मुख्यालय द्वारा इकाईयों की निधि का अधिक निर्गम

ग्राहक से प्राप्त निधि से कम्पनी द्वारा इकाईयों को अधिक निधि निर्गम करने में 19 कार्यों पर ग्राहकों से बिना कोई भुगतान के 370.35 लाख रुपये के अधिक व्यय को प्रोत्साहित किया।

निधि के निर्गम पर कम्पनी द्वारा पर्याप्त नियंत्रण नहीं रखा गया जिसका परिणाम इकाईयों को निधि के अधिक निर्गम में हुआ। लेखा परीक्षा में जांच परीक्षा के दौरान 19 कार्यों में 370.35 लाख रुपये ग्राहक से प्राप्त धनराशियों से अधिक निधि का निर्गम देखा गया। अगले पृष्ठ पर दी गई तालिका में 5 लाख से अधिक निधि के मामलें उद्धरित हैं :

कार्य का नाम	स्वीकृत लागत	ग्राहक द्वारा मुख्यालय को अवमुक्त निधि	मुख्यालय द्वारा इकाईयों को निर्गत निधि	अधिक निर्गमित राशि जो इकाईयों द्वारा खर्च की गई	कार्य समापन का वर्ष	ग्राहक निधि से अधिक व्यय की धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
300 शैय्या अस्पताल अलीगढ।	1683.00	107.50	142.62	35.12	1993-94 में निलम्बित	39.97
पर्यटक स्वागत केन्द्र देहरादून।	134.84	120.45	133.43	12.98	1986-87	25.65
आधुनिक स्वागत केन्द्र हरिद्वार	122.45	102.42	122.00	19.58	1993-94	17.07
मातृत्व गृह-I वाराणसी	30.88	9.83	29.83	20.00	1984-85	23.94
पर्यटक काम्पलेक्स मंसूरी	106.62	93.23	98.55	5.32	1992-93	21.41
नलकूप, मेरठ	25.78	14.75	21.35	6.60	1987-88	11.03
पर्यटक स्वागत केन्द्र, अयोध्या	26.72	13.19	26.08	12.89	1985-86	18.52
मातृत्व गृह-II वाराणसी	70.42	63.12	84.60	21.48	1987-88	28.15
ट्रांजिट हास्टल तथा अतिथि गृह लखनऊ	243.52	193.95	339.56	145.61	1991-92	150.79
स्पोंटस स्टेडियम गाजियाबाद	152.98	64.45	89.45	25.00	1990-91 में निलम्बित	42.33

कार्य का नाम	स्वीकृत लागत	ग्राहक द्वारा मुख्यालय को अवमुक्त निधि	मुख्यालय द्वारा इकाईयों को निर्गत निधि	अधिक निर्गमित राशि जो इकाईयों द्वारा खर्च की गई	कार्य समापन का वर्ष	ग्राहक निधि से अधिक व्यय की धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
सिविल अस्पताल पीलीभीत	269.49	259.31	280.92	21.61	1989-90	44.22
योग		**1042.20**	**1368.39**	**326.19**	**---**	**423.08**

11 कार्यों के सम्बन्ध में, मुख्यालय द्वारा निर्गत निधि कार्यों की स्वीकृत लागत से भी 214.31 लाख रुपये अधिक रही जिसका भुगतान अभी तक अपेक्षित था (मार्च 1996)। इस सम्बन्ध में देखे कुछ महत्वपूर्ण मामले नीचे विवेचित हैं:

(i) निलम्बित कार्य के अवसूल बकाये

दिसम्बर 1991 में, सरकार ने कम्पनी को अलीगढ में 300 शैयया अस्पताल का निर्माण (स्वीकृत लागत : 1683 लाख रुपये) सौपा। कम्पनी की अलीगढ इकाई द्वारा कार्य का प्रारम्भ फरवरी 1992 में किया गया तथा 1993-94 तक ग्राहक से प्राप्त 107.50 लाख की निधि के विरुद्ध 147.47 लाख रुपये मूल्य के कार्य निष्पादन के पश्चात निलम्बित किया। 39.97 लाख रुपये की अवशेष धनराशि ग्राहक द्वारा अभी तक (मई 1996) निर्गत नही की गई थी। यह देखा गया कि इकाई द्वारा कार्य पर अधिक व्यय मुख्यतया मुख्यालय के वित्त शाखा द्वारा नियन्त्रण की कमी के कारण था जिसने ग्राहक से प्राप्त निधियों की अपेक्षा में अधिक निधि अवमुक्त कर दी तथा दूसरे कार्यो से 4.85 लाख रुपये की निधि एवं भण्डार का अनाधिकृत स्थानान्तरण था।

(ii) स्पोर्टस स्टेडियम गाजियाबाद के निर्माण पर अधिक व्यय।

कम्पनी की गाजियाबाद इकाई ने अप्रैल 1989 में 152.98 लाख रुपये हेतु राज्य सरकार की प्रशासनिक अनुमोदन के विरुद्ध, गाजियाबाद में स्पोर्टस स्टेडियम का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया।मार्च 1990 तक सरकार द्वारा अवमुक्त 64.45 लाख रुपये की धनराशि के विरुद्ध मुख्यालय ने इकाई को मार्च 1993

तक 89.45 लाख रुपये अवमुक्त किये। इस प्रकार, मुख्यालय द्वारा ग्राहक से प्राप्त निधि के आधिक्य में 25 लाख रुपये अवमुक्त किये गये।

इकाई ने 96.63 लाख रुपये व्यय करने के पश्चात जुलाई 1990 में कार्य बन्द कर दिया जबकि ग्राहक द्वारा अवमुक्त निधि से अधिक व्यय की धनराशि 32.18 लाख रुपये की हो गई। इकाई ने और निधि के अवमुक्ति हेतु मामले में प्रयत्न नहीं किया। अपूर्ण कार्य खेलकूद निदेशालय को जून 1990 में निलम्बन अवधि के 5 वर्षो के दौरान 10.15 लाख रुपये का काम्पलेक्स की निगरानी में अतिरिक्त व्यय करने के पश्चात सौंप दिया।

कम्पनी ने 32.18 लाख रुपये का अधिक व्यय करने के पश्चात कार्य को निलम्बित कर दिया गया तथा निगरानी एवं देख रेख पर ग्राहक को अन्तिम रुप से सौंपने से पूर्व 10.15 लाख रुपये का आगे भी व्यय किया।

42.33 लाख रुपये की धनराशि के अवशेष का भुगतान कम्पनी द्वारा कभी भी शासन स्तर पर नहीं उठाया गया जिसके परिणामस्वरुप बकाये की समस्त धनराशि 6 वर्षो से (मई 1996 तक) बकाया थी।

2.अ 6.3.2 अतिरिक्त लागत के दावे हेतु आर. पी. ई. का प्रस्तुतीकरण ।

कम्पनी ने उन मामले का जहां आर.पी.ई. को प्रस्तुत किया जाना था की समय से पहचान हेतु कोई प्रणाली विकसित नहीं की थी तथा आर. पी. ई. की प्रस्तुति की प्रगति की निगरानी तथा उनकी ग्राहक द्वारा अनुमोदन हेतु कोई नियंत्रक अभिलेख भी नहीं बनाया था। जिसके फलस्वरुप आर.पी.ई. प्रस्तुति तथा ग्राहक द्वारा अनुमोदन के साथ साथ मुख्यालय को इकाईयों द्वारा प्रस्तुति में प्रगति का अनुश्रवण न हो सका। उचित नियंत्रक अभिलेखों के अभाव में, लेखा परींक्षा में पत्रावलियों तथा दूसरे अभिलेखों से 46 पूर्ण कार्यो के समापन उपरान्त आर. पी. ई. की प्रस्तुति में कम्पनी द्वारा असाधारण विलम्ब के आर. पी. ई. का प्रस्तुत न किया जाना तथा अनुमोदार्थ लम्बित आर. पी. ई. पर किसी प्रकार का प्रयत्न का अभाव के मामले लेखा परीक्षा में देखे गये जैसा कि अगले पृष्ठ पर संक्षेपित है :-

39 कार्यो के विरुद्ध रु0 451.33 लाख की धनराशि के बकाये अवसूल रहे क्योंकि कम्पनी ने ग्राहक को बिना आर. पी. ई. के प्रस्तुति/अनुमोदन पर नियंत्रण किये निधि अवमुक्त की।

(लाख रुपये में)

विवरण	कार्यों की संख्या	धनराशि
अवशेष बकाये	46	721.87
अवशेष बकाये के कारण :		
ग्राहक को आर. पी. ई. को न प्रस्तुत करना	17*	216.02
आर. पी. ई. प्रस्तुत पर ग्राहक के अनुमोदनार्थ लम्बित	22*	235.31
स्वीकृत लागत की अवशेष धनराशि का अवमुक्त न होना	27*	270.54

उपरोक्त से, यह देखा जा सकता है कि अनेक पूर्ण कार्यों के मामलों में जहां ग्राहको से पूरी लागत स्वीकृत थी कम्पनी अपने बकाये वसूल करने में असमर्थ रहीं। ऐसे मामलों में विलम्ब की सीमा नीचे संक्षेपित है :-

(लाख रुपये में)

विवरण	कार्यों की संख्या	बकाये की धनराशि
अवधि हेतु बकाये :-		
1 वर्ष से अधिक परन्तु 3 वर्ष तक	1	17.07
3 वर्ष से अधिक परन्तु 5 वर्ष तक	6	80.09
5 वर्ष से अधिक परन्तु 10 वर्ष तक	15	137.31
10 वर्ष से अधिक	5	36.07
योग	**27**	**270.54**

पूर्ण कार्यों के देयों का समयबद्ध विघटन जहां आर. पी. ई. या तो प्रस्तुत नहीं की गई है या प्रस्तुत की गई है तो ग्राहक द्वारा अनुमोदित नहीं की गई है। अगले पृष्ठ पर तालिका में इंगित है:

---

* भुगतान न किये गये बकाये हेतु एकाधिक कारणों के कारण कार्यों की संख्या का विवरण एक दूसरे को समावेशित करता है तथा कार्यों की कुल संख्या से अधिक होता है।

(बकाये लाख रुपये में)

विवरण	आर. पी. ई. प्रस्तुत नहीं		आर. पी. ई. प्रस्तुत पर स्वीकृत नहीं	
	कार्यो की संख्या	अवरुद्ध बकाये	कार्यो की संख्या	अवरुद्ध बकाये
आर. पी. ई. प्रस्तुत नहीं/ स्वीकृत नहीं हेतु :-				
1 वर्ष से अधिक पर 3 वर्ष से अधिक नहीं	----	----	----	----
3 वर्ष से अधिक पर 5 वर्ष से अधिक नहीं	2	101.43	6	53.58
5 वर्ष से अधिक पर 10 वर्ष से अधिक नहीं	11	90.94	12	167.05
10 वर्ष से अधिक	4	23.65	4	14.68
योग	**17**	**216.02**	**22**	**235.31**

चूकिं कम्पनी ने किसी ऐसे अभिलेख जो आर. पी. ई. को ग्राहक को प्रस्तुति तथा उसके अनुमोदन की स्थिति दशयि, नहीं बनाया है। अतः उपरोक्त स्थिति को निदेशक मण्डल को मण्डल के निर्देश (मार्च 1996) के बावजूद कि प्रत्येक बैठक में ऐसे विवरण प्रस्तुत किये जायें प्रस्तुत न कर सकी। (मार्च 1996)

आर. पी. ई. की प्रस्तुति एवं स्वीकृति पर उचित अनुश्रवण के अभाव में ग्राहकों से 451.33 लाख रुपये के बकाये वसूल न हो सके। ऐसे कुछ मामलें अनुवश्री प्रस्तरों में विवेचित है।

(i) **अयोध्या में पर्यटन स्वागत केन्द्र (टी0 आर0 सी0)**

1983-84 में कम्पनी को उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा लागत योग 15% प्रतिशत शतदर पर अयोध्या में एक टी0 आर0 सी0 का निर्माण (अनुमानित लागत : 26.72 लाख रुपये) सौंपा गया। कम्पनी की फैजाबाद इकाई, जिसमें कार्य मार्च 1984 में प्रारम्भ किया, ने जुलाई 1984 में एक आर. पी. ई. तैयार किया जिसके अनुसार कार्य की लागत 34.05 लाख रुपये थी। यद्यपि, आर. पी. ई. मुख्यालय द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया था, इकाई ने कार्य जारी रखा तथा इसे 1986 में मुख्यालय द्वारा अवमुक्त रु0 26.08 लाख के विरुद्ध रु0 31.71 लाख की लागत पर पूर्ण किया। इकाई द्वारा अवशेष

लागत का प्रबन्ध बिना मुख्यालय की अनुमति के दूसरे कार्यों से 5.63 लाख रुपये के निधि एवं भण्डारों के हस्तांतरण द्वारा किया गया। ग्राहक जिसने 1984-85 तक मात्र 13.19 लाख रुपये अवमुक्त किए थे, ने कोई अतिरिक्त भुगतान अभी तक (दिसम्बर 1995) नहीं किया है।

18.52 लाख रुपये की अवशेष धनराशि के अवमुक्ति हेतु भवन की पूर्णतया नौ वर्षों के उपरान्त भी कम्पनी ने ग्राहक से सम्पर्क नहीं किया था।

(ii) अतिरिक्त कार्यों हेतु अनुमानों की अस्वीकृत

मार्च 1981 में राज्य सरकार ने कम्पनी को 55.07 लाख की अनुमानित लागत पर, जिसे श्रम एवं सामग्री की लागत में वृद्धि के कारण सितम्बर 1984 में रु0 134.84 लाख पुर्नरीक्षित कर दिया था, देहरादून में एक टी0 आर0 सी0 का निर्माण सौपा। कम्पनी की देहरादून इकाई ने उक्त कार्य 1986-87 में 146.10 लाख रुपये की सकल लागत (व्यय + शतदर) पर पूर्ण किया जो पुर्नरीक्षित स्वीकृत लागत से 11.26 लाख रुपये अधिक था।

स्वीकृत लागत से अधिक व्यय का मुख्य कारण रु0 11.10 लाख मूल्य के अतिरिक्त कार्यों (सेवा भवनों तथा चार दीवारी का निर्माण, विद्युत लाइनों को डालना, इत्यादि) का निष्पादन था जो कि शासन द्वारा स्वीकृत मूल लागत में सम्मिलित नही थे। इन मदों हेतु रु0 11.10 लाख के पूरक अनुमान जो कार्य समाप्ति के पश्चात जुलाई 1987 में शासन के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किये गये थे, जून 1993 में अस्वीकृत कर दिये गये क्योंकि कम्पनी द्वारा अतिरिक्त कार्यों हेतु शासन की पूर्व अनुमति नहीं ली गयी थी।

कृत कार्यों के मूल्य (146.10 लाख रुपये) के विरुद्ध शासन ने मात्र 120.45 लाख रुपये की धनराशि की निधि अभी तक (मार्च 1996) अवमुक्त की है तथा 25.65 लाख रुपये की धनराशि कार्य समापन के नौ वर्ष से अधिक समय से बकाया है तथा इसकी वसूली आशा क्षीण थी जैसा कि मण्डल के सामान्य प्रबन्धक के द्वारा मुख्यालय को सूचित किया गया था।

2. अ 6.3.3 बिना अनुबन्ध के कार्य का निष्पादन

कम्पनी ने स्वायत्त निकायों तथा राज्य सरकार द्वारा एजेन्सी कार्य के रुप में क्रियान्वित सहायता पोषित परियोजनाओं को लागत योग आधार पर प्रारम्भ करते समय कोई अनुबन्ध नहीं किया जिससे अनुमानों की स्वीकृत लागत पर अनुमन्य मूल्य वृद्धि स्वीकृत अनुमानों में अदर्शित अतिरिक्त कार्यों के भुगतान के तरीके, दैवीय आपदाओं के कारण अनदेखी हानियों हेतु ग्राहकों के दायित्व निर्धारित नहीं हुए। उन मामलों में भी जहां अनुबन्ध निष्पादित किये गये। इस सम्बन्ध में शर्तें नहीं रखी गयीं। परिणामस्वरुप मूल्य वृद्धि के भुगतान, अतिरिक्त मदों तथा

बिन शर्तों के तय किये कार्य के प्रारम्भ करने से ग्राहक से विवाद हुए तथा 167.78 लाख रुपये के दावों की वसूली न हो सकी।

कम्पनी द्वारा वहन की गयी हानियों के भुगतान में ग्राहकों से विवाद हुए। नीचे दी गयी तालिका 9 कार्यों के विरुद्ध 167.78 लाख रुपये के बकायों की स्थिति संक्षेपित करती है :-

कार्य का नाम	अस्वीकृत दावे (लाख रुपये में)	कारण
मातृत्प गृह -II वाराणसी	28.15	स्वीकृत लागत पर मूल्य वृद्धि स्वीकृत नहीं की गई।
कताई मिल, महमूदाबाद	18.25	समापन की निर्दिष्ट तिथि के उपरान्त स्वीकृत लागत से अधिक मूल्य वृद्धि स्वीकार नही की गई।
कताई मिल, जौनपुर	16.08	अतिरिक्त मदों एवं मूल्य वृद्धि के दावे स्वीकार नहीं किये गए।
कताई मिल, रसडा	12.71	मूल्य वृद्धि हेतु दावा स्वीकार नहीं किया गया।
कताई मिल, मेजा	11.48	मूल्य वृद्धि एवं अतिरिक्त मदें स्वीकार नहीं की गई।
जी. बी. पन्त इन्स्टीटयूट इलाहाबाद	24.10	लागत सीमा निर्धारित न होने से दावे को वापस लेना पड़ा।
टी. आर. सी. देहरादून	11.10	अतिरिक्त मदो का दावा स्वीकार्य नही।
ट्रांजिट हास्टल तथा गेस्ट हाउस लखनऊ	19.46	चहारदीवारी का अतिरिक्त कार्य तथा रख रखाव प्रभार स्वीकार नही किए गए।
दर्शक दीर्घा स्पोर्टस कालेज लखनऊ	26.45	किये गए अतिरिक्त कार्य का अनुमोदन नही।
योग	167.78	

(i) **न वसूली योग्य अधिक व्यय**

केन्द्र सरकार के भारत जनसंख्या परियोजना के अन्तर्गत, राज्य सरकार द्वारा मार्च 1984 में कम्पनी को वाराणसी जिले में चौकाघाट पर एक मातृत्व गृह का निर्माण सौपां गया। शतदर सहित कार्य की स्वीकृत लागत 55.71 लाख रुपये थी जिसका अन्तिम पुनरीक्षण 70.42 लाख रुपये (मार्च 1986), नीवं की मजबूती तथा बाहय स्थल विकास की अतिरिक्त लागत को पूरा करने के लिये, किया गया था। शासन ने सार्वजनिक निर्माण विभाग के द्वारा उपरोक्त कार्यो हेतु 1985-86 में रु0 63.12 लाख अवमुक्त किये। कार्य अप्रैल 1984 में प्रारम्भ हुआ तथा जुलाई 1987 में रु0 91.27 लाख की सकल लागत से समाप्त हुआ। इकाई ने परियोजना अधिकारियों से फरवरी 1987 में कार्य की लागत में वृद्धि के कारण अतिरिक्त धन अवमुक्त करने हेतु सम्पर्क किया। परियोजना अधिकारियों ने दावे को इस आधार पर कि पूर्ण स्वीकृत लागत उनको पहले ही अवमुक्त की जा चुकी है और स्वीकृत लागत से अधिक व्यय को कम्पनी को अपने श्रोतों से वहन करना चाहिये, स्वीकार नही किया। मुख्य अभियन्ता (भवन) के द्वारा सितम्बर 1988 में परियोजना अधिकारियों को प्रस्तुत रु0 84.87 लाख का आर. पी. ई. न तो स्वीकृत हुआ न ही परियोजना अधिकारियों द्वारा अतिरिक्त निधि अवमुक्त की गई। निम्न बिन्दुओ पर ध्यान वांछनीय है :-

---

भुगतान योग्य मूल्य वृद्धि के तय न होने के कारण, ग्राहक से 28.15 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय वसूल न किया जा सका।

(अ) कम्पनी ने अपने लेखे को ग्राहक से समाधान कर 7.30 लाख रुपये के अंतर को जो कि ग्राहक द्वारा अवमुक्त धनराशि (70.42 लाख रुपये) तथा कम्पनी द्वारा प्राप्त धनराशि (63.12 लाख रुपये) के मध्य था, कोई प्रयत्न नहीं किया जिससे इसको देय अवशेष राशि तय हो सके।

(ब) सितम्बर 1987 में कम्पनी के प्रबन्ध निदेशक ने स्वीकृत लागत से कहीं अधिक व्यय के कारणों की जांच हेतु एक जांच समिति का गठन किया ताकि उपरोक्त हेतु उत्तरदायित्व का निर्धारण हो सके। समिति ने, तथापि न कोई प्रगति की और इस प्रकार किसी उत्तरदायित्व का निर्धारण अभी तक (मार्च 1996) नहीं हुआ है।

इस प्रकार, कार्य पर हुआ 28.15 लाख रुपये की धराशि का अतिरिक्त व्यय कार्य समाप्ति के आठ वर्ष उपरान्त भी ग्राहक से वसूल नहीं किया जा सका। कम्पनी ने भी इस हेतु उत्तरदायी अधिकारियों से इसकी वसूली हेतु कोई कार्यवाही नहीं की।

(ii) **कताई मिलों का निर्माण**

कम्पनी ने ग्राहक (उत्तर प्रदेश राज्य कताई मिल कम्पनी लिमिटेड) से बिना कोई अनुबन्ध के निष्पादन के रसडा (बलिया) एवं जौनपुर में कताई मिलों का निर्माण क्रमशः मार्च 1983 तथा मार्च 1985 में हाथ में लिया। रसडा एवं जौनपुर मिलों की स्वीकृत लागत क्रमशः 279.23 लाख रुपये तथा 305.71

लाख रुपये थी। ये कार्य दिसम्बर 1985 में (रसडा इकाई) तथा अगस्त 1988 में (जौनपुर इकाई) ग्राहक निधि से क्रमशः 12.71 लाख रुपये तथा 16.08 लाख रुपये के अधिक व्यय करने के उपरान्त पूर्ण हुए। कम्पनी द्वारा इस प्रकार अधिक व्यय का भुगतान ग्राहक द्वारा अभी तक नहीं किया गया है (मई 1996)। 28.79 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय मुख्यतया स्वीकृत लागत से मूल्य वृद्धि के अधिक व्यय के कारण था जो कि इकाईयों द्वारा ऐसे खर्चों के शर्तों के प्रतिपूर्ति तय नहीं किये जाने के कारण हुआ।

उपरोक्त भुगतान न किये अवशेषों के अतिरिक्त, ग्राहक ने अगस्त 1988 तथा दिसम्बर1989 के दौरान मिल प्रागंण में स्थित जौनपुर इकाई के स्थल कार्यालय से 16.08 लाख रुपये के मूल्य के भण्डार एवं नकदी जब्त कर ली। यह मामला भी कम्पनी द्वारा शासन स्तर पर नहीं उठाया गया जिसके परिणामस्वरुप जब्त किया भण्डार तथा नकदी कम्पनी को अभी तक (मई 1996) वापस नहीं मिल पाया।

2 अ 7 निविदा कार्यों के बकाये

निविदा कार्यों के मामले में कम्पनी निविदा मदों को सहमति दर पर तथा निविदा की मात्रा बीजक के बाहर की मदों को अनुबन्ध के प्राविधानानुसार आंकलित दरो का दावा समय समय पर चालू बीजक द्वारा प्रस्तुत करती है। मूल्य वृद्धि हेतु दावे सम्बन्धित अनुबन्ध के प्राविधानों के अनुसार मूल्य लागत सूचकांक में वृद्धि हेतु प्रमाण एकत्रित करने के उपरान्त किये जाते हैं। निविदा कार्यो के सम्बन्ध में देय मुख्यतया दावा किये गए मात्रा एवं दरों में कटौती, विलम्ब से कार्य समापन पर दण्ड आरोपण ग्राहक की सामग्री के अधिक खपत हेतु दण्डारोपण तथा त्रुटिपूर्ण कार्यो हेतु कटौतियों के कारण उत्पन्न होते हैं।

31 मार्च 1995 को, ग्राहक की स्वीकृति के आधार पर लेखें में लेखाबद्ध बकायों का कुल योग 295.10 लाख रुपये था जिसमें कार्य की समाप्ति उपरान्त 10 वर्षो से अधिक बकाये के चार कार्यो से सम्बन्धित 4.51 लाख रुपये तथा कार्य की समाप्ति के 5 वर्षो से अधिक हेतु बकाये 6 कार्यों से सम्बन्धित 60.01 लाख रुपये सम्मिलित हैं।

2 अ 7.1 निविदा कार्यों के बकाया दावे

लेखा परीक्षा में यह देखा गया कि कम्पनी द्वारा निविदा कार्यो में किया गया व्यय ग्राहक द्वारा स्वीकृत तथा भुगतान किये गये दावों से अत्याधिक था जिसके परिणाम स्वरुप कम्पनी को निविदा कार्यो के

निष्पादन में भारी हानियां उठानी पडी जैसा कि नीचे विवरण दिया गया है :

(लाख रुपयें में)

कार्य का नाम	**दावे की धनराशि**	**ग्राहक द्वारा भुगतान की गयी धनराशि**	**विवाद के अन्तर्गत दावे की धनराशि**	**कार्य पर उठायी गई हानि**
अनपारा पम्प हाउस	1343.45	1199.32	144.13	166.77
जयन्त कोल फील्डस	107.71	88.02	19.69	30.46
दिल्ली परिवहन निगम की कार्यशाला	246.10	197.91	48.21	18.01
सीमेन्ट कार्पोरेशन आफ इण्डिया की सीमेन्ट साइलेज	265.22	156.53	109.69	48.22
योग			**321.72**	**263.46**

लेखा परीक्षा में यह देखा गया कि सेन्ट्रल कोल फील्डस, रांची ने (नवम्बर 1980) में निविदित मदवार दर के आधार पर बीना में आवासीय भवनों तथा जयन्त में अनावासीय भवनों का निर्माण सुपुर्द किया। कार्य की अनुमानित लागत 172.70 लाख रुपये थी जिसे अनुबन्ध की चरणबद्ध सूचीवार प्रगति के साथ जुलाई 1983 में पूर्ण होना था। निर्दिष्ट तिथियों पर चरणबद्ध प्रगति प्राप्त करने में कमी के मामलें में, प्रतिदित हेतु अनुबन्धित मूल्य के 1 प्रतिशत परन्तु अनुबन्धित मूल्य के 10 प्रतिशत की अधिकतम सीमा तक दण्ड भुगतान योग्य था।

कम्पनी ने ग्राहक द्वारा की गई 19.69 लाख रुपये की कटोतियों का विवरण प्राप्त नहीं किया जिसके परिणामस्वरुप अवशेष राशि बिना किसी प्रयत्न के बकाया रही।

कार्य के क्रियान्वन के दौरान, कम्पनी निर्दिष्ट तिथियों पर चरणब्द्ध प्रगति प्राप्त करने में असमर्थ रही और इसलिए जुलाई 1984 में ग्राहक द्वारा अनुबन्ध को समाप्त कर अनिष्पादित कार्य कम्पनी से वापस ले लिये गये। कम्पनी की बीना इकाई द्वारा निर्गत 107.71 लाख रुपये के बीजको के विरुद्ध ग्राहक ने 19.69 लाख रुपये की कटौती करने के उपरान्त 88.02 लाख रुपये का भुगतान अवमुक्त किया। यह देखा गया कि ग्राहक के साथ लेखाओं का समाधान बीजकवार भुगतान न किये गये मदों तथा उनके मूल्य से नहीं

किये गये थे।

2 अ 7.2 अदत्त दावों का उच्च शक्ति की समिति को संदर्भित करना

फरवरी 1992 में राज्य सरकार ने प्रधान सचिव, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो की अध्यक्षता के अन्तर्गत एक उच्च शक्ति समिति राज्य के सार्वजनिक उद्यमों तथा राज्य सरकार के विभागों के मध्य बकायों पर विवादों के निपटारें हेतु गठित की ताकि न्यायालय के जरिये निपटारे में विलम्ब तथा उनको परिणामस्वरुप वित्तीय हानियों से बचाया जा सके। समिति का निर्णय दोनो पक्षों पर बाध्यकारी था। किसी भी पक्ष द्वारा निर्णय को स्वीकार न करने की दशा में अन्तिम निर्णय हेतु अपील सरकार की मन्त्रि मण्डलीय समिति के सम्मुख की जानी थी।

31 मार्च 1996 को, कम्पनी के कुल अवशेष बकाये की धनराशि 40.40 करोड रुपये थी जो अधिकतम राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के विरुद्ध थी। इसने मार्च 1996 तक 3.88 करोड़ रुपये मात्र के छः मामले समिति को संदर्भित किये। नीचे दी गई तालिका कम्पनी द्वारा दायर किये दावों, कम्पनी के पक्ष में निर्णित हुए दावों तथा निर्णित मामलों के विरुद्ध वसूली की स्थिति को संक्षेपित करती है:

(लाख रुपयें में)

	कार्य का नाम	कार्य की समाप्ति का वर्ष	दायर दावे की धनराशि	माह जिसमें निर्णय हुआ	कम्पनी के पक्ष में निर्णय की धनराशि	वसूल की की गई धनराशि
(i)	ओबरा ताप विद्युत गृह सोनभद्र	1982-83	23.70	सितम्बर 1992	12.62	--
(ii)	ओखला बैरेज गाजियाबाद	1983-84	97.41	सितम्बर 1992	82.31	--
(iii)	अपट्रान नियंत्रण इकाई लखनऊ	1989-90	63.97	मई 1993	40.30	--
(iv)	अपट्रान का आर. एन्ड. टी. ब्लाक, लखनऊ	1989-90	12.47	मई 1993	6.93	3.71

(लाख रुपयें में)

	कार्य का नाम	कार्य की समाप्ति का वर्ष	दायर दावे की धनराशि	माह जिसमें निर्णय हुआ	कम्पनी के पक्ष में निर्णय की धनराशि	वसूल की की गई धनराशि
(v)	सकोती टाण्डा चीनी मिल	1989-90	15.42	अक्टूबर 1993	5.65	--
(vi)	ऊचाँहार ताप विद्युतगृह रायबरेली	1989-90	177.00	जुलाई 1992	171.78	114.15
	योग		**387.97**		**319.59**	**117.86**

समिति के निर्णय के 2 से 3 वर्ष बीत जाने के बावजूद धनराशि का मुख्य हिस्सा (201.73 लाख रुपये) ग्राहकों द्वारा भुगतान के बिना ही रहा यद्यपि किसी भी मामले में विभागों द्वारा मन्त्रिमण्डलीय समिति के सम्मुख अपील दायर नहीं की गई थी। निधियों की अवमुक्तता में विलम्ब के विश्लेषण, जैसा लेखा परीक्षा ने विश्लेषित किया, में निम्न स्पष्ट हुआ :-

उच्च शक्ति समिति द्वारा कम्पनी के पक्ष में निर्णित 201.73 लाख रुपये के दावों का अनुसरण नहीं किया गया।

2 अ 7.2.1 ओबरा ताप विद्युत गृह

समिति द्वारा ग्राहक (उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद) के विरुद्ध 9.47 लाख रुपये के अवशेष भुगतान का कम्पनी का दावा स्वीकार करते समय यह भी निर्णय किया कि परिषद की सीमेन्ट के अधिक उपभोग पर निर्गत दर से दुगने पर परिषद द्वारा की गई 8.02 लाख रुपये की कटौती उचित नहीं थी। समिति ने निर्णय किया कि ऐसी सीमेन्ट की वसूली निर्गत दर (18.50 रुपये प्रति बोरी) या उस समय विद्यमान बाजार भाव जो भी उच्च हो पर करनी चाहिये। समिति के उपरोक्त निर्णय के अनुसार कम्पनी की ओबरा इकाई को सीमेन्ट फैक्टरियों से, परिषद द्वारा वसूल की गई सीमेंन्ट अधिक खपत हेतु दण्ड में छूट हेतु दावा करने के लिये, बाजार भाव

कम्पनी ने 11.08 लाख रुपये की सामग्री के अधिक उपभोग पर कोई उत्तरदायित्व निर्धारित नहीं किया जो कि ग्राहक द्वारा इसके बीजकों से वसूल कर ली गई थी।

ज्ञात करने थे। इकाई ने, तथापि विवरण एकत्र करने में दो वर्ष से अधिक ने लिया तथा ग्राहक को 3.15 लाख रुपये की छूट के दावे हेतु विवरण जनवरी 1995 में ही उपलब्ध कराये।

इसके उपरान्त भी, कम्पनी ने अपने सामान्य प्रबन्धक/प्रबन्ध निदेशक द्वारा मामले को परिषद स्तर पर नहीं उठाया और इसलिये, धनराशि वसूली के बिना पडी रही।

(ii) कम्पनी ने 6.21 लाख रुपये की धनराशि के 124 टन स्टील तथा 4.87 लाख रुपये की धनराशि के 21790 बोरी सीमेन्ट के अधिक खपत को स्वीकार किया। कम्पनी ने स्टील एवं सीमेन्ट के अधिक खपत को स्वीकार करने के 3 वर्ष पश्चात भी उपरोक्त हेतु उत्तरदायित्व का निर्धारण करने हेतु अधिक खपत के कारणों की खोजबीन नहीं की।

2 अ 7.2.2 ओखला बैराज कार्य

(i) समिति ने ग्राहक (उ0 प्र0 जल निगम) द्वारा एकतरफा मूल्य वृद्धि सीमा में अनुबन्ध मूल्य (7.28 करोड रुपये) के 38.5 प्रतिशत से मनमाने ढंग से घटाकर 24 प्रतिशत करने को अवैध करार करने के उपरान्त भी कम्पनी की दिल्ली इकाई अनुबन्ध के प्राविधानों के अनुरुप विस्तृत विवरणों तथा आधारित अभिलेखो के साथ 50.17 लाख रुपये के दावों को प्रस्तुत करने में असफल रही।

(ii) दो अतिरिक्त मदों के सम्बन्ध में जो कम्पनी के पक्ष में व्यय के विवरण की प्रस्तुति की शर्त पर अनुमन्य किये गये थें, इकाई ने निर्णय के 11 माह उपरान्त 4.35 लाख रुपये के व्यय के विवरण उपलब्ध किये, जबकि 20.76 लाख रुपये के व्यय वाले दूसरे अतिरिक्त मद के संबध में विवरण 23 माह बाद ही प्रस्तुत किये जा सके।

(iii) समिति द्वारा ठेकेदारों के जरिये क्रियान्वित बाढ सुरक्षा कार्य हेतु कम्पनी के पक्ष में अनुमन्य 5.92 लाख रुपये, ग्राहक द्वारा अवमुक्त नहीं किये गये क्योंकि कम्पनी विवरण उपलब्ध कराने में असमर्थ रही।

इस प्रकार 56.09 लाख रुपये का भुगतान मुख्यतः कम्पनी की कमी के कारण फंसा रहा जबकि 25.11 लाख रुपये के भुगतान किसी प्रभावकारी प्रयत्न के अभाव में भुगतान के बिना पड़े रहे।

2 अ 7.2.3 पंचाट/समिति को दावे संदर्भित करने में विलम्ब

समिति के गठन से पूर्व, कम्पनी संबधित अनुबन्धों के प्राविधानों के शर्तानुसार पंचाट को विवाद सन्दर्भित करके अपने विवादो को तय करने की हकदार थी। तथापि, कम्पनी ने इस दिशा में प्रयत्न नही किये जिसके परिणाम स्वरुप समिति को सन्दर्भ से पहले बकाये 3 से 10 वर्षो की अवधि तक बिना तय हुए पड़े रहे।

130.15 लाख रुपये के दावों से सम्बन्धित निम्न निविदा कार्यो के विषय में जोकि कार्य को समाप्ति से 7 से 10 वर्ष तक अनिस्तारित रहे, कम्पनी ने अभी तक (मार्च 1996) समिति को सन्दर्भित नहीं किया था यद्यपि ये मामले न तो उच्च स्तरीय प्रबन्ध स्तर पर उठाये गये न ही कोई लिखित कारण समिति को संदर्भित न करने का अभिलेखों में था :-

कार्य का नाम	**समापन का वर्ष**	**रुके दावों की धनराशि**
		(लाख रुपये में)
अनपारा पम्प हाउस	1986-87	144.13
अनपारा सडके व नालियॉ	1986-87	39.88

समिति को सन्दर्भित करने में रुकाबट के परिणामस्वरुप ग्राहकों से विवादों के तय होने में अतिरिक्त विलम्ब हुआ जैसा कि नीचे विवेचित है :-

(अ) अनपारा पम्प हाउस

कम्पनी को जनवरी 1981 में उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद (यू. पी. एस.ई. बी.) द्वारा 1174 लाख रुपये की लागत पर अनपारा में एक पम्प हाउस के निर्माण का कार्य सौंपा गया। यू. पी. एस. ई. बी. के साथ निष्पादित अनुबन्ध (जनवरी 1981) की शर्तों के अनुसार कार्य की समाप्ति की तिथि (बढी हुई) जून 1986 थी। कम्पनी ने कार्य जनवरी 1981 में प्रारम्भ किया तथा इसे जून 1986 में पूर्ण किया। कम्पनी ने 1343.46 लाख रुपये हेतु 52 चालू बीजक प्रेषित किये जिनके विरुद्ध यू. पी. एस. ई. बी. ने 1289.61 लाख रुपये के बीजकों को स्वीकारा परन्तु दिसम्बर 1986 तक मात्र 1220.26 लाख रुपये का भुगतान किया । इस प्रकार 123.20 लाख रुपये बिना भुगतान के पडे रहे जिसमें 53.85 लाख रुपये मूल्यवृद्धि के निरस्त दावे तथा 69.35 लाख रुपये के भुगतान ग्राहक द्वारा 43 लाख रुपये के त्रुटिपूर्ण कार्यो के कारण रोका गया, सम्मिलित था। इसके अतिरिक्त, यू. पी. एस. ई. बी. ने सामग्री एवं दण्डों के विरुद्व अधिक वसूल किये गये 20.93 लाख रुपये भी वापस नहीं किये थे।

इस प्रकार कम्पनी के 144.13 लाख रुपये की धनराशि के दावे अस्वीकृत तथा वसूली के बिना पिछले दस वर्षो से पड़े रहे।

(ब) अनपारा सड़के व नाली का कार्य

नवम्बर 1980 में, कम्पनी ने यू. पी. एस.ई. बी. से अनपारा में सड़क व नालियों के निर्माण (अनुमानित लागत 260 लाख रुपये) हेतु एक अनुबन्ध नवम्बर 1982 को कार्य समाप्ति की निर्दिष्ट तिथि

के साथ, निष्पादित किया। कम्पनी ने सितम्बर 1986 में कार्य पूर्ण किया ने कि निर्दिष्ट तिथि के 4 वर्ष उपरान्त जिस हेतु यू. पी. एस. ई. बी. द्वारा अभी तक (मार्च 1996) समयवृद्धि स्वीकृत नही की गई है। कम्पनी द्वारा प्रेषित 272.10 लाख रुपये के बीजको के विरुद्ध यू. पी. एस. ई. बी. ने 232.31 लाख रुपये को स्वीकरा एवं भुगतान किया है तथा 39.88 लाख रुपये के अवशेष का अभी तक (मई 1996) भुगतान नहीं किया है। इस संबंध में निम्न आख्या की जाती है:

(i) यू. पी. एस. ई. बी. ने श्रम एवं सामग्री हेतु मूल्य वृद्धि के दावे से 7.08 लाख रुपये की कटौती कर ली। कम्पनी ने इन कटौतियों हेतु कारण सुनिश्चित करने का कोई प्रयत्न नही किया।

(ii) अतिरिक्त मदों पर कम्पनी द्वारा किये गये 1.57 लाख रुपये के व्यय को, जो अनुबन्ध के अन्तर्गत न था, यू. पी. एस. ई. बी. द्वारा भुगतान नही किये गये क्योंकि इन मदों का कार्य उनके द्वारा अनुमोदित न था। वे परिस्थितियॉ जिनके अर्न्तगत अतिरिक्त मदों पर बिना यू. पी. एस. ई. बी. के अनुमोदन के व्यय किया गया, अभिलेखों में न थी।

(iii) कम्पनी ने अभी तक (मई 1996) अन्तिम बीजक यू. पी. एस. ई. बी. को प्रेषित नहीं किया है। तथापि, 29.00 लाख रुपये का पूर्व-अन्तिम बीजक (जनवरी 1987) न तो स्वीकारा एवं भुगतान किया गया है न ही कम्पनी द्वारा वसूली हेतु कार्यवाही हेतु कारण ही सुनिश्चित किये गये हैं।

उपसंहार

कम्पनी ने बकायों जो कि वर्ष दर वर्ष बढ रहे हैं के परिहार्य संचय को सुनिश्चित करने हेतु किसी तंत्र को विकसित किया है। बकायों में वृद्धि मुख्यतः की ग्राहकों से प्राप्त निधि के सापेक्ष में निर्माण इकाईयों को निधि की अवमुक्ता का सूक्ष्म अनुश्रवण करने में प्रबन्धन की असफलता के कारण था। आर. पी. ई. के समय से प्रस्तुति सुनिश्चित करने तथा उसकी ग्राहक से अनुमोदन लेने में भी प्रबन्धतंत्र असफल रहा जिसके परिणाम स्वरुप निर्माण इकाईयॉ ने स्वीकृत लागत से अधिक व्यय करना जारी रखा। ऐसा इकाईयों द्वारा अन्तर-इकाई स्थानान्तरण के द्वारा व्यय के ऊपर नियंत्रण की कमी से अक्सर प्रेरित हुआ।

बकायों पर प्रभावशाली नियंत्रण हेतु कम्पनी को ऐसी प्रणाली विकसित करनी चाहिये जिससे प्रत्येक कार्य के विरुद्ध निधि की अवमुक्तता तथा आर. पी. ई. की प्रस्तुति/अनुमोदन सूक्ष्मता से अनुश्रवित हो सके। कम्पनी को बकायों की समयवार स्थिति को भी नियमित रुप से विश्लेषित करना चाहिये ताकि प्रत्येक मामले में बकायों की वसूली समय से एवं प्रभावकारी तरीके से की जा सके।

मामले को कम्पनी तथा शासन को जून 1996 में प्रतिवेदित किया था; उत्तर प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 1996)।

अनुच्छेद 2 ब

उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड

प्रस्तर	विवरण	पृष्ठ
	मुख्य अंश	71
1.	प्रस्तावना	72
2.	उददेश्य	72
3.	क्रिया कलाप	72
4.	संगठनात्मक ढांचा	73
5.	लेखा परीक्षा का कार्य क्षेत्र	73
6.	वित्तीय स्थिति एवं कार्य चालन के परिणाम	73
7.	परियोजनाओं का निष्पादन	76
7.1.	सिलिका सैन्ड अभिशोधन संयन्त्र	76
8.	परित्यक्त परियोजनाएं	82
8.1.	पत्थर गिटटी खनन परियोजना	82
9.	गौड़ खनिजों का व्यापार	85
9.1.	मौरगं व बालू का व्यापार	85
10.	फ्लोट ग्लास परियोजना में अनुत्पादक निवेश	87
11.	अन्य रुचिकर विषय	88
	उपसंहार	90

उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड

अनुच्छेद - 2 ब

उत्तर प्रदेश खनिज विकास निगम लिमिटेड

मुख्य अंश

कम्पनी की स्थापना मार्च 1974 में राज्य सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली कम्पनी के रुप में, मुख्य रुप से राज्य के खनिज सम्पत्ति के विकास एवं दोहन, खनिज आधारित उद्योगों की प्रोन्नत तथा गौड़ खनिजों में व्यापार करने के लिए की गयी थी। इन उददेश्यों के अधीन कम्पनी ने देहरादून, ललितपुर, सोनभद्र एवं इलाहाबाद में खनिज परियोजनाएँ विकसित कीं। इसने समय-समय पर गौड़ खनिजों (पत्थर, गिटटी, मौरंग तथा बालू) में व्यापार भी किया।

(प्रस्तर 2ब.1 से 2ब.3)

1994-95 तक के पाँच वर्षों के दौरान कम्पनी ने 1991-92 , 1992-93 एवं 1994-95 के दौरान मुख्यतया परित्यक्त गिटटी खनन परियोजनाओं से सम्बन्धित खर्चों को बटटे खाते में डालने, गौड़ खनिजों की क्रिया-कलापों के खराब प्रबन्ध तथा निधियों के अपर्याप्त अनुश्रवण एवं नियंत्रण के कारण हानियां सहीं।

(प्रस्तर 2 ब.6)

कम्पनी की प्रबन्धकीय कमी के कारण समय से मूल भूत तन्त्र को प्रदत्त करने में इसकी असमर्थता के कारण इलाहाबाद में सिलिका सैन्ड अभिशोधन संयन्त्र के टर्न की ठेकेदार को 211.96 लाख रुपये के मूल्य वृद्धि दावों का भुगतान करना पड़ा। इसमें अतिरिक्त अनुबन्धीय भुगतान के 194.66 लाख रुपये सम्मिलित थे।

[प्रस्तर 2ब 7.1.2 (ब)]

कम्पनी ने बिना "भार विहीन" परीक्षण कराने से पूर्व ही टर्न की ठेकेदार को 38.85 लाख रुपये की अवरोधन राशि को अवमुक्त कर दिया यद्यपि अनुबन्ध में इसकी अवमुक्तता मात्र ऐसा परीक्षण कराने के अपरान्त ही निर्दिष्ट थी।

[प्रस्तर 2ब.1.2(स)]

प्रबन्धन की खनन अधिकार लेने से पूर्व संभवता अध्ययन न कराने की कमी तथा एक इकाई प्रभारी की लापरवाही से, कम्पनी को अपने मोठ एवं कर्वी की गिटटी परियोजनाओं को 113.19 लाख रुपये का व्यय करने के उपरान्त बन्द करना पड़ा।

(प्रस्तर 2 ब .8)

गौड़ खनिजों के व्यापार में कम्पनी को ग्यारह घाटों पर 122.96 लाख रुपये की हानि को

वहन करना पड़ा। मुख्य कारण जैसा कि लेखा परीक्षा में विश्लेषित किया गया , घाटों को त्यागने में विलम्ब, अपर्याप्त संभावता अध्ययन तथा अनुमन्यता विहीन भुगतान, थे।

(प्रस्तर 2 ब .9)

क्षेत्र इकाईयों से मुख्यालय के मुख्य लेख में निधि के स्थानान्तरण में विलम्ब के परिणामस्वरुप 8.30 लाख रुपये के ब्याज की हानि हुयी।

(प्रस्तर 2 ब .11.1)

2.ब.1 प्रस्तावना

कम्पनी की स्थापना 23 मार्च 1974 को राज्य सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली कम्पनी के रुप में मुख्य रुप से राज्य के खनिज सम्पदाओं के विकास एवं दोहन, खनिज आधारित प्रत्यक्षतः या संयुक्त उद्यम क्षेत्र में उद्योग की प्रोन्नति एवं गौड़ खनिज (पत्थर, गिटटी, मौरंग तथा बालू) के व्यापार के लिये गयी थी।

2.ब.2 उद्देश्य

कम्पनी के मुख्य उददेश्य हैं -

- राज्य तथा अन्य स्थानों में तथा सभी मुख्य तथा गौड़ खनिजों का सर्वेक्षण, खनन तथा विकास और खानों एवं खनिज शुद्धिकरण इकाईयों की स्थापना।
- प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से खनन तथा उत्पादों को देश के अन्दर या बाहर विक्रय के संबंध में सारे व्यापार को करना।
- किसी खान को अधिप्राप्ति, क्रय, पटटे या संविदा पर प्राप्त करना तथा इसका अन्वेषण, खोजना विकास एवं उपयोग करना।
- प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से संबंधित खान एवं खनिज क्रिया-कलापों की सहायता, वित्त-पोषण एवं विकास।

2.ब.3 क्रियाकलाप

उपरोक्त उददेश्यों के अनुपालन में, कम्पनी ने निम्न क्रिया कलाप हाथ में लिये:

- लाम्बी धार, मंसूरी* में चूना पत्थर का खनन।
- सोनराई, ललितपुर में राकफास्फेट का खनन।
- चोपन, सोनभद्र में चूना पत्थर, डोलामाइट का खनन।
- लालापुर, इलाहाबाद में सिलिका बालू का खनन।
- समय-समय पर गौड़ खनिजों में व्यापार।

---

* उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अन्तर्गत जनवरी 1996 से बन्द ।

इसके अतिरिक्त , कम्पनी ने तीन सयुंक्त क्षेत्रीय परियोजनाएं भी बांदा **(फलाट ग्लास), मेरठ (सैन्डलाइम ब्रिक), तथा ललितपुर (ग्रेनाइट कटिंग तथा पालिशिंग) में भी प्रोन्नत कीं।

संयुक्त क्षेत्र की मानिकपुर (बांदा) परियोजना में तथा एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी (उत्तर प्रदेश कार्बाइड एन्ड केमीकल्स लिमिटेड, देहरादून) परिसमापन की ओर अग्रसर है।

2.ब.4 संगठनात्मक ढांचा

कम्पनी का समग्र प्रबन्ध एक पूर्णकालिक अध्यक्ष- तथा- प्रबन्ध निदेशक (सी एम डी) तथा छः अंशकालिक निदेशकों वाले एक निदेशक मण्डल में निहित था । सी. एम. डी. की सहायता एक मुख्य सामान्य प्रबन्धक (तकनीकी), तीन सामान्य प्रबन्धकों- प्रत्येक एक प्रशासन, परियोजना तथा वित्त, एक मुख्य विपणन अधिशाषी, एक कम्पनी सचिव चार परियोजनाओं के वरिष्ठ प्रबन्धकों द्वारा की जाती थी।

2.ब.5 लेखा परीक्षा का कार्य क्षेत्र

अगस्त 1995 से अप्रैल 1996 तक सम्पन्न लेखा परीक्षा में कम्पनी के मार्च 1995 तक के पांच वर्षों की अवधि हेतु कार्य की समीक्षा की गई जिनके परिणाम अनुवर्ती प्रस्तरों में विवेचित हैं .

1983-84 तक के तीन वर्षों हेतु कम्पनी के कार्यों की एक समीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी. ए. जी. के प्रतिवेदन) के 31 मार्च 1984 को समाप्त हुए वर्ष हेतु प्रतिवेदन (वाणिज्यिक), उत्तर प्रदेश सरकार में पहले युग्म की गई थी। प्रतिवेदन सार्वजनिक उपक्रमों की समिति द्वारा विवेचित नहीं हुई थी (सितम्बर 1996) ।

2.ब.6 वित्तीय स्थिति एवं कार्यचालन परिणाम

1994-95 से कम्पनी के लेखे बकाये थे। 1994-95 तक पांच वर्षों हेतु कम्पनी की वित्तीय स्थिति तथा कार्य चालन परिणाम अगले पृष्ठ पर दिये गये हैं:

** वर्तमान में 50 प्रतिशत से अधिक पूंजी वाली पूरक कम्पनी ।

(लाख रुपये में)

	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95 (अनन्तिम)
(अ) वित्तीय स्थिति					
1. दायित्व					
(अ) प्रदत्त पूंजी (शेयर एपलीकेशन मनी सहित)	4456.38	5040.48	5640.48	5640.48	5640.48
(ब) आरक्षित निधि एवं अधिशेष	571.30	77.01*	273.62	215.07	385.70
(स) उपदान	1.40	1.13	1.13	1.13	1.40
(द) ऋण	258.02	180.02	102.50	311.00**	758.28
(ई) व्यापार बकाया, प्राविधान व अन्य वर्तमान दायित्व	1178.26	2228.78	2524.43	2743.84	2600.06
	6465.36	**7527.42**	**8541.16**	**8911.52**	**9385.92**
2. परिसम्पत्तियां					
(अ) सकल अचल सम्पत्तियां	1762.75	1972.06	2051.93	2102.14	2139.67
(ब) घटाइये ह्रास	962.90	1108.34	1358.59	1480.61	1585.58
(स) शुद्ध अचल सम्पत्तियां	799.85	863.72	693.34	621.53	544.09
(द) प्रगतिरत पूंजीगत कार्य	418.75	625.43	1174.00	1404.30	1389.43
(ई) निवेश	1646.56	2681.05	2756.66	2762.46	2801.61
(क) वर्तमान परिसम्पत्तियां, ऋण तथा अग्रिम	2593.67	3357.22	3917.16	4123.23	4464.55
(ख) विविध व्यय	6.53	--	--	--	143.12
(ग) सचिंत हानियां	--	--	--	--	33.12
	6465.36	**7527.42**	**8541.16**	**8911.52**	**9385.92**
3. नियोजित पूंजी@	3215.26	1992.16	2080.27	2000.92	2417.17
4. निवेशित पूंजी@@	5279.17	5279.51	6015.60	6166.55	6505.59
5. शुद्ध मूल्य@@@	5021.15	5117.49	5914.10	5855.55	5780.43

* 658.73 लाख रुपये बटटे खाते में डालने के कारण कमी, जो एक उप कम्पनी के निवेश में मूल्य में कमी थी।

** सरकार से ऋण (251 लाख) के कारण वृद्धि।

@ नियंत्रित पूंजी शुद्ध अचल सम्पत्तियाँ तथा कार्यरत पूंजी के योग को प्रदर्शित करती है।

@@ निवेशित पूंजी दीर्घ कालिक ऋण तथा अनुदान एवं राजकीय सहायता सहित मुक्त आरक्षित पूंजी के योग को प्रदर्शित करती है।

@@@ शुद्ध मूल्य प्रदत्त पूंजी में आरक्षित पूंजी के योग से अमूर्त परिसम्पत्तियों एवं हानियों को घटाकर प्रदर्शित करती है।

(लाख रुपये में)

	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95 (अनन्तिम)
(ब) कार्यचालन परिणाम					
आय बिक्री	1495.72	1681.59	2189.31	1622.23*	1369.97
अन्य आय	227.42	259.43	190.52	50.78**	37.15
भण्डार में अभिवृद्धि/अपक्षय (-)	14.65	53.19	37.88	61.59	(-)64.77
	1708.49	**1994.21**	**2417.76**	**1734.60**	**1342.35**
कार्यचालन की लागत-क्रय	425.54	262.86	298.84	315.55	--
उत्पादन/दोहन	285.87	375.56	522.83	447.11	632.34
कर्मचारी मेहनताना	271.15	320.23	381.60	414.39	421.43
प्रशासनिक व अन्य व्यय	93.86	149.44	177.87	225.12	245.56
ऋणों पर ब्याज	32.52	24.75	10.92	3.88	3.68
प्राविधान-ह्रास	152.25	146.45	244.04@	122.02	102.92
बटटे खाते में डाले व्यय	0.73	204.24	--	--	0.01
अन्य उधार, आयकर एवं पूर्ववर्ती अवधि हेतु समयोजन सहित	317.27	1004.76	584.83	264.91	60.25
लाभ (+)/हानि (-)	129.30	(-) 494.08	196.78	(-) 58.38	(-) 123.84
	1708.49	**1994.21**	**2417.71**	**1734.60**	**1342.35**

कम्पनी ने 1991-92, 1993-94 एवं 1994-95 में हानियां वहन की। हानियों हेतु कारण, जैसा कि लेखा परीक्षा में विश्लेषित किये गये, थे:

* 1991-92 के दौरान गिटटी खनन परियोजनाओं से सम्बन्धित खर्चे को बटटे खाते में डालना।
* गौड़ खनिजों से सम्बन्धित क्रियाकलापों में खराब प्रबन्ध।
* लाम्बीधार (देहरादून) में चूनापत्थर के मूल्य वृद्धि के कम दावे करने के कारण हानियां तथा
* निधियों का अपर्याप्त अनुश्रवण एवं नियन्त्रण।

---

* एक फासफेट में उदारीकृत आयात नीति के कारण बाजार भाव में कमी के कारण कमी।

** निक्षेप पर ब्याज आय में कमी के कारण कमी।

@ पिछले वर्षों से संबंधित रु0.109.9 लाख के ह्रास सहित।

2ब.7 परियोजनाओं का निष्पादन

2 ब.7.1 लालापुर (इलाहाबाद) में सिलिका सैन्ड अभिशोधन परियोजना

अपनी संयुक्त क्षेत्रीय परियोजना यानि कान्टीनेन्टल फ्लोट ग्लास लिमिटेड (सी. एफ. जी.) नई दिल्ली को लम्बी अवधि हेतु सिलिका सैन्ड की आपूर्ति के अपने दायित्व को पूरा करने के लिये, कम्पनी ने लालापुर (इलाहाबाद) में एक सिलिका सैन्ड अभिशोधन संयन्त्र को स्थापित करने का निर्णय लिया (अप्रैल 1984)। कम्पनी ने 33.58 हेक्टेयर भूमि के खनन अधिकारों को प्राप्त किया (दिसम्बर 1986)। 1615 लाख रुपये की मूल लागत जैसा कि अगस्त 1990 में अनुमोदित थी बाद में समय व लागत में वृद्धि के कारण जनवरी 1996 मे 2300 लाख रुपये पुर्नरीक्षित की गई।

निदेशक मण्डल के निर्णय (मई 1990) के अनुसार उच्च श्रेणी के सिलिका सैन्ड हेतु परियोजना का निर्माण कार्य त्रिवेणी इंजीनियरिंग वर्क्स, नई दिल्ली को टर्न की आधार पर 717.77 लाख रुपये के कुल मूल्य (कर, रहित जिन्हे वास्तविक के आधार पर भुगतान होना था) पर सौंपा गया (सितम्बर 1990)। कार्य क्षेत्र में लालापुर (इलाहाबाद) में दलन तथा अभिशोधन अनुभाग सहित अभिशोधन संयंत्र का अभिकल्प, अभियन्त्रण, उपकरणों की आपूर्ति, सिविल तथा स्ट्रक्चरल कार्य, स्थापना, परीक्षण सम्मिलित था।

अनुवर्ती प्रस्तरों में, टर्न की संविदा तथा दूसरे कार्यों को सौंपने का क्रियान्वयन में देखी गई अनियमिततायें विवेचित हैं।

2 . ब.7.1.1 निविदाओं की स्वीकृति में बोली के मूल्यान्कन हेतु प्रणाली का अभाव

भिन्न शर्तों वाली बोलियों के उचित मूल्यांकन, जिससे कि उन्हें तुलनात्मक बनाया जा सके और उनका स्वतंत्र परीक्षण जिससे कि तकनीकी रुप से उपर्युक्त बोलीदाता को संविदा सौंपने में गलती की सम्भावनाओं को निरस्त किया जा सके, हेतु कम्पनी ने कोई प्रणाली निर्दिष्ट नहीं की थी।

उपरोक्त कार्य के तुलनापत्र की जांच (आंकलित बोली लार्सन एण्ड टुब्रो, कलकत्ता (एल एन्ड टी) की 968.82 लाख रुपये तथा टी. ई. डब्ल्यु. की 799.37 लाख रुपये) उनके तकनीकी विशिष्टियों तथा वाणिज्यिक शर्तों के सम्मुख (एल एण्ड टी की बोली मूल्य उपलब्ध नहीं कराए गए) ने प्रकट किया कि निम्न तथ्यों को दोनों बोली तुलनात्मक बनाने हेतु विचार नहीं किया गयाः

- टी. ई. डब्ल्यू. द्वारा बोली (नवम्बर 1989) पर 10 प्रतिशत की दर से यू. पी. एस. टी. (38.73 लाख रुपये) तथा अभिकल्प एवं अभियन्त्रण पर कार्य संविदा कर 4 प्रतिशत की दर से (2.19 लाख रुपये); हालाँकि क्रमशः 45.38 लाख रुपये एवं 2 लाख रुपये के ऐसे कर एल. एण्ड टी. के मामले में भारित किये गये ।

- एल. एण्ड टी. के प्रस्ताव में सम्मिलित पर टी. ई.डब्ल्यू. द्वारा असम्मिलित रैम्प की लागत (तकनीकी सलाहकार द्वारा आंकलित मूल्यः 94 लाख रुपये)।

- एल. एण्ड टी. के मामले में स्ट्रक्चरल स्टील भवन की तुलना में टी. ई. डब्ल्यू.के मामले में री. इन्फोर्सड सीमेन्ट कंक्रीट के भवन का लागत वैभिन्य।

- संस्थापन, संचालन तथा यंत्रकीय एवं विद्युतीय उपकरणों की आपूर्ति हेतु दो फर्मों के पर्याप्त अन्तर के मूल्य वृद्धि सूत्र का प्रभाव। एल. एन्ड टी.का सूत्र लाभप्रद था क्योंकि यह सभी मामलों में लाभांश रहित था जबकि टी.ई.डब्ल्यू. ने मूल्य वृद्धि लाभांश सहित कुल लागत दर पर दिया था।

प्रबंधन का कथन (सितम्बर 1996) की टी. ई. डब्ल्यू. का प्रस्ताव अपेक्षाकृत निम्न था क्योंकि दोनों बोलियों में पर्याप्त अन्तर था अधिक तर्क संगत नहीं प्रतीत होगा जब उपरोक्त वर्णित पहलुओं पर यथायोग्य विचार किया जाय। तथापि , चूंकि एल एन्ड टी की बोली मूल लेखा परीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया, यह निश्चित रुप से सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि कम्पनी द्वारा लिया निर्णय मितव्ययी तथा इसके सर्वोत्तम हित में था।

2 ब.7.1.2. टर्न की संविदा का क्रियान्वयन

(अ) अधिक भुगतान

कम्पनी ने निम्न विवरणानुसार मूल्य वृद्धि के कारण 6.71 लाख रुपये का अधिक भुगतान किया:

(i) टर्न की ठेकेदार के साथ अनुबन्ध के अनुसार 9000 रुपये प्रति टन के आधार मूल्य (अक्टूबर 1989) के ऊपर अधिप्राप्ति के दिवस पर स्ट्रक्चरल स्टील हेतु स्टील अथार्टी आफ इंडिया (एस. ए. आई. एल.) के गोदाम मूल्यों में अन्तर (विशिष्ट टुकडों के चैनल, एंगल तथा चेकर्ड प्लेटों की दरों का औसत निकालकर आंकलित) का भुगतान किया जाना था। तथापि टी. ई. डब्ल्यू.का गैल्वनाइज्ड नालीदार (जी. सी.) शीटस (1.88 लाख रुपये) के 3.557 टन तथा 17.190 टन के मूल्य परिवर्तन दावे (मई 1994) का भुगतान आधार मूल्यों से अधिक रु0 17625 तथा रु0 18157 प्रति टन की दर के बजाय तीनों मदों के वर्तमान प्रति टन औसत (रु0. 9776.67 तथा रु0. 11005) से किया गया (जुलाई 1994)। इस प्रकार भुगतान योग्य 0.37 लाख रुपये की धनराशि के विरुद्ध कम्पनी ने 1.88 लाख रुपये का भुगतान किया, परिणाम स्वरुप 1.51 लाख रुपये का अधिक भुगतान हुआ (3.557 टन पर 0.28 लाख रुपये तथा 17.190 टन पर 1.23 लाख रुपये)।

प्रबन्धन ने बताया (अप्रैल 1996 तथा सितम्बर 1996) की जी. सी. शीटों को चैनल व प्लेटों के वर्ग में नहीं रखा जा सकता है और इसका अलग मद के रुप में भुगतान उचित था। प्रबन्धन का कथन तर्क संगत नही था क्योंकि अनुबन्ध मदवार आधार पर मूल्य वृद्धि के भुगतान का प्राविधान नही करता था। इसके अतिरिक्त, प्रबन्धन के कथन के आधार पर भी, अधिक भुगतान, आधार तिथि पर विद्यमान रु0.15710 प्रति टन पर जी. सी. शीटों का मूल्य लेने पर, 1.39 लाख रुपये आंकलित होता है।

(ii) टी. ई. डब्ल्यू. ने रु0.763.32 प्रति टन की दर पर 18 मई 1992 तक अधिप्राप्त 40.240 टन स्टील (जी. सी.शीट सम्मिलित नहीं)तथा 19 मई एवं तदुपरान्त रु0.2183.75 प्रतिटन के मूल्य अन्तर पर 185.76 टन स्टील हेतु 4.85 लाख रुपये का दावा भी किया (फरवरी 1994) (मई 1994 में 4.26 लाख रुपये का भुगतान किया गया) पर 40.214 टन स्टील(185.76 टन में सम्मिलित) वास्तव में 18 मई 1992 से पहले अधिप्राप्त थी और इस मात्रा पर वृद्धि का भुगतान रु0.763.32 प्रति टन के बजाय रु0 2183.75 के मूल अन्तर पर भुगतान ने 0.57 लाख रुपये के अधिक भुगतान का परिणाम दिया।

प्रबन्धन ने बताया (सितम्बर 1996) कि धनराशि ठेकेदार के चालू बीजकों से काट ली जायेगी।

(iii) अनुबन्ध में, एस. ए. आई.एल. तथा उत्तर प्रदेश सीमेन्ट कार्पोरेशन (यू. पी. सी. सी.) के विक्रय मूल्य में अन्तर जो रु0.9000 तथा रु0.1400 प्रति टन क्रमशः स्टील व सीमेन्ट हेतु आधार मूल्यों पर अधिप्राप्ति की तिथि पर विद्यमान के भुगतान का प्राविधान था जो आबकारी शुल्क तथा करों सहित था। कम्पनी ने नवम्बर 1992 से जनवरी 1995 के दौरान ठेकेदार को आबकारी शुल्क तथा बिक्रीकर के पुर्नभुगतान के रुप में 3.77 लाख रुपये की एक धनराशि का अनियमित रुप से भुगतान किया।

इसके अतिरिक्त, जल प्रतिप्राप्ति सन्यंत्र के रेडियल थिकनर की आपूर्ति, एवं स्थापना हेतु फरवरी 1992 के पूरक परियोजना हेतु की ही शर्तों पर एक पूरक अनुबन्ध के अन्तर्गत, टी. ई.डब्ल्यू. को 4200 बोरी सीमेन्ट की आपूर्ति पर आबकारी शुल्क (0.54 लाख रुपये) तथा बिक्री कर (0.32 लाख रुपये) के रुप में 0.86 लाख रुपये का पुर्न भुगतान (नवम्बर 1993 तथा मई 1994) अनियमित रुप से अनुमन्य किया।

प्रबन्धन ने कहा (सितम्बर 1996) कि अनुबन्ध में अभिलेख प्रमाण की प्रस्तुति पर वास्तविक पर आबकारी शुल्क एवं बिक्रीकर के भुगतान हेतु प्राविधान था। उत्तर तर्क संगत नही था क्योंकि एस. ए. आई. एल. तथा यू. पी. सी. सी. की दरों में, आधार रुप में लेने पर आबकारी शुल्क तथा बिक्री कर के अंश सम्मिलित थे।

(ब) मूलभूत ढांचे प्रदत्त करने में असामान्य विलम्ब के कारण मूल्य वृद्धि

सितम्बर 1990 के टर्न की अनुबन्ध में अन्य बातों के साथ निवेशों को उपलब्ध कराने का प्राविधान था; जैसे कि (i) अक्टूबर 1990 के अन्दर तक निर्माण एवं पीने का पानी (ii) नवम्बर 1990 के अन्दर निर्माण हेतु विद्युत तथा (iii) जून 1991 के अन्दर तक स्वच्छ तथा चौरस स्थल सौंपना। इसके विरुद्ध, निर्माण एवं पेय उद्देश्यों हेतु अक्टूबर 1993 में 36 माह के बिलम्ब के बाद जल तथा निर्माण हेतु विद्युत मई 1992 में 18 माह के बिलम्ब के बाद जेनेरेटर के संस्थापन द्वारा उपलब्ध कराया गया।

आधार तिथि के गलत प्रयोग तथा अनुबन्ध के अन्तर्गत न आने वाले व्ययों के पुर्न भुगतान के कारण, कम्पनी ने 194.66 लाख रुपये के अनुमन्य विहीन मूल्य वृद्धि का भुगतान किया।

समिति, जिसने मूल्य वृद्धि के मामले को विचार किया, ने इंगित किया (मई 1995) कि "सामान्य प्रबन्धक जो इस परियोजना के क्रियान्वयन हेतु पूर्णतया उत्तरदायी था, ने समय से निवेश उपलब्ध कराने के लिये कोई गम्भीरता पूर्वक प्रयत्न नही किये जिसके परिणाम स्वरुप परियोजना में असामान्य विलम्ब हुआ।"

इस प्रकार, मूलभूत ढाँचीय सुविधाओं को उपलब्ध कराने में विलम्ब के कारण कम्पनी ने 211.96 लाख रुपये के कुल योग की मूल्य वृद्धि का ठेकेदार को भुगतान किया।

मूल ढाँचीय सुविधाओं को प्रदत्त करने में विलम्ब के कारण मूल्य वृद्धि (211.96 लाख रुपये) की जाँच ने निम्न स्पष्ट किया;

अनुबन्ध के अनुसार , यान्त्रिकीय एवं विद्युतीय उपकरण की आपूर्ति हेतु मूल्य वृद्धि की आधार तिथि (1 अक्टूबर 1989) से प्रारम्भिक अग्रिम प्राप्त होने तक (यानि, मई 1990) आंकलित होना था। इस प्रकार, मूल्य वृद्धि का भुगतान मई 1990 तक ही होना था । कम्पनी ने, तथापि, 15 नवम्बर 1992 (20 माह जो कि परियोजना की पूर्णता अवधि थी) तक का मूल्य वृद्धि का भुगतान किया। इसके परिणाम स्वरुप 124.10 लाख रुपये का अनुमन्यता विहीन भुगतान हुआ।

प्रबन्धन ने कहा (सितम्बर 1996) कि मूल्य वृद्धि का अनुबन्ध के आपदा धारा के अन्तर्गत भुगतान किया गया था। उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि निवेश प्रदत्त करने में विलम्ब संस्थापन तथा संचालन लागतों में वृद्धि कर सकता था पर आपूर्ति की लागत में नही।

मूल्य वृद्धि जैसा कि मूल्य वृद्धि सूत्र में प्राविधान था के अतिरिक्त उपरिशीर्ष व्यय के पुर्नभुगतान को अनुबन्ध निर्दिष्ट नहीं करता था। तथापि, कम्पनी ने ठेकेदार को 70.56 लाख रुपये की सीमा तक उपरिशीर्ष व्यय का पुर्नभुगतान किया जो अनुबन्ध के अन्तर्गत अनुमन्य नहीं था।

प्रबन्धन ने बताया (सितम्बर 1996) कि चूंकि कार्य की समाप्ति में 20 माह की निर्दिष्ट अवधि (जैसाकि अनुबन्ध में प्राविधान था) से पर्याप्त मात्रा में विलम्ब हो गया था,उपरिशीर्ष का भुगतान न्यायोचित था। प्रबन्धन का उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि अनुबन्ध में ऐसे भुगतानों हेतु कोई प्राविधान नहीं था।

(स) अतिरिक्त अनुबन्धीय भुगतान

अनुबन्ध में यह प्राविधान था कि अनुबन्ध मूल्य (716.77 लाख रुपये) का 10 प्रतिशत (71.68 लाख रुपये) अनुबन्ध की तिथि के 15 दिवस के अन्दर ब्याज मुक्त अग्रिम के रूप में, प्रगतिवार 80 प्रतिशत जैसाकि दोनों पक्षों की सहमति बीजक सूची के अनुसार, 5 प्रतिशत "भार विहीन" परीक्षण पर जब सन्यन्त्र संचालन हेतु तैयार हो जाय तथा पाँच प्रतिशत कार्य दक्षता परीक्षण के सफलता पूर्वक समाप्ति पर बैंक गारंटी या प्रतिभूति गारंटी वारंटी/गारंटी की ओर देय था।

यद्यपि अनुबन्ध में "भार विहीन" परीक्षण के उपरान्त 38.85 लाख रुपये के रोक धन की अवमुक्ति निर्दिष्ट थी, कम्पनी ने इसे बिना ऐसा कोई परीक्षण कराए अवमुक्त कर दिया।

यद्यपि "भार विहीन" परीक्षण नहीं कराया गया (सितम्बर 1996) तथा सन्यन्त्र भी मात्र 85 प्रतिशत पूर्ण था, कम्पनी ने नवम्बर 1994 में 5 प्रतिशत भुगतान (38.85 लाख रुपये) अवमुक्त कर दिये जो कि "भार विहीन" परीक्षण जब सन्यन्त्र संचालन हेतु तैयार हो, के पश्चात ही अवमुक्त करना चाहिये था। "भार विहीन" परीक्षण सितम्बर 1996 तक नही कराया गया था।

प्रबन्धन ने बताया (मार्च 1996) की विभिन्न कारणों से परियोजना में 2 वर्ष से भी अधिक विलम्ब हो जाने के कारण टी. ई. डब्ल्यू. की वित्तीय स्थित खराब हो गई थी जो कार्य की प्रोन्नति पर खराब प्रभाव डाल रही थी। उत्तर तर्क संगत नहीं था क्योंकि भुगतान अनुबन्ध की शर्तानुसार नहीं था।

(द) रीइन्फोर्सड् सीमेन्ट कंक्रीट (आर. सी. सी.) अनुमन्यता विहीन भुगतान

चालू बीजकों की तैयारी के सीमित उद्देश्य हेतु अनुबन्धानुसार, कार्य को सौंपने के पश्चात टी. ई. डब्ल्यू. द्वारा कार्य के विभिन्न अवयवों के मूल्य तथा मात्रा के विघटन-विवरण सूचित किये गये थे। हेपवर्थ मिनरल्स तथा कैमिकल्स (एच एम सी) लिमिटेड, इंग्लैण्ड (तकनीकी सलाहकार) द्वारा अभिशोधन संयन्त्र के विभिन्न अवयवों के अभिकल्प में परिवर्तन के कारण, आर सी सी सुदृढ़ीकारक इस्पात, चद्दरें, इत्यादि की मात्रा बढ़ गई। टी ई डब्ल्यू ने अतिरिक्त कार्यों हेतु 70.65 लाख रुपये का एक दावा प्रस्तुत (अप्रैल 1994) किया। दावा एच एम सी द्वारा गलत पाया गया (अक्टूबर 1994)। एच एम सी ने बताया कि सुदृढ़ीकारक की दरों में इतनी बड़ी मात्रा में वृद्धि को तभी समझा जा सकता है कि टी ई डब्ल्यू ने मात्राओ के अपने मूल अनुमान में गल्तियां की हो। ऐसा नहीं था की अपेक्षाकृत अधिक सुदृढ़ीकारक आर सी सी बचाने के लिए प्रयुक्त किया गया था क्योंकि आर सी सी की मात्रा भी उस वृद्धि से जो भवन आकार के परिवर्तन के कारण हुई होती से अपेक्षाकृत अधिक थी। अंत में, कम्पनी की समिति एच एम सी तथा टी ई

डब्ल्यू से परामर्श के पश्चात 55.01 लाख रुपये के भुगतान हेतु सहमत हुई (जनवरी 1995)।

तथापि, आर सी सी कार्य हेतु, यद्यपि एच एम सी ने बताया था कि आर सी सी की मात्रा अभिकल्प में परिवर्तन द्वारा अपेक्षित वृद्धि की तुलना में अपेक्षाकृत कहीं अधिक थी, न तो कम्पनी, न ही एच एम सी द्वारा यह विश्लेषण किया गया। लेखा परीक्षण में एक विश्लेषण ने स्पष्ट किया कि ठेकेदार द्वारा सूचित आर सी सी की मूल मात्रा जिसे अनुबन्ध मूल्य के अन्तर्गत करना था, अपेक्षाकृत पर्याप्त निम्नतर था। जिसके परिणामस्वरुप, आर सी सी का अतिरिक्त मात्रा जितनी होनी थी कि तुलना में अपेक्षाकृत कही अधिक थी। इससे आर सी सी के 348.27 घन मीटर पर 7.66 लाख रुपये के अनुमन्यता विहीन भुगतान (2200 रुपये प्रति घन मीटर की दर से) हुआ जिसे ठेकेदार द्वारा मूल्य कार्य के दायरे के अन्तर्गत किया जाना चाहिए था।

(ई) ढाल (रैम्प) के निर्माण में प्रयुक्त अपेक्षाकृत अधिक भारी सामग्री हेतु अतिरिक्त भुगतान

अधिभार सामग्री तथा सिलिका सैन्ड (1:4 का अनुपात) की खुदाई तथा उठाने हेतु अनुबन्ध आयरन कंस्ट्रक्शन कार्पोरेशन, धनबाद के साथ 46.51 रुपये प्रति टन तथा आधिक्य अधिभार हेतु 40 रुपये प्रति टन की दर (1 किलोमीटर की लीड के साथ) पर निष्पादित किया (अगस्त 1995)। उसी ठेकेदार को अधिभार की खुदाई तथा रैम्प तक ढोने के कार्य हेतु 40 रुपये प्रति टन के समायोजित दर पर सौंपा (जून 1995) गया।

हटाये गये तथा रैम्प तक ढोये गये अधिभार की मात्रा के तथा रैम्प के संयुक्त मापों के अनुसार मात्रा के विश्लेषण ने प्रकट किया कि अधिभार के 0.87 टन की अपेछित मात्रा के विरुद्ध भुगतान की गयी वास्तविक मात्रा 1.01 टन थी। इसके परिणाम स्वरुप, 1.47 परिवर्तन गुणक* तथा 25 प्रतिशत सघनीकरण के आधार पर, 5.16 लाख रुपये मूल्य के 0.14 टन अधिभार का अतिरिक्त भुगतान हुआ।

प्रबन्धन ने बताया (अक्टूबर 1996) की ढलान के अक्टूबर 1996 के संयुक्त मापों पर आधारित, 2.2 के संयुक्त परिवर्तन गुणक के आधार पर, अधिभार की आवश्यकता 1.12 लाख टन आंकलित होती है। प्रबंधन का उत्तर सत्य नहीं था क्योंकि परिवर्तन गुणक 1.8375 मात्र ही आंकलित होता है (यानि 1.47 घन मीटर धन उस पर दाब हेतु 25 प्रतिशत) जैसाकि सार्वजनिक निर्माण विभाग की दर सूची मे उल्लिखित है।

---

* 1 घन मीटर = 1.47 टन

(फ) विद्युत संयोजन हेतु मूल्य वृद्धि का अनुमन्यता विहीन भुगतान

दिसम्बर 1988 में कम्पनी से एक प्रार्थना पत्र पर, परियोजना हेतु उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद ने 2.5 एम. वी. ए. का एक संयोजन स्वीकृत (जनवरी 1991) किया। हाई टेंशन लाइन की लागत 40.21 लाख रुपये की तथा 7.50 लाख रुपये प्रतिभूति प्रभारों के लिए, के परिषद द्वारा तैयार अनुमान के अनुसार, कम्पनी ने अक्टूबर 1991 में अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड(ई. डी. डी.) प्रथम, इलाहाबाद को 47.71 लाख रुपये का भुगतान कर दिया तथा उस हेतु एक अनुबन्ध का निष्पादन (अप्रैल 1992) किया। इस तथ्य को परे रखते हुए कि अनुबन्ध मूल्य वृद्धि हेतु निर्दिष्ट नहीं करता था, परिषद ने निर्माण लागत में मूल्य वृद्धि के कारण 16.30 लाख रुपये की एक अतिरिक्त धनराशि की मांग की (मार्च 1994)। धनराशि का इस आधार पर कि माँगी गई मूल्य वृद्धि को स्वीकार करने के अतिरिक्त कोई अन्य उपाय न था, भुगतान कर दिया गया।

परिषद के उच्च अधिकारियों से मामले को उठाये बिना, विशेषतया जब अनुबन्ध में ऐसा कोई प्राविधान नही था, मूल्य वृद्धि हेतु परिषद की मांग से सहमत होने के कारण अभिलेख में न थे।

प्रबन्धन ने बताया (सितम्बर 1996) कि चूंकि उनका मुख्य ध्येय संचालन में अतिरिक्त विलम्ब को बचाने के लिये तुरन्त विद्युत था उनको अपने तमाम विरोधों के बावजूद भी यू. पी. एस. ई. बी. को भुगतान करने के लिये बाध्य होना पड़ा। अधिक भुगतान (16.39 लाख रुपये) की वापसी तथा स्टील ट्यूबलर पोल एवं पी. सी. सी. पोल के मूल्यों में अन्तर का मामला यू. पी. एस. ई. बी. से उद्योग बन्धु के द्वारा दिखवाया जा रहा था तथा यू. पी. एस. ई. बी. ने सूचित किया (जुलाई 1996) था कि यह मामले की जाँच करेगी।

2 ब .8 परित्यक्त परियोजनाएं

2 ब.8.1 गिट्टी खनन परियोजना

अनैतिक निजी ठेकेदारों को समाप्त करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने दिसम्बर 1984 में निर्णय किया कि जहाँ तक सम्भव हो, सार्वजनिक निर्माण विभाग तथा अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा पत्थर, गिट्टी, रोड़ी तथा ढोको का क्रय कम्पनी से किया जाना चाहिए। मण्डल ने, इसलिये वांछित सामग्री को उपलब्ध कराने के लिए कुछ परिचालनों को स्थापित करने हेतु एक प्रस्ताव का अनुमोदन किया (जुलाई 1985)। कम्पनी द्वारा उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु मोंठ तथा कर्वी में तीन परियोजनाएं स्थापित की गई जिन्हें बाद में त्यागना पड़ा जैसा कि अनुवर्ती प्रस्तरों में विवेचित है।

कम्पनी को बिना पूर्व तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन के तीन गिट्टी खनन परियोजनाओं को जिनका बाद में परित्याग करना पड़ा, लेने से 113.19 लाख रुपये की हानि वहन करनी पड़ी ।

---

2 ब.8.1.1 मोठ परियोजना

मोंठ में उपलब्ध खनिज निक्षेपों के संम्भाव्य को सुनिश्चित करने के लिये, उद्योग निदेशक कानपुर द्वारा 1.40 लाख रुपये का एक अनुदान (1985-87) अवमुक्त किया गया था। तथापि, कम्पनी के बिना किसी ऐसे अध्ययन के, 10 वर्षों (समाप्ति तिथि जनवरी 1998) हेतु पट्टे पर दो खनन अधिकार राज्य सरकार से 500 रुपये प्रति एकड़(अगस्त 1989 से बढ़कर रु0.1000) के वार्षिक पट्टे पर दसना (29.50 एकड़) तथा लारौरा(33 एकड़) में प्राप्त किये।

(अ) दसना की शैल खण्ड (ग्रेनाइट ब्लाक) परियोजना

दसना में ग्रेनाइट स्लैब तथा टाइल्स के खनन हेतु परियोजना प्रारम्भ न की जा सकी क्योंकि कम्पनी के खनन विशेषज्ञों द्वारा अप्रैल तथा मई 1993 में किये अध्ययन ने कुछ कमियों को प्रकट किया जैसे कि : ग्रेनाइट ब्लाकों के रंग, दाना आकारों तथा बनावट में एकरुपता का अभाव, अलाभप्रद सम्पत्तियों से मुक्त अपेक्षाकृत बड़े आकारों के ग्रेनाइट ब्लाकों के खनन की असम्भवता, तथा उत्पाद के मांग की कमी जो कि काटने तथा पालिश करने के बाद भी, काले धब्बों की गहनता तथा क्वार्ट्ज धारियों की उपस्थिति के कारण अनाकर्षक था।

परियोजना के प्रबन्धक (खनन) ने पट्टा शुल्क के भुगतान को बचाने के लिये पट्टे को समर्पण हेतु संस्तुति की (मई 1993), लेकिन कम्पनी ने मार्च 1996 तक खनन अधिकारों को समर्पित नहीं किया था। कम्पनी ने, खनन होने वाले उत्पाद की गुणवत्ता की जाँच के बिना खनन अधिकार प्राप्त करने के लिए, जिसके परिणाम स्वरुप 2.04 लाख रुपये के पट्टा शुल्क, (मार्च 1996 तक) का निरर्थक भुगतान हुआ, किसी उत्तरदायित्व का निर्धारण भी नहीं किया।

(ब) लारौरा में पत्थर गिट्टी एवं रोड़ा परियोजना

फरवरी 1988 में खनन अधिकार प्राप्त करने के पश्चात्, कम्पनी ने दूसरी परियोजनाओं पर उपलब्ध सन्यन्त्र तथा मशीनों के संस्थापन द्वारा गिट्टी तथा रोड़े के 42000 घनमीटर प्रतिवर्ष के उत्पादन हेतु एक मार्गदर्शी परियोजना से प्रारम्भ करने का निर्णय लिया (जून 1991)। खनन अधिकारों को प्राप्त करने से भी पहले, कम्पनी जून/जुलाई 1987 से कार्यदल (9 सदस्य) लगाया जिसने बिना किसी कार्य के वेतन तथा भत्ते आहरित करना जारी रखा। कम्पनी ने जनवरी 1993 तक 65.57 लाख रुपये का कुल क्रय (पूंजीगत: 17.89 लाख रुपये तथा राजस्व : 46.43 लाख रुपये) परन्तु गिट्टी का उत्पादन अत्याधिक खराब था तथा कम्पनी मात्र 1.82 लाख रुपये की धनराशि का ही विक्रय सम्पन्न कर सकी। परियोजना अप्रैल 1994 से बन्द है।

प्रबन्धन ने बताया (सितम्बर 1996) कि वे न्युक्ति अधिक श्रमिकों के दल से पूर्ववर्ती कार्य करने हेतु नियुक्त किये गये थे तथा कोई अतिरिक्त व्यय नहीं हुआ। उत्तर तर्क संगत न था क्योंकि बिना किसी कार्य के फालतू कर्मियों की नियुक्ति हेतु कोई औचित्य न था।

2 ब.8.1.2 लुधवारा, कर्वी, बांदा में शैल पत्थर रोड़ा (ग्रेनाइट स्टोन बैलास्ट) खनन परियोजना में निष्फल निवेश

अक्टूबर 1985 में, कम्पनी ने राज्य सरकार से 0.15 लाख रुपये के वार्षिक पट्टा शुल्क पर 5 वर्षों हेतु (18 अक्टूबर 1990 तक) ग्रेनाइट स्टोन बैलास्ट के खनन हेतु 29.27 एकड़ का एक पट्टा प्राप्त किया। खनन कार्य जनवरी 1986 से प्रारम्भ हुआ जो मात्र एक वर्ष तक जारी रहा। इस सीमित कार्यवाही के दौरान, कम्पनी ने 0.56 लाख रुपये मूल्य के मात्र 3300 टन रोड़े का खनन किया।

कम्पनी वर्ष 1991-92 के राजस्व लेखे में 2.54 लाख रुपये के खर्चे डालने के अलावा 43.04 लाख रुपये का समस्त पूंजीगत व्यय (1990-91 तक का) 1991-92 के दौरान बट्टे खाते में डाल चुकी है। इस प्रकार, परियोजना पर हुआ 45.58 लाख रुपये का कुल व्यय निष्फल सिद्ध हुआ।

3300 टन रोड़े के विक्रय हेतु निविदा के विरुद्ध, कम्पनी ने क्रमशः 0.98 लाख रुपये 0.90 लाख रुपये तथा 0.50 लाख रुपये के प्रस्ताव प्राप्त किये (अगस्त 1990), लेकिन कम्पनी का मुख्यालय पट्टे की वैध अवधि के अन्दर मामले को अन्तिम रुप देने में असमर्थ रहा। चूंकि खनित उत्पाद, पट्टा अवधि की समाप्ति के बाद विक्रय नहीं किया जा सकता था, जिलाधीश बाँदा ने इसका बाद में विक्रय अनुमन्य नहीं किया। परियोजना अक्टूबर 1990 से बन्द थी। तथापि, कम्पनी ने 1.20 लाख रुपये का व्यय (अगस्त 1990 से मई 1991) खनित बैलास्ट की सुरक्षा हेतु व्यय किये, वो भी विक्रय हेतु आज्ञा के अस्वीकृति के कारण निरर्थक ही सिद्ध हुआ। 1993-94 में पत्थर, गिट्टी का मूल्य 0.56 लाख रुपये बट्टे खाते में डाल दिया गया।

लेखा परीक्षा द्वारा मांगे गये (सितम्बर 1995) केन्द्रीय जाँच ब्यूरो द्वारा वित्तीय अनियमितताओं की जांच सम्बन्धी फाइल व अन्य अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये। पुनः, खनन अभियन्ता, कर्वी के एक प्रतिवेदन (जनवरी 1990) के अनुसार शासन द्वारा सम्पूर्ण क्षेत्र पर खनन अधिकार (सम्बद्ध खनन पट्टे निजी पार्टियों को दे दिये गये) देने के बजाय उत्तर के टीले का आंशिक पट्टा दिया गया। इस पट्टे में अधिकतर मिट्टी व मोटी बालू ही पाया गया। लुढ़वारा गांव खनन पट्टा क्षेत्र की तली में उत्तर पूर्व में स्थित था। इससे बारुद द्वारा खुदाई मे व्यवधान था और बगैर बारुद से उड़ाये इतना कड़ा व पथरीले हिस्से का खनन सम्भव नहीं था। पट्टे के भाग में रोड़े की मात्रा कम थी और पहुंच मार्ग के निर्माण में होने वाली लागत को देखते हुए कार्य को करना लाभकारी नहीं था।

इस प्रकार, परियोजना की तकनीकी आर्थिक सम्भाव्यता प्रतिवेदन न बनाने की वजह से, कम्पनी को 45.58 लाख रुपये की हानि वहन करनी पड़ी, जिसे बगैर उत्तरदायित्व निश्चित किये,

1990-91 में बट्टे खाते में डाल दिया गया।

प्रबन्धकों ने प्रबन्धीय अव्यवस्था स्वीकार करते हुए बताया (सितम्बर 1996) कि यदि शाखा प्रभारी ने उचित प्रबन्ध तथा कुशलता से कार्य किया होता तो यह व्यवसाय लाभकारी हो सकता था।

2 ब.9 गौड़ खनिजों में व्यापार

अपने उपरोक्त परियोजनाओं से खनिजों के खनन के अतिरिक्त, कम्पनी पट्टे/अनुज्ञापत्र पर सरकार से इसके द्वारा प्राप्त घाटों से गौड़ खनिजों (गिट्टी तथा ढोकों सहित पत्थर, रोड़े, बालू, मौरंग) में भी व्यापार कर रही थी। 1990-91 से 1994-95 तक, इसने सिंचाई विभाग को 1656.79 लाख रुपये मूल्य के 3.79 लाख घनमीटर पत्थर, गिट्टी ढोके तथा रोड़े का एवं 504.37 लाख रुपये मूल्य के 24.55 लाख घन मीटर दूसरी सामग्री (मुख्यतया बालू और मौरग) मुख्यतया थोक निजी ठेकेदारों को बेचा।

2 ब.9.1 मौरंग तथा बालू में व्यापार

1994-95 तक के 5 वर्षों के दौरान, कम्पनी के पास 15 घाटों के खनन अधिकार 1 माह से 10 वर्ष की पट्टा अवधि हेतु थे। लेखा परीक्षा जाँच ने प्रकट किया कि 4 घाटों के अतिरिक्त, जहां इसने 54.28 लाख रुपये का लाभ अर्जित किया, इसने 11 घाटों पर 0.03 लाख रुपये से 34.41 लाख रुपये तक (कुल हानिः 122.96 लाख रुपये) की हानियां वहन कीं। लेखा परीक्षा में नमूना जाँच किये गये कुल घाटों के व्यापारिक क्रियाकलाप, नीचे विवेचित हैं।

(अ) जाजमऊ तथा भगवतदास घाटों में हानियाँ

जाजमऊ तथा भगवतदास घाटों हेतु 1.86 लाख रुपये तथा 1.11 लाख रुपये के वार्षिक पट्टा शुल्क पर दस वर्षों की अवधि हेतु फरवरी 1987 में बालू के खनन के अधिकार प्राप्त किये गये थे। 1993-94 तक के 7 वर्षों की अवधि के दौरान, कम्पनी ने 1.68 लाख घनमीटर बालू खोदी तथा बेची (जाजमऊ : 1.55 लाख घन मीटर 1987-94 के दौरान तथा भगवत दास : 0.12 लाख घनमीटर 1987-93 के दौरान) तथा 9.19 लाख की कुल हानि सही (जाजमऊः 1.55 लाख रुपये तथा भगवत दास घाटः 7.61 लाख रुपये)। यद्यपि कम्पनी जाजमऊ घाट (1990-91 से) तथा भगवत दास घाट (1988-89 से) निरन्तर हानियाँ वहन कर रही थी, फिर भी इसने इन घाटों के खनन अधिकारों के त्यागने हेतु क्रमशः मार्च 1994 तथा दिसम्बर 1993 तक आवेदन नहीं दिया था।

(ब) ओहती घाट, फतेहपुर में हानि

चार हिस्सों में भुगतान योग्य 10 लाख रुपये की रोयेल्टी पर जिसका समय से भुगतान किया गया, अप्रैल 1990 से मार्च 91 तक ओहती घाट (576.08 एकड़) बालू तथा मौरंग के खनन हेतु कम्पनी ने

अधिकार प्राप्त किया (मार्च 1990)। खनन अधिकारों को प्राप्त करने से पूर्व सम्भवतः प्रतिवेदन, जैसा कि कम्पनी के लिखित प्रक्रियाओं (दिसम्बर 1992) के अन्तर्गत वांछित था, तैयार नहीं किया गया। खनन तथा विक्रय कानपुर के एक ठेकेदार को पट्टे की समस्त अवधि हेतु 9.80 रुपये प्रति घनमीटर की दर पर 12.25 लाख रुपये मूल्य के 1.25 लाख घन मीटर की न्यूनतम मात्रा के विक्रय हेतु सौंप दिया गया (अप्रैल 1990)। ठेकेदार को प्रतिमाह 1.36 लाख रुपये की धनराशि प्रेषित करनी थी। ठेकेदार ने मात्र 23 अप्रैल से 20 जून 1990 तक कार्य किया तथा 1.23 लाख रुपये मूल्य की 126.95 घनमीटर की मात्रा क्रय की, यद्यपि उसने देय 2 किस्तें जमा कर दी (मई 1990 तक 2.71 लाख रुपये)। तत्पश्चात मानसून प्रारम्भ हो गया जिससे घाट 21 जून 1990 से 30 सितम्बर 1990 तक बन्द रहा। तदोपरान्त कम्पनी ने न तो विभागीय और न ही विद्यमान ठेकेदार के जरिये और न ही पट्टे की बची अवधि हेतु दूसरा ठेकेदार नियुक्त करके कार्य कराया जिससे कम्पनी ने 7.07 लाख रुपये की (0.28 लाख रुपये उपरिशीर्ष सहित) हानि सही।

प्रबन्धन का उत्तर (अप्रैल 1996) कि अप्रैल 1990 में नियुक्त ठेकेदार मानसून पश्चात आगे का कार्य करने नहीं आया तर्कसंगत नही था क्योंकि उसने कम्पनी को एक अनुबन्ध निष्पादित करने का एक निवेदन (सितम्बर 1990) दिया था तथा पहले ही देय किश्ते जमा कर दी थीं।

(स) गोला नदी, क्षेत्र संख्या 2, नैनीताल के मोहल्ले में अनुमन्य विहीन भुगतान

32.39 लाख रुपये की रायल्टी पर दिसम्बर 1992 से जून 1993 तक बालू तथा ठोकों के खनन हेतु कम्पनी को पट्टे की स्वीकृति (नवम्बर 1992) दी गई। पट्टा उत्तर प्रदेश कार्बाइड एन्ड केमीकल्स लिमिटेड (यू. पी. सी. सी. एल.) को जून 1993 तक की शेष अवधि हेतु 8.46 लाख रुपये की रायल्टी पर स्थानान्तरित कर दिया गया। कम्पनी ने सरकार के 21 सितम्बर 1992 के अनुपालन में नदी तट के कटाव को रोकने हेतु वन विभाग को 10 प्रतिशत रायल्टी का भी भुगतान किया, इसके अतिरिक्त जिलाधीश को 5 प्रतिशत का तथा अवैध खनन की रोक हेतु कार्यालय तथा अन्य व्ययों हेतु वन विभाग को 2 प्रतिशत का भी भुगतान किया। तदनुसार, मार्च 1993 में वन विभाग को 4.86 लाख रुपये तथा जिलाधीश को 0.65 लाख रुपये का भुगतान किया गया । चूंकि उत्तर प्रदेश गौड़ खनिज (छूट) नियम 1963 ऐसे भुगतानों को आच्छादित नहीं करते थे, सरकार ने मई 1993 में आदेश वापस ले लिये। कम्पनी ने यद्यपि संबंधित भुगतान प्राप्त करने वालों से 5.51 लाख रुपये के पुर्नभुगतान हेतु जून 1993 में निवेदन किया, पर मामले में तत्पश्चात प्रयत्न नहीं किये (सितम्बर 1996)।

इसके अतिरिक्त, मई 1993 की राजाज्ञा के बावजूद, क्षेत्र संख्या 5, गोला नदी नैनीताल के लिए कम्पनी ने 1.00 लाख रुपये का भुगतान किया। जिस हेतु अक्टूबर 1993 से जून 1994 तक का पट्टा सितम्बर 1994 में स्वीकृत किया गया था, कम्पनी ने सितम्बर 1996 तक उसके पुर्नभुगतान हेतु आवेदन नहीं किया था।

(द) स्टैंप ड्यूटी का परिहार्य भुगतान

गौड़ वन उत्पादों को एकत्र करने तथा ले जाने के लिये, कम्पनी ने 2 खनन अधिकार (हरिद्वार दिसम्बर 1993 से सितम्बर 1994 तक) दिसम्बर 1993 में तथा (गोला नदी दिसम्बर 1992 से जून 1993) अप्रैल 1994 में प्राप्त किये।

जुलाई 1993 में कम्पनी के विधि सलाहकार ने पहले ही राय दी थी कि गौड़ वन उत्पादों को एकत्र करने तथा ले जाने का अधिकार के संबन्ध में अनुबन्ध पट्टा नहीं था। इसलिये भारतीय स्टैम्प एक्ट के 1-ब सूची के मद संख्या 5(स) के अन्तर्गत 100 रुपये की दरों के अतिरिक्त स्टैंम्प ड्यूटी अपेक्षाकृत उच्च दर पर भुगतान योग्न न थी। तथापि कम्पनी ने,उसकी विधिक सलाह की परवाह न की तथा 10.39 लाख रुपये(दिसम्बर 1993: गोला नदी हेतु 6.34 लाख रुपये तथा मई 1994: हरिद्वार घाट हेतु 4.05 लाख रुपये) का भुगतान किया। इसने 10.39 लाख रुपये के परिहार्य भुगतान में परिणाम दिया।

मई/जून 1995 में राज्य सरकार से एक स्पष्टीकरण पर कि भुगतान योग्य स्टैम्प ड्यूटी की दर मात्र 100 रुपये थी, कम्पनी ने उसके पुर्नभुगतान हेतु आवेदन (अक्टूबर 1995, जनवरी तथा जुलाई 1996) दिया जो सितम्बर 1996 तक प्रतीक्षित था।

2 ब.10. फ्लोट ग्लास परियोजना में अनुत्पादकारी निवेश

राज्य के बुन्देलखण्ड क्षेत्र के औद्योगिक विकास त्वरित करने के उद्देश्य से तथा क्षेत्र की जनसंख्या को प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रोजगार देने के लिये, भारत सरकार ने एक फ्लोट ग्लास परियोजना स्थापित करने हेतु एक इच्छा पत्र (अक्टूबर 1993) निर्गत किया। कम्पनी ने बड़ागढ़, बाँदा में संयुक्त क्षेत्र में फ्लोट ग्लास परियोजना स्थापित करने हेतु गल्फ डेवलपमेंट मैरीन सर्विसेज, यूनाईटेड अरब अमीरात तथा बहरीन के अहमद नास के साथ एक अनुबन्ध (अप्रैल 1984) किया। फ्लोट ग्लास के 25 मिलियन वर्गमीटर की वार्षिक उत्पादन क्षमता वाली परियोजना की लागत 120 करोड़ रुपये अनुमानित थी।

एक संयुक्त क्षेत्रीय फ्लोट ग्लास परियोजना में 28.19 करोड रुपये कर निवेश अनुत्पादक रहा क्योंकि कम्पनी लागत वृद्धि के मामले में निवेश का उचित प्रबनध सुनिश्चित करने में असफल रही।

30 करोड़ के कुल सम्पत्ति की आवश्यकता, कम्पनी, सह-प्रोन्नतकर्ताओं की तथा जनता द्वारा 26.25 तथा 49 प्रतिशत की सम्पत्ति भागीदारी के द्वारा पूरा करने पर सहमति हुई। कम्पनी ने, यद्यपि अनुबन्ध में कोई धारा अनुपात के संबंध में जिसमें परियोजना लागत में वृद्धि के मामले में अतिरिक्त निधि का प्रबन्ध होना था, नहीं सम्मिलित की। अप्रैल 1985 में, एक संयुक्त क्षेत्रीय कम्पनी कांटीनेन्टल पलोट ग्लास लिमिटेड (सी. एफ. जी. एल.) के रुप मे गठित हुई । अनुबन्ध की धाराओं तथा शर्तों के अनुसार, नई कम्पनी का प्रबन्ध सहप्रोन्नत कर्ता में निहित था। तथापि, सार्वजनिक निर्गत के न आने के कारण, सी. एफ. जी. एल. आज तक (मार्च 1996) कम्पनी के उपकम्पनी के रुप में ही रही।

वित्तीय संस्थाएं, जो परियोजना का विश्लेषण कर रही थी, ने परियोजन लागत 442.16 करोड़ रुपये पर पुनः आँकी। उन्होंने माँग की कि प्रोन्नतकर्ता का सम्पत्ति में योगदान (17.02 करोड़ रुपये) 97.92 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जाय। तथापि, खाड़ी के प्रोन्नतकर्ता, अतिरिक्त निधि निवेश करने को सहमत न हुए। इस लिये सी. ए. जी. एल.का प्रबन्ध खाड़ी के प्रोन्नतकर्ताओं से वापस ले लिया गया (अक्टूबर 1992) तथा कम्पनी के प्रबन्ध निदेशक द्वारा अध्यक्षित एक नई गठित समिति को सौंप दिया गया। कम्पनी के निदेशक मण्डल ने एक समिति, परियोजना की बढ़ी लागत को पूरा करने के लिये अतिरिक्त निधि प्राप्त करने के लिये नये सह प्रोन्नतकर्ता के चयन हेतु, गठित की (जनवरी 1993)।

राज्य सरकार तथा वित्तीय संस्थाओं से लम्बे वार्तालाप के पश्चात हरियाणा शीट ग्लास लिमिटेड,(एच. एस. जी. एल.) का चयन सह प्रोन्नत कर्ता के रुप में हुआ(जून 1995)। दिसम्बर 1995 में एक नया प्रोन्नतकर्ता अनुबन्ध हस्ताक्षर हुआ जिसके अनुसार एच. एस. जी. एल. को 32.38 करोड़ रुपये पूंजी के रुप में लाना था। परियोजना का क्रियान्वयन जो जून 1992 में निधि की कमी के कारण निलम्बित हुआ था, अभी तक प्रारम्भ नहीं किया जा सका था (सितम्बर 1996)।

इस प्रकार कम्पनी का सी. ए. जी. एल. की अंश पूंजी में 28.19 करोड़ रुपये (मार्च 1995 तक) का निवेश, अनुत्पादक रहा (सितम्बर 1996)। उपरोक्त हेतु मुख्य कारण, जैसा कि लेखा परीक्षा में विश्लेषित किया गया, कार्य लेने से पूर्व, लागत वृद्धि के मामले में निधियों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिशचित करने में कम्पनी की असफलता रही।

प्रबन्धन ने बताया (सितम्बर 1996) कि परियोजना के क्रियान्वयन में विलम्ब कम्पनी के नियंत्रण के परे विभिन्न कारणों के कारण थी।

तथापि प्रबन्धन ने, प्रोन्नतकर्ता अनुबन्ध में किसी जिससे निर्णय किया जा सके कि किस प्रकार लागत वृद्धि का सामना किया जाएगा धारा या शर्त के सम्मिलित न करने पर कोई टिप्पणी नहीं की।

2 ब.11. अन्य रोचक विषय

जमा लेखों में निधि की पर्याप्त निरुद्धता

क्षेत्रीय इकाईयों से मुख्यालय के मुख्य लेखे में निधि के समय से स्थानान्तरण में विलम्ब के कारण, कम्पनी ने 8.30 लाख रुपये के ब्याज की हानि को वहन किया ।

सितम्बर 1987 में कम्पनी द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुसार, संचालन इकाईयों से बैंकों में भुगतान तथा जमा के अलग लेखे रखना अपेछित था। भुगतान करने के सीमित उद्देश्य हेतु भुगतान लेखे का संचालन होना था जबकि जमा लेखों में, खनिजों के विक्रय के कारण ग्राहकों से प्राप्त चेकों व ड्राफ्टों को जमा करना था। 5000 रुपये के अधिकतम अवशेष को छोड़कर सप्ताहवार आधार पर बैंक ड्राप्ट के द्वारा जमा लेखे से मुख्य लेखे मे जमा लेखे से अवशेषों को स्थानान्तरित करना था ।

लेखा परीक्षा में यह देखा गया कि ललितपुर तथा मंसूरी में पंजाब नेशनल बैंक की शाखाओं ने धनराशि नियमित रुप से प्रेषित नहीं की तथा 1990-91 से 1995-96 की अवधि के दौरान मुख्यालय को अप्रेषित अवशेषों की सीमा 0.11 लाख रुपये से 59.12 लाख रुपये में मध्य रही। इसने कम्पनी को 8.30 लाख रुपये की सीमा तक (ललितपुर : 6.52 लाख रुपये तथा मंसूरी: 1.78 लाख रुपये) हानि, (सावधि जमा पर लागू 7 प्रतिशत प्रति वर्ष के न्यूनतम दर पर) मुख्यालय लेखे में शाखा लेखों से निक्षेप स्थानान्तरित न होने पर ब्याज के कारण हुई।

कम्पनी न तो जमा लेखे में 5000 रुपये से अधिक के सारे अवशेषों को समय से प्रेषण हेतु बैंकों से मामले को उठाया न ही अपने निर्देशों के अनुसार अप्रेक्षित धन पर ब्याज का दावा ही किया। उपरोक्त विलम्बों को समाप्त करने हेतु बैंकों में पड़े अप्रयुक्त अवशेषों को बैंक ड्राप्ट के द्वारा समय से प्रेषण हेतु कदम नहीं उठाए।

2 ब.11.2. राक फास्फेट के अयस्कों के व्यापार में हानि

कम्पनी ने अप्रैल 1990 में 26 से अधिक व 27 से कम, 27 से अधिक व 29 से कम तथा 29 प्रतिशत से अधिक के फॉस्फोरस पेन्टाक्साइड के अवयव के ऋण आधा इंच आकार से कम के राक फास्फेट (ललितपुर में खनित) के 8500 के किसी या सभी तीनों विशिष्टियों के विक्रय हेतु निविदाएँ आमन्त्रित की। कम्पनी जून 1990 में जब प्राप्त प्रस्तावों को अन्तिम रुप दे रही थी तथा दरों की वार्ता कर रही थी, ने लखनऊ की एक फर्म का 29 प्रतिशत अवयव हेतु 1035 प्रति टन का उच्चतम प्रस्ताव इस आधार पर अन्देयता कर दिया कि इसने सभी तीन विशिष्टियों हेतु दरें नहीं दी थी तथा राक फास्फेट (+ 29 प्रतिशत किस्म) के 2998.4 टन का विक्रय बराबर मात्रा में रु0.810 प्रति टन समान दरों पर शिकोहाबाद तथा जालन्धर की दो फर्मों को आबन्टित कर दिया। कम्पनी ने, इस प्रकार, जुलाई से दिसम्बर 1990 के दौरान 810 रुपये प्रतिटन की अपेक्षाकृत न्यून दर पर 2998.4 टन (+29 प्रतिशत किस्म) के विक्रय में 6.75 लाख रुपये की हानि सही।

2 ब.11.3 मूल्य वृद्धि के अल्पदावे के कारण हानि

कम्पनी ने टाटा आइरन एण्ड स्टील कम्पनी (टी.आई. एस. सी. ओ.) लिमिटेड बम्बई से लम्बीधार खान से उन तक 2.40 लाख टन प्रति वर्ष चूने की आपूर्ति हेतु एक अनुबन्ध निष्पादित किया (जून 1989)। अनुबन्ध में आधार तिथि (सितम्बर 1987) पर विद्यमान रु0.180 प्रति टन की दर के ऊपर मूल्य वृद्धि के विशिष्ट मदों में वृद्धि के आधार पर सालाना दावों के प्रमाणों सहित प्रस्तुति पर भुगतान का प्रविधान था। समायोजित मूल्यों के आकलन, मदों के वार्षिक औसत मूल्य मासिक सूची जो आर. बी. आई. द्वारा उनके बुलेटिन में उसी माह में या बाद के माह में प्रथम बार रिजर्व बैंक आफ इण्डिया द्वारा प्रकाशित हों, द्वारा होना था।

तथापि कम्पनी ने बजाय औसत वार्षिक वृद्धि के आधार पर तथा वृद्धि सम्बन्धित उस अवधि की आपूर्ति हेतु इसे लागू करने के मूल्य वृद्धि का अशुद्ध दावा मार्च (1988 से प्रारम्भ) में प्रतिवर्ष विद्यमान विशिष्ट दरों के मूल्यों पर तदुपरान्त आपूर्ति हेतु आधारित, किया। वार्षिक समायोजित मूल्यों के माध्य पर आधारित 1989-91 के दौरान मूल्य वृद्धि का क्रय दाता 1.05 लाख टन चूने की आपूर्ति पर 6.75 लाख रुपये आंकलित होता है। इसके अतिरिक्त, 1992-95 के समायोजित मूल्यों को अन्तिम रुप देने में विलम्ब के कारण कम्पनी 1.31 लाख टन चूना-पत्थर की आपूर्ति पर 21.06 लाख रुपये की धनराशि का अपने मूल्य वृद्धि दावों को मार्च 1996 तक प्रस्तुत न कर सकी थी। 21.06 लाख रुपये की धनराशि, कम्पनी द्वारा प्रयुक्त आगणन के अशुद्ध तरीके के कारण 3.97 लाख रुपये की सीमा तक हानि को, सम्मिलित नहीं करती थी।

इसके अतिरिक्त, क्रय दाता की धनराशि (6.75 लाख रुपये) तथा दावा न की धनराशि (25.03 लाख रुपये) पर 8.41 लाख रुपये की धनराशि के ब्याज (मार्च 1996 तक) की हानि कम्पनी को हुई ।

लेखा परीक्षा द्वारा इंगित करने पर प्रबन्धन ने अक्टूबर 1996 में टी.आई.एस.सी.ओ. से दावा दायर किया है।

उपसंहार

खनन परियोजनाओं के विकास तथा गौड़ खनिजों के व्यापार में व्यस्त कम्पनी सिलिका सैण्ड वैनेफिसिएशन परियोजना, इलाहाबाद के क्रियान्वयन में वित्तीय तथा प्रबन्धकीय नियन्त्रण प्रयोग करने में असफल रही जिसका परिणाम अधिक तथा अनमन्य विहीन भुगतानों में हुआ।

बेईमान निजी ठेकेदारों को समाप्त करने के उद्देश्य से, तीन रोड़ा खनन परियोजनाओं के क्रियान्वयन में पूर्व सम्भवता अध्ययन की कमी तथा प्रबन्धकीय कमियों के कारण पर्याप्त व्यय करने के उपरान्त उनको त्यागना पड़ा। जिन मूलभूत उद्देश्यों के लिए दो परियोजनाएँ ली गयी थीं, इस प्रकार निष्फल रहीं।

कम्पनी अल्प खनिजों, निधि के स्थानान्तरण तथा परिष्कृत खनित उत्पादों के विक्रय से संबंधित अपने क्रियाकलापों को अनुस्रवण तथा नियन्त्रित करने में भी असफल रही, परिणाम हानियों में हुआ।

मामला सरकार को जुलाई 1996 में प्रतिवेदित था; उत्तर अक्टूबर 1996 तक प्राप्त नहीं हुए थे।

अनुच्छेद -2 स

उत्तर प्रदेश हिल इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड

प्रस्तर	विवरण	पृष्ठ संख्या
	मुख्य अंश	93
1.	भूमिका	93
2.	उददेश्य	94
3.	संगठनात्मक ढाँचा	94
4.	लेखा परीक्षा का क्षेत्र	95
5.	पूंजी संरचना	95
6.	वित्तीय स्थिति एवम कार्यचानल के परिणाम	95
7.	व्यापारिक एवम उत्पादन कार्यकलाप	97
7.1	उत्पादन निष्पादन	97
7.1.1	कम्पनी की फैक्ट्री में श्याम-श्वेत टी0 वी0 का उत्पादन	98
7.1.2	कम्पनी की फैक्ट्री में रंगीन टेलीविजन का उत्पादन	99
7.1.3	सहकारी समितियों और दूसरी संस्थाओं के माध्यम से इलेक्ट्रानिक सामानों का उत्पादन	99
7.2	बिक्री निष्पादन	100
7.3	भण्डार नियन्त्रण	102
8	योजनाओं का कार्यान्वयन	104
8.1	सरकारी योजनाओं का कार्यान्वयन	104
8.2	कम्प्यूटर अकादमी एवम लर्निगं सेन्टरों की स्थापना	108
9.	सहायक कम्पनियों और संयुक्त क्षेत्रों की इकाईयों में विनियोजन	109
10.	लेखे एवम आन्तरिक लेखा परीक्षण	111
11.	अन्य रोचक विषय	111
	उपसंहार	113

उत्तर प्रदेश हिल इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड

अनुच्छेद 2स

उत्तर प्रदेश हिल इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड

मुख्य अंश

उत्तर प्रदेश हिल इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड की स्थापना 25 जून 1985 को प्रदेश के पर्वतीय जिलों में इलेक्ट्रानिक उद्योग के विकास को प्रोन्नत एवं प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से की गयी थी।

(प्रस्तर 2 स.1 एवं 2 स .5)

कम्पनी की संचयी हानि मार्च 1995 तक 71.29 लाख रुपये तक हो गयी जो मुख्यतः अल्प उत्पादन एवं बिक्री निष्पादन के कारण थी।

(प्रस्तर 2 स.6.2)

कम्पनी को श्याम श्वेत टी वी के उत्पादन में 58.89 लाख रुपये की नकद हानि हुई जिसके मुख्य कारण इसके द्वारा ऊपरी खर्चों पर नियन्त्रण न रख पाना और कार्य सहायक वातावरण को उपलब्ध कराने में असफलता थे।

(प्रस्तर 2 स.7.1.1)

कम्पनी को 16 योजनाओं को कार्यान्वित कराने के लिये 680.51 लाख रुपये का सहायक अनुदान प्राप्त हुआ परन्तु उसने 14 योजनाओं पर 437.85 लाख रुपये का ही उपयोग किया। कम्पनी ने शासन को न तो विस्तृत हिसाब दिया और न ही शेष राशि वापस की। इस शेष राशि पर 67.88 लाख रुपये का अर्जित ब्याज अनियमित रुप से अपनी आय मानी।

(प्रस्तर 2 स .8.1.)

कम्पनी को अपने 380.75 लाख रुपये के 3 सहायक कम्पनियाँ तथा 12 साहाय्यित इकाईयों में विनियोजन से कुछ भी वापस नहीं मिला। उपरोक्त में से दो सहायक कम्पनियाँ तथा 10 साहाय्यित इकाईयाँ पिछले 2 से 6 वर्षों से बन्द पड़ी थीं।

(प्रस्तर 2 स.9)

2 स.1 भूमिका

प्रदेश के पर्वतीय जिलों में इलेक्ट्रानिक उद्योग के विकास को प्रोन्नत एवं प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 25 जून 1985 को उत्तर प्रदेश हिल इलेक्ट्रानिक कारपोरेशन लिमटेड (हिलट्रान) की स्थापना एक सरकारी कम्पनी के रुप में की गयी।

कम्पनी प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में राज्य शासन द्वारा समय समय पर सौंपी गयी इलेक्ट्रानिक उद्योग के समुन्नत विकास की योजनाओं को लागू करने और इलेक्ट्रानिक सामग्री के उपार्जन, उत्पादन एवं विपणन और कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान करने के कार्य में संलग्न थी। कम्पनी ने सहकारी समितियों और इलेक्ट्रानिक इकाईयों को संयुक्त/ साहाय्यित सेक्टर में प्रवर्तन भी किया और तीन सहायक कम्पनियों का प्रारम्भ किया।

2 स.2 उद्देश्य

कम्पनी के मुख्य उद्देश्य निम्न है:

* प्रदेश के पहाड़ी जिलों में अपनी ईकाइयां स्थापित कर या उद्यमियों को सहायता देकर और दूरदर्शी उद्यमियों को नयी इकाइयां स्थापित करने या वर्तमान में विद्यमान ईकाइयों को प्रबन्धकीय, वित्तीय, औद्योगिक, तकनीकी या दूसरी सहायता प्रदान कर, इलेक्ट्रानिक उद्योग के प्रगति और विस्तार को प्रोन्नत करना।

* इलेक्ट्रानिक उद्योग के क्षेत्र से सम्बन्धित सामग्रियों के निर्माण, समाहन करना, मरम्मत करना, प्रत्येक प्रकार की सेवा उपलब्ध कराना, खरीदना, बेचना, आयात, निर्यात, विनिमय, परिवर्तन करना, किराये पर रखना, किराये पर देना और उपकरणों, संयंत्रों, पुर्जों के व्यवसाय को संचालित करना।

2 स.3 संगठनात्मक ढांचा

कम्पनी का प्रबन्ध एक निदेशक मण्डल में निहित है जिसमें कम से कम तीन और अधिक से अधिक 12 सदस्य हो सकते हैं। आर्टिकिल आफ एसोसियेशन के अनुसार पर्वतीय विकास विभाग का मुख्य सचिव/सचिव कम्पनी का कार्यकारी अध्यक्ष होना था। तथापि 1989 से राज्य शासन के अतिरिक्त मुख्य सचिव अध्यक्ष के पद पर आसीन थे।

कम्पनी का कार्यकारी मुखिया प्रबन्ध निदेशक है जो एक अधिशासी निदेशक, एक टी वी फैक्टरी प्रबन्धक, लखनऊ, भीमताल और मुनी की रेती के तीन विक्रय प्रबन्धकों और एक सहायक लेखाधिकारी की सहायता से कार्य करता है।

कम्पनी अधिनियम 1956 के अनुच्छेद 383-ए के प्राविधानों के अन्तर्गत वांछित एक पूर्ण कालिक अर्हता प्राप्त कम्पनी सचिव फरवरी 1992 से नियुक्त नहीं किया गया था जबकि कम्पनी की प्रदत्त पूंजी कम्पनी के प्रारम्भ से ही 25 लाख रुपये से अधिक थी।

2 स.4 **लेखा परीक्षा का क्षेत्र**

मार्च 1995 तक के पांच वर्षों के कम्पनी के कार्यकलापों का अवलोकन जुलाई से अक्टूबर 1995 की अवधि में किया गया जिसके परिणाम उत्तरोत्तर प्रस्तरों में वर्णित किये गये हैं।

2 स.5 **पूंजी संरचना**

कम्पनी 300 लाख रुपये की अधिकृत पूँजी से प्रारम्भ हुई थी जो समय- समय पर बढ़ायी गयी और 31 मार्च 1995 को 1000 लाख रुपये हो गयी। कम्पनी की प्रदत्त पूंजी 31 मार्च 1995 को 795 लाख रुपये थी जिसमें से 601 लाख रुपये शासन द्वारा और 194 लाख रुपये उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक कारपोरेशन (यू. पी. एल. सी.) लिमिटेड, राज्य सरकार की एक पूर्ण स्वामित्व वाली कम्पनी, द्वारा अंशदानित थी।

2 स.6 **वित्तीय स्थिति एवं कार्य चालन के परिणाम**

2 स.6.1 **वित्तीय स्थिति**

कम्पनी के लेखे 1993-94 से बकाया थे और वर्ष 1995-96 के अनन्तिम आंकड़े भी कम्पनी के पास उपलब्ध नहीं थे। 1994-95 तक प्रत्येक वर्ष के अन्त में कम्पनी की वित्तीय स्थिति नीचे दी गयी है:

(लाख रुपयें में)

		1990-91	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95 (अनन्तिम आँकड़े)
(अ)	**दायित्व**					
(i)	प्रदत्त पूंजी	494.03	494.03	644.03	794.03	794.53
(ii)	विनियोजन संचित	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
(iii)	चालू दायित्व प्राविधानों सहित	463.32	482.79	432.36	335.21	327.93
		958.35	**977.82**	**1077.39**	**1130.24**	**1123.46**
(ब)	**सम्पत्तियां**					
(1)(i)	सकल सम्पत्ति	23.08	27.08	28.23	31.04	33.26
(ii)	घटाइये: ह्रास	5.74	8.89	11.77	14.45	17.43

(लाख रुपयें में)

	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95 (अनन्तिम आँकड़े)
(iii) शुद्ध स्थायी सम्पत्ति	17.34	18.19	16.46	16.59	15.83
(2) सहायक कम्पनियों एवं	255.49	279.49	279.49	279.49	279.49
(3) चालू सम्पत्तियां, ऋण एवं अग्रिम एवं नकद एवं बैंक/पी. एल. ए. शेष	660.51	644.64	735.51	784.37	756.76
(4) विविध व्यय एवं संचित हानियां	25.01	35.50	45.93	49.79	71.38
	958.35	**977.82**	**1077.39**	**1130.24**	**1123.46**
(स) प्रयुक्त पूंजी	214.53	180.04	319.61	465.75	444.66
(द) शुद्ध सम्पत्तियां	470.02	459.53	599.10	745.24	722.99

यह देखा गया कि कम्पनी की प्रदत्त पूंजी इसके कार्यकलापों के स्तर के समानुपातिक नहीं थी। मार्च 1995 तक के पांच वर्षों की अवधि में पूर्ण बिक्री और साम्य अंशपूंजी (सहायक कम्पनियों और सहायता प्राप्त क्षेत्र की ईकाइयों में विनियोजन हेतु दिये गये 279.49 लाख रुपये की साम्य अंशपूंजी को छोड़कर) का अनुपात केवल 5.2 और 25.2 प्रतिशत के बीच रहा।

2 स.6.2 कार्यपालक परिणाम

कम्पनी के 1994-95 तक के कार्यपालक परिणाम अगले पृष्ठ पर दिये गये है:

(लाख रुपयें में)

		1990-91	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95 (अनन्तिम आँकड़े)
(अ)	**व्यय**					
(i)	क्रय	9.52	26.14	77.67	101.28	151.46
(ii)	कलपुर्जो की खपत	9.18	19.49	39.41	44.10	26.62
(iii)	वेतन, मजदूरी और दूसरे ऊपरी व्यय	18.14	42.16	54.35	66.50	81.13
(iv)	ह्रास	2.77	3.16	2.87	2.69	2.98
	योग	**39.61**	**90.95**	**174.30**	**214.57**	**262.19**
(ब)	**आय**					
(i)	बिक्री	12.41	33.17	86.64	131.20	130.58
	जोडिये: अन्तिम रहतिया	9.29	24.68	62.22	86.00	149.04
	घटाइये: प्रारम्भिक रहतिया	0.55	7.90	22.84	52.60	84.81
	व्यवसाय की कीमत	21.15	49.95	126.03	164.60	194.81
(ii)	अन्य आय	17.79	30.43	37.76	46.02	45.71
(iii)	कार्यकारी हानि	0.67	10.57	10.51	3.95	21.67
	योग	**39.61**	**90.95**	**174.30**	**214.57**	**262.19**

कम्पनी को उपरोक्त अवधि में लगातार हानि हुयी। मार्च 1995 तक समयांकित हानि 71.29 लाख रुपये तक हो गयी। उपरोक्त अवधि में हानि के मुख्य कारण जो लेखा परीक्षा में विश्लेषित किये गये उनमें स्वयं की टी. वी. फैक्ट्री में उत्पादन निष्पादन में कमी और वास्तविक बिक्री वसूली की तुलना में अधिक कीमतें (प्रस्तर 7.1 अंत:)।

2 स.7 व्यापारिक एवं उत्पादन कार्यकलाप

2 स.7.1 उत्पादन निष्पादन

कम्पनी ने अपने उत्पादन कार्य कलाप अपनी नयी टेहरी स्थित टी. वी. फैक्ट्री, आठ सहकारी

समितियों और दूसरी संस्थाओं द्वारा सम्पादित किये।

2 स.7.1.1 कम्पनी की फैक्ट्री में श्याम-श्वेत टी.वी. का उत्पादन

राज्य सरकार ने कम्पनी को एक 14" श्याम श्वेत (बी एण्ड डब्ल्यू) टी वी निर्माण इकाई नवी टेहरी टाउन में स्थापित करने के लिये 80.97 लाख रुपये की साम्य अंश पूंजी प्रदान की। कम्पनी ने 12000 टी वी प्रतिवर्ष उत्पादन क्षमता की इकाई स्थापित की और संयंत्रों की खरीद पर 13.65 लाख रुपये की पूंजीगत व्यय करके मार्च 1990 से उत्पादन प्रारम्भ कर दिया। वर्ष 1994-95 तक के पांच वर्षों में प्रति टी वी का अनुमानित/वास्तविक उत्पादन, उत्पादन लागत, और बिक्री मूल्य तथा घटित हानि का विवरण नीचे तालिका में दिया गया है।

श्याम श्वेत टी वी के उत्पादन में कम्पनी को 58.89 लाख रुपये की नकद हानि हुयी जिसका मुख्य कारण ऊपरी खर्चों पर नियन्त्रण न रखना एवं कार्य योग्य वातावरण का उपलब्ध कराने में असफल होना रहा।

(लागत/मूल्य रुपयें में)

क्रमाक	विवरण	1990-91	1990-91	1991-92	1992-93	1994-95
1.	वास्तविक उत्पादन (संख्या)	627	1208	1833	1428	352
	(स्थापित क्षमता के आधार पर अनुमानित उत्पादन)	(12000)	(12000)	(12000)	(12000)	(12000)
2.	अनुमानित उत्पादन से वास्तविक उत्पादन का प्रतिशत	5.2	10.1	15.3	11.9	2.9
3.	बिक्री खर्चो सहित वास्तविक उत्पादन लागत	3346	3927	3028	3010	4405
	(अनुमानित लागत)	(1681)	(1681)	(1647)	(1645)	(1645)
4.	प्रति सेट औसत बिक्री मूल्य	1645	1645	1738	1800	शून्य
	(अनुमानित बिक्री मूल्य)	(1835)	(1835)	(1835)	(1833)	शून्य
5.	बिक्री किये गये सेटों की संख्या	293	854	1229	1535	शून्य
6.	हानि (लाख रुपये में)	4.98	19.49	15.85	18.57	शून्य
7.	कर्मचारियों की संख्या	32	32	30	27	27

हिल्ट्रान के उत्पादनों की श्रेणी

उपरोक्त से यह देखा गया कि अनुमानित उत्पादन से वास्तविक उत्पादन का प्रतिशत 2.9 एवं 15.3 प्रतिशत के बीच रहा। मार्च 1995 तक के पांच वर्षों में औसत 543 टी वी के अनुमानित उत्पादन के विरुद्ध प्रति कर्मचारी वास्तविक उत्पादन का औसत 37 टी वी सेट आंकलित किया गया। मार्च 1995 तक के पाँच वर्षों में कम्पनी को 58.89 लाख रुपये की नकद हानि हुयी। इसका मुख्य कारण, जैसाकि लेखा परीक्षा में विश्लेषित किया गया, मजदूरी, प्रशासनिक एवं विक्री के ऊपरी खर्चों पर अधिक व्यय होना था।

यह भी पाया गया कि सार्वजनिक विनियोजन परिषद के आठ में से चार सदस्यों ने परियोजना प्रतिवेदन का मूल्यांकन करते समय (जनवरी 1989) योजना के लाभकारी होने में सन्देह व्यक्त किया था और शासन से इस पर पुर्नविचार को कहा क्योंकि इसमें लाभ का भाग बहुत कम था और उत्पाद का बिक्री मूल्य बहुत अधिक था। शासन ने उपरोक्त संस्तुतियों को नजर अन्दाज कर दिया और कम्पनी को, बिना उचित तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन किए, योजना को कार्यान्वित करने की अनुमति दे दी।

प्रबन्धन ने स्वीकार किया (जून 1996) कि नयी टेहरी की कार्य संस्कृति कार्य संचालन के लिये उपयुक्त नहीं थी। कर्मचारी कचहरी की बसों से पुरानी टेहरी से आते थे और उसी से चले जाते थे। इस प्रकार मुश्किल से वास्तविक कार्य के लिये पाँच घंटे ही मिल पाते थे और वह भी जब कचहरी बन्द नहीं होती थी।

2 स.7.1.2 कम्पनी की फैक्ट्री में रंगीन टेलीविजन का उत्पादन

प्रथम, द्वितीय एवं तदन्तर वर्षों में क्रमशः 4500, 5400 और 6000 प्रतिवर्ष रंगीन टी वी के निर्माण की स्थापित क्षमता की कम्पनी ने सितम्बर 92 में नयी टेहरी में एक रंगीन टेलीविजन (सी टी वी) फैक्ट्री की स्थापना का प्रस्ताव किया। कुल परियोजना की अनुमानित लागत 344.08 लाख रुपये थी जो राज्य सरकार द्वारा वित्तपोषित होनी थी। सरकार ने 293.84 लाख रुपया साम्य अंशपूंजी के रुप में इस प्रत्याशा में दिया (जनवरी और मई 1993) कि कम्पनी अपनी प्रदत्त पूंजी के छः गुने के तुल्य की पूर्ण बिक्री सुनिश्चित करेगी और प्रतिवर्ष कुल विनियोजन का 5 प्रतिशत शुद्ध लाभ देगी।

अनुमानित परियोजना लागत में भूमि एवं भवन के लिये 200 लाख रुपये भी सम्मिलित थे। किसी प्रकार, कम्पनी ने श्याम श्वेत टी वी फैक्ट्री में ही सितम्बर 1993 से रंगीन टी वी का उत्पादन प्रारम्भ कर दिया। 4500, 5400 और 6000 सेटों के अनुमानित उत्पादन के विरुद्ध कम्पनी ने वर्ष 1993-94, 1994-95 तथा 1995-96 में क्रमशः 183, 233 तथा 3 सेटों का उत्पादन किया। कम्पनी, इन तीन वर्षों में उत्पादित 37.40 लाख रुपये मूल्य के 419 सेटों में से, केवल 127 सेट ही 2.78 लाख रुपये की हानि पर बेच पायी। शेष साम्य अंशपूंजी का प्रयोग कम्पनी ने अपनी कार्यकारी पूंजी के रुप में प्रयोग कर लिया।

2स.7.1.3 सहकारी समितियों और दूसरी संस्थाओं के माध्यम से इलेक्ट्रानिक सामानों का उत्पादन

अपनी फैक्ट्री में टेलीविजन के उत्पादन के अतिरिक्त कम्पनी ने विभिन्न सहकारी समितियों और दूसरी संस्थाओं को, जो राज्य के पर्वतीय जिलों में स्थापित थी, इलेक्ट्रानिक सामानों, जैसे टी वी, वोल्टेज स्टेबलाइजर्स, आडियो सेट, घड़ियाँ, आदि के समाहन हेतु काम पर लगाया। उपरोक्त कार्य हेतु, कम्पनी ने इन सहकारी समितियों को कच्चा माल दिया और पूर्ण माल के वापसी पर समय- समय पर प्रयुक्त रुपान्तरण प्रभार का भुगतान किया।

कम्पनी ने कच्चे माल की अधिकतम निर्गत सीमा का मूल्य, पूर्ण माल की वापसी के लिये समय-अवधि और विलम्ब से वापसी पर दण्ड से सम्बन्धित किसी भी शर्तों एवं प्रतिबन्धों को तय नहीं किया। कम्पनी ने इन संस्थाओं के पास अनावश्यक माल भण्डारण के विरुद्ध कोई आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली नहीं विकसित की।

लेखा परीक्षा में देखा गया कि मार्च 1996 तक के पाँच वर्षों में कम्पनी ने इन संस्थाओं को 264.15 लाख रुपये की कीमत का कच्चा माल निर्गत किया। संस्थाओं ने 235.51 लाख रुपये के मूल्य का पूर्ण माल ही वापस किया मार्च 1996 के अन्त तक 32.18 लाख रुपये का कच्चा माल (पिछला शेष शामिल करते हुये) उनके पास पड़ा था जो 0.25 माह खपत के मानक के विरुद्ध 8.2 माह के खपत के समतुल्य था।

कम्पनी ने पूर्ण माल की अविलम्ब आपूर्ति को सुनिश्चित करने या कच्चा माल वापस करने के लिये अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की (मार्च 1996)।

पुनः यह देखा गया कि कम्पनी ने महिला सहकारी समिति बिन्ह, पिथौरागढ़ (इलेक्ट्रानिक्स सामानों के उत्पादन के लिये फरवरी 1990 में प्रोन्नत) के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक (अगस्त 1993) में कच्चे माल को इस प्रकार उपलब्ध कराने (कार्य दर के आधार पर) का निर्णय लिया जिससे उन्हें न्यूनतम कार्यदर (रुपान्तरण प्रभार) 0.11 लाख रुपये प्रतिमाह मार्च 1994 तक मिल सके। इसके अनुसार कम्पनी ने समिति को मार्च 1996 तक लगभग 2.06 लाख रुपये का नकद भुगतान रुपान्तरण प्रभार के रुप में कर दिया जो कम्पनी द्वारा दिये गये कच्चे माल के विरुद्ध समिति द्वारा पूर्ण माल के उत्पादन के विरुद्ध समयोज्य था। यद्यपि समिति को इस अवधि में दिया गया कच्चा माल केवल 0.26 लाख रुपये के रुपान्तरण प्रभार के समायोजन के लिये काफी था परिमाण स्वरुप रुपान्तरण प्रभार के 1.80 लाख रुपये अधिक भुगतान किये गये। वसूली की सम्भावनायें नगण्य थीं क्योंकि समिति का दूसरा आय का स्रोत नही था। अप्रैल 1995 से समिति को कोई कच्चा माल नहीं दिया गया और कम्पनी इस राशि की वापसी के लिये प्रभावी प्रयास नहीं कर रही है।

2 स.7.2 बिक्री निष्पादन

कम्पनी की बिक्री एक बिक्री एवं सेवा तन्त्र, जिसमें आठ बिक्री एवं सेवा केन्द्र और मुनी की रेती, भीमताल, और लखनऊ स्थित तीन क्षेत्रीय बिक्री कार्यालयों के अन्तर्गत 36 व्यापारियों द्वारा प्रभावी होती है। वर्ष 1992-93 तक कम्पनी ने प्रत्येक क्षेत्र के लिये उत्पादवार बिक्री के लक्ष्य निर्धारण कर बिक्री

बजट नहीं बनाया। बिक्री बजट तैयार करने की प्रक्रिया वर्ष 1992-93 से अपनायी गयी।

नीचे की तालिका में वर्ष 1990-91 से 1992-93 तक उत्पादवार बिक्री और वर्ष 1993-94 से 1994-95 में कम्पनी द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के विरुद्ध प्राप्ति का विवरण दिया गया है:

(लाख रुपये में)

क्रम सं0	उत्पाद का नाम	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94			1994-95		
		(वास्तविक बिक्री)			बिक्री लक्ष्य	वास्तविक बिक्री	लक्ष्य प्राप्ति का प्रतिशत	बिक्री लक्ष्य	वास्तविक बिक्री	लक्ष्य प्राप्ति का प्रतिशत
1.	श्याम श्वेत एवं रंगीन टी वी	9.73	20.67	21.36	516.00	60.56	11.7	397.00	99.28	25.0
2.	आडियो सिस्टम	--	--	19.34	272.50	50.53	18.5	125.90	3.07	2.4
3.	वोल्टेज स्टेबलाइजर	2.06	3.12	--	15.00	--	--	6.00	0.62	10.3
4.	क्वांटज घडियां	--	2.77	14.20	36.00	10.00	27.8	3.60	1.94	53.9
5.	डिश एन्टीना	--	--	--	154.00	4.95	3.2	40.60	4.48	11.0
6.	कम्प्यूटर एवं दूसरी विविध सामग्री	0.62	6.61	31.74	18.00	5.16	28.7	7.30	21.19	290.3
	योग	12.41	33.17	86.64	1011.50	131.20	12.9	580.40	130.58	22.5

इस सन्दर्भ में उत्तरवर्ती बिन्दु उल्लेखनीय हैं:

(i) इस तथ्य के बावजूद कि वर्ष 1991-92 और 1992-93 में बिक्री विकास पिछले वर्ष की बिक्री की 2.6 गुना थी। कम्पनी ने, इस विचार से कि विपणन कार्य कलाप जिसमें विभिन्न इलेक्ट्रानिक उत्पाद शामिल थे, का विस्तार होगा, वर्ष 1993-94 में जो लक्ष्य निर्धारित किये वे पिछले वर्ष की बिक्री का 11.6 गुना थे। लक्ष्य के विरुद्ध बिक्री का प्रतिशत वर्ष 1993-94 में बहुत कम था और 3.2 तथा 28.7 प्रतिशत के बीच रहा। वर्ष 1994-95 में कुल प्रगति में वृद्धि पिछले वर्ष की तुलना में 43 प्रतिशत लक्ष्यों में कटौती के कारण थी। लक्ष्यों की कम उपलब्धि के कारण अभिलेख पर उपलब्ध नहीं थे।

(ii) कम्पनी ने व्यवसाय के लिए अपनी फैक्ट्री के उत्पादों और दूसरे स्रोतों से प्राप्त उत्पादों को मूल्यांकित करने की किसी नीति का निर्धारण नहीं किया। कम्पनी ने ऊपरी खर्चों को आच्छादित करने के लिए उत्पाद के सामग्री लागत को 6 से 10 प्रतिशत तदर्थ रुप से भारित कर व्यवसाय किया। मार्च 1995 तक के पांच वर्षों में सम्पूर्ण बिक्री पर मजदूरी का व्यय, विक्री एवं प्रशासनिक उपरिव्यय का प्रतिशत 40.8 और 143.8 प्रतिशत के बीच रहा। उपरोक्त अवधि में कम उत्पादन के कारण टी वी फैक्ट्री में 76.65 लाख रुपये के अति उपरिव्यय वसूले नहीं जा सके।

(iii) कम्पनी ने अगस्त 1993 में कुमायूँ और गढ़वाल क्षेत्रों के प्राथमिक पाठशालाओं के लिये एस.आई. टी.सी.* से 10360 रुपये प्रति सेट की दर से 356 सेट, 20" के सी टी वी स्थापित करने का आदेश प्राप्त किया। कम्पनी ने तैयार भण्डारण के बावजूद 82 सेटों की आपूर्ति नहीं की (अक्टूबर 1996)। इससे कम्पनी की सम्पूर्ण बिक्री 8.50 लाख रुपये से कम हो गयी। आपूर्ति न करने का कारण पर्वतों में आन्दोलन के कारण उत्पादन में व्यवधान होना बताया गया। यद्यपि, यह पाया गया था कि क्षेत्र में आन्दोलन केवल वर्ष 1994-95 में घनीभूत था।

(iv) कम्पनी की नीति के अनुसार उधार पर बिक्री केवल एक माह की अधिकतम अवधि के लिये ही अनुमोदित थी। फिर भी इन आदेशों का पालन नहीं किया गया जैसा कि अधोलिखित मामलों से देखा जायेगा:

(अ) 6 माह से अधिक बकाया उधार (31 मार्च 1995 को 30.77 लाख रुपये) जिसमें 1.26 लाख रुपये तीन पार्टियों के विरुद्ध देय था जिन्होंने अगस्त 1993 से अप्रैल 1994 की अवधि में चेक से भुगतान किया था और जो बाद में (मार्च से मई 1994) बाउन्स हो गये। पार्टियों से यह धनराशि अभी तक (जून 1996) वसूल नहीं की गयी है।

(ब) दो पार्टियों के विरुद्ध 6.71 लाख रुपये का उधार जो दो वर्षों से अधिक अवधि से बकाया था, लेखों के समाधार के कारण नहीं वसूला जा सका।

2 स.7.3 भण्डार नियंत्रण

मार्च 1996 तक पाँच वर्षों के प्रत्येक के अन्त में कलपुर्जों और सहायक वस्तुओं का अन्तिम रहतिया और टी वी फैक्ट्री (नयी टेहरी) में कार्य प्रगति और पूर्ण माल का विवरण निम्न दी गयी तालिका में दिया गया है:

---

* स्टेट इन्स्टीट्यूट आफ एजूकेशन एण्ड टेक्नोलाजी

(लाख रुपयें में)

विवरण	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96
1. कलपुर्जे					
(i) खपत	16.74	29.09	36.78	23.13	6.78
(ii) अन्तिम रहतिया	11.32	4.32	16.68	10.60	10.00
(iii) माह की खपत के रुप में अन्तिम रहतिया	8.11	1.78	5.44	5.50	17.70
2. प्रगति-में-कार्य					
(i) कलपुर्जों की खपत	16.74	29.09	36.78	23.13	6.78
(ii) अन्तिम रहतिया	1.84	9.61	4.11	2.51	0.25
(iii) माह के खपत के रुप में में कार्य प्रगति	1.32	3.96	1.34	1.30	0.44
3. पूर्णमाल					
(i) बिक्री	33.17	86.64	131.20	130.58	145.10
(ii) पूर्णमाल का अन्तिम रहतिया	22.84	52.61	84.80	149.04	165.50
(iii) माह की बिक्री के रुप में पूर्ण माल	8.26	7.29	7.76	13.70	13.69

निम्न बिन्दु उल्लेखनीय हैं:

(i) कम्पनी ने अभी तक (मार्च 1996) भण्डारण का महत्तम/न्यूनतम स्तर निर्धारित नहीं किया। फिर भी एक माह के खपत के तुल्य, जैसा कि टी वी फैक्ट्री की परियोजना रिपोर्ट में दिया गया था, अनुमानित कलपुर्जों और अन्य अव्यवों के भण्डारण के विरुद्ध वास्तविक भण्डारण 1.78 तथा 17.70 माह की आवश्यकता के बीच पाया गया।

(ii) परियोजना रिपोर्ट में पूर्वभाषित 0.25 माह की विक्री के विरुद्ध पूर्ण माल का वास्तविक भण्डारण 7.29 और 13.70 माह की विक्री के बीच पाया गया।

(iii) 31 मार्च 1996 के पूर्ण माल के अन्तिम रहतिया में 297 टी वी सेट तथा 70 आडियो सेट (मूल्य 5.79 लाख रुपये) और 2559 क्वार्टस घड़ियाँ (मूल्य 2.50 लाख रुपये) क्षतिग्रस्त पड़े हुए थे। इसके अतिरिक्त 0.36 लाख रुपये मूल्य के चार रंगीन टीवी जो प्रदर्शन के लिए अक्टूबर 1992 में जारी किये गये थे, उनकी वापसी के प्रयास प्रारम्भ ही नहीं किये गये (अक्टूबर 1996)।

(iv) कम्पनी ने, यद्यपि उसकी अपनी टी वी फैक्ट्री में अतिरिक्त क्षमता थी, निजी आपूर्ति कर्ताओं से 1990-95 की अवधि में 55.50 लाख रुपये मूल्य के 2704 श्याम-श्वेत टी वी और 101 रंगीन टी वी खरीदे। इनमें से 15.33 लाख रुपये कीमत के 849 टी वी सेट भण्डार में पड़े थे (मार्च 1996) और इनमें से 89 टी वी सेट (मूल्य 1.61 लाख रुपये) क्षतिग्रस्त थे। इन सेटों का वसूली योग्य मूल्य कम्पनी द्वारा सुनिश्चित नहीं किया गया।

(v) कम्पनी ने बिना विक्री की सम्भावनाओं का पता लगाये निजी आपूर्ति कर्ताओं से जुलाई से नवम्बर 1993 में 13.06 लाख रुपये के डिश एंटिना और दूसरे अवयव खरीदे। उपरोक्त में से कम्पनी मार्च 1994 तक 4.25 लाख रुपये के मूल्य के डिश एंटिना ही बेच सकी। यद्यपि भण्डार में 8.81 लाख रुपये मूल्य के डिश एंटिना उपलब्ध थे, फिर भी कम्पनी ने 5.94 लाख रुपये मूल्य के डिश एंटिना फिर खरीद लिए (नवम्बर 1994)। कम्पनी 3.67 लाख रुपये मूल्य के डिश एंटिना ही बेच सकी और 31 मई 1996 को 11.08 लाख रुपये मूल्य का अन्तिम रहतिया बिना बिक्री के पड़ा था।

2 स.8 योजनाओं का कार्यान्वयन

2 स.8.1 सरकारी योजनाओं का कार्यान्वयन

उत्पादन एवं व्यवसायिक कार्य कलापों के अतिरिक्त राज्य के पर्वतीय क्षेत्र में शासन द्वारा समय समय पर सौंपी गयी इलेक्ट्रानिक उद्योग के विकास की विभिन्न योजनाएं भी कम्पनी ने संपादित की। सरकारी आदेशो के अनुसार इन योजनाओं को सम्पादित करने में कम्पनी को व्यय करने की अनुमति थी लेकिन इस प्रकार जो सम्पत्तियां बननी थी उनका स्वामित्व सरकार का ही होना था। कम्पनी को ऐसे व्यय का पूर्ण विवरण सरकार को प्रस्तुत करना था और बिना खर्च की धनराशि सरकार को वापस करनी थी।

कम्पनी ने 16 योजनाओं को लागू करने के लिए 680.51 लाख रुपये अनुदान के रुप में प्राप्त किया लेकिन 14 योजनाओं पर केवल 437.85 लाख रुपये ही प्रयुक्त किये। कम्पनी ने न तो विस्तृत लेखा प्रस्तुत किया और न ही सरकार को बिना खर्च धनराशि पर 67.88 लाख रुपये का अर्जित ब्याज अनियमित रुप से अपनी आय मान ली।

मार्च 1996 तक अवधि में कम्पनी ने 16 योजनाओं को लागू करने के लिए 680.51 लाख रुपये का अनुदान प्राप्त किया। इसमें से 14 योजनाओं पर 437.85 लाख रुपये व्यय किये गये। दो योजनाओं के सम्बन्ध में सरकार ने लगभग 28.07 लाख रुपये का अनुदान मार्च 1991 तथा मार्च 1995 में दिया लेकिन कम्पनी ने इन योजनाओं को लागू करने के कोई कदम अभी तक नहीं उठाये (मार्च 1996)।

कम्पनी ने अभी तक (मार्च 1996) न तो विस्तृत लेखा प्रस्तुत किया और न बिना खर्च अवशेष 242.66 लाख रुपये सरकार को वापस किये। इन सावधिक जमा पर 1990-91 से 194-95 तक की अवधि में 67.88 लाख रुपया ब्याज के मद में अर्जित किया और जिसे त्रुटि पूर्ण तरीके से कम्पनी ने अपनी

आय मान ली जबकि इसे सरकार को वापस कर देना चाहिए था।

लेखा परीक्षा में देखा गया (अक्टूबर 1995) की कम्पनी इन योजनाओं को भली प्रकार नहीं लागू कर सकी और इनं योजनाओं के उद्देश्यों को प्राप्त करने में असफल रही। इन योजनाओं में से कुछ को लागू करने के सम्बन्ध में उत्तरोत्तर प्रस्तरों में उल्लेख किया जा रहा है।

2 स.8.1.1 इलेक्ट्रानिक परीक्षण एवं विकास केन्द्र (एल. टी. डी. सी.) स्थापित करने की योजना

नये व्यवसायियों के मूलभूत विकास, अनुसन्धान एवं विकास, औजार सुविधा आदि उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकार ने कम्पनी को मार्च 1989 में इस योजना को लागू कराने का कार्य सौंपा। इस योजना की अनुमानित लागत दो केन्द्रों की स्थापना को लेकर 132.78 लाख रुपये थी, जिसमें स्थायी सम्पत्तियों हेतु 118.84 लाख रुपये का अनावर्ती अनुदान तथा 13.94 लाख रुपये का आवर्ती अनुदान केन्द्रों की स्थापना के लिये था। सरकार द्वारा पूरा अनुदान चरणों में अक्टूबर 1989 तक दे दिया गया। कम्पनी ने योजना पर 110.32 लाख रुपये खर्च किये और योजना अभी तक (मई 1996) आंशिक रुप में ही लागू हुयी। निम्न बिन्दु देखे गये:

कम्पनी ने, शासन से प्राप्त 132.78 लाख रुपये में से 118.84 लाख रुपये व्यय करने के उपरान्त भी, जैसा कि योजना में प्रस्तावित थी कोई सेवा उपलब्ध नहीं कराया।

(i) कम्पनी के द्वारा स्थापित केन्द्रों पर कोई सेवा उपलब्ध नहीं करायी गयी क्योंकि क्षेत्र में उद्योगों की आमद बहुत कम थी और जो उद्योग आये उनके पास अपना संचालन ढ़ांचा था, इस प्रकार योजना का उद्देश्य असफल हो गया।

(ii) कम्पनी ने बिना सरकार की अनुमति के मार्च 1995 तक 13.94 लाख रुपये के आवर्ती अनुदान के विरुद्ध 40.71 लाख रुपये अधिक अनावर्ती अनुदान के अवशेष धन में से स्थापना खर्चों पर उपयोग कर लिये।

(iii) कम्पनी ने अनियमित रुप से अनावर्ती अनुदान से 1.01 लाख रुपये लागत का एक एअर कन्डीशनर और 0.59 लाख रुपये लागत के कंप्यूटर संयंत्र खरीद लिये जो योजना में शामिल नहीं थे। इसके अतिरिक्त 1988-89 में 8 लाख रुपये दो वेव सोल्डरिंग मशीन तथा एक पी. सी. बी. स्कैनर खरीदने में व्यय कर दिये जिन्हें अभी तक (मई 1996) स्थापित नहीं किया गया था।

110.32 लाख रुपये खर्च करने के बाद भी कम्पनी किसी भी इलेक्ट्रानिक इकाई को कोई सेवा उपलब्ध नहीं करा सकी जैसा योजना में प्रस्तावित था।

2 स.8.1.2 इलेक्ट्रानिक एवं कम्प्यूटर प्रशिक्षण योजनायें

सरकार ने मुनी की रेती (मार्च 1989), पिथौरागढ़ (मई 1991) और मंसूरी (फरवरी 1992) में इलैक्ट्रानिक संयंत्रों और कम्प्यूटर संचालन के प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने के लिये तीन योजनायें स्वीकृत कीं। सरकार ने फरवरी 1992 तक 118.70 लाख रुपये का अनुदान इन योजनाओं को लागू करने के लिए दिया, जिससे 500, 50, तथा 100 विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष क्रमशः मुनी की रेती, पिथौरागढ़, और मंसूरी में प्रशिक्षण के लिये था।

योजना पर 91.53 लाख रुपये खर्च करने के बावजूद, कम्पनी एक केन्द्र पर एक भी विद्यार्थी को प्रशिक्षित नहीं कर सकी और दूसरे दो केन्द्रों पर लक्ष्यों की उपलब्धि केवल 3.8 प्रतिशत थी।

नीचे की तालिका में, केन्द्रवार स्वीकृत लागत, वास्तविक व्यय और भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति की स्थिति दर्शायी गयी है:

केन्द्र का नाम	अवधि	स्वीकृत लागत (कोष्ठक में वास्तविक) आवर्ती	अनावर्ती	प्रशिक्षित किये जाने वाले विद्यार्थीयों की संख्या (कोष्ठक में वास्तविक)
		(रुपये लाख में)		(संख्या में)
मसूरी	1992-93	13.00	4.80	100
	एवं 1993-94	(13.00)	(4.80)	(22)
मुनी की रेती	1993-94	16.25	24.65	500
	एवं 1994-95	(27.07)	(24.65)	(24)
पिथौरागढ़	1991-92	27.50	32.50	50
	से 1994-95	(11.83)	(10.18)	(शून्य)

इस प्रकार यह देखा गया कि पिथौरागढ़ में 22.01 लाख रुपये खर्च करने के उपरान्त एक भी विद्यार्थी प्रशिक्षित नहीं किया गया जबकि बाकी दो केन्द्रों में निर्धारित लक्ष्यों के विरुद्ध प्रशिक्षित विद्यार्थियों की संख्या केवल 3.8 प्रतिशत थी।

कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र

निम्न बिन्दु उल्लेखनीय हैं:

(i) मुनी की रेती केन्द्र पर स्थापना पर आवर्ती व्यय, सरकार द्वारा 16.25 लाख रुपये के दिये गये अनुदान से 10.82 लाख रुपये अधिक किया गया।

(ii) पिथौरागढ़ का केन्द्र अकार्यात्मक था और मंसूरी केन्द्र अल्प प्रतिवचन के कारण जुलाई 1994 में बन्द कर दिया गया। इन दो केन्द्रों की स्थायी परिसम्पत्तियों पर विनियोजन 29.45 लाख रुपये था जिसमें से 1.22 लाख रुपये वाहन के शामिल थे जो योजना में नहीं थे। यह वाहन अगस्त 1992 में चोरी हो गया। जो बीमा दावा अक्टूबर 1992 में दर्ज किया गया था वह पुलिस की अन्तिम रिपोर्ट के अभाव में लम्बित था (अक्टूबर 1996)।

2 स.8.1.3 साफ्ट वेयर विकास केन्द्र योजना, देहरादून

साफ्ट वेयर के विपणन के क्षेत्र में उद्यमियों को विभिन्न क्षेत्रों में सलाह सेवा उपलब्ध कराने और साफट वेयर के विकास हेतु कम्पनी ने साफट वेयर विकास केन्द्रों की एक योजना बनायी (फरवरी 1991)। योजना के प्रथम चरण में एक केन्द्र देहरादून में और दूसरे चरण में लखनऊ और भीमताल में दो केन्द्र और राज्य के छः पर्वतीय जिलों में छः साक्षरता केन्द्र खोलना था। योजना में 42 व्यक्तियों के लिये रोजगार उत्पन्न कराना और प्रशिक्षण केन्द्रों से 3.19 लाख रुपये, 18.72 लाख रुपये, और 28.08 लाख रुपये और साक्षरता केन्द्रों से 4.92 लाख, 6.40 लाख और 13.91 लाख रुपये का राजस्व योजना के प्रथम, द्वितीय एवं तदन्तर वर्षों में प्राप्त करने का प्रावधान था।

सरकार ने 29.94 लाख रुपये योजना पर व्यय हेतु प्रथम वर्ष में दिये (मार्च 1991) जिसके विरुद्ध कम्पनी ने 13.22 लाख रुपये, साफ्ट वेयर के विकास हेतु स्थायी परिसम्पत्तियों की खरीद पर खर्च कर दिये। दूसरे और तीसरे वर्ष में योजना के लागू करने के लिये क्रमशः 25.13 लाख और 26.80 लाख रुपये के अनुदान को न तो कम्पनी ने माँगा और न सरकार ने दिया (मार्च 1996)। फिर भी सरकारी विभागों से साफ्ट वेयर की माँग के अभाव में रोजगार पैदा करने तथा राजस्व प्राप्त करने की योजना असफल हो गयी।

इस प्रकार कम्पनी द्वारा किया गया व्यय वांछित परिणाम देने में असफल रहा।

2 स.8.1.4 सहकारी समितियों के माध्यम से ग्रामीण उत्पादन ईकाई (आर. पी. यू.) के अन्तर्गत स्व- रोजगार योजना

कम्पनी ने राज्य के पर्वतीय जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों के 500 ग्रामीण युवकों को स्व- रोजगार दिलाने के लिए प्रत्येक 20 सदस्यों की 25 सहकारी समितियों को उन्नत करने की एक योजना प्रस्तावित की। सरकार ने 105.60 लाख रुपये का अनुदान (मार्च 1991) वर्ष के लिए 6.10 लाख रुपये का आवृति

क्रमांक	नाम	सम्मिलन की तिथि	साम्य अंशदान का प्रतिशत	कम्पनी द्वारा विनियोजित राशि साम्य अंशपूंजी	ऋण	योग	
				(लाख	रुपये	में)	
(ब)	**सहायता प्राप्त इकाईयां**						
1.	रामाविजन, किच्छा, रुद्रपुर	07.11.89	17	66.00	--	66.00	
2.	नैना सेमी कन्डक्टर, हलद्वानी, नैनीताल	29.07.88	26	55.00	--	55.00	
3.	टेलीट्रानिक्स लिमिटेड, भीमताल, नैनीताल		15	49.00	66.00	115.60	
4.	कुमट्रान लिमिटेड, अलमोड़ा		24	24.00	0.31	24.31	
5.	इस्टर्न टेलीकाम, काशीपुर, नैनीताल	19.01.87	14	7.40	7.35	14.75	
6.	दौलत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड काशीपुर	19.08.87	13	33.00	--	33.00	नवम्बर 1994 में बी एफ आई आर को सन्दर्भित।
7.	ओमनी इण्डिया लिमिटेड, देहरादून	19.07.87	10	12.90	--	12.90	ईकाई बन्द हो गयी और पिकप द्वारा ले ली गयी।
8.	विकास जनरल कार्बन्स लिमिटेड, भीमताल, नैनीताल	27.06.88	14	15.00	--	15.00	1989 में बन्द।
9.	सत्य इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड, देहरादून	20.09.88	16	5.00	1.05	6.05	अक्टूबर 1990 से ईकाई बन्द चल रही है ।
10.	साईं कम्पोनेन्ट्स, नैनीताल		15	0.39	0.07	0.46	ईकाई अस्तित्व में नहीं आ पाई, प्रोत्साहकों का कोई पता नहीं है ।
11.	मन्दाकिनी इलेक्ट्रानिक्स		अनुपलब्ध	--	1.00	1.00	तदैव
12.	सीमांचल इलेक्ट्रानिक्स		अनुपलब्ध	--	0.06	0.06	तदैव
	योग			279.49	101.27	380.75	

इस सन्दर्भ में निम्न बिन्दु दृष्टिगोचर हुए:

(i) उपरोक्त में से 2 सहायक कम्पनियों और दस ईकाईयों जिसमें कम्पनी ने 236.76 लाख रुपये विनियोजित किये पिछले 2 से 6 वर्षों से बन्द पड़ी थीं।

(ii) दो सहायक कम्पनियाँ एवं सात ईकाईयों में संचयी हानि लगभग 1775.81 लाख रुपये हो गयी जो कम्पनी द्वारा विनियोजित 183.63 लाख रुपये की धनराशि से बहुत अधिक थी।

(iii) तीन इकाईयों के सह-प्रोत्साहकों के पता ठिकाना, यथा, साईं इलेक्ट्रानिक्स, मन्दाकिनि इलैक्ट्रानिक्स, और सीमांचल इलैक्ट्रानिक्स जो स्थापित ही नहीं हो पायीं, पता नहीं चल पाया। कम्पनी द्वारा विनियोजित 1.52 रुपये की वसूली की कार्यवाही प्रारम्भ ही नहीं की गयी (मई 1996)

2. स.10 लेखे एवं आन्तरिक लेखा परीक्षण

कम्पनी के लेखे वर्ष 1993-94 से बकाया थे। कम्पनी ने न तो अपनी लेखा नियमावली बनायी और न ही आन्तरिक लेखा परीक्षा विभाग बनाया। कम्पनी ने चार्टर्ड लेखाकारों की दो फर्मों को वर्ष 1992-93 से 1993-94 के लिए 0.16 लाख रुपये तथा वर्ष 1994-95 के लिये 0.14 लाख रुपये पारिश्रमिक पर प्रधान कार्यालय, टी वी फैक्ट्री तथा क्षेत्रीय बिक्री कार्यालयों/बिक्री एवं सेवा केन्द्रों के आन्तरिक लेखा परीक्षण हेतु लगाया। लेकिन अभी तक आन्तरिक लेखा परीक्षकों ने कोई रिपोर्ट निदेशक मण्डल को प्रस्तुत नहीं की (मार्च 1996)। कम्पनी ने आन्तरिक लेखा परीक्षकों द्वारा संस्तुत आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली के सुधार के कोई प्रयास नहीं किये।

11. अन्य रोचक विषय

2. स.11.1 निरर्थक व्यय

पर्वतों में इलैक्ट्रानिक्स उद्योगों की स्थापना के लिये भारत सरकार से अभिलाषा/अनुज्ञापत्र प्राप्त करने के उद्देश्य से कम्पनी ने सलाहकारों से विभिन्न तकनीकी-आर्थिक साध्यता प्रतिवेदनों (टी. ई. एफ. आर्स.) और बाजार सर्वेक्षण प्रतिवेदनों को तैयार कराने के लिये अगस्त 1994 तक 14.61 लाख रुपये खर्च किये।

अभिलेखों के जाँच से निम्न चूकों/अनियमितताओं का पता चला:

(अ) कम्पनी ने टी ई एफ आर/बाजार सर्वेक्षणों के तैयार कराने के लिए वर्ष 1986-87 और 1987-88 में 8.81 लाख रुपया व्यय किया और संयुक्त क्षेत्र/सहायता प्राप्त क्षेत्र में ईकाईयों की स्थापना हेतु अभिलाषा पत्र प्राप्त कर लिया। लेकिन कम्पनी ने इन ईकाईयों के सह प्रोत्सांहकों का पता लगाने की

कोई कार्यवाही नहीं की जिससे प्राप्त अभिलाषा पत्र कालातीत हो गए। इस प्रकार इन टी ई एफ आर और बाजार सर्वेक्षणों को तैयार कराने में किया गया 8.81 लाख रुपये का सम्पूर्ण व्यय निरर्थक सावित हुआ।

(ब) कम्पनी ने यूनीक कन्सल्टेन्सी सर्विसेस को यू0 पी0 हिल क्वार्टज प्रोजेक्ट के बारे में परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने, विदेशी सहयोगी की व्यवस्था करने और तकनीकी विकास के महानिदेशक (डी जी टी डी) से पंजीकरण कराने के लिए एक आदेश जारी किया (अप्रैल 1989)। सलाहकार को निम्न अनुसूची के अनुसार भुगतान करना था।

(लाख रुपयें में)

अनुबन्ध हस्ताक्षर के समय	0.85
डी जी टी डी से पंजियन हेतु आवेदन पत्र दाखिल करते समय	0.36
विदेशी सहयोगी के व्यवस्था के लिये	1.20
विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने के लिए	1.00
योग	**3.41**

यद्यपि सलाहकार विदेशी सहयोगी की व्यवस्था करने में असफल रहा और डी जी टी डी से यूनिट को पंजीकृत करवा दिया, 3.41 लाख रुपये की पूरी धनराशि मई 1991 में भुगतान कर दी। सलाहकार ने विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन अभी तक(मई 1996) प्रस्तुत नहीं किया।

कम्पनी ने बिना प्रतिवेदन प्राप्त किये एक सहायक कम्पनी जिसका नाम यू. पी. हिल क्वार्टस लिमिटेड था, पिथौरागढ़ में स्थापित कर दी (जुलाई 1989) और साम्य अंशपूंजी में 0.79 लाख रुपये के विनियोजन के अतिरिक्त प्रारम्भिक एवं पूर्व संचालन खर्चों में 7.46 लाख रुपये व्यय कर दिये। यह सहायक कम्पनी मार्च 1991 से बन्द पड़ी है (मई 1996)।

(स) कम्पनी ने हिलट्रान की संयुक्त योजना, जिसमें अगले 10 वर्षों में हिलट्रान के उददेश्य एवं भूमिका शामिल हो, विशेष कार्य कलाप जो कम्पनी द्वारा किये जायें और वांछित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु संगठनात्मक ढाँचे का प्रारुप बनाया जाय, तैयार करने के लिये ए0 फ0 फरगूसन, नई दिल्ली को जुलाई 1994 में एक आदेश दिया।

सलाहकारों को टेलीट्रानिक्स (टी टी एक्स) के लिये पुर्नवास योजना तैयार करने के लिये भी कहा गया। पूरे काम के लिये 2.15 लाख रुपये तय किये गये और साथ में 0.20 लाख की सीमा तक जेब खर्च भी तय किया गया.। 0.65 लाख रुपये अगस्त 1994 में अनुबन्ध की शर्त के अनुसार दे दिये गये जिसमें कार्य 10 सप्ताह यानि 15 अक्टूबर 1994 तक पूरा करना भी था। फर्म ने अभी तक(अप्रैल 1996) न तो संयुक्त योजना और न ही टी टी एक्स की पुर्नवास योजना प्रस्तुत की परिणाम स्वरुप 0.65 लाख का व्यय निरर्थक हो गया। सलाहकारों पर कानूनी नोटिस जारी करने (अगस्त 1995) पर भी कोई अनुक्रिया नहीं

हुयी।

2 स.11.2 ऊंची दर पर खरीद से हानि

कम्पनी ने स्टेट इन्स्टीट्यूट आफ एजूकेशन एन्ड टेक्नालाजी (एस आई डी टी) की ओर से डाइरेक्टर आफ इन्डस्ट्रीज से (जनवरी 1992) 3 बैण्ड के 3812 रेडियो कम टेप रिकार्डर 909.92 रुपये प्रति सेट की नियत दर पर 0.5 प्रतिशत छूट के साथ प्राप्त किया। उन्हीं शर्तों एवं अनुबन्धों पर मार्च 1993 में आई ई टी ने आपूर्ति की मात्रा 6854 सेटों तक बढ़ा दी। कम्पनी ने 2250 सेट 810 रुपये प्रति सेट और 4505 सेट 800 रुपये प्रति सेट कम्पलीटली नाक्ड डाउन (सी के डी) दशा में दिल्ली/लखनऊ के विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त किये (दिसम्बर 1991 से अक्टूबर 1992)। सी के डी किटों को पूर्ण उत्पाद में रुपान्तरित करने की कीमत 31 रुपये थी। लेखा परीक्षा में देखा गया कि विभिन्न प्रस्तावों पर निर्णय लेते समय दिल्ली की एक फर्म से प्राप्त (जून 1993) 740 रुपये प्रति सेट (सी के डी दशा में) का प्रस्ताव कम्पनी ने नजर अन्दाज कर दिया जिसके कोई कारण अभिलेख पर नहीं पाये गये। अभिलेख पर उपरोक्त प्रस्ताव बिना किसी प्रबल कारणों के विचार न करने के फलस्वरुप 4.33 लाख रुपये की परिहार्य हानि हुयी।

उपसंहार

कम्पनी राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में इलेक्ट्रानिक उद्योग के विकास का उद्देश्य प्राप्त करने में असफल रही और लगातार हानि करती रही जिसके मुख्य कारण निम्न पाये गये:

* **अपनी टी वी फैक्ट्री में अल्प उत्पादन;**
* **मजदूरी, प्रशासनिक और बिक्री उपरिव्यय पर अत्याधिक खर्च;**
* **बिना योजनाओं के उचित मूल्यांकन के सहायक कम्पनियों और संयुक्त क्षेत्र की ईकाइयों में अनउत्पादक विनियोजन;**
* **सरकारी योजनाओं को सही प्रकार से लागू करने एवं उद्देश्यों की प्राप्ति में असफल होना;**

प्रबन्धन को अपनी उत्पादन और विपणन कार्यकलापों में सुधार के उपाय, धन लगाने से पहले योजनाओं की तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन प्रणाली का सही ढंग से विकास करना और सरकार द्वारा लागू की जाने वाली योजनाओं की साध्यता का मूल्यांकन करना चाहिए।

मामले से प्रबन्धन को मार्च 1996 में और शासन को जून 1996 में अवगत कराया गया; जिनके उत्तर अभी तक (अक्टूबर 1996) प्रतीक्षित थे।

अनुच्छेद - 3 अ
टाँडा तापीय विद्युत -गृह, टाँडा

प्रस्तर	विवरण	पृष्ठ संख्या
	मुख्य अंश	117
1	प्रस्तावना	118
2	सम्प्रेक्षण का क्षेत्र	118
3	संगठनात्मक ढाँचा	119
4	समय एवं लागत में वृद्धि	119
4.1	समय में वृद्धि	119
4.2	लागत में वृद्धि	120
5	उपकरणों का अधिष्ठान	121
6	परिचालन निष्पादन	123
7	अत्यधिक बस बार ह्रास	127
8	उत्पादन लागत	127
9	कोयले के प्रापण	132
10	भण्डार नियन्त्रण	133
11	मानव शक्ति का विश्लेषण	135
12	अन्य रोचक विषय	136
	उपसंहार	139

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद

अनुच्छेद 3 अ

टांडा तापीय विद्युत-गृह टांडा

मुख्य अंश

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद ने अगस्त 1988 व मार्च 1990 के बीच, चार में से तीन, प्रत्येक 110 मेगा वाट की तापीय इकाई टांडा जिला अम्बेदकर नगर में संस्थापित किया । इकाईयों के संस्थापन में क्रमशः 36, 48 व 60 महीने का विलम्ब हुआ जिससे 47591 लाख रुपये मूल्य की वृद्धि हुई (मूलतः अनुमोदित मूल्य 15925 लाख रुपये) । विलम्ब का मुख्य कारण अभिकल्पों के निश्चयन, अनन्तिम रुप, प्लान्ट तथा उपकरणों की आपूर्ति में विलम्ब तथा धनाभाव था । चतुर्थ इकाई का कार्य लगभग 8000 लाख रुपये, फरवरी 1992 तक, व्यय करने के उपरान्त स्थगित कर दिया गया जो अब तक पुनः प्रारम्भ नहीं किया जा सका (मार्च 1996)।

(प्रस्तर 3अ.1, 3.अ.4.1 3अ.4.2)

छः एच पी हीटर्स (मूल्य 110 लाख रुपये) एवं तीन एच पी / एल पी बाई पास सिस्टम (मूल्य 2.26 लाख रुपये) की संस्थापना नहीं होने के कारण न तो केवल वांछित तापीय क्षमता की उपलब्धि ही हो पाई बल्कि सामान खरीदने में सम्पूर्ण व्यय (112.26 लाख रुपये) अनुत्पादित रहा ।

(प्रस्तर 3अ.5.3)

85 प्रतिशत निर्धारित प्रतिमान के अन्तर्गत परियोजना द्वारा निष्पादित प्लान्ट की प्राप्यता 35.2 से 51.4 प्रतिशत ही रही । जब समस्त राज्य विद्युत परिषदों की क्षमता उपयोगिता की तुलना की गई, तब क्षमता उपयोगिता निर्धारित घण्टों के दौरान बहुत कम थी जिसके कारण 21913 लाख रुपये के 1796.13 मेगा यूनिट के उत्पादन में गिरावट आई ।

(प्रस्तर 3अ.6.1)

आन्तरिक कारणों से इकाई बन्द होने के नियंत्रण पर प्रबन्धन की असफलता से 43792 लाख रुपये के 3589.54 मेगा यूनिट की उत्पादन हानि हुई ।

(प्रस्तर 3अ.6.2)

परियोजना प्रतिवेदन में निर्दिष्ट प्रतिमानों के अनुसार अतिरिक्त खपत उत्पादित ऊर्जा का 10.5 प्रतिशत होना चाहिये । लेकिन वास्तविक खपत जो 9.08 से 15.72 प्रतिशत के बीच रहा, मार्च 1996

तक के पांच वर्षों में 985 लाख रुपये के 80.729 मेगा यूनिट की अधिक खपत हुई, केवल वर्ष 1995-96 को छोड़कर जब यह प्रतिमान से नीचे था ।

(प्रस्तर 3अ.6.4)

बिजली घर में विद्युत उत्पादन का मूल्य 155.17 एवं 228.86 पैसे प्रति यूनिट था जबकि प्रक्षिप्त लागत 91 पैसे प्रति यूनिट थी । कोयला, ईंधन तेल व डी एम वाटर की अत्यधिक खपत, उच्च उत्पादन मूल्य के कारण थे । 1995-96 तक के पांच वर्षों में अत्यधिक खपत का मूल्य आडिट द्वारा 6839 लाख रुपये निकाला गया ।

(प्रस्तर 3अ.8, 3अ.8.1, 3अ.8.2 व 3अ.8.4)

235.51 लाख रुपये का समग्र व्यय जो रेडियल क्लैक्टर वैल (आर सी डब्ल्यू) बनवाने में खर्च हुआ था वह निष्फल हुआ क्योंकि उसमें पानी की गुणवत्ता व राशि को सुनिश्चित नही किया गया तथा ये कुयें अपसर्जित कर दिये गये ।

(प्रस्तर 3अ.12.1)

3अ.1 प्रस्तावना

राज्य में विद्युत ऊर्जा की उत्तरोत्तर मांग को दृष्टिगत रखते हुए, योजना आयोग ने सेन्ट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथारिटी (सी ई ए) के संस्तुति पर मार्च 1979 में टांडा - जिला फैजाबाद (अब अम्बेदकर नगर) में चार तापीय शक्ति इकाई स्थापना हेतु, प्रत्येक 110 मेगा वाट (एम डब्ल्यू) की उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद (उ प्र रा वि प) की एक योजना का अनुमोदन किया । योजना की अनुमानित लागत 15925 लाख रुपये थी और सभी इकाईयां मार्च 1985 तक स्थापित होना सूचीबद्ध थी । अगस्त 1991 में योजना की पुनरीक्षित लागत 47591 लाख रुपये हो गई । इकाई I, II व III क्रमशः मार्च 1988, मार्च 1989 व मार्च 1990 में संस्थापित हुई । धनाभाव के कारण यूनिट IV मार्च 1996 तक परिषद द्वारा संस्थापित नहीं हो सकी ।

3अ.2 सम्प्रेक्षण का क्षेत्र

चतुर्थ इकाई के विभिन्न उपकरणों के अधिष्ठापन तथा मार्च 1995 तक के पांच वर्षों की अवधि के परिचालन निष्पादन संबन्धी क्रिया कलापों की समीक्षा नवम्बर से दिसम्बर 1995 के मध्य की गई जिसका मार्च 1996 तक अद्यतन कर लिया गया । लेखा परीक्षण की उपलब्धियाँ आगे के प्रस्तरों में चर्चित हैं ।

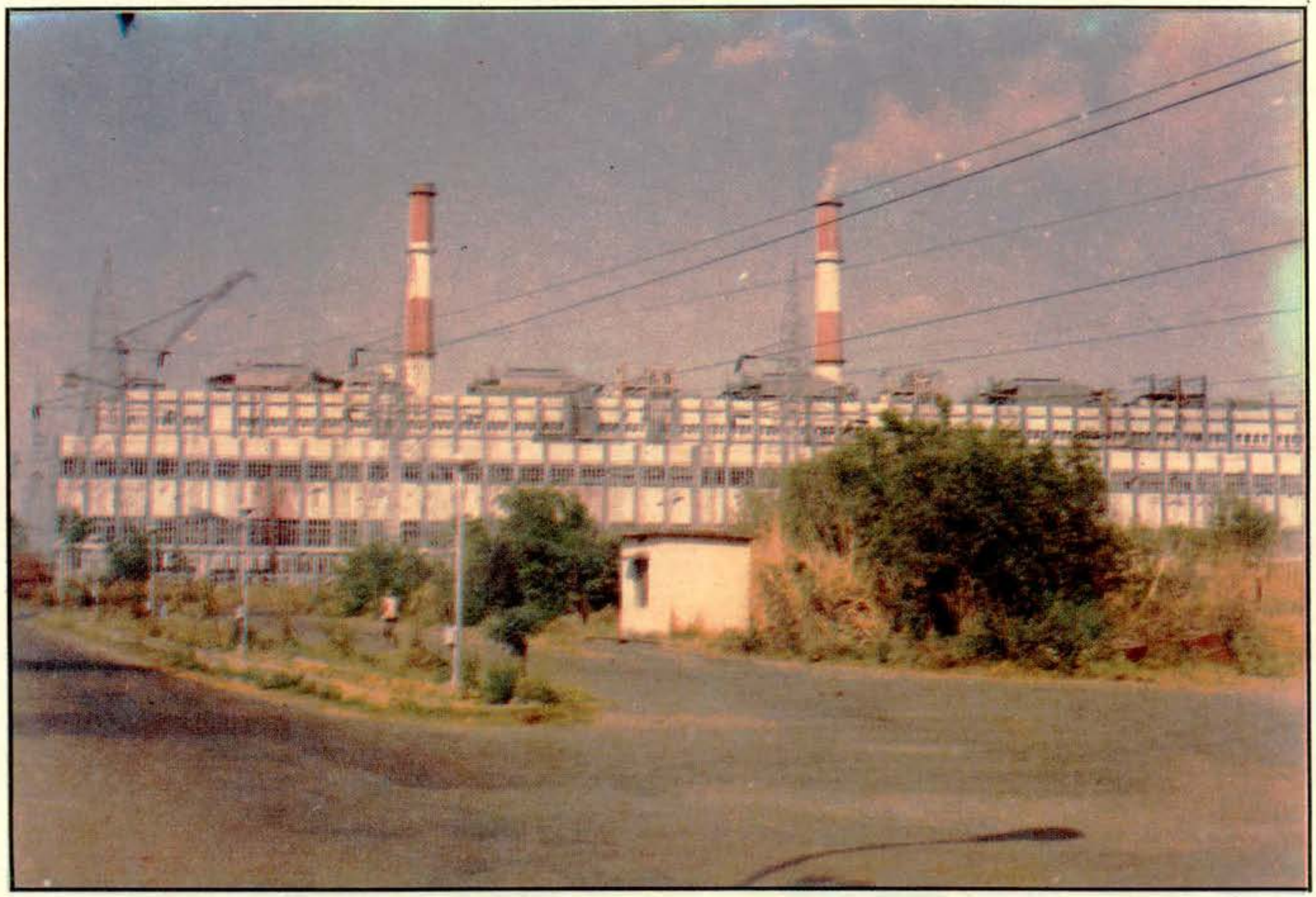

टांडा तापीय विद्युतगृह का एक दृश्य

भारत के नियंत्रक - महा लेखा परीक्षक का 31 मार्च 1989 (वाणिज्यिक) को समाप्त हुए वर्ष के लिये प्रतिवेदन, उत्तर प्रदेश सरकार, में परियोंजना से सम्बन्धित योजना तथा परिपालन की समीक्षा समय एवं लागत में वृद्धि तथा बड़े अनुबन्धों के निष्पादन सिविल, यांत्रिकी विद्युतीय कार्यों से सम्बन्धित लक्षित हुई लेकिन सार्वजनिक उपक्रम समिति में इसकी चर्चा नहीं हुई (अक्टूबर 1996)।

3अ.3 संगठनात्मक ढाँचा

टांडा तापीय विद्युत गृह का समग्र प्रबन्धन लखनऊ में स्थित परिषद के सदस्य (उत्पादन) में सन्निहित है । महा प्रबन्धक, टी टी पी एस विद्युत गृह के दिन-प्रतिदिन परिचालन के प्रबन्धन के लिए उत्तरदायी हैं । इनकी सहायता के लिए सात अधीक्षण अभियन्ता और एक वरिष्ठ लेखा अधिकारी है ।

3अ.4 समय एवं लागत में वृद्धि

3अ.4.1 समय में वृद्धि

योजना आयोग ने 1979 में परियोजना को संस्तुति देते समय चारों इकाईयों की संस्थाना के लिये वर्ष 1984-85 तक का समय दिया था। इकाई I और II के कार्यों की प्रगति भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का 31 मार्च 1989 (वाणिज्यिक) को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन में चर्चित है। इकाई संख्या III की संस्थापना 28 मार्च 1990 को हुई। इकाई के परीक्षण कें समय, मुख्य ट्रान्सफार्मर पारगमन के समय क्षतिग्रस्त हो गया जबकि फर्म ने मई/जून 1990 में क्षतिग्रस्त ट्रान्सफार्मर के पार्ट को बदल दिया था लेकन इकाई कामर्शियल लोड पर नहीं आ सकी क्योंकि परिषद तीनों इकाईयों को चलाने के लिए एक साथ उचित नियंत्रित वायु तथा ठंडा जल उपलब्ध नहीं करा सका। वांछित नियंत्रित वायु तथा ठंढा जल तीनों इकाईयों को चलाने के लिए सितम्बर 1993 के अन्त तक उलब्ध कराया गया जिससे इकाई 1 अक्टूबर 1993 को कामर्शियल लोड पर चल सकी। इस प्रकार परियोजना प्रतिवेदन में निर्दिष्ट तारीख से 8 वर्ष की देर हुई तथा संस्थापन की तिथि से 43 महीने की देर हुई ।

चतुर्थ इकाई का कार्य फरवरी 1992 तक प्रगति में था तथा 95 प्रतिशत कार्य ब्वायलर के उत्थापन तथा 79.8 प्रतिशत कार्य टर्बो जेनरेटर से सम्बन्धित पूर्ण होने के उपरान्त, परिषद ने मार्च 1992 में धनाभाव के कारण कार्य बन्द करा दिया था। 2700 लाख रुपये का ऋण जो जीवन बीमा निगम से परिषद के परेयाजना के प्रधान कार्यों के लिए, जिसमें टांडा भी था, वर्ष 1993-94 व 1994-95 में मिला था, उसे आर्थिक दबाव के कारण कोयले की लागत के भुगतान में कर दिया गया था और कोई भी धनराशि परियोजना के लिए उपलब्ध नहीं करायी गयी। इसलिये चतुर्थ इकाई का उत्थापन कार्य अभी तक (मार्च 1996) शुरु नहीं हुआ। यद्यपि इकाई IV का निर्माण कार्य परित्यक्त नहीं हुआ, लेकिन परियोजना प्रबन्धन द्वारा जून 1989 से सितम्बर 1995 के मध्य 90 प्रतिशत ब्वायलर तथा टर्बो जेनेरेटर (मुख्य ऊर्जा रोटर सम्मिलित करते हुए) के पुर्जों को दूसरे ऊर्जा गृह में स्थानान्तरण करके या दूसरी परियोजना इकाई में उपयोग कर लिया गया। परियोजना प्रबन्धन द्वारा सम्पूर्ण अंशोपयोग की लागत अभी तक (जुलाई 1996)

सुनिश्चित नहीं की गयी ।

परियोजना अधिकारियों ने सम्प्रेक्षण को अपने दिये गये उत्तर (नवम्बर 1995) में, इकाई III व IV के विलम्ब से संस्थापन का कारण धनाभाव व स्टाफ की कमी को बताया ।

प्रबन्धन का उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि जो स्टाफ लगाये गये थे वे वांछित संख्या से अधिक थे जैसा कि आगे प्रस्तर 11 में चर्चा की गई है ।

शुरु से ही परियोजना को धनाभाव का सामना करना पड़ा, जो दोषपूर्ण योजना को प्रदर्शित करना है । प्रबन्धन, समय से परियोजना को समुचित धन व्यवस्था कराने तथा समय के अन्दर पूर्ण तथा संस्थापित कराने में असफल रहा ।

चारों इकाईयों की मार्च 1985 तक अनुबन्धित संस्थापना के विरुद्ध, केवल तीन इकाईयों की अक्टूबर 1993 तक संस्थापना हो सकी। चतुर्थ इकाई का कार्य मार्च 1992 से स्थगित कर दिया गया ।

3अ.4.2 लागत में वृद्धि

परियोजना की मूल लागत 15925 लाख रुपये परिषद द्वारा अगस्त 1991 में पुरनीक्षित करके 47591 लाख रुपये कर दी गयी और सेन्ट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथारिटी (सी ई ए) को अगस्त 1991 में अनुमोदनार्थ प्रेषित कर दी गयी । लेकिन अभी तक (मार्च 1996) सी ई ए द्वारा अनुमोदन प्रतीक्षित था । पुनरीक्षित प्राक्कलन के अनुसार विभिन्न मदों के खर्चों में बढोत्तरी मूल प्राक्कलन की लागत की तुलना में 114 से 764 प्रतिशत के बीच रही जो अधोलिखित है :

15925 लाख रुपये के मूल आँकलित लागत के विरुद्ध, परिषद 43435 लाख रुपये व्यय करने के उपरान्त भी परियोजना पूर्ण नहीं करा सका ।

(लाख रुपयें में)

क्रम संख्या	विवरण	मूल रुप में अनुमानित लागत	पुनरीक्षित अनुमानित लागत	मूल अनुमानित लागत में वृद्धि	वृद्धि प्रतिशत में	मार्च 1996 तक वास्तविक व्यय
1.	भूमि-प्रारम्भिक व्यय सहित	44	380	336	764	196
2.	सिविल कार्य	2275	10618	8343	367	9171

(लाख रुपयें में)

क्रम संख्या	विवरण	मूल रूप में अनुमानित लागत	पुनरीक्षित अनुमानित लागत	मूल अनुमानित लागत में वृद्धि	वृद्धि प्रतिशत में	मार्च 1996 तक वास्तविक व्यय
3.	प्लान्ट एवं मशीनरी उत्थापन तथा स्पेयर सहित	11192	26995	15803	141	24039
4.	विविध व्यय	1132	2427	1295	114	3746
5.	उपरिव्यय	1282	7171	5889	459	6283
	योग	**15925**	**47591**	**31666**	**199**	**43435**

उपरोक्त से यह देखा जा सकता है कि प्लान्ट एवं मशीनरी में 141 प्रतिशत की वृद्धि तथा उपरिव्यय में 459 प्रतिशत की वृद्धि सिविल कार्य में 367 प्रतिशत की वृद्धि, के विरुद्ध हुई । परियोजना की पुनरीक्षित अनुमानित लागत में 31666 लाख रुपये की वृद्धि के कारण क्रमशः मूल्य वृद्धि (14053 लाख रुपये), कार्य के परिमाण में वृद्धि (8850 लाख रुपये), नये मद के प्रस्तुत/जुड़ने (3540 लाख रुपये) और अन्य कारण (5223 लाख रुपये) थे ।

फिर भी, 31 मार्च 1996 तक वास्तविक व्यय जो परिषद को अनुवर्तित किया गया (अगस्त 1996) 43435 लाख रुपये था । यह आगे उल्लिखित किया जाता है कि इकाई IV के निर्माण में 8000 लाख रुपये का व्यय हुआ, वह कार्य (परिषद के आदेशानुसार दिनांक 19 फरवरी 1992) धनाभाव के कारण मार्च 1992 में स्थगित कर दिया गया । इकाई IV का अपूर्ण उत्थापन कार्य तीन वर्ष व्यतीत हो जाने के पश्चात् भी अभी तक (मार्च 1996) न हो सका जिसके कारण परिषद को 8000 लाख रुपये जो निवेशित किये गये, उसका लाभ भी न मिल सका, बल्कि 1440 लाख रुपये के वार्षिक ब्याज (18 प्रतिशत की दर से) का भी भार वहन करना पड़ा ।

3अ.5 उपकरणों का अधिष्ठापन

इकाई I, II व III के संस्थापन से सम्बन्धित प्लान्ट पुस्तिका मार्च 1996 तक पूर्ण नहीं हुई । अन्य सम्बन्धित अभिलेखों की सूक्ष्म परीक्षण का परिणाम आगे के प्रस्तरों में विवेचित है।

3अ.5.1 आटो कन्ट्रोल लूप्स एवं एनालाईजर का संस्थापित न होना

आटो कन्ट्रोल लूप्स एवं एनालाईजर, कन्ट्रोल एवं इन्स्ट्रूमेन्टेशन (सी एण्ड आई) प्रणाली के

आवश्यक अवयव हैं । इनकी भूमिका विषम परिस्थितियों में प्लान्ट में मशीनरी को प्रस्तावित प्रतिमान के अन्तर्गत कार्य को सुनिश्चित करते हुए अनावश्यक बन्द को रोकना है । इस प्रकार का नियंत्रण निर्धारित समय के अन्तर्गत हस्तचालित संचालन द्वारा संभव नही है,

आटो कन्ट्रोल लूप्स व एनालाईजर के अधिष्ठापित न होने से परिषद परिहार्य ट्रिपिंग्स को नियंत्रित न कर सका और जिसके कारण 244 लाख रुपये के 20.03 मेगा यूनिट उत्पादन का ह्रास हुआ ।

परिणामतः इकाई के बन्द होने की संख्या में 20 से 25 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई, जिसके कारण 25 से 50 मिनट तक का उत्पादन बन्द होता था ।

परिषद के थर्मल डिजाइन इंजीनियरिंग विभाग ने मार्च 1987 में इन्शट्रूमेन्टेशन लिमिटेड, कोटा को सम्पूर्ण सी एण्ड आई पैकेज, चारों इकाईयों में आपूर्ति और संस्थापन हेतु 1675 लाख रुपये का क्रयादेश दिया । आपूर्ति, उत्थापन तथा संस्थापन का कार्य संबन्धित इकाई की संस्थापन अनुसूची के अनुसार होना था । आपूर्तिकर्ता द्वारा उपकरणों की विलम्ब से आपूर्ति करने के कारण अनुसूचित समय दिसम्बर 1993 से बढ़ाकर दिसम्बर 1994 कर दिया गया । दिसम्बर 1995 में ये देखा गया कि सी एण्ड आई पैकेज के अवयव जो ठेकेदार द्वारा आपूर्ति किये जाने थे, निर्धारित (बढ़े हुये) समय के अन्दर थे । फिर भी, आटो कन्ट्रोल लूप्स एवं एनालाईजर तीनों संस्थापित इकाईयों के लिए जिनका मूल्य 143.85 लाख रुपये था, मार्च 1996 तक संस्थापित नहीं हुए । और मशीनें बिना स्व नियंत्रित उपकरणों को लगाये चल रहीं थीं । स्वचालित उपकरण की अनुपस्थिति में प्लान्ट एवं मशीनरी निर्धारित प्रतिमान के अन्दर काम न कर सकी। इस प्रकार, 1995-96 तक पांच वर्षों में मशीन परिहार्य बन्दी के कारण 274 घण्टे बन्द रही जिससे 244 लाख रुपये के 20.03 मेगा यूनिट का उत्पादन ह्रास हुआ ।

3अ.5.2 उन्नयन का अधिष्ठापित न होना

परिषद ने दिल्ली की एक फर्म को मार्च 1982 में 3 आऊटडोर गुड्स-कम-पैसेन्जर उन्नयन जिसमें 1768 किग्रा भार उठाने की क्षमता हो, की डिजाइन, निर्माण, आपूर्ति, अधिष्ठापना, परीक्षण एंव संस्थापना हेतु 17.44 लाख रुपये का एक क्रयादेश दिया (स्पयेर्स की लागत सम्मिलित लेकिन एक्साईज, सी एस टी वास्तविक पर देय) जो बाद में मूल्य की बढोत्तरी के कारण बढ़कर 29.25 लाख रुपये हो गया ।

सम्प्रेक्षण के दौरान सितम्बर 1989 से अक्टूबर 1990 के मध्य यह देखा गया कि फर्म ने 27.95 लाख रुपये के तीनों उन्नयनों के उपकरणों की आपूर्ति कर दी थी । इसके विरुद्ध 8.41 लाख रुपये का भुगतान नवम्बर 1995 में आपूर्तिकर्ता को इस आधार पर किया गया कि फर्म ने 1 जुलाई 1990 को लिफ्ट संख्या 1 का उत्थापन कार्य शुरु कर दिया था लेकिन कुछ कार्य करने के बाद बन्द कर दिया गया । फर्म ने जुलाई 1995 में प्रबन्धन से पूछा कि लिफ्ट का कार्य पूर्ण कराने के लिए शेष धनराशि का भुगतान कर दे अन्यथा वह आपूर्ति किये गये सामान को वापस ले लेगा । इस प्रकार बकाया धनराशि का भुगातन न करने पर न केवल परिषद का धन 8.41 लाख रुपये अवरुद्ध रहा बल्कि परिषद उन्नयन की अधिष्ठापना न होने

नियंत्रण कक्ष–परियोजना का स्पन्दन केन्द्र

से इसके लाभ से वंचित रहा । इसके अतिरिक्त, लम्बे समय तक भण्डारण के कारण इसकी गुणवत्ता में कमी होने को नकारा नहीं जा सकता ।

परियोजना प्रबन्धन ने नवम्बर 1995 में व्यक्त किया कि उन्नयन की अधिष्ठापना का कार्य ठेकेदार द्वारा पुनः शुरु कर दिया जायेगा क्योंकि ठेकेदार ने सितम्बर 1995 में यह कहा था कि भुगतान की पहली किश्त मिलने के 15 दिन के अन्दर काम शरु कर देंगे और यह कार्य 9 महीने के अन्दर पुरानी दर पर समाप्त कर देंगे यदि शेष धन 19.54 लाख रुपये का भुगतान छमाही किश्त पर कर दिया जाये । तीन लाख रुपये की प्रथम किश्त का भुगतान फरवरी 1996 में कर दिया गया लेकिन जुलाई 1996 तक उत्थापन कार्य शुरु नहीं हुआ ।

3अ.5.3 हाई प्रेशर (एच पी) हीटर्स एवं एच पी / एल पी बाई पास सिस्टम का संस्थापित न होना

इष्ठतम तापीय दक्षता प्राप्त करनके के लिए परिषद ने मार्च 1978 में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बी एच ई एल) नई दिल्ली को 110 मेगा वाट का टर्बो जेनेरेटर सेट्स, मशीनिंग ब्वायलर तथा सम्बन्धित सहायक जिसमें आपस में जुड़े हुए पाइपिंग और एच पी/एल पी बाई पास सिस्टम सहित 9150 लाख रुपये के पुनरीक्षित लागत पर एक क्रयादेश दिया । इन उपकरणों के उत्थापन और संस्थापन का कार्य जुलाई 1983 में इंग्लिश इलेक्ट्रिक कम्पनी को 135 लाख रुपये में टर्नकी आधार पर दिया ।

दिसम्बर 1995 में यह पाया गया कि तीन ब्वायलर और टर्बो जेनेरेटर का कार्य मार्च 1988 व मार्च 1990 के मध्य समाप्त हुआ । लेकिन 110 लाख रुपये मूल्य के 6 एच पी हीटर्स और 2.26 लाख रुपये मूल्य के तीन एच पी / एल पी बाई पास सिस्टम जो ब्वायलर एवं टर्बो जेनेरेटर के साथ प्राप्त हुए थे उनकी संस्थापना मार्च 1996 तक न हो सकी जिसके कारण अभिलेख में उल्लिखित नहीं थे । इस कारण तापीय दक्षता 21.1 से 29.38 प्रतिशत तक सीमित रही जबकि वांछित दक्षता 33 प्रतिशत थी (प्रस्तर 8.5) । इस प्रकार एच पी हीटर्स और एच पी / एल पी बाई पास सिस्टम के प्रापण का उद्देश्य निष्फल रहा और पूरी धनराशि 112 लाख रुपये जो प्रापण पर खर्च की गई थी, अनोत्पादित रही । उपरोक्त धन पर ब्याज का वार्षिक आपात 18 प्रतिशत वार्षिक दर से 20.16 लाख रुपये हुआ ।

3अ.6 परिचालन निष्पादन

3अ.6.1 संयन्त्र उपलब्धता* एवं क्षमता उपयोग**

राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एक "टेक्निकल कमेटी आन पॉवर" ने अपने प्रतिवेदन (दिसम्बर 1972) में संस्तुति किया कि परिषद के तापीय विद्युत गृहों को अल्प समयावधि में ही 80 प्रतिशत तथा

---

* प्लान्ट की उपलब्धता, प्लान्ट का संचालन एवं वर्ष में उपलब्ध घण्टों का अनुपात है ।

** क्षमता उपयोग, संस्थापित उत्पादन क्षमता एवं वास्तविक उत्पादन का अनुपात है ।(इसको प्लान्ट लोड फैक्टर भी कहते है ।)

अगले दो तीन वर्षों में 85 प्रतिशत प्लान्ट उपलब्धता प्राप्त कर लेने का लक्ष्य रखना चाहिये था । 1995-96 तक के पांच वर्षों में प्लान्ट की उपलब्धता एवं क्षमता उपयोग की स्थिति नीचे दी हुई है:

क्रम संख्या	विवरण	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96
1.	उपलब्ध घण्टे	17568.00	17520.00	21888.00	26280.00	26352.00
2.	संचालन के घण्टे	6176.00	8199.00	9456.00	11127.00	13554.00
3.	प्लान्ट उपलब्धता का प्रतिशत	35.20	46.80	43.20	42.30	51.40
4.	संस्थापित उत्पादन क्षमता (मेगा यूनिट)	1932.48	1937.20	2407.68	2890.80	2898.72
5.	सम्भावित उत्पादन*** (मेगा यूनिट)					
	(क) उपलब्ध घण्टे	679.36	901.89	1046.16	1223.97	1490.94
	(ख) वास्विक घण्टे	459.86	605.72	684.16	772.45	1025.00
	(ग) उत्पादन ह्रास	220.50	296.17	362.00	451.52	865.94
6.	क्षमता उपयोग का प्रतिशत	23.8	31.4	28.4	26.7	35.4

अतः टी टी पी एस द्वारा मार्च 1996 तक के पांच वर्षों में प्लान्ट की उपलब्धता निर्धारित 85 प्रतिशत प्लान्ट उपलब्धता के विरुद्ध 35.2 से 51.4 प्रतिशत तक के बीच रहा। इसी प्रकार उपरोक्त पांच वर्षों में टी टी पी एस में क्षमता उपयोग 23.8 और 35.4 प्रतिशत के बीच रहा जबकि औसत क्षमता उपयोग देश में समस्त राज्य विद्युत परिषदों द्वारा करीब 53.5 प्रतिशत था । टी टी पी एस में मार्च 1996 तक के पांच वर्षों में प्लान्ट के खराब प्रदर्शन के कारण उत्पादन में 21913 लाख रुपये के 1796.13 मेगा यूनिट की गिरावट आई ।

खराब प्लान्ट उपलब्धता तथा क्षमता उपयोग के कारण उत्पादन में 21913 लाख रुपये के 1796.13 मेगा यूनिट की गिरावट आई ।

प्रबन्धन ने नवम्बर 1995 में गिरावट का कारण खराब गुण के कोयले, बार-बार इकाईयों का बन्द होना, एच पी हीटर्स और एल पी बाई पास सिस्टम का सर्किट से बाहर होना तथा आटो लूप्स की अधिक संख्या का संस्थापन न होना बताया । प्रबन्धन ने जुलाई 1996 में पुनः व्यक्त किया कि वर्ष 1995-96 के दौरान उनके अपने प्रयासों से उत्पादन सुधरा । विगत वर्षों में इस प्रकार प्रयत्न न करने का कारण व्यक्त नहीं किया गया ।

*** सम्भावित उत्पादन (मेगा यूनिट में) वास्तविक घण्टे और संस्थापित उत्पादन क्षमता का गुणनफल दर्शाता है ।

उत्पादन की हानि

मिलियन यूनिट में

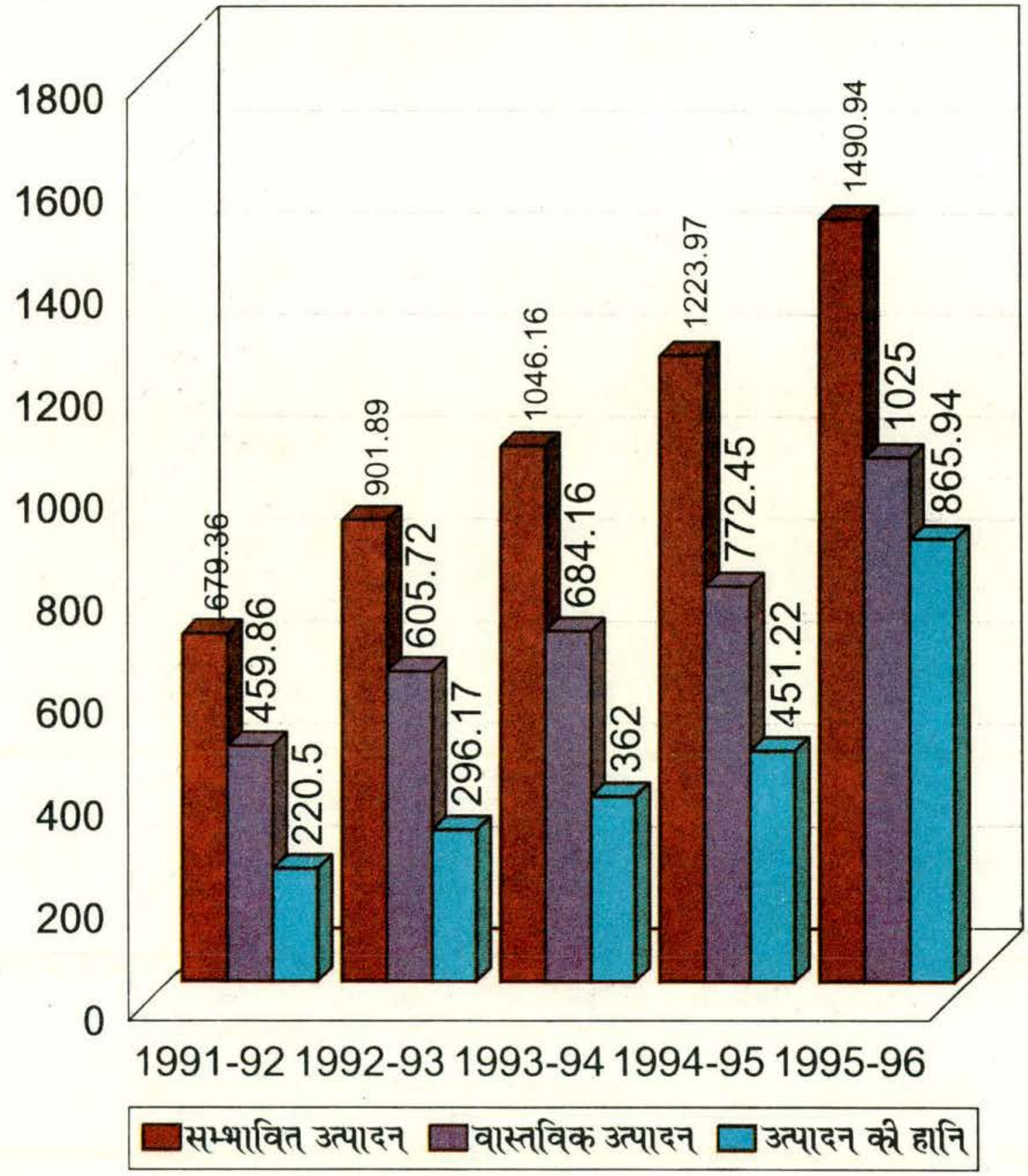

(सन्दर्भ : प्रस्तर संख्या - 3अ.6.1)

3अ.6.2 बन्दी

विद्युत गृह की बन्दी स्थूल रुप से योजनाबद्ध बन्दी, विवशक बन्दी और आन्तरिक अपवर्तन के कारण बन्दी के रुप में श्रेणीबद्ध हैं। 1995-96 तक के पांच वर्षों में इस प्रकार की बन्दी का विवरण अधोलिखित है:

विवरण	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96
क. योजना बद्ध बन्दी (ओवर हालिंग)	4512	2232	--	1992	2952
ख. विवशक बन्दी (ग्रिड की खराबी)	124	34	52	31	45
ग. आन्तरिक अपवर्तन के कारण बन्दी	6756	7055	12380	13130	9801
बन्दियों का योग (क+ख+ग)	**11392**	**9321**	**12432**	**15153**	**12798**

योजनाबद्ध बन्दी आंशिक रुप से प्रबन्धन के नियंत्रण में था और इसका विवेचन अलग से प्रस्तर 6.3 में किया गया है । ग्रिड की खराबी के कारण बन्दी प्रबन्धन के नियंत्रण के परे था लेकिन आन्तरिक अपवर्तन के कारण बन्दी नियंत्रण में था । फिर भी प्रबन्धन ने अनुरक्षण / ओवरहालिंग की कोई भी अनुवर्तन की योजना की युक्ति नहीं बनाई जिससे कि इन बन्दियों का अनुसूची के अनुसार प्रभावकारी नियंत्रण किया जा सके, परिणामतः आन्तरिक अपवर्तन के कारण बन्दियाँ 1991-92 में 6756 घण्टे से 1994-95 में 13130 तक लगातार बढ़ती गई और 1995-96 के पांच वर्षों तक पूरी बन्दियों (61096 घण्टे) का 80.4 प्रतिशत (49122 घण्टे) रहा । इस प्रकार 43792 लाख रुपये मूल्य की 3589.54 मेगा यूनिट का उत्पादन ह्रास हुआ ।

3अ.6.3 ओवर हालिंग में अत्यधिक समय का दिया जाना

कुलकर्णी आयोग ने अप्रैल 1975 में संस्तुति दी कि ब्वायलर का अनुरक्षण वर्ष में एक बार 28 दिनों (672 घण्टों) के अन्दर तथा टर्बो जेनेरेटर का तीन से पांच वर्षों के बीच एक बार, 45 दिनों (1080 घण्टों) के अन्दर होना चाहिये ।

---

* बन्दी, विद्युत गृह की इकाईयों का संचालन न होने का घण्टों में दर्शाती है ।

उपरोक्त् प्राचल के विरुद्ध मई से नवम्बर 1991 तथा जनवरी से अप्रैल 1995 में ब्वायलर तथा इकाई । में अप्रैल से अगस्त 1991, दिसम्बर 1992 से अप्रैल 1994 और जून 1995 से अक्टूबर 1995 में टर्बो जेनेरेटर में अनुरक्षण में लिया गया वास्तविक समय क्रमशः 5832 घण्टे (243 दिन) तथा 4512 घण्टे (188 दिन) अधिक था ।

प्रबन्धन का आन्तरिक अपवर्तन के कारण बन्दी पर नियंत्रण करने में असफल होने के कारण 43792 रुपये के 3589.454 मेगा यूनिट का उत्पादन ह्रास हुआ ।

इस प्रकार 9227 लाख रुपये के 456.35 मेगा यूनिट का उत्पादन ह्रास घटित हुआ । यूनिट II और III के ब्वायलर और टर्बो जेनेरेटर की संस्थापना के शुरुआत से ही ओवहालिंग नहीं हुई ।

प्रबन्धन ने जुलाई 1996 में 1992-93 की अवधि के लिये विलम्ब के कारणों के बारें में यह व्यक्त किया कि धनाभाव के कारण समय से स्पेयर्स का प्रबन्ध नहीं हो सका । सम्प्रेक्षण ने यह प्रकट किया कि स्पेयर्स का मूल्य जिसका धनाभाव के कारण प्रबन्ध नही हो सका वह 3.52 लाख रुपये का था जबकि 2352 घण्टे विलम्ब के कारण 2794 लाख रुपये के 258.72 मेगा यूनिट का उत्पादन ह्रास हुआ ।

3अ.6.4 सहायक खपत

विद्युत गृह में उत्पादित कुछ ऊर्जा का खपत सहायक रुप में होता है और वह बेचने के लिए उपलब्ध नहीं होती है । 10.5 प्रतिशत का प्रतिमान जो परियोजना प्रतिवेदन में निबद्ध है और सी ई ए द्वारा भी निर्धारण किया गया है, के विरुद्ध सहायक खपत मार्च 1996 तक के पांच वर्षों में सम्पूर्ण उत्पादन की 9.08 तथ 15.7 प्रतिशत के बीच रही ।

सम्पूर्ण अत्यधिक सहायक खपत मार्च 1996 तक के पांच वर्षों में 985 लाख रुपये के 80.729 मेगा यूनिट था जबकि 1995-96 में यह प्रतिमान के नीचे था ।

तथापि, परियोजना अधिकारियों ने बताया (नवम्बर 1996) कि सहायक खपत उपरोक्त अवधि में, प्रत्येक वर्ष, इकाई के संस्थापन / पुनः संस्थापन के कारण हुई । उत्तर तर्कसंगत इस उद्देश्य से नही था क्योंकि पुनरीक्षित आकलन जो 1991 में तैयार किया गया था, उसमें सहायक खपत, विभिन्न इकाईयों के संस्थापन / पुनः संस्थापन को अनुसूची के अनुरुप निर्धारित किया गया था।

80.79 मेगा यूनिट की सहायक खपत, प्रतिमान से अधिक होने के कारण 9851 लाख रुपये का ह्रास घटित हुआ।

बन्दी के कारण घंटों की हानि

(बन्दी घंटों में)

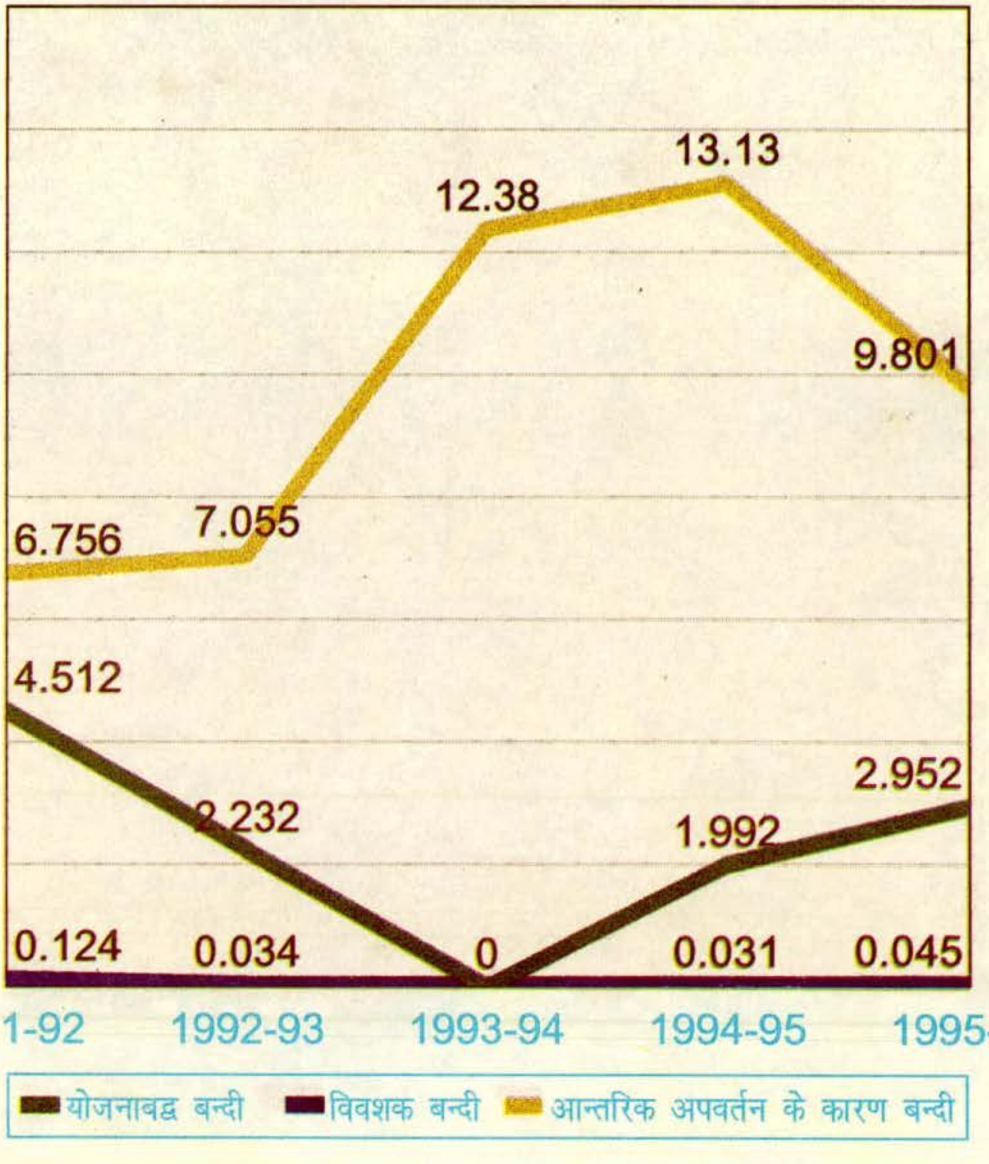

(सन्दर्भ : प्रस्तर संख्या - 3अ.6.2)

3अ.7 अत्यधिक बस बार ह्रास

मुख्य अभियन्ता (थर्मल आपरेशनल मानिटरिंग) ने तापीय परियोजना के वास्तविक बस बार ह्रास की मात्रा की समीक्षा करते हुए जुलाई 1994 में यह निर्देश सामान्य प्रबन्धक को समय-समय पर दिया कि पूरी तरह से बस बार ह्रास को मीटर का रिकेलिब्रेशन तथा बिना मीटर की विद्युत आपूर्ति की जाँच करते हुये 0.8 प्रतिशत तक सीमित रखने का प्रयत्न करना चाहिये ।

परिषद को 101.877 मेगा यूनिट के 1243 लाख रुपये की प्रतिमानों से अधिक बस बार ह्रास के कारण हानि हुई ।

यह देखा गया कि 0.8 प्रतिशत प्रतिमान के विरुद्ध बस बार ह्रास वर्ष 1995-96 तक के पांच वर्षों में (1991-92 को छोड़कर) 1 और 7.9 प्रतिशत के बीच रहा ।

अतिरिक्त बस बार ह्रास, वांछित प्रतिमान से 101.877 मेगा यूनिट अधिक रहा जिसका मूल्य, परिषद के औसत बिक्री प्राप्ति 122 पैसे प्रति यूनिट की दर से 1995-96 तक के पांच वर्षों में 1243 लाख रुपये रहा ।

प्रबन्धन ने जुलाई 1996 में अपने उत्तर में व्यक्त किया कि ऊर्जा का ह्रास खराब मीटरों तथा परिवर्तन क्रिया के दौरान के कारण अपरिहार्य था । लेकिन वांछित सीमा तक बस बार ह्रास पर नियंत्रण करने की युक्ति को प्रारम्भ करने का कोई उल्लेख नहीं है ।

3अ.8 उत्पादन लागत

अगस्त 1991 से पुनरीक्षित परियोजना आकलन में बिक्री योग्य ऊर्जा का उत्पादन मूल्य 91 पैसे प्रति यूनिट था । तथापि वर्ष 1991-92 से 1995-96 तक वास्तविक उत्पादन मूल्य 155.17 से 228.86 पैसे प्रति यूनिट परिवर्तित होता रहा जिससे 20838 लाख रुपये का निर्दिष्ट राजस्व से अधिक का घाटा हुआ ।

अधिक उत्पादन लागत आने के कारणों का विश्लेषण परिषद द्वारा नहीं किया गया। यद्यपि सम्प्रेक्षा में विश्लेषण के अनुसार उत्पादन लागत अधिक होने के लिये अंशतः कोयले, तेल एवं अन्य सामग्रियों की अधिक खपत होना था।

---

* बस बार ह्रास ट्रान्सफार्मर के निवेश बिन्दु पर प्राप्त ऊर्जा और ऊर्जा जो वास्तविकता में परिवर्तन के बाद निर्गम की जाती है, के अन्तर को प्रदर्शित करता है । (इसको परिवर्तन ह्रास भी कहते हैं)

3अ.8.1 कोयले की अत्यधिक खपत

कोयले की खपत उपयोग में लाये गये कोयले की ऊष्मीय शक्ति पर सीधे निर्भर करती है । 4700 किलो कैलोरी / किग्रा ऊष्मीय शक्ति, ब्वायलर की 86 प्रतिशत कार्य क्षमता और 2176 किलो कैलोरी / के डब्ल्यू एच टरबाईन की ऊष्मीय दर के आधार पर, पुनरीक्षित परियोजना प्रतिवेदन में कोयले की खपत 0.537 किग्रा प्रति के डब्ल्यू एच पूर्व भाषित थी ।

5.24 लाख टन कोयले, जिसका मूल्य 4207 लाख रुपये था, जो परियोजना में पूर्व भाषित वांछित कोयले की मात्रा से अधिक था, की अधिक खपत हुई ।

कोयले की आवश्यकता और वास्तविक कोयले की खपत का तुलनात्मक विवरण 1995-96 तक के पांच वर्षों में अधोलिखित तालिका में वर्णित है :

क्रम संख्या	विवरण	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96
1.	उत्पादन (मेगा यूनिट)	459.860	605.720	684.160	772.450	1025.000
2.	(क) कोयले की व्हेटेड औसत कैलोरिफिक वैल्यू-प्राप्ति	3617.450	3343.830	3233.880	3168.290	2841.000
	(ख) कोयले की आवश्यकता प्रति यूनिट ऊजा उत्पादन में (किग्रा)	0.693	0.755	0.780	0.797	0.891
3.	कोयले की सम्पूर्ण आवश्यकता (लाख टन में)	3.21	4.57	5.34	6.16	9.13
4.	(क) वास्तविक कोयले की खपत (लाख टन में)	4.14	5.64	6.50	7.33	10.04
	(ख) वास्तविक कोयले की खपत प्रति यूनिट ऊर्जा उत्पादन में (किग्रा/के डब्ल्यू एच)	0.90	0.93	0.95	0.95	0.98
5.	अत्यधिक कोयले की खपत (लाख टन में) (4क-3)	0.93	1.07	1.16	1.17	0.91
6.	औसत मूल्य प्रति टन (रुपये में)	596	703	829	927	939
7.	अधिक कोयले की खपत का मूल्य (लाख रुपये में)	554	752	962	1085	854

इस प्रकार 1995-96 तक के पांच वर्षों में 4207 लाख रुपये मूल्य के 5.24 लाख टन कोयले की अधिक खपत हुई लेकिन परिषद ने मार्च 1996 तक न तो किसी भी कारण का विश्लेषण किया और न ही कोयले की खपत को कम करने के लिए कोई प्रभावकारी युक्ति अपनाई ।

सम्प्रेक्षण के दौरान कोयले की अधिक खपत के मुख्य कारण (नियंत्रण योग्य) विश्लेषित किये गये जो अधोलिखित हैं:

(i) अभिकल्पित दक्षता की तुलना में लघुत्तर तापीय दक्षता की उपलब्धि (प्रस्तर 8.5)

(ii) एच पी हीटर्स और एच पी / एल पी बाई पास सिस्टम का संस्थापित न होना (प्रस्तर 5.3) एवं

(iii) आटो कन्ट्रोल लूप्स का संस्थापित न होना (प्रस्तर 5.1)

3अ.8.2 ईंधन तेल की अधिक खपत

फरनेस ऑयल तथा हल्के डीजल ऑयल की आवश्यकता ब्वायलरों को प्रारम्भ करने तथा लौ के स्थिरीकरण के लिये होती है । सी ई ए ने अक्टूबर 1991 में पुनरीक्षित आकलन की समीक्षा करते समय ईंधन तेल की खपत का प्रतिमान 10 मिली प्रति के डब्ल्यू एच निर्धारित किया ।

सी ई ए के प्रतिमान के ऊपर 2621 लाख रुपये मूल्य के ईंधन तेल की अधिक खपत हुई ।

1995-96 तक के पांच वर्षों में ईंधन तेल की अधिक खपत सी ई ए द्वारा निर्धारित प्रतिमानों से 46828 किलो लीटर ऊपर था, जिसका मूल्य 2621 लाख रुपये था । विवरण नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है ।

क्रम संख्या	विवरण	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96
1.	उत्पादित यूनिट (मेगा यूनिट)	459.860	605.720	684.160	772.450	1025.000
2.	ईंधन ऑयल की खपत (किलो लीटर में)					
	(क) प्रतिमानों के आधार पर	4599	6077	6842	7725	10250
	(ख) वास्तविक	16230	13872	16700	20878	14641
	(ग) अधिकता (ख-क)	11631	7795	9858	13153	4391
3.	अधिक ईंधन आयल की खपत का मूल्य (लाख रुपये में)	514	409	480	913	305

प्रबन्धन ने जुलाई 1996 में अधिक ईंधन तेल की खपत का कारण कोयला मिल की बन्दी तथा

अधिक ट्रिपिंग्स बताया। लेकिन प्रबन्धन द्वारा मार्च 1996 तक अधिक ईंधन तेल की खपत को रोकने के लिये कोई सुधारात्मक युक्ति नहीं अपनाई गई ।

3अ.8.3 टरबाईन ऑयल की अधिक खपत

बी एच ई एल, प्लान्ट के निर्माता के टरबाईन परिचालन और अनुरक्षण पुस्तिका के अनुसार टर्बो जेनेरेटर सेट्स में टरबाईन ऑयल की खपत 40 लीटर प्रतिदिन प्रतिघण्टा (1.67 लीटर के बराबर) होना था । जबकि 1995-96 तक के पांच वर्षों में टरबाईन ऑयल की औसत खपत 1.82 से 2.77 लीटर प्रति घण्टे के बीच रहा । टरबाईन आयल की सम्पूर्ण अधिक खपत इन अवधि में 26825 लीटर जिसका मूल्य 10.73 लाख रुपये था । प्रबन्धन द्वारा टरबाईन ऑयल के प्रतिमान से अधिक खपत के कारणों का अभिलेख में कोई भी उल्लेख नही था और न ही इन कारणों का विश्लेषण ही किया गया ।

3अ.8.4 डिमिनिरलाईज्ड वाटर (डी एम) की अधिक खपत

डिमिनिरलाइज्ड (डी एम) वाटर प्राकृतिक जल से कास्टिक सोडा लाय और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग करके तथा अम्लीय व क्षारीय खनिज का निष्कासन करके प्राप्त किया जाता है । पुनरीक्षित परियोजना प्रतिवेदन में डी एम वाटर की आवश्यकता प्रत्येक इकाई के परिचालन में 32.5 घन मीटर प्रति घण्टा निहित था जो बढ़ाकर 40 घनमीटर प्रति घण्टा हो सकता था ।

सम्प्रेक्षण के दौरान यह पाया गया कि मार्च 1995 तक के चार वर्षों में डी एम वाटर की खपत 40.5 से 53.3 घन मीटर प्रति घण्टा के मध्य रहा (वर्ष 1995-96 के दौरान खपत 31.5 घन मीटर प्रति घण्टा था) । डी एम वाटरकी अधिकतम निर्धारित मात्रा से अधिक खपत के कारण 6.64 लाख रुपये के 136.44 टन कास्टिक सोडा लाय और 4.38 लाख रुपये के 276.12 टन हाइड्रोक्लोरिक एसिड का अधिक उपयोग हुआ ।

प्रबन्धन ने नवम्बर 1995 में व्यक्त किया कि डी एम वाटर की अधिक खपत, खराब ब्वायलर ट्यूब से वाष्पीय रिसाव, वाल्व में रिसाव व लगातार ट्रिपिंग्स के कारण थी । लेकिन प्रबन्धन ने यह नहीं बताया कि सुधार प्रक्रिया क्यों नही की जा सकी ।

---

* तापीय दक्षता, तापीय ऊर्जा के निवेश और विद्युत ऊर्जा के निर्गम के अनुपात को प्रदर्शित करता है ।

*

3अ.8.5 तापीय दक्षता

पुनरीक्षित परियोजना आकलन के अनुसार विद्युत गृह के तीनों संस्थापित उत्पादित इकाईयों के सभी टरबाईन की अभिकल्पित तापीय दर ब्वायलर की 86 प्रतिशत दक्षता पर 2176 किलो कैलोरी प्रति के डब्ल्यू एच निश्चित की गई थी और तापीय दर 0.97 के उत्पादित दक्षता पर 2608.487 किलो कैलोरी प्रति के डब्ल्यू एच की गई । समग्र तापीय दक्षता जो संपादित हुई वह 32.969 प्रतिशत थी। जबकि टी टी पी एस की वास्तविक तापीय दक्षता 1995-96 तक के पांच वर्षों में 21.1 प्रतिशत 29.4 के बीच रही ।

अधिकल्पित क्षमता की तुलना में न्यून तापीय दक्षता की उपलब्धि के कारण कोयले और तेल की अधिक खपत के कारण 5530 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ ।

निष्पन्न न्यून तापीय दक्षता प्राप्ति के कारण कोयले का अधिक निवेश हुआ । अधिक तापीय निवेश का मूल्य कोयले के रुप में (तेल की प्रमाणिक खपत का परियोजना प्रतिवेदन में कोई विशिष्ट उल्लेख नहीं है और न तो प्रबन्धन द्वारा ही सूचित किया गया है) 1995-96 तक के पांच वर्षों में 5530 लाख रुपये निकाला गया जिसका विवरण नीचे की तालिका में दिया गया है-

क्रम संख्या	विवरण	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96
1.	वास्तविक खपतः					
	(क) कोयला (टन)	413874	564178	649820	733782	1004483
	(ख) तेल* (किलो लीटर)	16230	13872	16700	20878	14641
2.	ऊष्मीय मूल्य					
	(क) कोयला (के कैल/किग्रा)	3617	3344	3234	3168	2841
	(ख) तेल (किलो कै/लीटर)	10000	10000	10000	10000	10000
3.	ऊष्मा निवेश (एम किलो कै)					
	(क) कोयला	1496982	1886611	2101518	2324621	2853736
	(ख) तेल	162300	138720	167000	208780	146410
	ऊष्मा निवेश का योग (एम किलो कै X क + ख)	1659282	2025331	2268518	2533401	3000146
4.	समग्र उत्पादन (एम यू)	459.860	605.720	684.160	742.450	1025.000
5.	वास्तविक ऊष्मा निवेश प्रति के डब्लयू एच (किलो कै)	3608.233	3343.676	3315.771	3279.696	2926.972
6.	पुनरीक्षित परियोजना प्रतिवेदन के अनुसार ऊष्मीय निवेश (किलो कै/के डब्ल्यू एच)	2608.487	2608.487	2608.487	2608.487	2608.487
7.	अधिक ऊष्मीय निवेश (किलो कै/के डब्ल्यू एच) (5-6)	999.746	735.189	707.284	671.209	318.485

* ईंधन तेल का उपयोग भट्टी को गर्म करने में किया जाता है ।

क्रम संख्या	विवरण	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96
8.	तापीय दक्षता					
	(क) लक्षित	32.969	32.969	32.969	32.969	32.969
	(ख) वास्तविक	23.830	25.720	25.940	26.220	29.380
9.	समग्र अधिक ऊष्मीय निवेश (किलो कै X 4X7)	459743	445319	483895	518475	326447
10.	कोयले का औसम कैलोरिफिक मूल्य (किलो कै/किग्रा)	3617	3344	3234	3168	2841
11.	समग्र अधिक ऊष्मीय निवेश कोयले के रूप में (टन में)	127106	133169	149628	163660	114906
12.	वार्षिक लेखे के अनुसार कोयले का औसत प्रापण मूल्य (लख रुपये में)	596	703	829	927	941
13.	अधिक ऊष्मीय निवेश का मूल्य कोयले के रूप में (लाख रुपये में)	757.55	936.18	1240.41	1517.13	1078.97

प्रबन्धन ने बताया (जुलाई 1996) कि न्यून तापीय दक्षता के कारण थे घटिया किस्म का कोयला, स्पेयर्स की कमी से एच पी हीटर्स का सर्किट से विच्छेद हो जाना, कडेन्सर ट्यूब में ठण्डे पानी के कारण पपड़ी पड़ना, स्पेयर्स की कमी के कारण एच पी और एल पी बाई पास सिस्टम का सर्किट से विच्छेदित हो जाना, आटो कन्ट्रोल लूप्स के संस्थापित न होन की वजह से मशीनों का लगातार बन्द होना तथा सेकेन्डरी एयर डैम्पर कन्ट्रोल (एस ए डी सी) का सर्किट से बाहर होना ।

प्रबन्धन ने, तथापि, कोई भी सुधारात्मक युक्ति तापीय दक्षता को बढ़ाने के लिए नही अपनाई ।

3अ.9 कोयले के प्रापण

परिषद द्वारा कोयले का प्रापण भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय द्वारा आवंटन के आधार पर कोल इण्डिया लिमिटेड (सी आई एल) से लिया जाता है । परिषद ने फरवरी 1985 में सी आई एल से टी टी पी एस में 3850 किलो कै /किग्रा कैलोरिफिक मूल्य के कोयले की आपूर्ति के लिये एक अनुबन्ध निष्पादित किया । कोयले का भुगतान भराई केन्द्र पर संयुक्त प्रतिचयन में निश्चित किये गये कोयले की गुणवत्ता के आधार पर होना था ।

अधोलिखित तालिका 1995-96 तक के पांच वर्षों में प्राप्त कोयले का औसत कैलोरिफिक मूल्य प्रदर्शित करता है :

क्रम संख्या	विवरण	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96
1.	वांछित न्यूनतम कैलोरिफिक मूल्य (किलो कै/किग्रा)	3850	3850	3850	3850	3850
2.	कोयले की औसत कैलोरिफिक मूल्य की वास्तविक प्राप्ति (किलो कै/किग्रा)	3617	3344	3234	3168	2841
3.	कोयले की वास्तविक प्राप्ति की मात्रा (लाख टन में)	4.34	6.42	7.72	6.31	10.04
4.	कोयले के प्राप्ति की मात्रा वांछित कैलोरिफिक मूल्य के रूप में (लाख टन में)	4.08	5.58	6.48	5.19	7.40
5.	कोयले की मात्रा की कम प्राप्ति वांछित कैलोरिफिक मूल्य के रूप में (लाख टन में)	0.26	0.84	1.24	1.12	2.64
6.	औसत प्रापण मूल्य (रुपये प्रति टन)	596	703	829	927	939
7.	कम प्राप्त कोयले का मूल्य कैलोरिफिक मूल्य के रुप में (लाख रुपये में)	154.96	590.52	1027.96	1038.24	2478.96

1995-96 तक के पांच वर्षों में यह स्पष्ट हो गया कि परियोजना ने किसी भी वर्ष वांछित कैलोरिफिक मूल्य का कोयला प्राप्त नहीं किया और कैलोरिफिक मूल्य के रूप में जा कम कोयला प्राप्त हुआ, उसका मूल्य 5291 लाख रुपये था । जबकि परिषद ने 2550 लाख रुपये मात्र का दावा प्रस्तुत किया (क्योंकि सी आई एल ने ई तथा एफ ग्रेड के कोयले की आपूर्ति की थी जिसका कैलोरिफिक मूल्य क्रमशः 3360 एवं 4200 किलो कैलोरी/कि०ग्रा० तथा 2400 किलो कैलोरी/किग्रा एवं 3360 किलो कैलोरी/किग्रा था) । परिषद के दावे के विरुद्ध सी आई एल ने मार्च 1996 में केवल 1689 लाख रुपये का दावा स्वीकार किया। 861 लाख रुपये का शेष दावा जो वैधानिक भार (सेस, रायल्टी और स्टेट एक्साईज ड्यूटी) से सम्बन्धित था इस आधार पर अस्वीकार किया कि इसका प्राविधान में अनुबन्ध नहीं था ।

3अ.10 भण्डार नियंत्रण

मार्च 1996 तक के पांच वर्षों के समाप्त होने तक परियोजना द्वारा प्लान्ट के अनुरक्षण और परिचालन की भण्डार का विवरण सम्बन्धित वर्ष के अन्त में तेल के स्टाक को लिये बिना, अधोलिखित इंगित है:

(लाख रुपयें में)

क्रम संख्या	विवरण	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96
(i)	प्रारम्भिक अवशेष	137	206	277	121	338
(ii)	क्रय / प्राप्ति	247	277	307	424	504
	(क) योग (i+ii)	**384**	**483**	**584**	**545**	**842**
(iii)	निर्गमन / स्थानान्तरण	178	206	463	207	183
	(ख) अन्तिम अवशेष (क-ख)	**206**	**277**	**121**	**338**	**659**
(iv)	अवशेष स्टाक महीने के खपत के रुप में	13.9	16.1	3.1	19.6	43.2

भण्डार सम्पत्तियों का अवशेष 1991-92 में 13.9 महीने की खपत से बढ़कर 1995-96 में 43.2 महीने की खपत तक हो गया सिवाय 1993-94 की अवधि में जब यह 3.1 महीने के बराबर था। सम्प्रेक्षण में विश्लेषित भण्डार में बढ़ोत्तरी के मुख्य कारण थे:

* प्रारम्भ से स्टाक व स्टोर का वार्षिक भौतिक सत्यापन नहीं हुआ जिससे की कमी / अधिशेष/ अनुपयुक्त / अप्रयुक्त स्टाक का पता नहीं लग पाया ।

* स्टाक के अधिकतम, न्यूनतम तथा रिआर्डरिंग स्तर को निर्धारित नहीं किया गया ।

* सामग्रियों का चरम, अचरम, तेज तथा मन्द गति के सामानों में वर्गीकृत नही किया गया ।

3अ.10.1 अधिशेष स्टील का संग्रहण

परियोजना के प्रबन्धन ने अगस्त 1993 में परिषद को तथा दूसरे परियोजनाओं / इकाईयों को अधिशेष उपयुक्त स्टील के अस्तित्व की जो 690 लाख रुपये मूल्य के 1978-79 के दौरान प्रापण किये गये थे, को सूचित किया । अधिशेंष स्टील जिसका दिसम्बर 1995 तक स्थनान्तरण / निस्तारण न हो सका उस पर 124 लाख रुपये ब्याज (18 प्रतिशत की दर से) का भार निकाला गया ।

3अ.10.2 कोल मिल के कचरों का अनिस्तारण

20 एम एम कोयले के टुकड़े जिनका कैलोरिफिक मूल्य 1298.06 किलो कैलोरी / किग्रा (अनग्रेडेड कोल) है तथा पत्थर, स्लेट तथा दूसरे विदेशी पदार्थ जो कोल बाउल मिल में पीसे नहीं जा सके, कोल मिल कचरे (सी एम आर) को दर्शाते हैं । सी एम आर स्वचालित सी एम आर निस्तारण प्रणाली द्वारा डिवाटरिगं टैंक में एकत्रित किये जाते हैं । यहाँ से ठेकेदार इसकी दुलाई परियोजना द्वारा भण्डारण, निष्पादन / बिक्री के लिये करता हैं। अक्टूबर 1990 और मार्च 1996 के बीच स्टोरेज करने हेतु 104132 घन मीटर सी एम आर (लगभग 124958 टन) को हटाने तथा दुलाई में रुपये 19.67 लाख खर्च किये गये । सितम्बर 1992 में, खुला टेण्डर आमंत्रित करने के पश्चात् 6000 टन सी एम आर, 321 रुपये प्रति टन की दर से (व्यापार कर रहित) बिक्री के लिये एक बिक्री निविदा उच्चतम बोली (टी एस बिल्डर) के पक्ष में तय कर दी थी । फिर भी ठेकेदार ने 330.50 टन सी एम आर उठाया और इसके बाद नहीं आया । इसलिए परियोजना क्रय समिति ने अक्टूबर 1994 में यह तय किया कि ठेकेदार की 0.97 लाख रुपये की धनराशि जमानत के रुप में भी जब्त कर ली जाय और एक नया टेण्डर सी एम आर की बिक्री के लिए चालू किया जाये । 401 लाख रुपये मूल्य की 1.25 लाख टन सी एम आर की शेष मात्रा के निष्पादन के लिए अगस्त 1996 में नया टेण्डर आमंत्रित किया गया लेकिन अक्टटूबर 1996 तक तय नहीं हो सका ।

3अ.11 मानव शक्ति का विश्लेषण

"टेक्निकल कमेटी आन पावर" ने दिसम्बर 1972 में संस्तुति दिया कि मानव शक्ति की तैनाती अधिष्ठापित क्षमता के 4 प्रति मेगा वाट की होनी चाहिये । दिसम्बर 1992 में तापीय शक्ति स्टाफिगं समिति द्वारा इस की पुनः पुष्टि की गई।

अधोलिखित तालिका 1995-96 तक के पांच वर्षों में वांछित मानव शक्ति और वास्तविक मानव शक्ति का तुलनात्मक विवरण प्रदर्शित करती है:

क्रम संख्या	विवरण	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96
(i)	अधिष्ठापित क्षमता (मेगा वाट में)	220	220	330	330	330
				(संख्यात्मक)		
(ii)	वांछित मानव शक्ति	880	880	1320	1320	1320
(iii)	वास्तविक मानव शक्ति प्रयुक्त	1216	1266	1266	1253	1259
(iv)	अधिक मानव शक्ति प्रयुक्त	336	386	--	--	--

वर्ष 1991-92 और 1992-93 की अवधि में उपरोक्त तालिका से यह देखा गया कि मानशक्ति आवश्यकता से कहीं अधिक प्रयुक्त थी । इसके अलावा, प्रबन्धन ने प्रत्येक वर्ष अधिसमय पर भी व्यय किया जो प्रतिवर्ष 28.34 लाख रुपये से 46.80 लाख रुपये (कुल योग 186.20 लाख रुपये) तक रहा और करीब 50 लाख रुपये मानवशक्ति की, दैनिक अनुरक्षण और सहायक कार्यों के लिए दूसरी जगह तैनाती थी ।

3अ.12 अन्य रोचक विषय

3अ.12.1 रेडियल कलेक्टर वैल (आर सी डब्ल्यू) के निर्माण पर निष्फल व्यय

235.51 लाख रुपये का आर सी डब्ल्यू के निर्माण पर किया गया व्यय निष्फल सिद्ध हुआ क्योंकि वह वांछित गुणवत्तर का पानी नहीं ला सका।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का 31 मार्च 1989 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन संख्या 2 (वाणिज्यिक), उत्तर प्रदेश सरकार के प्रस्तर 3अ.4 का सन्दर्भ जिसमें बोर्ड द्वारा नवम्बर 1982 में अनुमोदित, प्रस्तावित पांच आर सी डब्ल्यू के निर्माण जिसमें चौथा और पांचवा आर सी डब्ल्यू का पानी की उत्तरवर्ती व्यवस्था सिंचाई विभाग द्वारा कर लिये जाने पर परित्यजन कर दिया गया । इस संदर्भ में आगे की प्रगति अधोलिखित विवचित की गई है :

पांच आर सी डब्ल्यू में से दो आर सी डब्लयू का निर्माण प्रथम चरण में होना था और उनकी अनुपालन को देखने के बाद, शेष आर सी डब्ल्यू का निर्माण बाद में होना था । यह देखा गया कि दो आर सी डब्ल्यू जिनका निर्माण प्रगति में था उसके अनुपालन को बिना देखे, तीसरे आर सी डब्ल्यू का निर्माण कार्य अगस्त 1987 में प्रारम्भ कर दिया । प्रथम दो आर सी डब्ल्यू का निर्माण कार्य क्रमशः अगस्त 1987 और जनवरी 1990 में पूर्ण हुआ ।

प्रथम आर सी डब्ल्यू के परिचालन में यह पाया गया कि यह अभिकल्पित 9 व्यूसेक आपूर्ति की अपेक्षा कम (5 व्यूसेक) निर्गम कर रहा था तथा दूसरे आर सी डब्ल्यू के परिचालन में गांव वालों ने आपत्ति की क्योंकि आस पास के क्षेत्र के पानी का तल नीचे चला गया था । परिणामतः इन दोनों आर सी डब्ल्यू का परिचालन 1990 (सही तिथि उपलब्ध नहीं) में स्थगित कर दिया गया तथा फरवरी 1990 में तीसरे आर सी डब्ल्यू का निर्माण कार्य परित्यज्य कर दिया गया ।

यह पुनः देखा गया कि परिषद के अभियन्ताओं की एक समिति जो परियोजना के लिये ठंडा जल उपलब्ध कराने में लिए जून 1991 में बनी थी उसने अगस्त 1991 में व्यक्त किया कि सतह की पारगम्यता परामर्शदाता (ग्राउन्ड वाटर कन्सलटेन्ट, बाम्बे) द्वारा सही नहीं दी गई जिससे कम पानी का निर्गम घटित हुआ । यह भी देखा गया कि आर सी डब्ल्यू द्वारा लाये गये जल की गुणवत्ता आवश्यकता के अनुरुप नहीं थी क्योंकि कन्डेशर ट्यूब्स, पपड़ी पड़ जाने से बन्द हो रहा था । इस प्रकार सामान्य

प्रबन्धक टी टी पी एस ने अगस्त 1994 में दोनों आर सी डब्ल्यू के मम्प सेट्स और अन्य विद्युत उपकरणों को उखाड़ने का आदेश दिया । फिर भी प्रबन्धन के पास उखाड़े गये उपकरणों की, जो अब भी परियोजना पर पड़े हुये हैं, का मूल्य उपलब्ध नहीं था ।

इस प्रकार, इन आर.सी.डब्लूस के निर्माण पर हुये व्यय रुपये 235.51 लाख में से वापस प्राप्त उपकरणों के मूल्य (जो निश्चित नहीं हैं) को घटाने के पश्चात का व्यय निष्फल रहा। फिर भी, प्रबन्धन ने मार्च 1995 में परिषद के पास 120.69 लाख रुपये को अपलिखित करने के लिये एक प्रस्ताव भेजा, जिसकी परिषद द्वारा संस्तुति अभी (दिसम्बर 1995) तक प्रतीक्षित थी।

3अ.12.2 आवासीय भवन का अपूर्ण निर्माण

मूल आकलन में परियोजना कर्मचारियों को आवास के लिए विभिन्न तरह के 1684 क्वार्टरों को उपलब्ध कराना पूर्वभासित था लेकिन केवल 1396 क्वार्टर्स का निर्माण कार्य आरम्भ में लिया गया । जबकि, 216 क्वार्टर्स का निर्माण कार्य जो 1988-89 व 1990-91 (आकलित मूल्य 214.43 लाख रुपये) में आरम्भ किया गया था, धनाभाव के कारण अप्रैल 1992 में स्थगित कर दिया गया । इन क्वार्टर्स के पूर्ण होने के चरण तथा इन पर हुए व्यय का विवरण अधोलिखित है:

भवन	मात्रा (संख्या में)	पूर्ण होने का चरण	1989 से 1992 तक की अवधि में किया गया व्यय (लाख रुपये में)
टाईप II	40	नींव	5.42
टाईप IV	12	नींव	3.80
टाईप II	12	उपरोक्त बनावट	37.84
टाईप III	12	उपरोक्त बनावट	12.99
टाईप III	24	छत	19.94
टाईप IV	8	छत	14.97
योग	**216**		**94.26**

उपरोक्त क्वार्टर्स के निर्माण का मार्च 1996 तक पुनः शुरु नहीं हुआ । इस प्रकार, असंगत योजना के कारण परिषद की 94.26 लाख रुपये की धनराशि वर्ष 1992 से अवरुद्ध रही जिस पर 16.97 लाख रुपये की ब्याज (18 प्रतिशत की दर) हानि हुई ।

प्रबन्धन ने व्यक्त किया (जुलाई 1996) कि यूनिट IV के लिए धन का आवंटन हो चुका है इसलिए कार्य पुनः प्रारम्भ कर दिया जायेगा ।

3अ.12.3. शिरोपरि टैन्क का निर्माण

परियोजना के विद्युतीय सिविल अनुरक्षण खण्ड द्वारा आमंत्रित टेण्डर के आधार पर, परियोजना कालोनी के लिए 680 किलो लीटर क्षमता के टैंक के निर्माण के लिए 16.70 लाख रुपये मूल्य का एक आदेश इलाहाबाद के ठेकेदार को दिया ।

सम्प्रेक्षण में यह देखा गया कि ठेकेदार द्वारा मार्च 1992 तक 7.28 लाख रुपये का 40 प्रतिशत कार्य पूर्ण करके बिल का भुगतान न होने पर कार्य छोड़ दिया गया । यद्यपि उनके बिल का भुगतान जून 1993 में किया गया लेकिन अक्टूबर 1996 तक शिरोपरि टैंक का निर्माण कार्य शुरु न कर सका ।

प्रबन्धन ने व्यक्त किया (नवम्बर 1995) कि कार्य धनाभाव के कारण स्थगित कर दिया गया । धन की उपलब्धि को सुनिश्चित किये बिना कार्य को सौंपना और खर्च करने के कारण 7.28 लाख रुपये का व्यय उपरोक्त कार्य पर निष्फल सिद्ध हुआ ।

3अ.12.4 रेलवे कालोनी का उपयोग न किया जाना

रेलवे स्टाफ जो मार्शेलिंग यार्ड के अनुरक्षण में लगना था, को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 52 क्वार्टर्स की कालोनी का निर्माण कार्य 1988-89 में रेलवे द्वारा 39.83 लाख रुपये की लागत का कार्य बतौर परिषद के निक्षेप कार्य के कराया गया ।

यह देखा गया कि सभी क्वार्टर्स खाली पड़े थे (सितम्बर 1994) । 1995 में परियोजना द्वारा केवल 10 क्वार्टर्स का स्वामित्व लिया गया था, जिसमें 7 क्वार्टर्स को 400 रुपये प्रतिमाह किराये पर बाहर की एजेन्सियों को आवंटित किया गया था । इस प्रकार, बिना योजना के तथा आवश्यकता को बिना आंके रेलवे स्टाफ के लिए कालोनी निर्माण पर 39.83 लाख रुपये का किया गया व्यय निष्फल सिद्ध हुआ ।

3अ.12.5 बाहरी एजेन्सियों से किराये की वसूली न होना

परियोजना प्रबन्धन ने बाहरी एजेन्सियों के लिये विभिन्न प्रकार के आवासीय क्वार्टर्स का आवंटन किया उदाहरणार्थ, ठेकेदार, बैंक कर्मचारियों, पुलिस और डाक विभाग इत्यादि । सम्प्रेक्षण के एक नमूना परीक्षण में दिसम्बर 1995 में यह ज्ञान में आया कि किराया 40.26 लाख रुपये, 26 पार्टियों के विरुद्ध मई 1983 से सितम्बर 1995 के अवधि के बीच का बाकी था । 26 में से 13 पार्टियां बिना 28.66 लाख रुपये का भुगतान किये परियोजना छोड़कर चले गये । प्रबन्धन ने किराये की वसूली न करने वाले व्यक्ति को जिम्मेदार ठहराने के लिए कोई प्रक्रिया नहीं की ।

परियोजना प्रबन्धन ने बताया (जुलाई 1996) कि 1991-92 से नवम्बर 1995 तक की अवधि में 40.26 लाख रुपये में से 12.80 लाख रुपये वसूल किये गये। लेकिन पक्षवार वसूली का विवरण सम्प्रेक्षण को उपलब्ध नहीं कराया जा सका ।

उपसंहारः

परिषद के परियोजना की सही योजना, सामंजस्य, नियंत्रण और अनुश्रवण में असफल रहने के कारण तीन इकाईयों का विलम्ब से संस्थापित होना तथा इकाई IV का अभी तक (अक्टूबर 1996) संस्थापित न होना घटित हुआ । यह वांछित स्तर तक की तापीय दक्षता उपलब्धि तथा उत्पादन मूल्य की बढ़ोतरी को रोकने में निम्न कारणों से असफल रहाः

- **आटो कन्ट्रोल लूप्स, एच पी हीटर्स और एच पी / एल पी बाई पास सिस्टम का संस्थापित न होना,**
- **खराब प्लान्ट उपलब्धता,**
- **कोयले, तेल और डी एम वाटर की अधिक खपत ।**

यह प्रकरण परिषद को मार्च 1996 में तथा सरकार का मई 1996 में प्रतिवेदित किया गया जिसके उत्तर अक्टूबर 1996 तक प्रतीक्षित थे ।

अनुच्छेद - 3 ब
वितरण क्षेत्र, आगरा

प्रस्तर	विवरण	पृष्ठ संख्या
	मुख्य अंश	143
1.	प्रस्तावना	144
2.	संगठनात्मक ढाँचा	144
3.	लेखा परीक्षण का क्षेत्र	145
4.	कार्यचालन परिणाम	145
5.	प्रणाली की खामियां	146
6.	ऊर्जा मूल्य का निर्धारण एवम वसूली	151
7.	अनुचित अनुरक्षण से ट्रान्सफार्मरों की खराबी	158
8.	पुराने और गैर किफायती ट्रान्सफार्मरो का निस्तारण	159
9.	परिषद की परिसम्पत्तियों की चोरी / वापसी न होना	159
10.	नियन्त्रण अभिलेखों का अनियमित अनुरक्षण	162
	उपसंहार	163

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद

अनुच्छेद 3ब

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद
वितरण क्षेत्र, आगरा
मुख्य अंश

परिषद ने विद्युत ऊर्जा के आपूर्ति एवं आलेखन के नियोजन एवं अनुश्रवण पर प्रभावी नियन्त्रण हेतु परिषद को तेरह क्षेत्रों में विभाजित किया है, जिसमें से एक आगरा वितरण क्षेत्र है जिसका प्रधान एक मुख्य क्षेत्रीय अभियन्ता होता है ।

(प्रस्तर 3ब.1)

क्षेत्र को मार्च 1996 तक के पांच वर्षों में राजस्व हानि 54721.55 लाख रुपये तक पहुंची जिसके मुख्य कारण अत्यधिक पारेषण हानि, विद्युत ऊर्जा का निर्धारण न करना / कम निर्धारण करना तथा वितरण ट्रान्सफार्मरों का अत्यधिक खराब हो जाना पाया गया ।

(प्रस्तर 3ब.4)

पारेषण प्रक्षेत्र के उपकेन्द्रों की ट्रान्फार्मेशन कैपेसिटी (912.5 एम वी ए) आगरा क्षेत्र के उप पारेषण (1040.5 एम वी ए) तथा वितरण प्रणाली (1767.4 एम वी ए) से मेल नहीं खाई जिसके परिणामस्वरुप आपूर्ति में बाधा, कम वोल्टेज की परेशानियां, अत्यधिक ब्रेक डाउन तथा भार प्रवाह रहा ।

(प्रस्तर 3ब.5)

कैपेसिटर बैंकों के वांछित संख्या में न लगाने के परिणामस्वरुप 11.16 एम यू के प्रणाली हानि के बचत की हानि हुई जिसका मूल्य 150.64 लाख रुपये प्रतिवर्ष था ।

(प्रस्तर 3ब.5.1)

केन्द्रीय ऊर्जा प्राधिकरण द्वारा निर्धारित 11 प्रतिशत के वितरण हानि के विरुद्ध वास्तविक हानि 17.9 और 22.9 प्रतिशत के बीच रही । 1995-96 तक के पांच वर्षों की अवधि में मानक से अधिक ऊर्जा हानि 1362.675 एम यू आकलित की गयी जिसका मूल्य 17100.35 लाख रुपये हुआ ।

(प्रस्तर 3ब.5.2)

1991-92 से 1995-96 की अवधि में मानक से अधिक वितरण ट्रान्सफार्मरों की खराबी

5959.27 लाख रुपये की आकलित की गयी ।

(प्रस्तर 3ब.5.3.1)

शुल्क सूची के गलत प्रयोग से 208.20 लाख रुपये का कम राजस्व प्राप्त हुआ ।

(प्रस्तर 3ब.6.1.3)

1991-92 में 9561.94 लाख रुपये के बकाया के वर्ष 1995-96 में 30323.76 लाख रुपये तक बढ़ जाने के बावजूद प्रबन्धन ने 4375.34 लाख रुपये के बकाया को भू-राजस्व बकाया के रुप में वसूलने के वसूली प्रमाण पत्र तक जारी नहीं किये ।

(प्रस्तर 3ब.6.6)

निष्प्रयोज्य लाइनों के अविलम्बउखाड़ लेने की कार्यवाही की असफलता के परिणामस्वरुप लाइन सामग्री की चोरी से 24.07 लाख रुपये की हानि हुयी ।

(प्रस्तर 3ब.9.2)

3ब.1 प्रस्तावना

विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं को विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति एवं आलेखन पर प्रभावी नियंत्रण एवं अनुश्रवण के लिए विद्युत वितरण के कार्य को परिषद ने 13 क्षेत्रों में विभाजित किया है । प्रत्येक क्षेत्र का मुखिया एक प्रमुख क्षेत्रीय अभियन्ता होता है जो अन्यान्य क्षेत्रीय प्रमुख (पूर्व, पश्चिम व मध्य क्षेत्र) जो परिषद के सदस्य (वितरण) के नियन्त्रण में होता है, के प्रति जवाबदेह होता है । आगरा क्षेत्र, क्षेत्रीय प्रमुख (पश्चिमी) मेरठ के नियन्त्रण में है ।

3ब.2 संगठनात्मक ढाँचा

आगरा क्षेत्र, जिसमें आगरा, अलीगढ़, एटा, मैनपुरी, फिरोजाबाद और मथुरा जिले हैं, को छः वितरण मण्डलों एवं एक कार्य मण्डल जो प्रत्येक अधीक्षण अभियन्ता के नियन्त्रण में होते हैं, में विभाजित किया गया है । प्रत्येक मण्डल को पुनः खण्डों में विभाजित किया गया है जिनके प्रधान अधिशासी अभियन्ता होते हैं । आगरा क्षेत्र में 19 वितरण खण्ड, 6 परीक्षण खण्ड एवं प्रत्येक में एक द्वितीय कार्य एवं कार्यशाला खण्ड है । वित्त एवं लेखा कार्य एक उपमुख्य लेखाधिकारी के अधीनस्थ है और उसका कार्यालय आगरा में है । क्षेत्र का आन्तरिक लेखा परीक्षा विभाग जो खण्डों, मण्डलों/मुख्य अभियन्ताओं के कार्यालयों के लेन देन का उत्तरकालीय लेखा परीक्षण का कार्य करना है, एक उप निदेशक के अधीन है जिसका मुख्यालय भी आगरा में है ।

3ब.3 लेखा परीक्षण का क्षेत्र

आगरा क्षेत्र के 27 खण्डों में से 11 खण्डों के वर्ष 1991-92 से 1995-96 के अभिलेखों की लेखा परीक्षा जांच अगस्त से दिसम्बर 1995 में की गयी । वर्ष 1995-96 में क्षेत्र के इन 11 खण्डों की पूंजी और अनुरक्षण व्यय एवं राजस्व का निर्धारण, कुल पूंजी और अनुरक्षण व्यय एवं राजस्व के निर्धारण का प्रतिशत क्रमशः 40 और 36 था । इन लेखा परीक्षा जांचों के परिणाम यथाक्रम प्रस्तरों में दिये गये हैं ।

3ब.4 कार्यचालन परिणाम

विद्युत ऊर्जा परिषद के पारेषण प्रक्षेत्र द्वारा नियन्त्रित 132 के वी ए* और 220 के वी उपकेन्द्रों से क्षेत्र को प्राप्त होती है जो 220 वोल्ट से 132 के वी तक के रेटिंग की वितरण लाइनों से विभिन्न क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को वितरित की जाती है ।

नीचे दी गई तालिका में 1995-96 तक के पांच वर्षों में प्राप्त ऊर्जा का परिमाण, बिक्री, निर्धारण में कमी और ऊर्जा का मूल्य प्रदर्शित किया गया है ।

क्रम संख्या	विवरण	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96
				(एम0 यू0 में**)		
(i)	ऊर्जा प्राप्त	2569.340	2705.647	2914.809	3300.024	3529.420
(ii)	ऊर्जा बिक्री	2110.479	2210.019	2323.093	2641.207	2719.651
(iii)	11 प्रतिशत के मानक से अधिक ऊर्जा हानि	176.234	198.007	271.087	295.814	421.533
				(लाख रुपये में)		
(iv)	मानक से अधिक ऊर्जा हानि का मूल्य	1405.11	2336.48	3253.04	3993.49	6112.23
(v)	प्राप्त ऊर्जा की लागत	22096.32	28409.29	34103.27	39270.29	46941.29
(vi)	क्षेत्र में वेतन एवं भत्तों तथा अनुरक्षण एवं मरम्मत पर कुल व्यय	3734.41	4355.38	4515.16	4759.51	5749.60
(vii)	कुल बिक्रीत ऊर्जा की लागत	25830.73	32764.67	38618.43	44029.80	52690.89
(viii)	राजस्व का निर्धारण	16201.11	23663.45	26993.90	33579.96	38774.55
(ix)	आधिक्य(+) / घाटा(-)	(-)9629.62	(-)9101.22	(-)11624.53	(-)10449.84	(-)13916.34

* के0वी0 किलोवोल्ट दर्शाता है।

** एम0यू0 मिलियन यूनिट दर्शाता है।

वर्ष 1991-92 तथा 1993-94 की तुलना में वर्ष 1992-93 तथा 1994-95 में ह्रास में कमी का मुख्य कारण जनवरी 1992 और जुलाई 1994 में शुल्क सूची में उत्तरोत्तर संशोधन करना रहा ।

क्षेत्र में राजस्व ह्रास के मुख्य कारण जो लेखा परीक्षा में विश्लेषित किये गये व अत्यधिक पारेषण हानि (प्रस्तर 5.2), वितरण ट्रान्सफार्मरों का अत्यधिक खराब होना (प्रस्तर 5.3.1), ऊर्जा राशि का निर्धारण न करना / कम निर्धारण करना (प्रस्तर 6.1) आदि थे ।

3ब.5 प्रणाली की खामियाँ

विद्युत ऊर्जा 11 के वी उत्पादन विद्युत गृहों पर उत्पादित की जाती है जैसी प्रणाली की आवश्यकता होती है उसे 400 के वी/220 के वी/132 के वी वोल्टेज पर उच्चीकृत करके पारेषित की जाती है और फिर 33 के वी /11 के वी/440-220 वोल्ट पर निम्नीकृत करके उप पारेषित तथा उपभोक्ताओं को वितरित की जाती है । विद्युत ऊर्जा के प्रभावी उपयोग के लिये पारेषण उपकेन्द्रों (440/220/132 के वी) की क्षमता को उप पारेषण / वितरण नेट वर्क के वांछित भार के अनुरुप रखनी चाहिये । यह देखा गया कि क्षेत्र का उप पारेषण एवं वितरण तन्त्र जिसमें 33 के वी क्षमता के 153 उपकेन्द्र थे तथा जिनकी रुपान्तरण क्षमता 1040.5* एम वी ए थी से विद्युत आपूर्ति 6.39 लाख उपभोक्ताओं (भार 1609.243 एम वी ए) को 30736 वितरण ट्रान्सफार्मरों (क्षमता 1767.431 एम वी ए) से की गई । उपरोक्त विद्युत ऊर्जा परिषद के पारेषण प्रक्षेत्र के तीन 220 के वी तथा सोलह 132 के वी उपकेन्द्रों से प्राप्त की जिसकी रुपान्तरण क्षमता केवल 912.5 एम वी ए थी । इस प्रकार, पारेषण प्रक्षेत्र के उपकेन्द्रों की रुपान्तरण क्षमता आगरा क्षेत्र के उप पारेषण तथा वितरण तन्त्र के अनुरुप नही थी ।

क्षेत्र/परिषद ने आगरा क्षेत्र के उप पारेषण तथा वितरण प्रणाली के सुधार के लिये कोई अध्ययन नहीं किया । हांलाकि जयपुर के एक सलाहकार को 2.25 लाख रुपये के खर्च पर आगरा शहर के उप पारेषण तथा वितरण प्रणाली में ऊर्जा हानि तथा आपूर्ति के व्यवधान और वोल्टेज में सुधार तथा आपूर्ति की विश्वनीयता पर सुझाव एवं उपाय हेतु एक अध्ययन कराया । सलाहकार ने उप पारेषण तथा वितरण हानि को 38.5 प्रतिशत से 10 प्रतिशत तक कम करने के लिये 6924 लाख रुपये के पूंजी व्यय का एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जिसे केन्द्रीय ऊर्जा प्राधिकरण(सी ई ए) ने जुलाई 1993 में अनुमोदित कर दिया था । परिषद ने धनाभाव के कारण इसे पूर्ण रुप से कार्यान्वित करने में असमर्थता जतायी, तथापि, मुख्य अभियन्ता को (फरवरी 1994) में प्राथमिक कार्यों को पहचान कर एक योजना और तैयार करने को कहा, मुख्य अभियन्ता ने अभी तक (मई 1996) ऐसी कोई योजना तैयार नहीं की । परिणाम स्वरुप क्षेत्र दुरुस्त करने योग्य क्षेत्रों की पहचान नहीं कर सका और अत्यधिक पारेषण हानियों और अत्यधिक ट्रान्सफार्मरों की खराबी पर परिहार्य व्यय किया जो अनुवर्ती प्रस्तरों में दर्शित किया गया है ।

---

* एम0वी0ए0 मैगावाट एम्पियर दर्शाता है।

वार्ता के दौरान मुख्य अभियन्ता ने (जून 1996 में) बताया कि पारेषण की रुपान्तरण क्षमता एवं वितरण ट्रान्सफार्मरों के बीच तालमेल न होने के कारण आपूर्ति में व्यवधान, कम वोल्टेज की समस्या, अत्यधिक ब्रेक डाउन और भार प्रवाह बना रहा । यह पुनः कहा गया कि धनाभाव के कारण प्रणाली हीनताओं में कमी नहीं की जा सकी ।

3ब.5.1 अपर्याप्त प्रणाली क्षतिपूर्ति

कैपेसिटर्स बैंकों की स्थापना शक्ति गुणक में सुधार, प्रणाली में भार वाहक क्षमता में वृद्धि और तन्त्रीय हानियों में कमी लाने के लिए प्रेषण छोर और उपभोक्ताओं के प्रतिष्ठान छोरों पर की जाती है । कैपेसिटर्स बैकों की स्थापना एवं सुचारु अनुरक्षण के लिये परिषद में (मई 1991) सभी मुख्य क्षेत्रीय अभियन्ताओं को विस्तृत निर्देश जारी किये जिसमें सही दर की कैपेसिटर्स बैंक की स्थापना की आवश्यकता पर जोर दिया गया क्योंकि इससे प्रणाली के शक्ति गुणक में 0.7 से 0.9 तक और ट्रान्सफार्मर्स की भार वाहन क्षमता में 28 प्रतिशत तक सुधार, पारेषण हानि में कमी (40 प्रतिशत तक) और ब्रेक डाउनों में कमी और वोल्टेज में सुधार लाया जा सकेगा । परिषद ने (जुलाई 1993) में निर्धारित किया कि 2.4 एम वी ए आर* के 10 कैपेसिटर्स बैंकों के सेटों की स्थापना से प्रत्येक से 1.19 एम यू ऊर्जा की बचत होगी ।

वांछित विस्तार तक कैपेसिटर्स बैंकों के स्थापना करने में असफल होने के कारण 150.64 लाख रुपये के मूल्य की 11.16 एम यू की प्रणाली क्षति से बचत की प्रतिवर्ष हानि ।

लेखा परीक्षा (दिसम्बर 1995) में देखा गया कि या तो कैपेसिटर्स बैंकों की स्थापना की ही नही गयी और जहाँ कही की गयी उनमें से अधिकतर खराब पड़े रहे जिसके परिणाम स्वरुप वांछित क्षमता में कमी आई जैसाकि निम्नलिखित तालिका में प्रदर्शित है

मण्डल का नाम	उपकेन्द्रों** की संख्या	रुपान्तरण क्षमता (एम0वी0ए0) में	वांछित क्षमता	स्थापित क्षमता	कैपेसिटर्स बैंक खराब कैपेसिटर्स बैंकों की क्षमता	कार्यशील क्षमता	क्षमता में कमी
				(एम0वी0ए0आर में)			
ई डी सी, आगरा	31	277	88.20	47.52	24.77	22.75	65.45
ई यू डी सी, आगरा	19	175	58.80	6.30	2.10	4.20	54.60
ई यू डी सी, अलीगढ़	7	58	21.00	10.50	2.10	8.40	12.60

* मेगावोल्ट एम्पियर रियेक्टिव (एम0वी0ए0आर)।

** इसमें केवल वे उपगृह, जिनकी पारेषण क्षमता 5 एम0वी0ए0 या अधिक थी, सम्मिलित हैं।

मण्डल का नाम	उपकेन्द्रों** की संख्या	रुपान्तरण क्षमता (एम0वी0ए0) में	वांछित क्षमता	स्थापित क्षमता	कैपेसिटर्स बैंक		
					खराब कैपेसिटर्स बैंकों की क्षमता	कार्यशील क्षमता	क्षमता में कमी
			(एम0वी0ए0आर में)				
ई डी सी, अलीगढ़	24	174	62.06	32.73	10.57	22.16	39.90
ई डी सी, मथुरा	15	107	31.50	16.80	4.20	12.60	18.90
ई डी सी, मैनपुरी	18	134	39.90	14.77	8.47	6.30	33.60
योग	**114**	**925**	**301.46**	**128.62**	**52.21**	**76.41**	**225.05**

इस प्रकार कैपेसिटर बैंकों की क्षमता में 225.05 एम वी ए आर तक की कमी हुयी जिसके परिणामस्वरुप प्रतिवर्ष 150.64 लाख रुपये मूल्य की 11.16 एम यू की प्रणाली क्षति से बचत की हानि हुयी ।

3ब.5.2 अत्यधिक वितरण हानियाँ

वितरण हानि का अर्थ बिक्री हेतु उपलब्ध ऊर्जा और वास्तविक ऊर्जा की बिक्री का अन्तर है । इसके अतिरिक्त रुपान्तरण हानियां जो तन्त्रीय हानियों के रुप में थीं और उप पारेषण हानियाँ वितरण हानियाँ जिनमे चोरी के कारण ऊर्जा हानि और अनधिकृत ऊर्जा का प्रयोग तथा खराब मीटरिंग उपस्कर के कारण अपलिखित ऊर्जा की बिक्री भी शामिल है । अत्यधिक हानियों के क्षेत्रों की पहचान की दृष्टि से, तकनीकी समिति ने फीडर वार ऊर्जा की प्राप्ति एवं बिक्री का विवरण रखने की संस्तुति (1972) की थी जिससे फीडर की प्रगति के गुणदोष पता चल सके और यदि वास्तविक हानियाँ अनुचित रुप से अधिक हुयीं तो उस पर समय से कार्यवाही की जा सके ।

वितरण हानियां मानक के अन्दर न रख पाने के परिणामस्वरुप पांच वर्षों में 17100.35 लाख रुपये मूल्य की 1362.675 एम यू ऊर्जा की हानि हुई ।

उप पारेषण एवं वितरण हानियों के विश्लेषण से निम्न तथ्य प्रकाश में आये:

(i) फरवरी 1986 में केन्द्रीय ऊर्जा प्राधिकरण ने संस्तुति की कि उप पारेषण एवं वितरण हानियां 11 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिये । मार्च 1996 के अन्त तक के पांच वर्षों में इस मानक के विरुद्ध क्षेत्रीय वितरण हानियाँ 17.9 और 22.94 प्रतिशत के बीच पायी गयी । परिषद के सम्पूर्ण वितरण की हानियाँ इसी अवधि में केवल 14.8 से 16.4 प्रतिशत के बीच पायी गयी ।

लेखा परीक्षा (दिसम्बर 1995) में देखा गया कि क्षेत्र के उन्नीस वितरण खण्डों में से आठ खण्डों में वितरण हानि 1995-96 तक के पांच वर्षों में लगातार सी ई ए द्वारा निर्धारित मानक से अधिक रही जो 16.6 से 50.7 प्रतिशत के बीच पाये गये ।

मानक से अधिक ऊर्जा हानि का परिमाण वर्ष 1995-96 तक के पांच वर्षों में 1362.675 एम यू आकलित किया गया जिसका मूल्य 17100.35 लाख रुपये था । क्षेत्रीय प्रबन्धकों ने अभी तक (जून 1996) ऐसे क्षेत्रों के पहचान का कार्य शुरु नहीं किया और न कोई सुधारात्मक उपाय किये ।

(ii) निजी नलकूपों (पी टी डब्ल्यू) और राज्य नलकूपों (एस टी डब्ल्यू) को विद्युत आपूर्ति बिना मीटर लगाये की जाती है और परिषद की शुल्क सूची के अनुसार ऐसे उपभोक्ताओं से नियत दर के आधार पर बिल बनाये जाते हैं । पी टी डब्ल्यू तथा एस टी डब्ल्यू उपभोक्ताओं को ऊर्जा की गणना हेतु क्रमशः अक्टूबर से जून की अवधि में 110 यूनिट और 200 यूनिट प्रति बी एच पी प्रतिमाह की दर से तथा जुलाई से सितम्बर की अवधि में 40 यूनिट एवं 50 यूनिट प्रति बी एच पी प्रतिमाह की दर से लेखांकित करना होता है । तथापि लेखा परीक्षा में देखा गया कि 1995-96 तक के पांच वर्षों में क्षेत्र ने अपने ऊर्जा लेखे में 2731.353 एम यू के स्थान पर 5262.587 एम यू लेखांकित किया जिसे उपरोक्त मानक के आधार पर होना चाहिये था । इस प्रकार क्षेत्र ने अपने ऊर्जा लेखे में पी टी डब्ल्यू तथा एस टी डब्ल्यू उपभोक्ताओं के लिये क्रमशः निर्धारित मानक से अधिक 2333.086 एम यू जिसका मूल्य 28543.93 लाख रुपये तथा 198.148 एम यू जिसका मूल्य 2405.80 लाख रुपये थे, लेखांकित किया । इस प्रकार वास्तविक पारेषण हानि के प्रतिशत जो 34.6 से 39.93 के बीच रहा, क्षेत्र ने 17.9 और 22.94 के बीच प्रदर्शित किया और बिना मीटर आपूर्ति क्षेत्रों में उच्चतर विनियोजन द्वारा 2531.234 एम यू ऊर्जा की पारेषण हानि जिसकी कीमत 30949.77 लाख रुपये थी 1995-96 तक के पांच वर्षों में आन्तरिक रुप से समयोजित कर ली ।

3ब.5.3.1 वितरण ट्रान्सफार्मरों का अत्यधिक खराब होना

वितरण ट्रान्सफार्मरों (25 के वी ए से 1000 के वी ए रेटिंग्स) का प्रयोग आपूर्ति ऊर्जा की वोल्टेज का नीचे स्तर पर लाने के लिये किया जाता है । वितरण ट्रान्सफार्मरों का जीवनकाल 25 वर्ष अनुमानित है यदि अनुरक्षण की निवारक सूची का ख्याल रखा जाय तथा निवारक उपाय उपलब्ध हों । परिषद ने मई 1982 में बताया था कि स्थापित ट्रान्सफार्मरों के 2 प्रतिशत से अधिक ट्रान्सफार्मर खराब नहीं होने चाहियें ।

परिषद ने (मई 1982) में, खराबी को न्यूनतम करने के लिए फील्ड यूनिटों को कई कदम लेने की संस्तुति की जैसे (i) खराबी के कारणों के पता लगाने के लिये विस्तृत अनुश्रवण करना (ii) प्रत्येक ट्रान्सफार्मरों का ऐतिहासिक रिकार्ड रखना (iii) 25 के वी ए रेटिंग्स से ऊपर के ट्रान्सफार्मरों के लिये 11 के वी छोर पर ड्राप आउट फ्यूज का प्रयोग करना (iv) एल टी छोरों की क्रिम्पिंग टूल्स तथा कापर लग्स से जोड़ना (v) एम टी छोरों पर दबाव व भार न आने देना आदि ।

जबकि लेखा परीक्षा में (दिसम्बर 1995) में देखा गया कि स्थापित ट्रान्सफार्मरों के खराब होने का प्रतिशत हमेशा मानक से अधिक 9.7 और 12.1 प्रतिशत के बीच पाया गया । 1991-92 से 1995-96 की अवधि में मानक से अधिक खराब होने वाले ट्रान्सफार्मरों की संख्या 12460 थी जिनकी कीमत 5959.27 लाख रुपये सम्बन्धित वर्ष में ईश्यू दर पर आकलित की गयी (खराब होने वाले ट्रान्सफार्मरों की बची कीमत आकलित नही) । लेखा परीक्षा में यह पुनः देखा गया कि विद्युत वितरण खण्ड I व III, मथुरा, विद्युत वितरण खण्ड, कासगंज एवं शहरी वितरण खण्ड IV, आगरा में खराब होने वाले ट्रान्सफार्मरों का प्रतिशत बहुत अधिक था जहाँ यह इसी अवधि में 3.2 और 53.6 प्रतिशत के बीच रहा ।

पांच वर्षों की अवधि में 12460 ट्रान्सफार्मर जिनकी कीमत 5959.27 लाख रुपये थी मानक से अधिक संख्या में खराब हुये ।

सदस्य (वितरण) ने वितरण नेट वर्क में ट्रान्सफार्मरों के भारी खराबी पर टिप्पणी करते हुये (नवम्बर 1991) मुख्य अभियन्ताओं को ट्रान्सफार्मरों की खराबी के कारण का पता न लगाने तथा ट्रान्सफार्मरों की खराबी में कमी न लाने के लिये उत्तरदायी ठहराया और दिसम्बर 1991 तक फ्यूज लगाने की कार्ययोजना निर्धारित की । लेकिन क्षेत्रीय प्रबन्धन ने इन ट्रान्सफार्मरों की खराबी को नियन्त्रित करने की कोई कार्यवाही अभी तक नहीं की (मार्च 1996) ।

वार्ता के दौरान (जून 1996), मुख्य क्षेत्रीय अभियन्ता ने बताया ट्रान्सफार्मरों की अधिक खराबी का मुख्य कारण ओवर लोडिंग, अनियमित अर्थिंग और ट्रान्सफार्मरों में तेल का निर्धारित स्तर न बरकरार रखना था । पुनः यह कहा गया कि धनाभाव के कारण लोड की बढ़ोत्तरी की पूर्ति अतिरिक्त ट्रांसफार्मरों के स्थापना से नहीं की जा सकी । उत्तर इसलिये मान्य नही था कि 1609.243 एम वी ए के संयोजित भार के विरुद्ध वितरण ट्रान्सफार्मरों की क्षमता 1767.431 एम वी ए थी और इस प्रकार कोई ओवर लोडिंग नही थी ।

3ब.5.3.2 ओवर लोडिंग के कारण ट्रान्सफार्मरों में खराबी

33 के वी ए उप स्थान, मन्ट, जिसकी रुपान्तरण क्षमता 4.5 एम वी ए थी, विद्युत वितरण खण्ड III, मथुरा के अन्तर्गत आसपास के क्षेत्रों की जरुरत पूरी कर रहा था । लेखा परीक्षा में (दिसम्बर 1995) में देखा गया कि एक 1.5 एम वी ए का ट्रान्सफार्मर जो वहां स्थापित था, 2 दिसम्बर 1993 में खराब हो गया था लेकिन 1.5 एम वी ए ट्रान्सफार्मर पर लोड शेडिंग की व्यवस्था करने के बजाय 4.5 एम वी ए का पूरा भार 3 एम वी ए ट्रान्सफार्मर पर स्थानान्तरित कर दिया जिसके फलस्वरुप यह ट्रान्सफार्मर (कीमत 11.0 लाख रुपये) भी 16 अप्रैल 1994 को खराब हो गया । अधीक्षण अभियन्ता, ई डी सी, मथुरा ने (अप्रैल 1994), अधिशासी अभियन्ता, विद्युत परीक्षण खण्ड, मथुरा को उन परिस्थितियों की जांच करने को कहा जिनसे यह ट्रान्सफार्मर खराब हुआ था । जांच प्रतिवेदन (बिना

एक ट्रान्सफार्मर जिसकी कीमत 11 लाख रुपये थी ओवरलोडिंग के कारण खराब हुआ।

दिनांक) से पता चला कि यह खराबी अधिक लोड के कारण हुयी । लेकिन ट्रान्सफार्मर पर अतिरिक्त भार डालने की जिम्मेदारी निर्धारित नहीं की गयी ।

3ब.6 ऊर्जा मूल्य का निर्धारण एवं वसूली

क्षेत्र के राजस्व का मुख्य स्रोत ऊर्जा की बिक्री है । समय समय पर लागू परिषद की शुल्क सूची के अनुसार राजस्व निर्धारण / बिलिंग तथा संग्रह / वसूली नियंत्रित की जाती है । प्रकाश एवं पंखें के उपभोक्ताओ को छोड़कर जिनके मामले में बिलिंग दो माह में की जाती है, अन्य सभी उपभोक्ताओं की बिलिंग मासिक आधार पर की जाती है । सभी उपभाक्ताओं के बिल खण्डीय कार्यालयों में तैयार किये जाते हैं और विद्युत देयकों का संग्रह सूदूर गांवों में बिल संग्रहकों द्वारा परिषदीय कार्यालयों तथा खण्डीय कार्यालयों के नकद काउन्टरों पर किया जाता है । 1995-96 तक के पांच वर्षों में राजस्व के निर्धारण एवं संग्रह का विवरण निम्नवत् रहा:

दो माह के उपभोग ऊर्जा के समतुल्य प्रतिभूति वसूली की परिषद की नीति के विरुद्ध 7 से 9 माह के उपभोग के समतुल्य बकाया ।

(लाख रुपयें में)

विवरण	1990-91	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96
वर्ष के प्रारम्भ में शेष बकाया	6569.23	9561.94	13581.40	17980.30	22856.26
वर्ष में राजस्व का निर्धारण	16210.11	23663.45	26993.90	33579.96	38774.55
संग्रह के लिए कुल राशि	22779.34	33225.39	40575.30	51560.26	61630.81
वर्ष में संग्रहीत राशि	13217.40	19643.99	22595.00	28704.00	31307.05
वर्ष के अन्त में अवशेष बकाया	9561.94	13581.40	17980.30	22856.26	30323.76
संग्रहीत का कुल बकाया से प्रतिशत	58.02	59.12	55.69	55.67	50.80
माह में उपभोग के रुप में बकाया की स्थिति	7	7	8	8	9

जबकि राजस्व की वसूली पांच वर्षों में बढ़ी पर कुल बकाया से वसूली का प्रतिशत 1991-92 के 58.02 प्रतिशत से घटकर वर्ष 1995-96 में 50.80 प्रतिशत हो गया । तदनुसार, बकाया राशि में मार्च 1992 के अन्त में 9561.94 लाख रुपये से मार्च 1996 में अन्त तक 30323.76 लाख रुपये की अर्थ पूर्ण वृद्धि हो गयी जो 317.13 प्रतिशत परिलक्षित हुयी । दो माह के औसत उपभोग के तुल्य प्रतिभूति वसूली कराने की परिषद की नीति के विरुद्ध प्रत्येक वर्ष के अन्त में बकाया राशि 7 से 9 महीने के उपभोग के तुल्य पायी गयी ।

राजस्व के निर्धारण एवं वसूली में जो खामियाँ लेखा परीक्षा में देखी गयी उनका अनुवर्ती प्रस्तरों में वर्णन किया गया है ।

3ब.6.1 ऊर्जा मूल्य का निर्धारण न करना या कम निर्धारण करना

ऊर्जा मूल्य का निर्धारण न करना या कम निर्धारण करने के कुछ मामले जो लेखा परीक्षा जाँच के दौरान प्रकाश में आये उनका वर्णन नीचे किया गया है:

3ब.6.1.1 बिलों का जारी न करना

(क) 1976-77 से 1992-93 की अवधि में, आर आइ यू ने क्षेत्र के 18 खण्डों के बारे में 767.72 लाख रुपये के निर्धारण का प्रस्ताव किया था लेकिन खण्डों ने मार्च 1995 तक केवल 511.17 लाख रुपये के ही बिल जारी किये । फिर 511.17 लाख रुपये के जारी बिलों के विरुद्ध खण्ड केवल 300.82 लाख रुपये ही वसूल कर पाया । बिल जारी न करने तथा बिलों के विरुद्ध कम वसूली के कारण अभिलेख पर उपलब्ध नहीं थे ।

(ख) ऊर्जा की चोरी की रोकथाम करने के लिये विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम 1948 के प्रावधानों के अन्तर्गत उपभोक्ताओं के घरों पर विभागीय और परिषद के सतर्कता प्रकोष्ठ द्वारा छापे मारे जाते हैं । खण्ड स्तर पर छापा दलों द्वारा प्रस्तावित निर्धारण की जांच करना और बिल जारी करना होता है । यह देखा गया कि वर्ष 1993-94 में 19 वितरण खण्डों में से केवल 16 खण्डों में 1541 उपभोक्तओं के विरुद्ध छापे की कार्यवाही की गयी । 1279 उपभोक्ताओं के विरुद्ध खण्ड द्वारा 143.88 लाख रुपये के निर्धारण से मार्च 1995 तक केवल 23.88 लाख रुपये ही वसूल किये जा सके । शेष 120 लाख के वसूली के लिए अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी (दिसम्बर 1995) ।

3ब.6.1.2 विद्युत मूल्य का बिल जारी न करना

ऊर्जीकृत गांवों और हरिजन बस्तियों के लिए 40 वाट के 10 स्ट्रीट लाइट बिन्दु प्रति गांव और दो लाइट बिन्दु प्रति बस्ती के आधार पर मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य), लखनऊ द्वारा निदेशक पंचायत राज लखनऊ के विरुद्ध बिल केन्द्रीयकृत रुप में जारी किये जाते थे । यह प्रणाली मार्च 1990 में विकेन्द्रित कर दी गयी जब यह तय किया गया कि सभी ऊर्जीकृत गांव और हरिजन बस्तियों के बकाया को खण्डीय स्तर पर सम्बन्धित ग्राम प्रधानों से वसूलने थे । विद्युत की सुविधा दोषी गांव और बस्तियों को नहीं उपलब्ध करानी थी ।

तीन खण्डों के अभिलेखों के नमूना जांच में देखा गया कि यह संशोधित प्रक्रिया नहीं लागू की गयी जिसके परिणामस्वरुप 136.52 लाख रुपये (12.41 लाख रुपये विद्युत कर शामिल) के बिल नहीं जारी किये गये ।

बकायों के विरूद्ध राजस्व वसूली

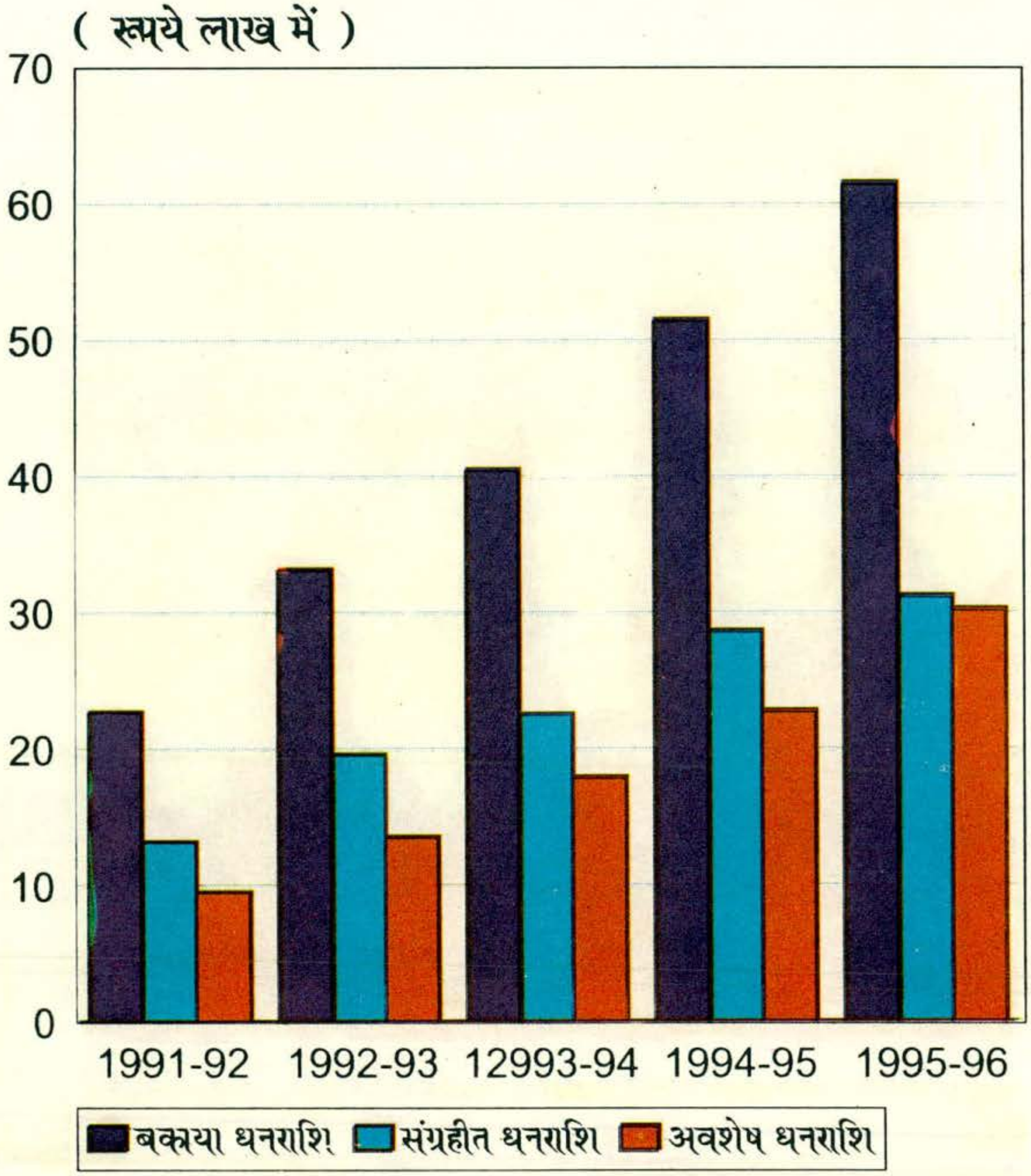

(सन्दर्भ : प्रस्तर संख्या - 3ब.6)

ई डी डी, आगरा के अधिशासी अभियन्ता ने उत्तर में बताया कि विद्युत संयोजन अभी तक ऊर्जीकृत नहीं किये गयें (अगस्त 1996) उत्तर स्वीकार योग्य इसलिए नही है क्योंकि 349 गांव और 297 हरिजन बस्तियों के सम्बन्ध में अप्रैल 1990 तक डब्ल्यू एम सी आर नियमित रुप से समायोजित किये गये थे । फिर भी तीनों खण्डीय अधिकारियों ने कहा कि ग्राम प्रधानों से कोई समझौता सम्पादन नहीं किया गया । उत्तर इसलिए मान्य नही है क्योंकि परिषद ने राजस्व के निर्धारण और वसूली की प्रक्रिया को विकेन्द्रित करते समय ग्राम प्रधानों के साथ नये समझौते को सम्पादित करने का कोई प्राविधान नहीं किया था ।

3ब.6.1.3 मूल्य सूची / परिषद के आदेशों का गलत प्रयोग

जनवरी 1986 में परिषद द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार विशाल और भारी पावर उपभोक्ताओं को जिनके पास 60 प्रतिशत से अधिक अनुबन्धित भार के तुल्य आर्क और इन्डक्सन फरनेंस है और फरनेंस की क्षमता 400 के वी ए से अधिक हो तो ऊर्जा की आपूर्ति का बिल उपभोक्ताओं से मूल्य सूची के एच वी-1 अनुसूची की दर पर किये जाने थे । विशाल और भारी पावर उपभोक्ताओं के बिलों की जांच (सितम्बर 1995) में निम्न तथ्य प्रकाश में आये:

मूल्य सूची के विभिन्न उपभोक्ताओं पर गलत प्रयोग के फलस्वरुप 208.20 लाख रुपये का कम प्रभार ।

(i) जुलाई 1987 में ई डी डी-III, मथुरा ने प्रिसिसन एस जी आयरन फाउन्ड्री, मथुरा से 1250 के वी ए के अनुबन्धित भार का एक अनुबन्ध सम्पादित किया । उपभोक्ता के पास 869 के वी ए क्षमता (कुल भार का 69.6 प्रतिशत) का एक इन्डक्सन फरनेंस था । अतः उपभोक्ता को एच वी-1 की अनुसूची के दर के अन्तर्गत बिल जारी करने थे । लेकिन खण्ड ने एच वी-2 की अनुसूची दर के अन्तर्गत बिल जारी किए । गलत अनुसूची के प्रयोग के परिणामस्वरुप अप्रैल 92 से जनवरी 96 के बीच 25.41 लाख रुपये का कम बिल जारी हुआ । खण्ड द्वारा उत्तर में कहा गया (जुलाई 1996) कि उपभोक्ता के साथ अनुबन्ध एच वी-2 अनुसूची दर के अन्तर्गत सम्पादित किया गया था क्योंकि 33 के वी लाइन, जिससे उपभोक्ता को विद्युत आपूर्ति की जा रही थी, ग्रामीण क्षेत्र से गुजर रही थीं और उपभोक्ता को आपूर्ति की जाने वाली ऊर्जा की अवधि सुनिश्चित नही की जा सकी थी । उत्तर इसलिए सन्तोषजनक नही हैं क्योंकि न तो यह तथ्य अभिलेख पर था और न ही जनवरी 1986 के परिषद के आदेशों में ऐसा प्रावधान उपलब्ध था ।

(ii) सितम्बर 1988 में ई यू डी डी-III, आगरा ने बसन्त इन्डस्ट्रीज आगरा से 617 के वी ए भार के लिए एक अनुबन्ध सम्पादित किया जिसके पास कुल 375 एच पी (281 के डब्ल्यू) की दो भट्टियाँ थी । उपभोक्ता के प्रतिष्ठान की जांच विशेष छापा दल द्वारा 8 अगस्त 1993 को की गयी और यह पाया गया कि उपभोक्ता के पास 3 भट्टियाँ थी जिनका कुल भार 675 के डब्ल्यू था । इसी प्रकार मई 1992 के एक अनुबन्ध द्वारा अतुल इन्जीनियरिंग उद्योग को 907 के वी ए का भार स्वीकृत किया गया । लेखा परीक्षा में देखा गया कि उपभोक्ता के पास 350 एवं 450 बी एच पी की दो धमन भट्टियाँ थीं जिसकी पुष्टि

छापे के दौरान भी की गयी जो छापा दल द्वारा अगस्त 1993 में की गयी थी । फिर भी उपभोक्ता का एच वी-1 अनुसूची दर की बजाय एच वी-2 अनुसूची दर पर बिल जारी किये गये जैसा कि परिषद के आदेशों में निहित था । इस प्रकार गलत अनुसूची के प्रयोग के परिणामस्वरुप फरवरी 1993 से मार्च 1996 की अवधि में उपभोक्ता को 18.10 लाख रुपये कम के बिल जारी किये गये ।

(iii) परिषद के शुल्क सूची के एल एम वी-5 की अनुसूची दर उन सभी पावर उपभोक्ताओं पर लागू होती हैं जो ग्रामीण अनुसूची के अनुसार सिंचाईं के लिए निजी नलकूपों / पम्पिंग सेटों द्वारा विद्युत की आपूर्ति प्राप्त करते हैं । ई यू डी डी-II, III, आगरा और ई डी डी-II, मथुरा के अभिलेखों के जांच में पाया गया कि जो उपभोक्ता नगरीय फीडर से विद्युत आपूर्ति प्राप्त कर रहे थे, को एल एम वी-6 की अनुसूची दर के बजाय जो नगरीय फीडर से आपूर्ति के लिए मान्य थी, को एल एम वी-5 की अनुसूची दर पर बिल जारी किये गये जिसके परिणामस्वरुप उपभोक्ता को अप्रैल 1992 से मार्च 1996 की अवधि में 163.30 लाख रुपये के कम बिल जारी हुए ।

(iv) सागरी लेदर्स (प्रा) लिमिटेड, आगरा को दिसम्बर 1993 में 100 के डब्ल्यू का एक भार स्वीकृत किया गया । परिषद की शुल्क सूची के अनुसार उपभोक्ता को एच वी-2 अनुसूची दर पर बिल जारी किये जाने थे । लेकिन ई यू डी डी-IV, आगरा ने दिसम्बर 1993 से जनवरी 1995 की अवधि में विद्युत बिल एल एम वी-2 की अनुसूची दर पर जारी किये और फरवरी 1995 से आगे एच वी-2 की अनुसूची दर के अन्तर्गत आता था, गलत शुल्क सूची के प्रयोग के फलस्वरुप जनवरी 1995 तक 1.39 लाख रुपये के राजस्व के कम बिल जारी हुए ।

3ब.6.2 ऊर्जा की चोरी

रतन इण्डस्ट्रीज, आगरा (भार 741 के वी ए) मिश्रित फीडर से 7 दिसम्बर 1993 से दो उपभोक्ताओं (रतन इण्डस्ट्रीज और पी पी सिंघल) को 11 के वी के एक स्वतन्त्र टी वी टावर फीडर से आपूर्ति दी गयी ।

फीडर की पारेषण हानि जो दिसम्बर 1993 में मात्र 9.9 प्रतिशत थी जनवरी 1994 में बढ़कर 50.3 प्रतिशत हो गयी । 15 जनवरी 1994 को ऊंची प्रतिशतता की पारेक्षण हानि की दृष्टि से एक जांच दल रतन इण्डस्ट्रीज के प्रतिष्ठापन को जांचने के लिए तैनात किया गया परन्तु उपभोक्ता ने दल को प्रतिष्ठापना की जांच करने की अनुमति नहीं दी । जब फीडर की पारेषण हानि 71.3 प्रतिशत तक बढ़ गयी तो उपभोक्ता के प्रतिष्ठापन की जांच जुलाई 1994 को परिषद के सतर्कता दल द्वारा की गयी । छापे के दौरान दल ने सील और तालों के साथ छेड़छाड़ का सन्देह किया । उपभोक्ता का विद्युत संयोजन काट दिया गया और परिषद के आदेशनुसार जो कि ऊर्जा के छल से प्रयोग पर लागू था, के अनुसार उपभोग को आंकते हुए 47.88 लाख रुपये का बिल 31 जनवरी 1994 से 29 जुलाई 1994 तक की अवधि का 30 जुलाई 1994 को जारी किया यद्यपि मुख्य क्षेत्रीय अभियन्ता द्वारा गठित एक समिति (जनवरी 1995) में पाया कि उपभोक्ता के विरुद्ध बेइमानी से विद्युत प्रयोग का मामला प्रमाणित नहीं होता है । फिर भी, मुख्य

क्षेत्रीय अभियन्ता ने उपरोक्त स्वतन्त्र फीडर पर 470559 यूनिटों (5 प्रतिशत की सामान्य पारेषण हानि को छोड़कर) की ऊर्जा हानि जिसका मूल्य 6.82 लाख रुपये (ईंधन अधिभार एवं स्थापना अधिभार को छोड़कर) था, के कारणों का अभी तक कोई विश्लेषण नहीं किया और न किसी की जिम्मेदारी निर्धारित की (सितम्बर 1996) ।

3ब.6.3 अनुबन्ध सम्पादित न करने से हानि

आगरा विद्युत प्रदाय कम्पनी परिषद की एक लाइसेन्सी थी जो शहर में विद्युत आपूर्ति के कार्य में संलग्न थी । परिषद में इस कम्पनी को दिसम्बर 1973 में अधिग्रहीत किया था । आपूर्ति की अवस्था में परिवर्तन के साथ परिषद को पूर्व लाइसेन्सी उपभोक्ताओं से नये अनुबन्ध सम्पादित करने चाहिये थे ।

होटल क्लार्क (शीराज) जिसके पास 750 के वी ए का भार था, अक्टूबर 1962 से पूर्व लाइसेन्सी का एक उपभोक्ता था । उपभोक्ता ने पूर्व लाइसेन्सी के साथ (अक्टूबर 1962) 20 वर्ष के लिए एक अनुबन्ध किया था जिसे 6 माह की नोटिस पर समय से पहले भी निरस्त किया जा सकता था । उपभोक्ता अनुबन्ध के अनुसार ऊर्जा उपयोग पर आधारित परिवर्तनीय छूट का पात्र था । उपभोक्ता मासिक विद्युत बिलों से 3.63 लाख रुपये के सेवा संयोजन शुल्क के समायोजन का पात्र भी था ।

प्रबन्धन ने पूर्व लाइसेन्सी उपभोक्ता से नये अनुबन्ध सम्पादित करने में असफल होने के कारण परिषद को 46.71 लाख रुपये की हानि उठानी पड़ी ।

पूर्व लाइसेन्सी के अधिग्रहण के समय, परिषद ने उपभोक्ता से नया अनुबन्ध सम्पादित नही किया और पूर्व लाइसेन्सी से अनुबन्ध के आधार पर 11 अक्टूबर 1974 तक बिल जारी करता रहा । फिर 12 अक्टूबर 1974 से परिषद के शुल्क सूची के संशोधन से खण्ड ने नयी शुल्क सूची के अनुसार बिल जारी किये । उपभोक्ता ने ऊर्जा बिलों का भुगतान विरोध प्रकट करते हुए इस आधार पर किया कि परिषद उपभेक्ता से ऊंची दर पर बिल जारी करने का पात्र नही था । उपभोक्ता ने (फरवरी 1977) एक मध्यस्थ नियुक्त करने के लिए नोटिस दिया लेकिन मामला अन्तिम रुप से उच्चतम न्यायालय द्वारा अक्टूबर 1988 में उपभोक्ता के पक्ष में इस आधार तय किया कि उपभोक्ता के साथ कोई संशोधित अनुबन्ध नहीं था और परिषद संशोधित दरों पर उपभोक्ता को बिल जारी करने का पात्र नही था । परिषद को मई 1978 से अक्टूबर 1988 की अवधि का 35.64 लाख रुपये (12.98 लाख रुपये पंचाज्ञा राशि, 0.80 लाख रुपये अभ्यर्थना राशि और 21.86 लाख रुपये अक्टूबर 1988 तक का ब्याज मिलाकर) वापस करने को कहा गया ।

परिषद ने केवल 25.81 लाख रुपये उपभोक्ता के मई से अक्टूबर 1994 की अवधि के मासिक बिलों से समायोजित किये । अतः उपभोक्ता ने पुनः असमायोजित राशि और उस पर मार्च 1995 तक के ब्याज सहित 20.90 लाख रुपये का पुनः दावा किया (मार्च 1995) । मुख्य क्षेत्रीय अभियन्ता ने (सितम्बर

1995) खण्ड के अधिशासी अभियन्ता को एपेक्स कोर्ट के निर्देशानुसार उपभेक्ता को भुगतान किये जाने वाली वास्तविक धनराशि को निश्चित कर सूचित करने को कहा । उपभोक्ता को यह राशि अभी तक भुगतान नही की गयी (मई 1996) ।

पुनः यह देखा गया कि मुख्य अभियन्ता (वाणिज्यिक) ने (अगस्त 1976) में सभी फील्ड यूनिटों को पूर्व लाइसेन्सी उपभोक्तओं के साथ नये अनुबन्ध करने के निर्देश दिये लेकिन खण्डों ने उपभोक्ता से केवल अक्टूबर 1986 में अनुबन्ध किये । परिषद के आदेशों का देर से पालन करने की जिम्मेदारी अभी तक निर्धारित नही की गयी (मई 1996)।

3ब.6.4 खराब मीटरों के कारण हानि

रेलवे स्टेशन, फिरोजाबाद (प्रकाश एवं पंखे) पर लगा मीटर सितम्बर 1992 से खराब हो गया था और ई डी डी फिरोजाबाद ने जून 1993 तक न्यूनतम 700 रुपये प्रतिमाह के आधार पर विद्युत बिल जारी किये । आपूर्ति की शर्तों (1984) के अनुसार, मीटर खराब होने की दशा में पिछले तीन महीने के औसत के आधार पर, जब मीटर सही चल रहा था, ऊर्जा उपभोग का निर्धारण करना था । उपरोक्त उपभोक्ता का जून से अगस्त 1992 की अवधि में मासिक औसत उपभोग 7145 यूनिट था और इस प्रकार उपभोक्ता को सितम्बर 1992 से जून 1993 तक 700 रुपये प्रतिमाह के स्थान पर 7145 यूनिट प्रतिमाह के उपभोग पर निर्धारित किया जाना चाहिये था । इस प्रकार परिषद के आदेशों का गलत प्रयोग करने से 1.51 लाख रुपये कम के राजस्व के बिल जारी किये गये ।

3ब.6.5 प्रतिभूति की वसूली न होना

जनवरी / मार्च 1994 में परिषद ने शासकीय / अर्द्ध शासकीय और दूसरे उपभोक्तओं से जो पूर्व में प्रतिभूति जमा करने से मुक्त थे, से भी प्रारम्भिक प्रतिभूति वसूलने का निर्णय लिया । प्रतिभूति 30 दिन की एक नोटिस जारी कर वसूलनी थी और दोषी पाये जाने पर उनका संयोजन काट दिया जाना था ।

दो खण्डों के अभिलेखों की जांच में यह पाया गया कि 43.20 लाख रुपये के प्रतिभूति के बिल राज्य नलकूपों, स्ट्रीट लाइट एवं जल संस्थानों और सिवेज एवं पम्पिंग उपभोक्ताओं को जारी नहीं किये गये (जून 1996) ।

प्रतिभूति के बिल न जारी किये जाने के कारण अभिलेख पर उपलब्ध नही थे ।

3ब.6.6 अवशेषों में वृद्धि

अगले पृष्ठ पर दी गयी सारणी 1991-92 से 1995-96 की अवधि हेतु प्रत्येक श्रेणी के उपभोक्ताओं से वसूली योग्य राजस्व के अवशेष प्रदर्शित करती है:

उपभोक्ताओं की श्रेणी	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96
	(	लाख	रुपये	में	)
(अ) गैर शासकीय					
(i) घरेलू एवं वाणिज्यिक	1790.45	3062.00	4292.90	6093.81	8407.09
		(71.02)	(139.77)	(240.35)	(369.55)
(ii) लघु एवं मध्यम	497.99	684.85	936.72	1308.97	1915.25
		(37.52)	(88.10)	(162.85)	(284.60)
(iii) बड़े एवं भारी उद्योग	204.56	289.48	331.96	378.89	352.54
		(41.51)	(62.28)	(85.22)	(72.34)
(iv) निजी नलकूप	2225.61	2903.79	3471.52	3291.79	4979.68
		(30.47)	(55.98)	(47.90)	(123.74)
(v) पूर्व लाइसेन्सी एवं परिषद के कर्मचारी	22.17	22.37	22.87	26.75	26.76
		(0.90)	(3.16)	(20.66)	(20.70)
योग	**4740.78**	**6962.49**	**9055.97**	**11100.21**	**15681.32**
(ब) शासकीय					
(vi) सार्वजनिक प्रकाश	550.18	947.10	1218.19	1670.96	2080.82
		(72.14)	(121.42)	(203.71)	(278.21)
(vii) जल संस्थान	3074.88	4306.17	5755.87	7516.57	8822.47
		(40.04)	(87.19)	(144.45)	(186.92)
(viii) राजकीय नलकूप	325.36	208.99	305.57	302.85	606.21
					(86.32)
(ix) विश्व बैंक नलकूप	654.26	1138.48	1610.60	2248.97	3098.33
		(74.01)	(146.17)	(243.74)	(373.56)
(x) रेलवे	213.76	13.93	26.18	15.08	29.06
(xi) पम्प नहरें	2.72	4.24	7.92	1.62	5.55
		(55.88)	(191.18)		(104.04)
योग	**4821.16**	**6618.91**	**8924.33**	**11756.05**	**14642.44**
पूर्ण योग	**9561.94**	**13581.40**	**17980.30**	**22856.26**	**30323.76**
		(42.04)	**(88.04)**	**(139.03)**	**(217.13)**

नोट : कोष्ठक के आंकड़े 1991-92 पर वृद्धि की प्रतिशतता प्रकट करते है ।

अवशेषों में वृद्धि के विश्लेषण से निम्न बातें पता चलीं:

(i) घरेलू एवं वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के अवशेषों में अधिकतम वृद्धि हुयी जो 1991-92 से 1995-96 तक 369.55 प्रतिशत बढ़ गयी, परन्तु शासकीय एवं गैर शासकीय उपभोक्ताओं के अवशेषों में तीव्र वृद्धि के रोकथाम के कोई उपाय नही किये गये ।

(ii) परिषद की आपूर्ति शर्तों के प्रस्तर 19 के प्राविधानों के अनुसार यदि बिल में दर्शायी गयी देय तिथि से सात दिनों के अन्दर भुगतान नही किया गया तो उपभोक्ता का संयोजन काटा जाये लेकिन अधिकतर भुगतान के दोषी मामलों में संयोजन नही काटा गया जो राजस्व अवशेषों के वृद्धि का मुख्य कारण रहा । 1995-96 तक के पांच वर्षों में न काटे जाने वाले संयोजनों का प्रतिशत 65.58 और 77.94 के बीच पाया गया ।

(iii) समय-समय पर संशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विद्युतीय उपक्रम (बकया वसूली) अधिनियम 1958 के अन्तर्गत परिषद के अवशेषों को भू राजस्व अवशेषों की भांति वसूल किया जा सकता है यदि अवशेषों को जमा कराने के लिए धारा 3 के अन्तर्गत मांग पत्र जारी कर दिया गया है । इसके बाद भी दोषी पाये जाने पर धारा 5 के अन्तर्गत जिला अधिकारी को अवशोषों की वसूली के लिए एक वसूली प्रमाण पत्र जारी किया जाए । लेखा परीक्षा में देखा गया कि धारा 3 के अन्तर्गत 7523.17 लाख रुपये के मांग पत्रों के विरुद्ध धारा 5 के अन्तर्गत भू राजस्व के रुप में अवशेषों के वसूली प्रमाण पत्र मार्च 1996 के अन्त तक केवल 3147.83 लाख रुपये के ही जारी किये गये । शेष 4375.34 लाख रुपये अवशेषों के वसूली प्रमाण पत्र जारी न किये जाने के कारण अभिलेख पर उपलब्ध नहीं थे ।

विद्युत बकाया के अवशेषों में वृद्धि के बावजूद क्षेत्र ने 4375.34 लाख रुपये के बकाया के वसूली प्रमाण पत्र जारी नहीं किये ।

(iv) चार वितरण खण्डों के अभिलेखों के नमूना जांच में यह पाया गया कि 29.98 लाख रुपये के 244 मामलों के वसूली प्रमाण पत्र जिला प्रशासन ने इस आधार पर वापस कर दिये कि उनमें गलत पते (11.35 लाख रुपये) और दिये गये पतों के अनुसार व्यक्तियों एवं सम्पत्तियों का न पाया जाना (18.63 लाख रुपये) था । चूंकि खण्ड व्यक्तियों एवं सम्पत्तियों के सही पते एवं दूसरी जरुरते उपलब्ध कराने में असफल रहा इसलिए यह वसूली संदिग्ध थी ।

3ब.7 अनुचित अनुरक्षण से ट्रान्सफार्मरों की खराबी

ई यू डी डी III, आगरा के अभिलेखों की नमूना जांच में (सितम्बर 1995) पाया गया कि दो 5 एम वी ए के पावर ट्रान्सफार्मर और दूसरे संयंत्र (मूल्य 31.02 लाख रुपये) जो 33 के वी उपस्थान फाउन्डरी नगर, आगरा में स्थापित थे, आग लगने से 29 अप्रैल 1993 को क्षतिग्रस्त हो गये थे । अधीक्षण

अभियन्ता ई डी सी, आगरा को मुख्य क्षेत्रीय अभियन्ता ने (अप्रैल 1993) जांच अधिकारी नियुक्त किया और

(i) आग के कारणों और क्षति की जांच,

(ii) हानि और क्षति का अनुमान,

(iii) जिम्मेदारी निर्धारित करना एवं

(iv) ऐसी घटना भविष्य में न होने के लिए सुधारात्मक उपायों का सुझाव देने को कहा ।

जून 1993 में मुख्य अभियन्ता को प्रस्तुत जांच रिपोर्ट को देखने पर पता चला कि ट्रान्सफार्मर की बुशिंग में दरार थी जिससे ट्रांसफार्मर का तेल लीक कर गया और विभिन्न फेजों में ओवर करंट और अर्थ फाल्ट हो गया । जाँच अधिकारी ने न तो आग से हुई हानि की राशि बतायी और न ही अनुचित अनुरक्षण की जिम्मेदारी निर्धारित की ।

3ब.8 पुराने और गैर किफायती ट्रान्सफार्मरों का अनिस्तारण

परिषद द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, क्षतिग्रस्त गैर किफायती ट्रान्सफार्मरों को सम्बन्धित खण्डों द्वारा इनको विखण्डित करके भण्डार संगठन को हस्तगत कर देना चाहिये । लेखा परीक्षा में देखा गया (दिसम्बर 1995) कि विद्युत नगरीय वितरण खण्ड III, आगरा के 125 से 1000 के वी ए क्षमता (मूल्य 13.54 लाख रुपये) वाले 49 पुराने गैर किफायती ट्रान्सफार्मर उनकी मरम्मत कार्यशाला में पिछले 15 वर्षों से अनिस्तारित पड़े थे । जून / जुलाई 1995 में पुनः यह देखा गया कि सात ट्रान्सफार्मरों (125 से 500 के वी ए रेटिंग वाले) और पांच ट्रान्सफार्मरों के एच टी एवं एल टी कुण्डलियाँ (मूल्य 2.04 लाख रुपये) की चोरी हो गयी थी जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट थाने में लिखा दी गयी, लेकिन उसके लिये तदोपरान्त प्रगति की कार्यवाही नहीं की गयी। इस मामले में विभागीय कार्यवाही भी अभी तक (नवम्बर 1995) नहीं की गयी। इस प्रकार उपरोक्त ट्रान्सफार्मरों के इतने लम्बे समय तक अनिस्तारण के कारण, निधी के अवरुद्ध रहने के अतिरिक्त, 2.04 लाख रुपये की सामग्री की चोरी भी हो गयी जिसके परिणामस्वरुप परिषद की हानि हुयी। इसी प्रकार विभिन्न क्षमता के 74 क्षतिग्रस्त ट्रान्सफार्मर (कीमत 4.54 लाख रुपये) जिनकी मरम्मत गैर किफायती थी, क्षेत्र के कार्यशाला खण्ड के विभिन्न मरम्मत कार्यशालाओं में उसके वर्ष 1987 के स्थापना तिथि से अभी तक अनिस्तारित पड़े थे (नवम्बर 1995)

इन ट्रान्सफार्मरों के अनिस्तारण के कारण, जो भी स्क्रैप का मूल्य प्राप्त होने योग्य था, पूर्ण हानि के लिये अग्रसर हो गया।

3ब.9 परिषद की परिसम्पत्तियों की चोरी करना या न वापस करना

3 ब.9.1 वितरण प्रभाग की पुर्नगठन योजना में परिषद की परिसम्पत्तियों के ऊपर नियंत्रण के साथ कमजोर क्षेत्रों पर प्राथमिकता से ध्यान देना शामिल था । दिसम्बर 1975 में निर्गत परिषद के आदेशानुसार 6000 रुपये तक के चोरी के मामले खण्ड के उप मण्डलीय अधिकारियों द्वारा और 6000 रुपये से ऊपर के

मामले अधिशासी अभियन्तओं द्वारा छानबीन किये जाने थे । अधिशासी अभियन्ताओं को उप मण्डलीय अधिकारियों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले मामलों के 10 प्रतिशत मामलों, जिनमें एक ही स्थान पर बार बार घटित होने वाले चोरी के मामले भी हो की स्वतन्त्र छानबीन करनी थी ।

6 खण्डों के लेखा परीक्षण में पाया गया कि अवधि फरवरी 1990 से अगस्त 1995 तक में ट्रान्सफार्मरों (कीमत 17.72 लाख रुपये) तथा कन्डक्टरों (कीमत 68.09 लाख रुपये) की चोरी हो गयी ।

थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के अतिरिक्त सम्बन्धित अधिकारियों ने तदोपरान्त प्रगति के लिये कोई कार्यवाही नहीं की जैसा कि परिषद के आदेशों में कहा गया था । ई डी डी, फिरोजाबाद ने तो दिसम्बर 1993 के बाद चोरी के मामलों का चोरी के अभिलेख में दर्ज तक नहीं किया ।

3ब.9.2 लाइन सामग्री की चोरी

(i) अगस्त / सितम्बर 1993 में कोसीकलां में 132 के वी उप स्थान के ऊर्जाकृत होने पर (वर्तमान में स्थित 33 के वी उप स्थान, छाता और छत्तीकला टेपिंग प्वाइन्ट के बीच की 19.036 किमी की 33 के वी लाइन जिसमें 164 रेल अवलम्ब तथा 59.011 किमी ए सी एस आर डाग / रेकून कन्डक्टर और दूसरी उप वस्तुएं थी, अनावश्यक हो गयी । ई डी डी III, मथुरा के खण्डीय अधिकारी ने चोरी की घटना को टालने के लिये लाइन को उखाड़ने की द्रुतगामी कार्यवाही नहीं की, परिणाम स्वरुप जनवरी से मार्च 1994 की अवधि में 1.39 लाख रुपये की कीमत का 5.803 किमी कन्डक्टर चोरी कर लिया गया । फिर चोरी की घटना के बाद अधिशासी अभियन्ता ने बिना प्राक्कलन तैयार किये लाइन सामग्री जिसमें रेल अवलम्ब, क्रास आर्म और क्लैम्प नहीं थे को उखाड़ने का कार्य, 0.28 लाख रुपये के समेकित मूल्य पर सौपां (जून 1994) । लाइन सामग्री की कीमत अनुबन्ध में शामिल नहीं थी और जो 12.16 लाख रुपये आंकलित की गयी, की सुरक्षा के लिए कोई प्रावधान नहीं रखा । खण्ड ने उत्तर में बताया (जून 1996) कि क्षेत्रीय समिति के अनुमोदन के आकांक्षा में रेल अवलम्ब नहीं उखाड़े गये ।

निष्प्रयोज्य लाइन को उखाड़ने में विलम्ब से सामग्री के चोरी कर लिये जाने के कारण परिषद को 24.11 लाख रुपये की परिहार्य हानि हुई ।

(ii) मार्च 1983 में 132 के वी ए उपस्थान, सादाबाद के ऊर्जीकृत होने पर, 33 के वी सादाबाद-हाथरस लाइन (17 किमी) अनावश्यक हो गयी । जनवरी 1992 मं अधिशासी अभियन्ता, ई डी डी I, मथुरा ने लाइन पर उपलब्ध सामग्री (कीमत 11.06 लाख रुपये) को उखाड़ने के लिये एक प्राक्कलन तैयार किया जिसे अधीक्षण अभियन्ता ने फरवरी 1992 में अनुमोदित कर दिया । प्राक्कलन के जांचोपरान्त पता चला कि सर्वे के समय 39.5 किमी ए सी एस आर डाग / फेरट कन्डक्टर तथा अन्य उप वस्तुयें (कीमत 4.31 लाख रुपये) लाइन पर से गायब थी जिसकी कोई विभ्भागीय छानबीन नहीं की गयी लाइन को उखाड़ने का काम मथुरा की एक फर्म को जुलाई 1992 में सौंपा गया जो सितम्बर 1992 में पूरा किया गया । इस प्रकार, निष्प्रयोज्य लाइन के विलम्ब से उखाड़ने के परिणामस्वरुप 4.35 लाख रुपये की

सामग्री की चोरी हो गयी । चोरी की सूचना न तो पुलिस को दी गयी और न विभागीय छानबीन करायी गयी ।

(iii) अधीक्षण अभियन्ता ई डी सी, मैनपुरी ने ई डी डी, मैनपुरी के अधिकार क्षेत्र की 33 के वी कुरावली मलाँवा लाइन को उखाड़ने का एक प्राक्कलन स्वीकृत किया (मई 1994) जो 15 वर्षों से निष्प्रयोज्य पड़ी थी क्योंकि 33 के वी की आपूर्ति, 132 के वी उपस्थान एटा के बजाय 33 के वी उपस्थान मलाँवा से प्रारम्भ हो गयी थी । अभिलेखों की नमूना जाँच में देखा गया कि लाइन के उखाड़ने से प्राप्त होने वाले 30.65 लाख रुपये की सामग्री के विरुद्ध केवल जगह पर 12.28 लाख रुपये की सामग्री ही उपलब्ध पायी गयी । यह तथ्य जनवरी 1994 में सर्वे के दौरान पता चला । चोरी के कारण गायब 18.37 लाख रुपये मूल्य की सामग्री का विवरण प्राप्त नहीं था।

खण्डीय अधिकारी ने कहा (अप्रैल 1996) कि लाइन के उखाड़ने का कार्य पहले नहीं कराया जा सका क्योंकि उच्च अधिकारियों की स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई थी ।

3ब.9.3 ट्रान्सफार्मरों का वापस न करना

वितरण खण्डों द्वारा निजी फर्मों को मरम्मत हेतु भेजे जाने वाले ट्रान्सफार्मरों को मरम्मत के बाद भण्डार खण्डों को वापस किया जाना होता है । भण्डार खण्ड द्वारा सत्यापित पावती के आधार पर वितरण खण्ड, भण्डार खण्ड के विरुद्ध एडवाइस आफ ट्रान्सफर डेबिट (ए टी डी) स्वीकार हेतु एवं अभिलेख में लेखांकन हेतु जारी करता है ।

एक नमूना जांच में देखा गया कि नवम्बर 1989 से मार्च 1990 की अवधि में ई डी डी I, मथुरा के एक अवर अभियन्ता ने 25 से 160 के वी ए रेटिंग के 113 क्षतिग्रस्त ट्रान्सफार्मर (मूल्य 38.20 लाख रुपये) मथुरा की दो फर्मों को मरम्मत हेतु दिये । अवर अभियन्ता ने जिन संविदा के विरुद्ध ट्रान्सफार्मर फर्म को दिये थे, का उल्लेख नही किया जिसके कारण फर्म की पावती भण्डार खण्ड आगरा के सहायक भण्डारपाल द्वारा सत्यापित नहीं की गई । वांछित सत्यापन के अभाव में विद्युत वितरण खण्ड I, मथुरा भण्डार खण्ड आगरा के विरुद्ध कोई ए टी डी अभी तक निर्गत नही कर सका (सितम्बर 1996) । समय व्यतीत होने के साथ, मरम्मत करने वाली फर्म द्वारा ट्रान्सफार्मरों के गबन की सम्भावनाओं से इन्कार नहीं किया जा सकता ।

लेखा परीक्षा द्वारा बताये जाने के बाद खण्डीय अधिकारी ने अप्रैल 1996 में 38.20 लाख रुपये का विविध अग्रिम, सम्बन्धित अवर अभियन्ता के खाते में डाल दिया । उपरोक्त अग्रिम की वसूली / समायोजन अभी तक प्रतीक्षित था (सितम्बर 1996) ।

3ब.9.4 अतिरिक्त भण्डार का अनिस्तारण

सितम्बर 1983 में परिषद ने 10 एम डब्ल्यू वाष्प शक्ति गृह, मैनपुरी को तत्कालिक प्रभाव से बन्द करने का निर्णय लिया । यद्यपि यह शक्ति गृह दिनांक 24 अक्टूबर 1983 से बन्द किया गया ।

नमूना लेखा परीक्षण में (दिसम्बर 1995) देखा गया कि शक्तिगृह के बन्द करने के समय भण्डार सामग्री का मूल्य 48.08 लाख रुपये निश्चित किया गया था जिसमें से 11.18 लाख रुपये की सामग्री नवम्बर 1983 से अक्टूबर 1991 की अवधि में विभिन्न खण्डों को स्थानान्तरित कर दी और 8.32 लाख रुपये का कोयला जून 1988 में 4.32 लाख रुपये में नीलाम कर दिया । लेकिन शेष 28.58 लाख रुपये मूल्य की भण्डार सामग्री के लिये मई 1996 तक निस्तारण की कोई कार्यवाही नही की और समय व्यतीत होने के साथ सामग्री को नष्ट होने के लिये छोड़ दिया ।

3ब.10 नियन्त्रण अभिलेखों का अनियमित अनुरक्षण

(i) स्वीकृत प्राक्कलनों के विरुद्ध और दिये गये अग्रिमों के विरुद्ध समायोजनों की सामग्री के सही लेखाबन्दी को सुनिश्चित करने के लिए खण्डीय स्तर पर विभिन्न अभिलेख जैसे, भण्डार लेखा, कार्य पंजिका, विविध अग्रिम पंजिका, क्रय उच्चंत पंजिका आदि के अनुरक्षण की आवश्यकता होती है जिन्हे एक निर्धारित समयावधि में पुस्तकबद्ध एवं बन्द किये जाने होते हैं । यह देखा गया है कि इन नियन्त्रण अभिलेखों का खण्डीय स्तर पर या तो अनुरक्षण नही किया गया या अनियमित रुप से किया गया ।

(ii) विविध अग्रिमों के अवशेषों को न्यूनतम करने के उद्देश्य से परिषद ने (नवम्बर 1981) में एक विस्तृत प्रक्रिया जारी की जिसके अनुसार दोषी कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनिक/ अपराधिक कार्यवाही प्रारम्भ करने के लिये खण्डीय अधिकारियों को व्यक्तिगत रुप से जिम्मेदार ठहराया ।

लेखा परीक्षा में देखा गया कि 31 मार्च 1996 के अन्त तक कर्मचारियों के विरुद्ध कुल 357.27 लाख रुपये के विविध अग्रिम 5 से 20 वर्ष से अधिक समय से अनिस्तारित पड़े थे ।

उपसंहार

मार्च 1996 तक के पांच वर्षों की अवधि में क्षेत्र को लगातार राजस्व की हानि हुयी । इसके मुख्य कारण जो लेखा परीक्षा में विश्लेषित किये गये हैं:

* वांछित परिमाण में कैपेसिटर्स बैंकों के स्थापना न करने से निर्धारित मानक से अधिक पारेषण हानि;
* ओवर लोडिंग, अनुचित अर्थिंग तथा तेल का निर्धारित स्तर के अनुरक्षण न करने से वितरण ट्रान्सफार्मरों की अत्यधिक क्षति;
* राजस्व का निर्धारण न करना या कम निर्धारण करना ।

क्षेत्रीय प्रबन्धन को पारेषण हानियों तथा ट्रान्सफार्मरों की क्षति को न्यूनतम करने और समय में तथा सही राजस्व निर्धारण के लिये प्रभावी कदम उठाने चाहिये । प्रबन्धन को अपने बकाया अवशेषों, जो वर्षानुवर्ष लगातार बढ़ रही थी, की वसूली के प्रभावी कदम उठाने चाहिये । इससे परिषद, इस निधि से वितरण नेट वर्क के सुधार में सक्षम हो पायेगा ।

मामले से परिषद और शासन को जून 1996 में अवगत कराया जा चुका था जिसका उत्तर अभी तक अप्राप्त है (अक्टूबर 1996) ।

अनुच्छेद - 3 स
रिहन्द एवम ओबरा के जल विद्युत गृह

प्रस्तर	विवरण	पृष्ठ संख्या
	मुख्य अंश	167
1	प्रस्तावना	168
2	संगठनात्मक ढाँचा	168
3	लेखा परीक्षा का कार्य क्षेत्र	169
4	संचालन परिणाम	169
4.1	संयत्र उपलब्धता तथा क्षमता उपयोग	169
4.2	ऊर्जा असफलता	171
4.3	महा विद्युत संवाहक तार में हानियां	173
5	पुनर्जीवीकरण	174
6	भण्डार नियंत्रण	175
7	मानव शक्ति विश्लेषण	176
8	वितरण प्रणाली के प्रसार पर निष्फल व्यय	177
9	अन्य रोचक विषय	178
	उपसंहार	180

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद

अनुच्छेद 3- स

रिहन्द एवं ओबरा के जल विद्युत गृह

मुख्य अंश

राज्य के पूर्वी जिलों के पूर्ण सर्वांगीण विकास हेतु सस्ती विद्युत ऊर्जा प्रदत्त करने के उद्देश्य से रिहन्द में फरवरी 1962 से अप्रैल 1965 के दौरान .50 मेगावाट की छः उत्पादक इकाईयां (जेनरेटिंग सेट) कुल लागत (51.52 करोड़ रुपये) एवं ओबरा में मई 1970 से अप्रैल 1971 के दौरान 33 मेगावाट प्रत्येक की तीन उत्पादक इकाईयां (कुल लागतः 24.24 करोड़ रुपये) संस्थापित की।

(प्रस्तर 3 स.1)

मानक की तुलना में निम्नतर सन्यन्त्र उपलब्धता की प्राप्ति के कारण 1362.02 करोड़ रुपये मूल्य के 11287 मेगावाट की उत्पादकता में कमी थी।

(प्रस्तर 3 स.4.1)

भलीभाँति मरम्मत (ओवर हालिंग) हेतु प्रबन्धन द्वारा लिया गया समय मानक से 16149 घण्टे अधिक था जिसने 51.18 करोड़ रुपये मूल्य के 724.3 मेगावाट के उत्पादन में हानि का परिणाम दिया।

(प्रस्तर 3 स. 4.2)

महा विद्युत संवाहक तार (बस बार) में मानक की अपेक्षा अधिक हानि हुई ऊर्जा की मात्रा 15.25 करोड़ रुपये मूल्य की 140.589 मेगायूनिट थी।

(प्रस्तर 3 स.4.3)

एच. ओ. पी. एस. में अपेक्षाकृत अधिक मानव शक्ति पर 607.37 लाख रुपये के व्यय के अतिरिक्त परिषद ने ठेकेदारों के द्वारा क्रियान्वित दैनिक कार्यों पर 16.93 लाख रुपये तथा समयोपरि कार्य के कारण 117.74 लाख रुपये का व्यय किया।

(प्रस्तर 3 स.7)

रेनूकूट के एक रासायनिक कारखाने के वसूलीयोग्य विलम्ब भुगतान अधिभार के अनियमित

माफी के कारण परिषद को 206.84 लाख रुपये की हानि हुई।

(प्रस्तर 3 स.9.1)

फरवरी 1982 में पानी की आपूर्ति आरम्भ करने से पूर्व एन. टी. पी. सी.से वसूली योग्य जल प्रभार की दर तय न करने के कारण 294.54 करोड़ रुपये की धनराशि वसूल न कर सकी।

(प्रस्तर 3 स.9.3)

3 स.1 प्रस्तावना

राज्य के पूर्वी जिलों के सर्वांगींण विकास हेतु पर्याप्त मात्रा में सस्ती विद्युत ऊर्जा प्रदत्त करने के उद्देश्य से, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद (यू. पी. एस. ई. बी.) ने फरवरी 1962 से अप्रैल 1965 के दौरान रिहन्द (पिपरी) में 50 मेगावाट की छः उत्पादक इकाईयां (कुल लागत : 51.52 करोड़ रुपये) तथा मई 1970 से अप्रैल 1971 के दौरान ओबरा में 33 मेगावाट की तीन उत्पादक इकाईयां (कुल लागत : 24.24 करोड़ रुपये) संस्थापित की। इन विद्युत गृहों में उत्पादित ऊर्जा को राज्य के पूर्वी जिलों के बड़े तथा भारी उद्योगों, रेलों, कृषि क्षेत्रों तथा नलकूपों की मांग को पूरा करने हेतु उपभोग करना था। उत्पादन हेतु अपेक्षित जल रिहन्द के जलाशय से लाया जाता था जोकि शुद्धता एक ऊर्जा उद्देश्य हेतु जलाशय है तथा ओवरा इसकी अन्तिम छोर से पानी प्रयोग कर रहा था। जलाशय का जल स्तर 830 फीट पर बनाये रखना अपेक्षित था ताकि एन. टी. पी. सी. आस पास के क्षेत्र में स्थित अपने विद्युत गृहों की आवश्यकता को पूरा करने में समर्थ हो सके।

वर्तमान में ये जल विद्युत इकाईयाँ दो बड़े उद्योगों यानि हिन्दुस्तान एल्युमिनियम कम्पनी लिमिटेड तथा कनौरिया केमिकल्स लिमिटेड, आस पास के क्षेत्रों के छोटे औद्योगिक भार तथा रिहन्द एवं ओवरा में परिषद की कालोनियों को ऊर्जा प्रदत्त करती है।

3 स.2 संगठनात्मक ढाँचा

दोनों विद्युत गृहों का सम्पूर्ण प्रबन्ध सामान्य प्रबन्धक, ऊष्मीय तथा जल विद्युत परियोजनाओं, ओवरा में निहित हैं जिसकी एक अधीक्षण अभियन्ता द्वारा सहायता की जाती है। रिहन्द विद्युत गृह (आर. पी. एस.) का तीन अधिशाषी अभियन्ताओं में तथा ओवरा जल विद्युत गृह का दो अधिशाषी अभियन्ताओं में स्थानीय प्रबन्ध निहित है। लेखा से सम्बन्धित कार्य ओवरा ऊष्मीय विद्युत गृह के वित्त नियन्त्रक एवं मुख्य लेखा अधिकारी के परिवेक्षण के अन्तर्गत किये जाते हैं।

3 स.3 लेखा परीक्षा का कार्य क्षेत्र

1994 तक के 5 वर्षों हेतु परियोजना के क्रियाकलाप अगस्त से अक्टूबर 95 के दौरान समीक्षित तथा सितम्बर 1996 के दौरान मार्च 1996 तक अद्यतन किये गये हैं जिसके परिणाम तदोपरान्त विवेचित हैं।

परिषद के जल विद्युत गृहों की क्रियाकलाप (रिहन्द तथा ओवरा सहित) पिछली बार भारत के नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक की 31 मार्च 1979 को समाप्त होने वाले वर्ष हेतु प्रतिवेदन (वाणिज्यिक), उत्तर प्रदेश सरकार में समीक्षित थी। प्रतिवेदन सार्वजनिक उपक्रम समिति द्वारा 28 अप्रैल 1986 से 20 नवम्बर 1988 तक की अवधि के दौरान विवेचित हुई थी पर उनको संस्तुतियाँ प्रतीक्षित थीं (सितम्बर 1996)।

3 स.4 संचालन परिणाम

3 स.4.1 संयंत्र उपलब्धता* तथा क्षमता उपभोग**

राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एक समिति ने रिहन्द की तरह की उत्पादक इकाईयों की उपलब्धता पर अपेक्षाकृत अधिक ध्यान देने की आवश्यकता पर बल दिया था। (दिसम्बर 1972) ताकि समय के किसी बिन्दु पर महत्तम उत्पादक क्षमता उपलब्ध हो सके। 2 सप्ताहों में भलीभांति मरम्मत हेतु समय को अवरुद्ध करने की समिति की संस्तुतियों पर आधारित, जल विद्युत उत्पादक इकाईयों द्वारा 96 प्रतिशत की संयन्त्र उपलब्धता प्राप्त करने की कल्पना की गई थी। 1995-96 तक 5 वर्षों के दौरान संयन्त्र उपलब्धता तथा क्षमता उपभोग की स्थिति नीचे दी गई है:

	विवरण	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96
(i)	उपलब्ध घंटे	79056	78840	78840	78840	79056
(ii)	संचालन घण्टे	53108	16727	30373	51830	30712
(iii)	ऊर्जा असफलता की अवधि***	6027	12229	4926	10144	15487

* सन्यन्त्र उपलब्धता वर्ष में उपलब्ध घंटों से सन्यन्त्र के संचालन के घंटों का अनुपात है।

** क्षमता उपभोग संस्थापित उत्पादक क्षमता से वास्तविक उत्पादन का अनुपात है।

*** आरक्षित ऊर्जा असफलता, अवधि जिसमें संयंत्र यद्यपि उपलब्ध होता है पर प्रणाली प्रतिबद्धता के कारण चलाया नहीं जाता, ऊर्जा असफलता के घंटों मे सम्मिलित नहीं है।

विवरण	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96
(iv) संयंत्र उपलब्धता का प्रतिशत	67.2	21.2	38.5	65.7	38.8
(v) संस्थापित उत्पादक क्षमता (एम. यू.)****	3504.82	3495.24	3495.24	3495.24	3504.82
(vi) उत्पादित ऊर्जा (एम. यू.)	1718.62	540.92	996.51	1912.57	1039.41
(vii) उत्पादन में कमी (v)-(vi)(एम. यू.)	1786.21	2954.32	2498.73	1582.67	2465.47
(viii) क्षमता उपभोग का प्रतिशत	49.1	15.5	28.5	54.7	29.7
(ix) परिषद द्वारा माँग और पूर्ति के मध्य अन्तर (एम. यू.)	3818	3507	3913	4404	3003
(x) रिहन्द में उपलब्ध जलस्तर का क्षेत्र (फीट में)	838-880	838-854	839-870	840-880	838-871

उपरोक्त से देखा जा सकता है कि 96 प्रतिशत की आशातीत संयंत्र उपलब्धता के विरुद्ध, वास्तविक सन्यन्त्र उपलब्धता, 1995-96 तक पांच वर्षों के दौरान मात्र 21.2 तथा 67.2 के मध्य रही जिसके परिणाम स्वरुप 136202 करोड़ रुपये मूल्य की 11287 एम. यू. की उत्पादकता मे कमी आयी। इससे परिणाम हुआ:

- परिषद द्वारा राज्य में विद्युत ऊर्जा की कुल माँग और आपूर्ति के मध्य अन्तराल को पूरा करने में असफलता, जिसकी मात्रा इन पाँच वर्षों के दौरान 3003 तथा 4404 एम. यू. के मध्य थी।

- उत्पादित ऊर्जा की लागत में आर. पी. एस. तथा एच. ओ. पी. एस. में क्रमशः 5.70 तथा 21.70 पैसे प्रति इकाई एवं 9.20 तथा 30.90 पैसे प्रति इकाई की वृद्धि।

उत्पादन में कमी के कारण जैसा कि लेखा परीक्षा में विश्लेषित किया गया था:

(अ) परियोजना द्वारा जल का अधिकतम सीमा तक उपभोग न कर सकने के परिणाम स्वरुप 1995-96 तक के पाँच वर्षों के दौरान 193.82 करोड़ रुपये मूल्य के 1617.23 एम. यू. (आर. पी. एस. 1185.85 तथा एच. ओ. पी. एस. 431.38 एम. यू.) के कुल योग की उत्पादन में हानि हुई।

**** एम. यू. दस लाख इकाई दर्शाती है।

(ब) एच. ओ. पी. एस., जो आर. पी. एस. से युग्म मे चलता है, की इस प्रकार से अभिकल्पित किया गया है कि 919.8 एम. यू. से उत्प्रवाहित जल एच. ओ. पी. एस. 279 एम. यू. प्रतिवर्ष का उत्पादन कर सके। 1995-96 तक के पाँच वर्षों के दौरान एच. ओ. पी. एस. में उत्पादन 1645.808 एम यू का था। परियोजना प्रतिवेदन के अनुसार, जल जिसने एच ओ पी एस में 1645.808 एम यू का उत्पादन किया था। आर पी एस से उत्प्रवाहित मात्र 5431.166 एम यू के उत्पादन के पश्चात हो सकता था। तथापि, लेखा परीक्षा मे, यह देखा गया कि आर पी एस में इस अवधि के दौरान वास्तविक उत्पादन मात्र 4562.11 एम. यू. का था। आर पी एस में उत्पादन की कमी का, इस प्रकार योग 868.955 एम यू था जिसका मूल्य संबंधित वर्षों के प्रति इकाई औसत विक्रय मूल्य पर 101.89 करोड़ रुपये था।

प्रबन्धन द्वारा आर पी एस में उत्पादन की कमी का श्रेय (अकटूबर 1995) प्रारम्भिक शलाका अवधि के दौरान जलाशय के अन्तिम छोर पर ढ़ोकों तथा मिट्टी के निक्षेपों के जमा होने के परिणामत: ओबरा हेतु अधिक जल के उत्प्रवाह मे दिया। परिषद ने अभी तक (सितम्बर 1996) कोई सुधारात्मक कदम नहीं उठाये थे।

(स) ऊर्जा असफलताओं* को नियंत्रण करने में परिषद की असफलता जैसा कि अनुवर्ती प्रस्तर 4.2 में विवेचित है।

3 स.4.2 ऊर्जा असफलता

भलीभांति मरम्मत तथा अनुरक्षण में अपेक्षाकृत अधिक समय लेने के कारण परिषद को 91.18 करोड़ रुपये मूल्य की 724.3 एम.यू.की उत्पादन की हानि वहन करना पड़ा।

समिति की जल विद्युत उत्पादक इकाईयों के भलीभांति मरम्मत के कारण 2 सप्ताह प्रतिवर्ष तक ऊर्जा असफलता तक अवरुद्धता करने की संस्तुति के विरुद्ध वास्तविक ऊर्जा असफलता कहीं अधिक थी जेसा कि नीचे दी गई सारणी में इंगित किया गया है:

(घंटों में)

विवरण	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96
रिहन्द विद्युत गृह					
नियोजित ऊर्जा असफलता	3909	3950	1028	4122	7349
निर्दिष्ट ऊर्जा असफलता	2016	2016	2016	2016	2016

* ऊर्जा असफलता विद्युत गृह के इकाईयों के असंचालन को इंगित करती है।

(घंटों में)

विवरण	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96
अतिरिक्त ऊर्जा असफलता	1893	1934	----	2116	5333
ओबरा विद्युत गृह					
नियोजित ऊर्जा असफलता	629	5488	63	19	1391
निर्दिष्ट ऊर्जा असफलता	1008	1008	1008	1008	1008
अतिरिक्त ऊर्जा असफलता	----	4480	---	----	383
कुल अतिरिक्त ऊर्जा असफलता	1893	6414	----	2116	5716

प्रबन्धन द्वारा लिया गया भलीभांति मरम्मत हेतु समय, इस प्रकार 1995-96 तक पाँच वर्षों के दौरान 16139 घंटों द्वारा अपेक्षाकृत उच्च था, जिसके, परिणाम स्वरुप 91.18 रुपये मूल्य के 724.3 एम यू की उत्पादन की हानि हुई।

लेखा परीक्षा के नमूना जाँच किये गये ऐसे कुछ मामले नीचे विवेचित हैं:

3 स.4.2(i) एच. ओ. पी. एस. की मशीन संख्या 1 के मामले में जहाँ ऐसे कार्य 1992-93 मे किये गये थे, ठेकेदार ने अगस्त 1991 के अनुबन्ध मे निर्दिष्ट 2880 घंटो के विरुद्ध 4852 घंटे लिये। परियोजना द्वारा 912 घंटों द्वारा निर्जलीकरण मे विलम्ब तथा ठेकेदार की अपनी तकनीकी मानव शक्ति की अवस्था में असमर्थता ने भलीभांति मरम्मत का कार्य विलम्बित किया। 767.90 लाख रुपये मूल्य की 65.08 एम यू की उत्पादन की हानि के विरुद्ध, प्रबन्धन ने ठेकेदार से 0.88 लाख रुपये का अर्थ दण्ड आरोपित किया पर अभी तक (अक्टूबर 1996) निर्जलीकरण में 912 घंटों के विलम्ब हेतु किसी के उत्तर दायित्व का निर्धारण नहीं किया।

3 स.4.2(ii) आर. पी. एस.की मशीन संख्या 1 का वार्षिक अनुरक्षण फरवरी 1993 के दौरान 541 घंटे किया गया। यह देखा गया कि मशीन ने जनवरी 1993 में वायु रिसाव विकसित किया था जिसे उसी माह के 502 घंटे हेतु मरम्मत किया गया। वायु रिसाव की मरम्मत हेतु लगे समय (502 घण्टे) को जनवरी 1993 में वार्षिक अनुरक्षण को अभीष्ट समय से पूर्व कराकर बचाया जा सकता था।

3 स.4.3 महा विद्युत सवांहक तार में हानियाँ*

केन्द्रीय इलेक्ट्रिसिटी अथार्टी (सी. ई. ए.) द्वारा निर्धारित मानक (जुलाई 1991) के अनुसार महा विद्युत संवाहक तार की हानियाँ 0.5 से 1 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। मुख्य अभियन्ता वाणिज्यिक ने समय-समय पर महा विद्युत संवाहक तार की हानियों की मात्रा की समीक्षा करते समय सामान्य प्रबन्धक, उष्मीय विद्युत गृह, ओबरा जिसके विधिक अधिकारों में जल विद्युत परियोजनाओं का प्रबन्ध भी किया जा रहा है, को निर्देश दिया कि सभी प्रयत्न यानि कि मीटरों का पुर्नचिन्ह्करण, अमापी आपूर्ति का निरीक्षण इत्यादि महा संवाहक विद्युत संवाहक तार की हानियों को 0.8 प्रतिशत की सीमा अन्तर्गत निरुद्ध किये जाने हेतु किये जायें।

सी. ई. ए. के मानकों से अपेक्षाकृत उच्च 140.589 एम. यू. की हानि के कारण परिषद ने 15.25 करोड़ रुपये की हानि वहन की।

यह देखा गया कि 0.8 प्रतिशत की अनुमन्य सीमा के विरुद्ध आर पी एस तथा एच ओ पी एस में महा विद्युत संवाहक तार की हानियाँ क्रमशः 0.6 तथा 2.2 प्रतिशत के मध्य एवं 0.9 से 3.1 प्रतिशत तक 1995-96 तक के पाँच वर्षों के दौरान रही जैसा कि नीचे विवरण दिया है:

	रिहन्द विद्युत गृह					ओबरा विद्युत गृह				
वर्ष	उपलब्ध ऊर्जा (एम. यू.)	भेजी गई ऊर्जा (एम. यू.)	हानि प्रतिशतता (एम.यू.)	अनुमन्य सीमा के अनुसार हानि (एम. यू.)	अनुमन्य सीमा की अपेक्षा अधिक हानि (एम. यू.)	उपलब्ध उर्जा (एम. यू.)	भेजी गई ऊर्जा (एम. यू.)	हानि प्रतिशतता (एम. यू.)	अनुमन्य सीमा के अनुसार हानि (एम. यू.)	अनुमन्य सीमा की अपेक्षा अधिक हानि (एम. यू.)
1991-92	1827.288	1786.752	2.2	14.618	25.918	1120.584	1086.172	3.1	8.965	25.447
1992-93	1300.727	1290.949	0.8	10.406	--	859.301	833.777	3.0	6.874	18.650
1993-94	1527.694	1494.697	2.2	12.221	20.776	987.638	957.049	3.1	7.901	22.688
1994-95	1940.886	1928.750	0.6	15.327	--	1234.968	1205.730	2.4	9.879	19.359
1995-96	1439.593	1420.918	1.3	11.516	7.159	923.699	915.718	0.9	7.389	0.592
					53.853					86.736

* महाविद्युत संवाहक तार हानि ट्रांसफार्मरों के अंतरवाहक विन्दुओं पर प्राप्त ऊर्जा तथा रुपान्तर के पश्चात भेजी गई ऊर्जा का अन्तर है (इससे ट्रांसफार्मेशन हानि के नाम से भी पुकारा जाता है)।

मानक की तुलना में महाविद्युत संवाहक तार में अधिक हानि हुई ऊर्जा की मात्रा का, इस प्रकार, कुल योग 140.589 एम यू मूल्य 15.25 करोड़ रुपये (आर पी एसः 5.60 करोड़ रुपये तथा एच ओ पी एसः 9.65 करोड़ रुपये) 1995-96 तक के पांच वर्षों के दौरान था।

परिषद ने अभी तक अपेक्षाकृत अधिक महाविद्युत संवाहक तार हानियों के कारण विश्लेषित नहीं किये थे (सितम्बर 1996)

3 स.5 पुनर्जीवीकरण

फरवरी 1985 मे परिषद ने आर पी एस तथा एच ओ पी एस के पुर्नकजीवीकरण हेतु 292.66 लाख रुपये की लागत, जिसे सितम्बर 1987 में मूल्य वृद्धि के कारण (15.73 लाख रुपये) तथा पहले प्रदत्त न किये अतिरिक्त मदों (242.99 लाख रुपये) के कारण 551.38 लाख रुपये तक पुर्नरीक्षित किया गया, का अनुमान अनुमोदित किया। परिषद जिसने योजना का क्रियान्वयन मई 1987 में प्रारम्भ किया, मार्च 1995 तक 300 लाख का व्यय कर चुकी थी तथा कार्य जिसे मार्च 1990 में पूर्ण होना अभीष्ट था, पर्याप्त निधि के अभाव के कारण अभी भी (सितम्बर 1996) जारी है। पुर्नजीवीकरण से संबंधित अभिलेखों की जांच से निम्न अनियमितताएं लेखा परीक्षा में देखी गईः

3 स.5 वायु दाबक की त्रुटिपूर्ण आपूर्ति

132 के. वी. महाविद्युत संवाहक तार के परिपथ तोड़कों के पुराने वायुदाबक के बदलाव के लिये, श्री इंजीनियरिंग वर्क्स, कलकत्ता को 17.75 लाख रुपये हेतु एक आपूर्ति आदेश, सहायक यन्त्रों की आपूर्ति लागत, तथा संस्थापन एवं संचालन समेत निर्गत किया गया। आपूर्तिकर्ता को परियोजना के एक विद्यमान वायुदाबक की सेवा/संचालन निःशुल्क करना भी अपेक्षित था।मई 1994 में उपकरण की आपूर्ति प्राप्त हुई तथा 0.85 लाख रुपये के संस्थापन एवं संचालन लागत छोड़कर एवं 0.35 लाख रुपये की बैंक गारंटी काटकर अगस्त 1994 तक 17.21 लाख रुपये का भुगतान कर दिया गया। प्रबन्धन ने तथापि, 1.67 लाख रुपये मूल्य की 10 प्रतिशत प्रतिभूति जो सफलतापूर्वक संस्थापन एवं संचालन के 7 दिन के पश्चात भुगतान योग्य अनुबन्धानुसार थी, नहीं काटा। यह देखा गया कि उपकरण, संचालन के तीसरे दिन अर्थात मई 1994 से त्रुटिपूर्ण हो गया। आपूर्तिकर्ता ने, तथापि, त्रुटियों का निराकरण नहीं किया। आपूर्तिकर्ता द्वारा विद्यमान दाबक की सेवा संचालन भी नही किया गया जिसे दूसरे अभिकर्ता के द्वारा 0.25 लाख की लागत पर मरम्मत तथा संचालित कराया गया।

इस प्रकार, परिषद, त्रुटिपूर्ण उपकरण की आपूर्ति हेतु प्रतिभूति की धनराशि (1.67 लाख रुपये) जब्त न कर सकी। परिषद ने इसके अतिरिक्त अहमदाबाद की एक फर्म से त्रुटियों के निराकरण पर अक्टूबर 1995 में 2.35 लाख रुपये का व्यय किया। निराकरण के पश्चात् भी दाबक ने 9000 घंटे के अपेक्षित कार्य के विरुद्ध 10 घंटे प्रतिदिन की दर से मई 1994 से सितम्बर 1996 के दौरान मात्र 2190 घंटे कार्य किया। परियोजना की आवश्यकताएं भण्डार में पड़े चार दाबकों में से एक को प्रयोग कर पूरी की

जा रही थी। इस प्रकार, उपरोक्त दाबक की अधिप्राप्ति एवं मरम्मत पर किया 19.56 लाख रुपये का समस्त व्यय अनुत्पादन कारी सिद्ध हुआ (सितम्बर 1996)।

3 स.5.2 स्लिप रिंगों की अधिप्राप्ति में परिहार्य व्यय

मार्च 1991 में एच ओ पी एस की मशीन संख्या 1 की स्लिप रिंग संयोजन ने दिक्कत देना प्रारम्भ किया। इसके निवारण हेतु भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स के अभियंता अप्रैल 1991 में विद्युत गृह आये। उन्होंने मशीन को चालू हालत में रखने के अस्थाई प्रबन्ध तो किये लेकिन इसके नये संयोजन से बदलाव की सलाह भी दी तद्नुसार, बी एच ई एल को जनवरी 1992 में 12 माह की अवधि के अन्दर 2 स्लिपरिंग की आपूर्ति हेतु एक आपूर्ति आदेश निर्गत किया तथा 2.72 लाख रुपये मूल्य के विरुद्ध 0.23 लाख रुपये का अग्रिम फरवरी 1992 में अवमुक्त किया। मार्च से अक्टूबर 1992 के दौरान भलीभांति मरम्मत के समय वही स्लिपें बिना किसी लागत के विभागीय मरम्मत के उपरान्त प्रयोग कर ली गईं। स्लिप रिंगें विलम्ब से, यानि अगस्त 1995 में प्राप्त हुई तथा अप्रयुक्त पड़ी थी(नवम्बर 1995)। प्रबन्धन द्वारा 2.49 लाख रुपये के भुगतान हेतु अवमुक्ति आदेश निधि-नियंत्रक, यू. पी. एस. ई. बी. को जून 1995 में भेजा गया।

3 स.6 भण्डार नियंत्रण

आर. पी. एस. तथा एच. ओ. पी. एस. हेतु अलग-अलग भण्डार थे पर इन भण्डारों हेतु सारी क्रय ओबरा में स्थित एक क्रय समिति द्वारा ही किये जाते थे। 1994-95 तक के पांच वर्षों हेतु लेखानुसार दोनों भण्डारों के प्रारम्भिक अवशेष, प्राप्ति निर्गत तथा अन्तिम अवशेष (ओभार तथा संयंत्र पंजिका एवं भण्डार पंजिका में प्रतिष्टियां क्रमशः अक्टूबर 1975 तथा अक्टूबर 1976 से नहीं की गई थीं) नीचे इंगित है:

वर्ष	विद्युत गृह का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	वर्ष के दौरान प्राप्तियां	वर्ष के दौरान निर्गति	अन्तिम अवशेष	माहवार उपभोग के सापेक्ष में भण्डार की मात्रा
		(	लाख	रुपये	में	)
1990-91	आर पी एस	59.85	122.68	118.94	63.59	6
	एच ओ पी एस	49.58	37.94	37.86	49.66	16
1991-92	आर पी एस	63.59	27.30	26.58	64.31	29
	एच ओ पी एस	49.66	41.72	45.65	45.73	12
1992-93	आर पी एस	64.31	46.02	18.57	91.76	59
	एच ओ पी एस	45.77	53.12	59.25	39.60	8

वर्ष	विद्युत गृह का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	वर्ष के दौरान प्राप्तियां	वर्ष के दौरान निर्गति	अन्तिम अवशेष	माहवार उपभोग के सापेक्ष में भण्डार की मात्रा
		(	लाख	रुपये	में	)
1993-94	आर पी एस	91.76	75.56	64.38	102.94	19
	एच ओ पी एस	39.60	32.43	36.16	35.87	12
1994-95	आर पी एस	102.94	60.65	64.15	90.44	19
	एच ओ पी एस	35.87	79.36	78.52	36.71	6

अभिलेखों की नमूना जाँच में निम्न विन्दु देखे गये:

(अ) परिषद ने भण्डारण की कोई महत्तम/नयूनतम सीमा निर्दिष्ट नही की थी। लेकिन जैसा कि उपरोक्त सारिणी से स्पष्ट होगा कि, 1990-91 के अतिरिक्त आर पी एस तथा 1994-95 के अतिरिक्त एच. ओ. पी. एस. के मामले में भण्डारण सदैव छः माह के उपभोग से अधिक का रहा तथा 8 एवं 59 माह के उपभोग तक का भण्डारण रहा। ऐसे बड़े भण्डारण हेतु औचित्य अभिलेख में उपलब्ध नहीं थे।

(ब) भण्डारों का भौतिक सत्यापन प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्त में नहीं किया जा रहा था परिणामस्वरुप, कमियों, आधिक्य,/अप्रयोजनीय/मृत प्राय भण्डारों तथा छिटपुट चोरियों आदि यदि कोई हों तो जानकारी में न आ सकीं।

3 स.7 मानवशक्ति विश्लेषण

मानव शक्ति विश्लेषण समिति ने संस्थापित क्षमता प्रतिमेगावाट पर 1.45 मानव शक्ति को लगाने का मानक निर्धारित किया था (दिसम्बर 1972)।

यह देखा गया कि एच ओ पी एस के मामलो में, वास्तविक मानव शक्ति निर्दिष्ट मानक से कहीं अधिक थी जैसाकि अगले पृष्ठ पर दी गई सारिणी में इंगित किया गया है:

वर्ष	संस्थापित क्षमता	मानव शक्ति अपेक्षित	वास्तविक	आधिक्य	अधिक मानव शक्ति पर व्यय
	(मे0 वा0 में)		(संख्या में)		(लाख रुपये में)
1990-91	99	144	353	209	94.05
1991-92	99	144	353	209	104.50
1992-93	99	144	354	210	119.70
1993-94	99	144	352	208	143.52
1995-96	99	144	352	208	145.63
योग					**607.37**

एच. ओ. पी. एस. में अपेक्षाकृत अधिक मानव शक्ति होने के बावजूद रोजमर्रा प्रकृति का कार्य यानि, उपकरण की सफाई एवं छुटपुट मरम्मत, पम्पों को उखाड़ना, ड्रमों को इधर से उधर ले जाना, रंगाई इत्यादि निजी ठेकेदारों के जरिये 1994-95 तक के 5 वर्षों की अवधि के दौरान 16.93 लाख रुपये की लागत पर कराये गये। इसके अतिरिक्त समयोपरि भत्ते पर 117.74 लाख रुपये का भुगतान भी कर्मचारियों को 1994-95 तक के पाँच वर्षों के दौरान किया गया।

प्रबन्धन द्वारा यह बताया गया (मई 1996) की प्रशासनिक कारणों से प्रोन्नति पाये कर्मचारियों को दूसरे स्थानों पर नहीं भेजा जा सकता था तथा वे परियोजना में ही समाहित किये गये। परिषद ने न तो अपेक्षाकृत अधिक मानव शक्ति के स्थानान्तरण हेतु कदम उठाये और न ही उपलब्ध अपेक्षाकृत अधिक मानव शक्ति को दृष्टिगत रखते हुये विशेष रुप से ठेकेदारों के जरिये रोजमर्रा के कार्य कराने तथा समयोपरिभत्ते के भुगतान हेतु कारणों को विश्लेषित किया।

3 स.8 वितरण प्रणाली के प्रसार पर निष्फल व्यय

ओबरा में परियोजना कालोनी तथा ऊष्मीय विद्युत गृहों की सहायक कम्पनियों को विद्युत का, 132 के. वी. डाला उपकेन्द्र पर संस्थापित एक विद्यमान 10 एम. वी. ए. ट्रांसफारमर के द्वारा जो कि अक्सर शिकायतों का शिकार था, के द्वारा, प्रबन्ध किया जा रहा था। ओबरा में परियोजना कालोनी तथा ऊष्मीय विद्युत गृहों की सहकम्पिनयों को विश्वसनीय एवं स्थिर विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से परिषद ने फरवरी 1985 में 29.50 लाख रुपये की

परिषद के पूर्व अनुमोदन के बिना ही वितरण तन्त्र के प्रसार हेतु आदेशों निर्गमन तथा कार्य के क्रियान्वयन में 17.02 लाख रुपये के निष्फल व्यय में परिणाम दिया।

अनुमानित लागत पर वितरण तन्त्र के प्रसार हेतु एक योजना अनुमोदित की। योजना के अनुसार विद्युत की आपूर्ति एक अतिरिक्त 10 एम. वी. ए. 132/33 के. वी. ट्रांसफारमर के संस्थापन तथा ओबरा जल विद्युत गृह पर विद्यमान स्विच यार्ड के एक प्रसार बनाकर की जानी थी। चूंकि मूल अनुमान में नीव, उपकरण तथा संवाहकों के संस्थापन की लागत निर्दिष्ट न थीं इसलिये 44.23 लाख रुपये हेतु एक पुनरीक्षित अनुमान परिषद को इसके अनुमोदन हेतु सितम्बर 1987 में प्रस्तुत किया गया। पुनरीक्षित अनुमान परिषद द्वारा अभी तक अनुमोदित नहीं किया गया है (मई 1996)। तथापि पुनरीक्षित योजना की स्वीकृति की आशा में, सामान्य प्रबन्धक ने प्रशासनिक स्वीकृति दे दी (फरवरी 1987) और इसलिये कार्य फरवरी 1987 से प्रारम्भ हो गया परिषद से पुर्नजीवी करण कार्य हेतु प्राप्त निधि में से नवम्बर 1987 से सितम्बर 1989 की अवधि के दौरान 9.47 लाख रुपये का व्यय किया गया। अवशेष कार्य को पूरा नही कराया जा सका क्योंकि परिषद ने योजना को अभी तक (मई 1996) अनुमोदित नहीं किया तथा निधि अवमुक्त नही की है।

इसके अतिरिक्त, अधीक्षण अभियन्ता उपकेन्द्र अभिकल्प वृत्त, लखनऊ द्वारा सहायक ढ़ांचों, शिरे संयोजकों तथा इकाई दाबकों सहित एस. एफ. - 6 परिपथ तोड़कों की तथा दो संख्या मानव संचालित परिपथ तोड़कों की आपूर्ति हेतु दो आपूर्ति आदेश निर्गत किये गये (अगस्त 1988 तथा जुलाई 1989)। फरवरी तथा अगस्त 1990 में क्रमशः 5.21 लाख रुपये तथा 2.24 लाख रुपये की लागत पर प्राप्त उपकरण अक्टूबर 1996 तक अप्रयुक्त पड़े थे।

योजना के पूर्वानुमोदन के बिना ही उपरोक्त कार्यों पर किया गया 17.02 लाख रुपये का व्यय, इस प्रकार, अभी तक (अक्टूबर 1996) निष्फल रहा।

3 स.9 अन्य रोचक विषय

3 स.9.1 बीजकों के विलम्बित निर्गमन के कारण हानि

विलम्ब भुगतान के अनियमित माफी के कारण परिषद ने 206.84 लाख रुपये की हानि सहन की।

परिषद ने कनौरिया केमिकल्स लिमिटेड, रेनूकूट के साथ सितम्बर 1964 में 25 वर्षों हेतु 6.5 मेगावाट के संयोजित भार पर विद्युत की आपूर्ति 2.5 पैसे प्रति इकाई इस शर्त के साथ कि दरें 16 वर्ष पश्चात् पुर्नरीक्षित की जा सकती हैं, हेतु एक अनुबन्ध किया। परिषद ने विद्युत उपभोक्ताओं पर लागू दर सूची एच. वी. -2 (अपनी दरों में) (मई 1983 में लागू) की। तदनुसार, अधिशाषी अभियन्ता विद्युत उत्पादन खण्ड, रिहन्द विद्युत परियोजना, पिपरी ने दर सूची एच. वी.- 2 के प्रति प्राविधानानुसार 20 मई 1983 से 31 मार्च 1987 की अवधि हेतु पुर्नरीक्षित बीजक निर्गत किये। उपभोक्ता ने भुगतान करने के बजाय, उपरोक्त दर सूची की प्रयुक्तता के विरुद्ध इलाहाबाद उच्च न्यायालय में वाद दायर (अप्रैल 1987) कर दिया। मामला अन्त में परिषद के पक्ष मे उच्चतम न्यायालय जनवरी 1992 में निपटाया गया।

उच्चतम न्यायालय के निर्णय के पश्चात् खण्ड ने विलम्ब से मई 1983 मार्च 1989 की अवधि हेतु 395.43 लाख रुपये के बीजक नवम्बर 1992 में निर्गत किये (बाद की अवधि हेतु भुगतान एच. वी.-2 दर सूची के अनुसार, भुगतान हुए) जिसका उपभोक्ता द्वारा फरवरी 1995 में भुगतान कर दिया गया। यह देखा गया कि बीजकों के निर्गमन में 10 माह विलम्ब के अतिरिक्त, खण्ड ने जनवरी 1992 से फरवरी 1995 की अवधि हेतु विलम्ब शुल्क प्रभार आरोपित नहीं किया जो 295.75 लाख रुपये का था। तथापि, वार्ता के आधार पर खण्ड ने एक मुश्त में 88.91 लाख रुपये का विलम्ब शुल्क प्रभार (फरवरी/मार्च 1995) स्वीकार कर लिया। 206.84 लाख रुपये के विलम्ब शुल्क प्रभार को माफ करने के कारण, तथापि, अभिलेख में उपलब्ध न थे।

उत्तर में प्रबन्धन ने बताया (अक्टूबर 1996) कि पुराने विलम्बित विवादों को तय करने के उद्देश्य से 88.91 लाख रुपये की धनराशि का प्रभार एक मुश्त आधार पर स्वीकार कर लिया गया। तथापि, परिषद द्वारा की गई कार्यवाही किसी विद्यमान नियम या उपनियमों के अन्तर्गत नहीं थी।

3 स.9.2 भारी विद्युत उपभोक्ता के साथ अवांछित पक्षपात

परिषद ने हिन्दुस्तान एल्युमिनियम कार्पोरेशन लिमिटेड (हिन्डालको) रेनूकूट के साथ रिहन्द विद्युत परियोजना से 70 मेगावाट विद्युत की आपूर्ति हेतु एक अनुबन्ध किया (फरवरी 1988)। तत्पश्चात्, एक नया अनुबन्ध जून 1995 में किया गया जो कि पूर्व के 30 जून 1990 से पाँच वर्षों हेतु प्रभावी था। इन अनुबन्धों के अनुसार, उपभोक्ता को समय-समय पर लागू ऊर्जा प्रभारों का भुगतान करना था जिसमें असफल होने पर उपभोक्ता 15 दिवस पश्चात संयोजन विच्छेद का हकदार था। विवाद के किसी मामले में, उपभोक्ता के विरोध के अन्तर्गत बीजकों का भुगतान विवाद के तय होने पर समायोजन की शर्त पर करना था।

यह देखा गया (अगस्त 1995) कि उपभोक्ता द्वारा ली गई अपेक्षाकृत अधिक मांग के माहवारी आधार पर बीजकों को निर्गत करने के बजाय, खण्ड ने दिसम्बर 1990 से अक्टूबर 1993 की अवधि हेतु 48.40 लाख रुपये का एक बीजक (अक्टूबर 1994) निर्गत किया। उपभोक्ता ने बीजक के भुगतान का 1988 के अनुबन्ध के अनुसार आरोपित माँग प्रभार के न होने के आधार पर विवाद किया तथा अभी तक (सितम्बर 1996) कोई भुगतान नहीं किया। मुख्य अभियन्ता (वाणिज्यिक) ने परियोजना को सूचित किया (जुलाई 1995) कि परिषद ने मामले के तय होने तक किसी दण्डात्मक कार्यवाही के न करने का निर्णय लिया है। यह भी सूचित किया गया कि परिषद के निर्णय का विवरण एक माह पश्चात् सुनिश्चित किया जाय। परिषद ने अभी तक (सितम्बर 1996) अन्तिम निर्णय नहीं लिया है।

यह, तथापि, लेखा परीक्षा में स्पष्ट नहीं था कि किस प्रकार उपभोक्ता एक अविद्यमान अनुबन्ध (1988 का) कर सकता था तथा किस प्रकार परिषद ने इसे स्वीकार कर वसूली निलम्बित कर दी।

3 स.9.3 एन. टी. पी. सी. से जल प्रभारों की वसूली न होना

एन.टी.पी.सी. को उनकी सिंगरौली, रिहन्द तथा विंध्याचल की विद्युत परियोजनाओं हेतु जल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये परिषद जलाशय के जल स्तर को 830 फीट पर रख रही थी। परिषद ने एन. टी. पी. सी. को जल की आपूर्ति बिना किसी अनुबन्ध को निष्पादित किये ही, प्रारम्भ कर दिया। तथापि, सेन्ट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथार्टी द्वारा जल की आपूर्ति हेतु 0.1 क्यूसेक प्रति मेगावाट की दर पर नियत किये गये मानक दरों के आधार पर, परिषद जल प्रभारों हेतु बीजक (जनवरी 1992 से) निर्गत कर रही थी जिसका फरवरी 1982 से मार्च 1996 की अवधि हेतु कुल योग 294.54 करोड़ रुपये था। एन. टी. पी. सी., तथापि, सी. ई. ए. मानकों से सहमत न हुई यद्यपि यही मानक उनके स्वयं के संयंत्र यानि सिंगरौली थर्मल पावर स्टेशन (एस. एस. टी. पी. एस.) की संभान्यता प्रतिवेदन को बनाने में प्रयुक्त किया गया था, तथा कहा (अप्रैल 1993) कि एस. एस. टी. पी. एस. की संभान्यता प्रतिवेदन में अपनाया मानक मात्र योजना उद्देश्य हेतु था न कि जल प्रभारों के भुगतान करने के उद्देश्य से। विवाद अभी भी अनिर्णित था (सितम्बर 1996) तथा 294.84 करोड़ रुपये के बीजक बिना भुगतान के पड़े थे (अक्टूबर 1996)।

परिषद 294.54 करोड़ रुपये की धनराशि को वसूल न कर सकी क्योंकि इसने फरवरी 1982 में जल की आपूर्ति प्रारम्भ करने से पूर्व वसूली योग्य जल प्रभार की दर तय नहीं की थी।

उपसंहार

आर. पी. एस. तथा एच. ओ. पी. एस. दोनों की संयंत्र उपलब्धता निर्दिष्ट मानकों से पर्याप्त निम्न थी । निम्न संयंत्र उपलब्धता के परिणाम प्रति इकाई उत्पादन की लागत में वृद्धि के साथ ही ऊर्जा की माँग एवं आपूर्ति को पूरा करने की असफलता में हुआ। इस हेतु मुख्य कारण जैसा कि लेखा परीक्षा में विश्लेषित किया गया, थे:

- **उपलब्ध जल को उपभोग करने में प्रबन्धन की असफलता;**
- **मशीनों की भलीभाँति मरम्मत में लिया गया अपेक्षाकृत अधिक समय;**
- **अपेक्षाकृत अधिक महाविद्युत संवाहक तार हानियाँ;**
- **पुनर्जीवीकरण कार्य की पूर्णता में विलम्ब;**
- **प्रभावशाली भण्डार नियन्त्रण प्रणाली का अभाव, तथा**
- **अपेक्षाकृत अधिक मानव शक्ति का प्रयोग।**

सस्ती विद्युत ऊर्जा प्रदत्त करने के अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिये प्रबन्धन को उपरोक्त क्षेत्रों में सुधारात्मक कदम उठाने की आवश्यकता है।

मामला सरकार को मई 1996 में प्रतिवेदित था; उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 1996)।

अनुच्छेद - 3 द
निधि व्यवस्था

प्रस्तर	विवरण	पृष्ठ संख्या
	मुख्य अंश	183
1	प्रस्तावना	184
2	लेखा परीक्षा का कार्य क्षेत्र	184
3	संगठनात्मक ढाँचा	184
4	निधियों के स्रोत एवं उपयोग	185
5	प्रभावशाली आय व्ययकीय नियन्त्रण प्रणाली	187
6	निधि का उत्पादन	190
6.1	अर्जित किलोमीटरों में कमी	191
6.2	बस के ढाँचे के संरचनाकार को चेसिस सौंपने में विलम्ब	192
7	निधि का उपयोग	192
7.1	निधि का स्थानान्तरण	192
7.2	कोषागार में पड़े धन को बट्टे खाते में डालना	194
7.3	अलेखाबद्ध निवेश	195
7.4	प्राप्तियोग्य धन की वसूली में विलम्ब	195
8	अन्य रोचक विषय	198
	उपसंहार	199

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम

अनुच्छेद - 3 द
उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम
निधि व्यवस्था
मुख्य अंश

निगम के निधि के अन्तरप्रवाह के मुख्य स्रोत बस टिकटों की बिक्री से राजस्व, राज्य तथा केन्द्र सरकारों से पूंजीगत अंशदान तथा वित्तीय संस्थाओं एवं राज्य सरकार से ऋण हैं। इसके रोकड़ के बाह्यप्रवाह में मुख्यतया स्थापना, संचालन तथा बसों के अनुश्रवण पर व्यय, ऋणों पर ब्याज, ऋणों का भुगतान तथा परिसम्पत्तियों की अधिप्राप्ति पर किया गया व्यय सम्मिलित है।

(प्रस्तर 3 द.1)

कम्पनी का घाटा 1991-92 में 2303 लाख रुपये से बढकर 1995-96 में 2957 लाख रुपये हो गया जो मुख्यतः बजट नियंत्रण के अभाव तथा निधि के उत्पादन एवं उपयोग में कमियों के फलस्वरुप हुआ।

(प्रस्तर 3 द.4)

निगम ने ऋणों के पुर्नभुगतान में दोषी होने के कारण 384.82 लाख रुपये का भुगतान किया तथा 80.93 लाख रुपये का अतिरिक्त दायित्व अर्जित किया। निगम ने यात्रीकर तथा कर्मचारी भविष्यनिधि विलम्ब से जमा करने के कारण क्रमशः 103.96 लाख रुपये तथा 44.78 लाख रुपये का दण्ड भी भुगतान किया।

(प्रस्तर 3 द 4.1)

अतिरिक्त पुर्जों तथा ईधन पर निगम का व्यय निर्दिष्ट व्यय (आय व्यय के अनुसार) से क्रमशः 2257.19 लाख रुपये तथा 3687.36 लाख रुपये अधिक था।

(प्रस्तर 3 द 5. 1. 2)

निर्दिष्ट यात्राओं के अत्याधिक अवरुदृता के कारण निगम ने 26195.35 लाख रुपये की सम्भावित राजस्व हानि वहन की।

(प्रस्तर 3. द 6. 1)

बस ढाचों को संरचना हेतु बस चेसिस के सौंपने में विलम्ब के फलस्वरुप 198.38 लाख रुपये की धनराशि के सम्भावित अर्जन की हानि हुयी।

(प्रस्तर 3 द 6.2)

अपनी बसों हेतु बीमा आवरण के न प्राप्त करने के कारण निगम ने दुर्घटना दावों के मद में 393.63 लाख रुपये को परिहार्य हानि वहन की।

(प्रस्तर 3 द .8)

3 द .1 प्रस्तावना

मई 1972 तक निगम एक विभागीय प्रबन्धीय निकाय था तथा सरकारी कोषागारों के द्वारा विनिमय कर रहा था, जिसका लेखा महालेखाकार के कार्यालय द्वारा संकलित किया जाता था।

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना, सड़क परिवहन निगम अधिनियम 1950 के अन्तर्गत, 1 जून 1972 को हुई। निगम से एक दक्ष, पर्याप्त, मितव्ययी तथा उचित रुप से समन्वित प्रणाली के सड़क परिवहन सेवाओं को राज्य में प्रदत्त करना अपेक्षित था। निगम अपने बेड़ों का 18 क्षेत्रीय कार्यालयों के अन्तर्गत कार्यरत 108 डिपों के द्वारा संचालित कर रहा है। क्षेत्रीय कार्यालय प्रारम्भिक लेखीय इकाईयाँ हैं जो मुख्यालय कार्यालय को प्रतिमाह लेखा प्रस्तुत करता हैं।

निगम की रोकड़ के मुख्य स्रोत, बस टिकटों के विक्रय से राजस्व, राज्य तथा केन्द्रीय सरकारों से पूंजीगत अंशदान, वित्तीय संस्थाओं और राज्य सरकार से ऋण तथा खोमचों एवं पुरानी बसों की नीलामी, विज्ञापनों, टैक्सी संचालन इत्यादि से विविध आय थे। इस निधि का प्रयोग मुख्यतः बसों के स्थापना, संचालन एवं रख-रखाव के खर्चो, ऋण के ब्याज तथा ऋण के भुगतान एवं सम्पत्ति अधिग्रहण में किया जाता है।

3 द .2 लेखापरीक्षा का कार्य क्षेत्र

जुलाई से अक्टूबर 1995 के दौरान की गई वर्तमान समीक्षा के उददेश्य 1995-96 तक के पिछले 5 वर्षो के दौरान वित्तीय संसाधनों के उत्पादन तथा प्रबन्धन में कमियाँ और प्रणाली दोषों की पहचान करना है।

निगम का रोकड़ प्रबन्धन भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के वर्ष 1979-80 के प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व में समीक्षित किया गया था। सार्वजनिक निकायों पर समिति द्वारा जुलाई 1984 में प्रतिवेदन विवेचित हुआ था लेकिन उनकी संस्तुतिया अभी तक (सितम्बर 1996) प्राप्त नहीं हुई है।

3 द .3 संगठनात्मक ढाँचा

वित्तीय संसाधनों का उत्पादन तथा प्रबन्धन प्रबन्ध निदेशक में निहित है जिसे मुख्यालय स्तर पर संयुक्त प्रबनध निदेशक, मुख्य सामान्य प्रबन्धक (संचालन), मुख्य लेखाअधिकारी, क्षेत्रीय स्तर पर क्षेत्रीय प्रबन्धक एवं सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक (वित्त) तथा डिपो स्तर पर सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक (संचालन) तथा डिपो लेखाकार की सहायता प्राप्त है।

3 द .4 निधियों के स्रोत एवं उपयोग

1995-96 तक के पिछले पाँच वर्षो हेतु निगम की निधियों के अन्तरप्रवाह तथा बाहय प्रवाह को नीचे दी गई सारणी इंगित करती है :-

(लाख रुपये में)

	विवरण	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96 (अनन्तिम)
1.	निधियों के स्रोत					
(अ)	पूर्जीगत प्राप्तियाँ	1530	---	---	---	---
(i)	राज्य सरकार से पूंजीगत अशंदान					
(ii)	वित्तीय संस्थाओं से ऋण	2837	3265	3096	4121	4406
	कुल पूंजीगत प्राप्तियां	4367	3265	3096	4121	4406
(ब)	राजस्व प्राप्तियां					
(i)	यातायात आय	33785	39124	43301	44602	48748
(ii)	अन्य आय	1168	904	1142	1189	1488
	कुल राजस्व प्राप्तियां	34953	40028	44443	45791	50236
	योग	**39320**	**43293**	**47539**	**49912**	**54642**
2	निधि का उपयोग					
(अ)	पूंजीगत व्यय					
(i)	परिसम्पत्तियों की संरचना	3085	5241	3705	4976	5277
(ii)	ऋणों का पुर्नभुगतान	2630	2108	2620	2664	3042
	कुल पूंजीगत व्यय	5715	7349	6325	7640	8319
(ब)	राजस्व व्यय					
(i)	वर्तमान वर्ष-व्यय	34594	38412	41603	46000	49280
(ii)	पूर्ववर्ती वर्ष की आय (-)/ व्यय (+)	(+)1304	(+) 453	(-) 878	(+) 64	---
	कुल राजस्व व्यय	35908	38865	40725	46064	48280
	योग	**41623**	**46216**	**47050**	**53704**	**57599**

(लाख रुपये में)

विवरण	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96 (अनन्तिम)
3. हानि (-)/ आधिक्य(+)					
(अ) पूंजीगत	(-) 1348	(-) 4084	(-) 3229	(-) 3519	(-) 3913
(ब) राजस्व	(-) 955	(+) 1163	(+) 3718	(-) 273	(+) 956
कुल हानि (-)/ आधिक्य (+)	(-) 2303	(-) 2921	(+) 489	(-) 3792	(-) 2957

इस सम्बन्ध में निम्नलिखित विवेचना है :-

(i) उपरोक्त पाँच वर्षो की अवधि (1993-94 के दौरान के अतिरिक्त) के दौरान निरन्तर हानियों के परिणामस्वरुप:

(अ) 1991-92 में 6522.81 लाख रुपये से 1995-96 में 16525.53 लाख रुपये तक बकाया दायित्वों में वृद्धि।

(ब) 1282 लाख रुपये की धनराशि की पूंजीगत प्राप्तियां 1991-92 के दौरान ऋणों के पुर्नभुगतान हेतु उपयोग की गई, इसने निगम के बेड़ा विस्तार कार्यक्रम को बुरी तरह प्रभावित किया।

(स) 1990-91 से 1994-95 के दौरान ऋणों के पुर्नभुगतान में दोषी होने के कारण निगम ने 384.42 लाख रुपये की धनराशि के दण्ड ब्याज का भुगतान किया तथा 1995-96 में किये गये दोष हेतु दण्डीय ब्याज हेतु 80.93 लाख रुपये के दायित्व का अर्जन किया। अप्रैल 1990 से 1995 तक के दौरान यात्रीकर तथा कर्मचारी भविष्य निधि को समय से जमा करने में असफलता के कारण क्रमशः 103.96 लाख रुपये तथा 44.78 लाख रुपये के दण्ड का आरोपण भी हुआ।

(ii) उपरोक्त हानियों हेतु कारण जैसा लेखापरीक्षा में विश्लेषित किया गया मुख्यतयः निम्न को श्रेषित थे:

(अ) आय-व्ययकीय नियंत्रण में कमी (प्रस्तर 5)

(ब) निधि के उत्पादन में कमियाँ (प्रस्तर 6)

(स) निधि के उपयोग में कमियाँ (प्रस्तर 7)

3 द .5 प्रभावशाली आय व्यवकीय नियंत्रण प्रणाली का अभाव

3 द.5.1 सरकार द्वारा आय-व्ययक के अनुमोदन में असामान्य विलम्ब

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम नियमावली 1972 के अनुसार, आगामी वर्ष हेतु वार्षिक आय-व्ययक निगम द्वारा राज्य सरकार को इसके अनुमोदन हेतु 15 दिसम्बर तक प्रस्तुत कर देना चाहिए तथा सरकार को प्रत्येक वर्ष के 15 जनवरी के पूर्व आय-व्ययक को आवश्यक संशोधनों तथा परिवर्तनों जैसा आवश्यक विचारणीय हो, करने के पश्चात अनुमोदन कर देना चाहिए।

राज्य सरकार द्वारा आय-व्ययक के अनुमोदन हेतु प्राविधानित एक मास की अवधि के विरुद्ध, सरकार द्वारा वास्तविक रुप से लिये गये समय की अवधि 3 से 24 माहों के मध्य थी। जबकि 1992-93 हेतु आय-व्ययक सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात स्वीकृत किया गया, 1993-94 हेतु आय-व्ययक का अनुमोदन वित्तीय वर्ष की लगभग समाप्ति पर दिया। 1995-96 के आय-व्यय हेतु सरकार का अनुमोदन अभी (जून 1996) प्रतीक्षित था। आय-व्ययकों के अनुमोदन में इस प्रकार के विलम्बों ने निगम को उचित रुप से नियोजित करने तथा अपने क्रिया-कलापों को पहले से समन्वित करने के मौके से वंचित कर दिया। निगम के आयव्ययकानुसार प्राप्तियों में कमी आयव्ययकानुसार व्यय में बचतों से (वर्ष 1994-95 के दौरान के अतिरिक्त) कहीं अधिक रही तथा मार्च 1994 को समाप्त होने वाले चार वर्षों की अवधि के दौरान 5.65 लाख रुपये से 31.99 लाख रुपये के मध्य रही। जैसा कि नीचे विवेचित है, उपरोक्त हेतु कारणों में से कुछ जैसा कि लेखा-परीक्षा में विश्लेषित किया गया था, प्राप्तियों को जो निगम को वास्तव में अपेक्षित नहीं थी लेखा बद्ध करना तथा संचालन लागत का अनुमान पर्याप्त अपेक्षाकृत कम करना।

3 द .5.1.1 अनुमन्य विहीन पूंजीगत अंशदानों को सम्मिलित करना।

राज्य परिवहन निगम नियम 1950 की धारा 23 के अन्तर्गत, निगम द्वारा अपने क्रिया-कलापों के चलाने के उददेश्य हेतु अपेक्षित पूंजी सहमत शर्तों के अनुपात में केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा अंशदान में दी जानी थी। जून 1988 में, केन्द्र सरकार (भूतल परिवहन मत्रांलय) ने मात्र उन निगमों को ऐसी सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया जो कोई हानि नहीं कर रहे थे।

अगले पृष्ठ पर दी गयी सारणी 1995-96 तक के पिछले पाँच वर्षो के दौरान केन्द्र तथा राज्य सरकारों से आयव्ययकानुसार तथा वास्तविक पूंजीगत सहायता को संक्षेपित करती है :

(लाख रुपये में)

विवरण	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96
राज्य सरकार					
आयव्ययकानुसार	15.00	15.00	---	15.00	---
वास्तविक	15.00	---	---	---	---
कमी	---	15.00	---	15.00	---
केन्द्रीय सरकार					
आयव्ययकानुसार	7.50	7.50	---	---	---
वास्तविक	---	---	---	---	---
कमी	7.50	7.50	---	---	---
कुल कमी	7.50	22.50	---	15.00	---

उपरोक्त से यह देखा जा सकता है कि 1991-92 से 1992-93 तक के दौरान 15 लाख रुपये के कुल योग के केन्द्रीय सरकार से पूंजीगत अंशदान निगम को अनुमन्य नहीं थे क्योंकि यह 1977-78 से प्रति वर्ष हानियां कर रही थी लेकिन निगम ने इसे आय-व्ययक में सम्मिलित किया। इस हेतु निगम द्वारा कोई कारण दिए नहीं गए (सितम्बर 1996)। 1992-93 तथा 1994-95 वर्ष के दौरान 30 लाख रुपये के कुल योग के राज्य सरकार से आयव्ययकानुसार पूंजीगत अंशदान सरकार द्वारा भुगतान नहीं किए गए इससे आयव्ययकानुसार अनुमान बुरी तरह प्रभावित हुए।

3 द .5.1.2 उच्च संचालन लागत

निगम द्वारा उपभोग हेतु उत्पादित संसाधनो की उपलब्धता इसके क्रिया-कलापों हेतु इसके संचालनों की विभिन्न गतिविधियों में मितव्ययता पर आधारित है। तथापि, लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि निगम अपेक्षित मितव्ययता को प्राप्त करने में असमर्थ रहा। जैसा कि नीचे विवेचित किया गया है इसका अतिरिक्त पुर्जो तथा ईधन पर व्यय वार्षिक आयव्ययकों में प्राविधानित व्यय से काफी अधिक था।

अगले पृष्ठ पर दी गई सारणी 1995-96 तक के पिछले पॉच वर्षो के दौरान अतिरिक्त पुर्जो तथा ईधन पर आयव्ययकानुसार तथा वास्तविक व्यय को इंगित करता है :

विवरण	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96
अतिरिक्त पुर्जे					
किलोमीटर में वास्तविक अर्जन (लाख रुपये में)	6288	6194	6461	6006	5859
आयव्ययक प्राविधान (रु0 प्रति कि0 मि0)	0.744	0.729	0.910	0.940	0.950
वास्तविक व्यय	0.812	0.885	0.919	1.032	0.992
(रुपये प्रति कि0 मि0)		(लाख रु प ये में)			
आयव्ययकानुसार व्यय वास्तविक अर्जित कि0मी0 पर	4678.27	4515.43	5875.51	5645.64	5556.05
वास्तविक व्यय	5106.99	5484.37	5940.86	6195.68	5814.19
आयव्ययक से अधिक आधक्य	428.72	968.94	61.35	550.04	248.14

ईंधन	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96
वास्तविक अर्जित कि0 मि0 (लाख रुपये में)	6288	6194	6461	6006	5859
आयव्ययकानुसार प्राविधान (रुपये प्रति कि0मी0)	1.35	1.274	1.56	1.73	1.73
वास्तविक व्यय (रुपये प्रति कि0मी0)	1.33	1.479	1.63	1.89	1.92
		(लाख रुपये में)			
वास्तविक अर्जित कि0मी0 पर आयव्ययकानुसार व्यय	848880	7891.16	10079.16	10390.38	10136.07
वास्तविक व्यय	8375.92	9161.05	10558.07	11352.35	11225.54
आय-व्यय से आधिक्य	(-)112.88	1269.89	478.91	961.97	1089.47

उपरोक्त से यह देखा जा सकता है कि 1991-92 से 1995-96 तक के दौरान अतिरिक्त पुर्जो पर 225.19 लाख रुपये तथा ईधन पर 3687.36 लाख रुपये का आय व्ययक के प्राविधानों से अधिक व्यय था। क्षेत्र-वार विश्लेषण ने निम्न स्पष्ट किया :

विवरण	1991-92		1992-93		1993-94		1994-95		1995-96	
क्षेत्रों की संख्या	अति0 पुर्जे	ईधन	अ0पु0	ई0	अ0पु0	ई0	अ0पु0	ई	अ0पु0	ई0
आयव्ययक के सीमा के अन्तर्गत	--	6	12	3	--	10	3	3	--	8
आय व्ययक से 10% अधिक तक	3	5	--	3	3	14	8	11	6	8
आय व्ययक से 10% से भी अधिक	9	1	15	15	5	1	7	7	4	10

निगम द्वारा क्षेत्रों में अधिक व्यय के कारण विश्लेषित नहीं किये गये थे। प्रबन्धन ने तथापि कहा (अगस्त 1996) कि इसने ईंधन तथा अतिरिक्त पुर्जों पर व्यय कम करने के लिये 1994-95 तथा 1995-96 के दौरान नई मुख्य संरचनाएं क्रय करके तथा पुराने बेडे को नए बेडे से बदलने का तरीका अपना कर मितव्ययिता के कदम उठाए हैं।

लेकिन निगम द्वारा अपनाए तरीके मितव्ययिता प्राप्त न कर सके क्योंकि अतिरिक्त पुर्जो पर प्रति किलीमीटर व्यय 1993-94 में रु0 0.92 से बढकर 1994-95 तथा 1995-96 में क्रमशः रु0 1.03 तथा रु0 0.99 हो गया। ईधन पर प्रति किमी व्यय 1993-94 में रु0 1.63 से बढकर 1994-95 तथा 1995-96 में क्रमशः रु0 1.89 तथा रु0 1.92 हो गया।

3 द .6 निधि का उत्पादन

निगम की आय का मुख्य स्रोत, यात्री टिकटों के विक्रय से प्राप्त राजस्व, मुख्यतया भाड़े के ढाँचे तथा बेडे के उपयोग पर निर्भर है। निधि उत्पादन विस्तार कार्यक्रमों के क्रियान्वन में कुशल योजना/समन्वय पर भी निर्भर है। तथापि, निगम, जैसा कि अनुवर्ती प्रस्तरों में विवेचित है निर्दिष्ट यात्राओं की अवरुद्धता को नियन्त्रित करने तथा अपने बेडे के विस्तार कार्यक्रमों को उचित रुप से योजनाबद्ध करने में असमर्थ रहा।

3 द .6.1 अर्जित किलोमीटरों में कमी

निगम की निर्दिष्ट अर्जित कि0मी0 90 प्रतिशत बेड़े के उपयोग के आधार पर आकंलित होती है। नीचे दी गई सारिणी 1995-96 तक के पिछले पाँच वर्षो हेतु निर्दिष्ट तथा वास्तविक अर्जित किलोमीटरों को संक्षेपित करती है :

(लाख कि0मी0 में)

विवरण	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96
निर्दिष्ट कि0मी0	7865	8168	8398	8370	8870
वास्तविक कि0मी0	6288	6194	6461	6006	6356
कि0मी0 में अवरुद्धता	1577	1974	1937	2364	2514
निर्दिष्ट कि0मी0 से अवरुद्धता का प्रतिशत	20.05	24.17	23.07	28.24	28.34

20 अन्य में से 15 राज्य सड़क परिवहन निगमों, जिन हेतु आंकड़े उपलब्ध थे, के वर्ष 1992-93 तथा 1993-94 के निर्दिष्ट से अर्जित कि0 मी0 में अवरुद्धता के 9.5 तथा 7.7 प्रतिशत की तुलना में निगम का प्रतिशत उपरोक्त पांच वर्षो में 20 से 28 प्रतिशत के बीच रहा। निर्दिष्ट यात्राओं में उच्च अवरुद्धता का मुख्य कारण निगम की कार्यशालाओं का निर्दिष्ट समयावधि में सड़क योग्य बसों को प्रदत्त करने में असफलता थी जो 1995-96 तक के पिछले पांच वर्षो के दौरान 10366 लाख कि0मी0 की कुल अवरुद्धता में 6455 लाख कि0मी0 हेतु उत्तरदायी थी।

निर्दिष्ट यात्राओं की अवरुद्धता में अधिकता के कारण निगम ने 26195.33 लाख रुपये की धनराशि की सम्भावित राजस्व की हानि वहन की।

6199 लाख अर्जित किलोमीटरों (निर्दिष्ट यात्राओं की 10 प्रतिशत अवरुद्धता) (4167 कि0मी0 सम्मिलित नही) के कारण 26195.35 लाख रुपये के कुल योग की सम्भावित हानि, निगम ने 1995-96 तक के पांच वर्षो के दौरान सहन की। निगम द्वारा निर्दिष्ट अर्जित किलामीटरों की अवरुद्धता को नियन्त्रित कंरने हेतु कोई कार्य योजना अभी तक (सितम्बर 1996) नही बनाई गई थी।

3 द .6.2 बस के ढाँचे के संरचनाकार को चेसिस सौपनें में विलम्ब

आई. डी. बी. आई. की बीजकों के पुनः ह्रास योजना के अन्तगर्त 16.62 प्रतिशत ब्याज प्रतिवर्ष पर प्राप्त निधि के जरिये निगम द्वारा चेसिसों के क्रय तथा बस ढाँचे की संरचना का वित्त पोषण किया गया। दिसम्बर 1994 से अगस्त 1995 तक के दौरान निगम ने टाटा तथा लीलैन्ड से 491 चेसिस क्रय की। चेसिस की आपूर्ति, केन्द्रीय कार्यशाला कानपुर में ली गई जिसने सरंचनाकारों को 340 चेसिस कार्यशाला में प्राप्ति के 15 दिवस के अन्दर तथा शेष 151 चेसिस प्राप्ति के 15 दिवस के पश्चात से 122 दिन तक सौपी, जैसा कि नीचे विवेचित है :

संरचना हेतु बस की चेसिस सौंपने में विलम्ब से 198.38 लाख रुपये सम्भावित आय की हानि हुई।

चेसिस सौपनें में विलम्ब के दिवसों की संख्या	**प्राप्त चेसिसों की संख्या**	**विलम्ब का कारण**
16 से 30	70	संरचनाकारों के संरचना सूची से संरचनाकारों को चेसिस की आपूर्ति का मेल न खाना।
31 से 122	81	कार्य सौपनें हेतु निदेशक मण्डल से सहमति पाने में विलम्ब तथा पुनः आदेश निर्गत करने में विलम्ब

सरंचनाकारों को चेसिस सौपने में विलम्ब स्वरुप बस ढांचो की सरंचना में विलम्ब तथा 8353 बस दिवसों की हानि पर 198.38 लाख रुपये की धनराशि के सम्भावित राजस्व (संचालन व्ययों को घटाने के पश्चात) की हानि हुयी।

3 द .7 निधि का उपयोग

3 द .7.1 निधि का स्थानान्तरण

निगम स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया (एस0 बी0 आई0) से एक संचयन लेखा तथा सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया (सी0 बी0 आई0) से एक संचयन एवं संचालन लेखा लखनऊ में संचालित कर रहा था। निगम संन्ट्रल बैंक से 600 लाख रुपये की (सितम्बर 1994 तक 450 लाख रुपये तक की) रोकड उधार सुविधा का उपयोग कर रहा था।

निगम के सभी 108 डिपों में एकत्रित राजस्व को एस0 बी0 आई0 या सी0 बी0 आई0 की स्थानीय शाखाओं में प्रेषित होना अपेक्षित था। बैंकों को दिए गए निर्देशों के अनुसार 96 बैंक डिपो लेखों को सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय एवं डिपो की निधि आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु सम्बन्धित क्षेत्रीय बैंक लेखे में दो सप्ताह में एक बार अवशेषों को स्थानान्तरित करना अपेक्षित था। शेष बारह डिपों के, जिन्हें युगमित डिपो कहा गया, के अवशेषों को मुख्यालय को अपनी निधि की आवश्यकता को पूरा करने में समर्थ बनाने के लिए मुख्यालय के संचयन लेखे में दो सप्ताह में एक बार स्थानान्तरित करना अपेक्षित था।

3 द .7.1.1 डिपो बैंक लेखे से क्षेत्रीय बैंक लेखे में स्थानान्तरण

96 डिपो में से 13 डिपो के अभिलेखों के नमूना जाँच ने स्पष्ट किया कि 1990-91 से 1994-95 तक की अवधि के दौरान डिपो बैंक लेखों से स्थानान्तरित 6058.09 लाख रुपये की धनराशि के निधि के 2503 मामलों में क्षेत्रीय बैंक लेखे में एक से 165 दिनों के विलम्ब (स्थानान्तरण हेतु तीन दिवस अनुमन्य करने के पश्चात) के पश्चात लेखे में आए।

यद्यपि, क्षेत्रीय बैंक लेखों में धनराशि की प्रविष्टि में असामान्य विलम्ब से रोकड़ उधार पर ब्याज की हानि का परिणाम नही हुआ (क्योंकि क्षेत्र के बैंकों द्वारा कोई रोकड उधार सुविधा स्वीकृत नहीं की गई थी), इसने निस्संदेह रुप से क्षेत्रों की रोकड तरलता को प्रभावित किया।

प्रबन्धन ने बताया (दिसम्बर 1995) कि बैंको तथा निगम के क्षेत्रीय प्रबन्धको को क्षेत्रीय बैंक लेखे में तुरन्त प्रविष्टि को सुनिश्चित करने के लिए ऐसे स्थानान्तरणों के दैनिक अनुश्रवण करने हेतु निर्देश निर्गत किये जा चुके हैं।

3 द .7.1.2 युग्मित डिपो बैंक लेखे से मुख्यालय संचयन लेखे में स्थानान्तरण

5 युग्मित (12 ऐसे डिपो में से) डिपो द्वारा 1991-92 से 1994-95 के दौरान, मुख्यालय संचयन लेखे को तार द्वारा स्थानान्तरित निधि के अभिलेखों की लेखापरीक्षा जाँच ने स्पष्ट किया कि 1991-92 से 1994-95 तक की अवधि के दौरान 7961.86 लाख रुपये से प्रयुक्त 2046 मामलो मे से 4181.18 लाख रुपये से प्रयुक्त 1125 मामलो में मुख्यालय के बैंक लेखे में धनराशि के प्रविष्टि के विलम्ब (स्थानान्तरण हेतु 4 दिवस अनुमन्य करने के पश्चात) 1 से 179 दिवस का था।

मुख्यालय बैंक लेखे में स्थानान्तरित निधि के संबंध में डिपो से दैनिक सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया तथा निगम के मुख्यालय कार्यालय को निधि के स्थानान्तरण पर अनुश्रवण के अभाव ने न केवल रोकड़ उधार लेखे (सी. बी. आई.) पर ब्याज की हानि (20.24 लाख रुपये) अपितु इसने निगम की रोकड़ तरलता अभाव को भी उत्पन्न किया।

प्रबन्धन ने बताया (दिसम्बर 1995) कि एस. बी. आई. तथा सी. बी. आई. के सभी शाखा

प्रबन्धको को उनके मुख्य मण्डलीय प्रबन्धकों को प्रतिलिपि के साथ लेखें ें तुरन्त प्रविष्टि सुनिश्चित करने हेतु तथा सभी क्षेत्रीय प्रबन्धको को युग्मित डिपो के डिपो प्रबन्धको को उनके द्वारा मुख्यालय के बैंक लेखे में स्थानान्तरित निधि के संबध में निगम के मुख्यालय कार्यालय को दैनिक सूचना भेजने के निर्देश निर्गत करने हेतु निर्देश निर्गत किये जा चुके है। इसके अतिरिक्त कहा गया (सितम्बर 1996) कि 15 जनवरी 1996 से मुख्यालय लेखे में प्रविष्टि में विलम्ब को दूर करने के लिये युग्मित डिपो के बैकों द्वारा निगम के मुख्यालय कार्यालय के बैंकों के निधि के सीधे स्थानान्तरण की प्रक्रिया समाप्त कर, युग्मित डिपो द्वारा सप्ताहवार बैंक ड्राफ्ट के जरिये स्थानान्तरित की जा रही है।

3 द .7.1.3 मुख्य संचयन लेखे (एस. बी. आई.) से रोकड ऋण लेखे (सी. बी. आई.) में स्थानान्तरण

निगम अपने मुख्यालय कार्यालय पर अपने बैंक लेखे एस. बी. आई. एवं सी. बी. आई. में रखे हुये डिपो/क्षेत्रों से एस. बी. आई. में प्राप्त निधि व्ययों को पूरा करने हेतु सीधे तौर पर उपयोग नहीं की जा रही थी। ये निधि निगम द्वारा पहले सी. बी. आई. को निधि के स्थानान्तरण हेतु एस. बी. आई. को निर्गत निर्देशों के द्वारा स्थानान्तरित की जा रही थी और तब सी. बी. आई. के द्वारा उपयोग की जा रही थी। निगम 600 लाख रुपये (सितम्बर 1994 तक 450 लाख रुपये) की सीमा तक रोकड़ ऋण सुविधा का उपयोग कर रही थी।

लेखा परीक्षा में यह देखा गया कि अप्रैल 1990 से दिसम्बर 1994 तक की अवधि के दौरान, एस. बी. आई. में निधि की प्राप्ति 1058 तिथियों में हुई पर निगम के मुख्यालय कार्यालय ने एस. बी. आई. से सी. बी. आई. को निधि के स्थानान्तरण हेतु निर्देश 612 तिथियों में निर्गत किय। यह इंगित करता है कि मुख्यालय कार्यालय सी. बी. आई. में ओवर ड्राफ्ट स्थिति को प्रतिदिन समीक्षित नही कर रहा था तथा एस. बी. आई. में बिना किसी उपयोग के निधि रखे था। अभिलेखों की नमूना जाँच ने स्पष्ट किया कि 361 तिथियों पर सी. बी. आई. में स्थानान्तरण हेतु एस. बी. आई. में उपलब्ध 3908.50 लाख रुपये (1 लाख रुपये तथा अधिक के मामले) के कुल योग की निधि निगम द्वारा 1 से 20 दिन के विलम्ब के पश्चात स्थानान्तरित की गई। उपरोक्त विलम्बों के कारण, निगम को 1990-91 से 1994-95 की अवधि के दौरान रोकड ऋण सुविधा प्राप्त करने हेतु ब्याज के लेखे पर 7.73 लाख रुपये की परिहार्य हानि सही। प्रबन्धन ने बताया (सितम्बर 1996) कि 15 जनवरी 1996 से डिपो से निधि बैंक ड्राफ्ट के द्वारा सप्ताहवार प्राप्त हो रही तथा मुख्यालय बैंक लेखे में त्वरितता से प्रविष्ट हो रही थी।

3 द .7.2 कोषागारों में पडे धन को बट्टे खाते में डालना।

अपने जून 1972 में गठन के पश्चात निगम ने मई 1975 तक राज्य सरकार के कोषागारों के द्वारा अपना निधि संचालन जारी रखा जैसा कि पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश राजकीय सड़क मार्ग (रोडवेज) द्वारा किया जा रहा था। कोषागारों से लेखे की निरन्तरता समाप्त होने के पश्चात, उनके पास पड़े अवशेषों को निगम द्वारा वापस ले लेना था। निगम, तथापि, 4 क्षेत्र तथा कार्यशाला के सम्बन्ध में, कोषागार में जमा 22.52 लाख रुपये का विवरण प्रस्तुत न कर सकी। इन विवरणों के अभाव में, धनराशि निगम को वापस न

हो सकी। तथापि, त्रुटि हेतु बिना कोई विस्तृत जाँच एवं उत्तरदायित्व निर्धारण के, निगम ने समस्त धनराशि को 1991-92 से 1994-95 के दौरान बट्टे खाते में डाल दिया।

3 द .7.3 आलेखाबद्ध निवेश

निगम मई 1972 तक की विभागीय रुप से प्रबन्ध की जा रही निकाय थी तथा निष्प्रयाज्य वाहनों के नीलामी से प्राप्त धन को "डिप्रेशियेशन रिर्जव फण्ड इन्वेस्टमेन्ट" (डी.आर.एफ.) लेखा शीर्ष के अन्तर्गत सरकारी कोषागारों में जमा कर रही थी। नवम्बर 1972 में राज्य सरकार द्वारा एक समिति की नियुक्ति,पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश सरकार रोडवेज जिसे निगम में स्थानान्तरित किया गया था की परिसम्पत्तियों तथा दायित्वों के मूल्यॉकन हेतु की गई। समिति द्वारा 31 मई 1972 को डी. आर. एफ. का मूल्यांकन 428.70 लाख रुपये किया गया। उपरोक्त मूल्यांकन, तथापि, महालेखाकार कार्यालय द्वारा संकलित लेखों से मिलान की शर्तानुसार था। निगम 1973-74 के दौरान मात्र 348.54 लाख रुपये की धनराशि कोषागार से आहरित कर सका। बकाया 80.16 लाख रुपये की धनराशि का कोषागार से आहरण न हो सका क्योंकि निगम महालेखाकार के कार्यालय में संकलित लेखों की पुस्तकों सें इसको देय धनराशि का मिलान करने में आज तक (जून 1996) असमर्थ रहा। निगम ने मिलान निपटाने हेतु कोई कार्य योजना नहीं बनाई थी। इस प्रकार, आँकड़ो के मिलान में प्रभावकारी प्रयत्न के अभाव में, 80.16 लाख रुपये की निगम निधि 20 वर्षो से भी अधिक हेतु अवरुद्ध रही।

जून 1975 से कोषागरों में पड़ी 22.52 लाख रुपये की धनराशि को विवरण प्रस्तुत करने में अपनी असफलता के कारण निगम का बट्टे खाते में डालने पड़े।

निगम मई 1975 से कोषागारों में पड़े 80.16 लाख रुपये की धनराशि को आहरित न कर सकी क्योंकि यह अपने लेखे का सरकारी कोषागारों से मिलान न कर सकी।

3 द .7.4 प्राप्तियोग्य धन की वसूली में विलम्ब

रोकड़ प्रबन्ध का एक महत्वपूर्ण पहलू प्राप्ति योग्य धन की त्वरित वसूली सुनिश्चित करना है। 1995-96 तक के पाँच वर्षो में प्रत्येक के अन्त पर बसों तथा टैक्सियों के किराया प्रभारों हेतु एवं सहकारी वाहनों की मरम्मत तथा ईधन प्रभारों हेतु केन्द्रीय/राज्य सरकार के विभाग तथा अन्य के विरुद्ध अगले पृष्ठ पर संग्रहित है :

(लाख रुपये में)

	विवरण	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96 (अनन्तिम)
(i)	केन्द्र व राज्य सरकार के विभाग	1034.22	1095.85	1073.79	1262.68	1012.14
(ii)	निजी अभिकर्ता	258.18	23.57	288.91	293.18	275.58
(iii)	अन्य	0.30	8.59	9.09	14.18	15.74
(iv)	योग	1292.70	1336.01	1371.79	1570.74	1343.46

इस तथ्य के बावजूद कि निगम को सी. बी. आई. से रोकड़ ऋण सुविधा के उपयोग हेतु 1991-92 से 1995-96 वर्षों के दौरान 225.60 लाख रुपये के ब्याज का भुगतान करना पड़ा, इसने अपने प्राप्त योग्य धन की वसूली हेतु प्रभावशाली कदम नहीं उठाये जो 1991-92 में 1292.70 लाख रुपये से बढ़कर 1995-96 में 1303.46 लाख रुपये तक हो गये।

इस सम्बन्ध में यह देखा गया कि निगम के निदेशक मण्डल ने मई 1990 में निर्णय लिया कि केन्द्र/राज्य सरकार के विभागों को गाडियाँ किराये पर अनुमानित किराया प्रभारों की धनराशि का 75 प्रतिशत जमा लेने के पश्चात ही दी जाय। तथापि, 4 केन्द्रीय एवं 11 राज्य सरकार के विभागों के लेखा परीक्षा में नमूना जाँच किये मामलों में यह देखा गया कि इन आदेशो के अन्तर्गत अपेछित बिना किसी अग्रिम जमा की वसूली के मार्च 1996 तक के तीन वर्षों में 263.46 लाख रुपये 33.84 लाख रुपये तथा 273.37 लाख रुपये की धनराशि के विरुद्ध, वाहन किराये पर दिये गए। समयवार ऋणियों का विश्लेषण निगम के पास उपलब्ध नहीं था। 31 मार्च 1996 को 1303.84 लाख रुपये मूल्य के ऋणियों के विश्लेषण ने प्रकट किया कि 853.68 लाख रुपये के ऋणी दो वर्ष से अधिक के थे जैसा कि लेखापरीक्षा द्वारा उपलब्ध आकड़ों से आंकलित किया गया। शेष बकायों के विशिष्ट मामले अगले पृष्ठ पर दिये गये हैं :

क्षेत्र	पार्टी	धनराशि (रुपये लाख में)	अवधि	टिप्पणी
सभी क्षेत्र	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस	275.51	फरवरी 1989 से अगस्त 1989	पार्टी की रैलियों हेतु प्रदत्त की गई बसों के सम्बन्ध में बकाये/निगम के पास पार्टी का मांग पत्र उपलब्ध नहीं। दावा दायर करने हेतु अपेक्षित सबूतों के अभाव के कारण विविध कार्यवाही प्रारम्भ नही की गई।
आठ क्षेत्र	कारागर विभाग	17.29	अप्रैल 1988 से अगस्त 1992	समय से प्रयत्न के अभाव में, भुगतान प्राप्त न किया जा सका। 9.35 लाख रुपये के बकायों की स्वीकारोक्ति भी विभाग द्वारा अपेक्षित थी (जून 1996)।
नौ क्षेत्र	विभिन्न विभाग	41.02	1972 से पूर्व	कोई विवरण उपलब्ध नहीं क्योंकि बीजकों की नकल प्रतियाँ प्रस्तुत करने में असमर्थ है। अगस्त 1993 से बकाये को बट्टे खाते में डालने की कार्यवाही प्रारम्भ पर अधिक तरक्की नहीं थी (जून 1996)।
कार अनुभाग	युवा कल्याण परिषद	2.46	1985 से 1989	मई 1994 में परिषद द्वारा मागें गए 1.41 लाख रुपये हेतु किराए की टैक्सियों हेतु बीजकों की द्वितीय प्रतियों अगस्त 1995 में प्रेषित; वसूली प्रतीक्षित थी (जून 1996)।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्व 275.51 लाख रुपये के बकायों के सम्बन्ध में विधान सभा की आश्वासन समिति ने निर्णय किया (जुलाई 1995) कि बिना किसी उचित माँग पत्र के बस भेजने हेतु उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्व वसूली कार्यवाही प्रारम्भ की जाय तथा उसके परिणाम समिति को एक मास में सूचित किया जाय। निगम ने सरकार को अपने प्रतिवेदन में सूचित किया (सितम्बर 1995) कि बसें क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा मुख्यमंत्री/परिवहन मंत्री के मौखिक निर्देशों पर दी गई थी। विधानसभा भंग

होने के कारण जुलाई 1996 के पश्चात आश्वासन समिति की बैठक नहीं हुई थी।

3 द .8 अन्य रोचक विषय

3 द .8.1 निगम की बसों का बीमा न होने के कारण हानि

अपनी बसों हेतु बीमा सुरक्षा न प्राप्त करने के कारण निगम को दुर्घटना दावे के लेखों पर 393.63 लाख रुपये की परिहार्य हानि वहन करनी पड़ी।

मोटर वेहिकल नियम 1988 की धारा 146 (3) के अनुसार सभी वाहनों को दुर्घटना द्वारा हुये मौत, चोट या क्षति के कारण तीसरे पक्ष को भुगतान होने वाले क्षतिपूर्ति को आच्छादित करने हेतु बीमा कराना अपेक्षित (जब तक केन्द्रीय/राज्य सरकार द्वारा मुक्त न किया जाये) होता है। इसके अतिरिक्त तृतीय पक्ष को नियमावली के नियम 166 के अन्तर्गत गठित मोटर दुर्घटना दावा ट्रिब्यूनल्स (एम. ए. सी. टी.) द्वारा दिये गये किसी भी दावे की क्षतिपूर्ति भी देय होती है निगम ने अपनी बसों का राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत विमोचन (जुलाई 1975) के कारण बीमा नहीं कराया था। निगम ने अपनी निधि से दुर्घटना दावों का यात्री दूर्घटना दावों के साथ-साथ भुगतान किया।

1984-85 के दौरान जब दुर्घटना दावों पर व्यय 41.94 लाख रुपये (1983-84) से 65.16 लाख रुपये हो गया, तब निगम ने बसों के बीमा पर विचार किया तथा बीमा कम्पनियों से शुल्कदर प्राप्त की (अप्रैल 1985)। तथापि, तीसरे पक्ष एवं यात्री जोखिम के विरुद्ध बसों के बीमा हेतु उस समय कोई निर्णय न लिया गया। जुलाई 1989 में निगम ने पुनः शुल्क दरें प्राप्त की। मामले को, तथापि, अगस्त 1989 से प्रभावी होने वाले शुल्क दरो में सम्भावित वृद्धि के कारण विलम्बित कर दिया गया। निगम ने बीमा कम्पनियों से एक विशेष प्रकार की पालिसी सूत्रबद्ध करने का निवेदन किया जिसे बडी संख्या में बसों को रख रखाव करना निगम के लिये ले पाना सम्भव हो। बीमा कम्पनियों द्वारा ऐसी कोई विशेष प्रकार की पालिसी अभी तक (जून 1996) नहीं बनाई गई है।

अभिलेखों की नमूना जाँच ने स्पष्ट किया कि 1985-86 से 1995-96 की अवधि के दौरान निगम ने विभिन्न दुर्घटना दावों तथा ट्रिबुनल अवार्डो को पूरा करने के लिये 3689.62 लाख रुपये की धनराशि का भुगतान किया जबकि अपनी बसों पर इसी अवधि के दौरान भुगतान योग्य बीमा शुल्क मात्र 3295.99 लाख रुपये आंकलित हुआ है। इसके अतिरिक्त 31 मार्च 1996 को 3740 मामले एम. ए. सी. टी. के पास अन्तिम निर्णय हेतु विलम्बित थे जिस हेतु दायित्व अनिर्णत था।

प्रबन्धन ने बताया (दिसम्बर 1995) कि इस स्थिति में वाहनों का बीमा दोहरे वित्तीय बोझ को अग्रसरित करेगा यानि कि बीमा कम्पनियों को शुल्क का भुगतान तथा एम. ए. सी. टी. के पास विलम्बित 3565 मामलों का भुगतान तथा निगम वित्तीय समस्या की वर्तमान स्थिति में इसे वहन करने में समर्थ न हो पायेगी। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि भूतकाल में दुर्घटना दावों को पूरा करने के लिये भारी धनराशि का

भुगतान किया गया है।

उपसंहार

निगम अपनी मौजूदगी के 23 वर्षों के बावजूद अपने वित्तीय संसाधनों के महत्तम उत्पादन तथा उपयोग हेतु एक प्रभावशाली प्रणाली को बनाने में असफल रहा। अर्जित किलोमीटरों की अवरुद्धता पर नियन्त्रण के आभाव तथा बेड़ा विस्तार हेतु उचित योजना के आभाव के कारण निधि का उत्पादन प्रभावित हुआ। उपलब्ध निधि का उपयोग भी महत्तम न हो सका क्योंकि इसका बैंक संचालन इसकी आवश्यकताओं के अनुरुप न थे तथा कोषागारों में पड़े निधि, एवं बाह्य पार्टियों/सरकारी विभागों से बकायों की वसूली में गम्भीर प्रयत्नों का आभाव था। आय व्ययक नियन्त्रक प्रणाली भी प्रभावी न थी क्योंकि सरकार द्वारा वार्षिक आय व्ययकों के अनुमोदन में असामान्य विलम्ब था और साथ ही आय व्ययक वास्तविक अनुमानों के आधार पर नहीं बनाये गये थे।

मामला सरकार को मई 1996 में प्रत्यावेदित किया गया; उत्तर प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 1996)।

अनुच्छेद - 4 अ

सरकारी कम्पनियां

प्रस्तर	विवरण	पृष्ठ संख्या
	प्रदेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कारपोरेशन आफ उत्तर प्रदेश लिमिटेड	
1	शेयरों के परित्याग में हानि	203
2	सहप्रोन्नतकर्ता को अनुचित लाभ	204
	उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड	
3	भविष्य निधि के विलम्बित भुगतान पर क्षति पूर्ति	205
4	भार के कम न किये जाने से हानि	205
5	ब्याज की परिहार्य हानि	206
6	निधियों का निरोधन	206
7	विद्युत प्रभारों का परिहार्य भुगतान	207
	छाता शुगर कम्पनी लिमिटेड	
8	ब्वायलिगं हाउस संयन्त्र के क्रय पर अतिरिक्त व्यय	208
9	अतिरिक्त भुगतान	209
	उत्तर प्रदेश राज्य सीमेन्ट निगम लिमिटेड	
10	उत्पाद शुल्क विभाग द्वारा क्रेडिट को अस्वीकार करने के कारण हानि	210
11	परिहार्य भुगतान	210
12	कोयले में स्तर गिरावट के कारण हानि	211
	दि इण्डियन टर्पेन्टाइन एण्ड रोजिन कम्पनी लिमिटेड	
13	परिहार्य हानि	212
	उत्तर प्रदेश स्टेट यार्न कम्पनी लिमिटेड	
14	कठोर छीजन के अधिक उत्पादन के कारण हानि	213
15	परिहार्य हानि	214
	उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग मिल्स कम्पनी लिमिटेड	
16	सूती धागे के निर्यात में हानि	214
	उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड	
17	बिक्री मूल्य में संशोधन न किये जाने के कारण 10.50 लाख रुपये की हानि	215
18	अनियोजित क्रयों में परिहार्य हानि	216

अनुच्छेद - 4 अ
सरकारी कम्पनियां

प्रस्तर	विवरण	पृष्ठ संख्या
	उत्तर प्रदेश प्रोजेक्टस एण्ड टयूबवेल कारपोरेशन लिमिटेड	
19	ब्याज की हानि	217
20	स्टील टयूबों के क्रय परअतिरिक्त व्यय	218
	उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड	
21	तैयार पोशाकों के निर्यात में हानि	219
22	क्रय आदेश को अनियमित रुप से दिये जाने के कारण हानि	219
	उत्तर प्रदेश हस्तकरघा निगम लिमिटेड	
23	दरियों की आपूर्तियों की हानि	220
24	अविवेक पूर्ण क्रय	221
	उत्तर प्रदेश भूतपूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड	
25	ऋण की संदिग्घ वसूली	222
	उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम लिमिटेड	
26	अधिक भुगतान	223

सरकारी कम्पनियाँ

दि प्रादेशीय इण्डस्ट्रियल ऐण्ड इन्वेस्टमेन्ट कार्पोरेशन आफ उत्तर प्रदेश लिमिटेड

4अ.1 शेयरों के परित्याग में हानि

कम्पनी ने जून 1989 से दिसम्बर 1991 के दौरान, नई दिल्ली की संयुक्त क्षेत्र की एक इकाई - पशुपति एक्रिलान में प्रति 10 रुपये के सामान्य शेयरों में 497.97 लाख रुपये का निवेश किया।

अक्टूबर 1993 में, इकाई ने कम्पनी को समतुल्य मूल्य पर 1991880 राइट शेयरों की बिक्री का प्रस्ताव किया। राज्य सरकार के प्रमुख सचिव द्वारा शीर्षित डिसइन्वेस्टमेंट कमेटी के पूर्व अनुमोदन के बिना, कम्पनी ने राइट शेयरों को क्रय न करने का निर्णय लिया तथा उसे इकाई के सह प्रोन्नतकर्ता के पक्ष में 13 रुपये से 14 रुपये प्रति शेयर की लागू दरों के विरुद्ध सममूल्य पर परित्याग कर दिया (नवम्बर 1993)। नवम्बर 1994 में, जब प्रकरण को कमेटी के समक्ष प्रस्तुत किया गया, उसने टिप्पणी दी कि कम्पनी को भविष्य में ऐसे प्रकरणों में अन्तर मूल्य/अधिमूल्य की वसूली का प्रयत्न करना चाहिये।

कम्पनी ने 29.87 लाख रुपये का राजस्व अर्जित करने का एक अवसर खो दिया क्योंकि इसने एक राइट्स प्रस्ताव का अधिमूल्य की वसूली हेतु कोई प्रयत्न किये बिना ही परित्याग कर दिया।

यदि कम्पनी एवं सहप्रोन्नतकर्ता के मध्य 3 रुपये प्रति शेयर के अन्तर मूल्य/अधिमूल्य को समान रुप से बाँट भी लिया जाता तो भी अन्तर मूल्य/अधिमूल्य की वसूली का कोई प्रयत्न किये बिना ही राइट्स के प्रस्ताव के परित्याग के कारण कम्पनी ने 29.87 लाख रुपये का राजस्व (प्रति शेयर 1.50 रुपये की दर से) अर्जित करने का अवसर खो दिया।

प्रकरण, कम्पनी को फरवरी 1996 में तथा सरकार को मई 1996 में सूचित किया गया। कम्पनी ने अपने उत्तर में कहा (जून 1996) कि राइट शेयरों के बाजार मूल्य एवं निर्गमन मूल्य के मध्य 3 रुपये से 4 रुपये प्रति शेयर का सीमित अन्तर, राइट्स के प्रस्ताव पर निवेश किये जाने हेतु कोई आकर्षक अन्तर मूल्य नही था। कम्पनी ने आगे बताया कि यह मूल्य, राइट्स निर्गमन की समाप्ति के पश्चात गिरने वाले थे।

उत्तर तर्कसगंत नहीं था क्योंकि निर्गमन की समाप्ति के पश्चात इन शेयरों के मूल्य फरवरी 1994 तक 13 रुपये और 16 रुपये के मध्य श्रेणीबद्ध रहे।

सरकार का उत्तर प्रतीक्षित था (अक्टूबर 1996)।

4अ.2 सहप्रोन्नतकर्ता को अनुचित लाभ

कम्पनी ने जुलाई 1982 में हैरिग इण्डिया लिमिटेड, नई दिल्ली के साथ हैरिग क्रैन्क शैफ्ट्स लिमिटेड नाम की संयुक्त क्षेत्र की एक इकाई की अंशपूंजी में 258.75 लाख रुपये का अशंदान किया। समझौते में अन्य बातों के अतिरिक्त यह प्राविधान था कि यदि कम्पनी अपने अंशधारण अथवा उसके किसी भाग को त्याग करने अथवा हस्तान्तरण करने की इच्छा करें, वह सहप्रोन्नतकर्ताओं को प्रथम अवसर देगा और उनके द्वारा प्रस्ताव स्वीकार किये जाने की दशा में सहप्रोन्नतकर्ता, प्रस्ताव की तिथि से छः माह के अन्दर उसके मूल्य का पूरा भुगतान कर देगा। शेयरों का वास्तविक हस्तान्तरण, क्रय प्रस्ताव पर भुगतान किये जाने पर आधारित था। तथापि, समझौते में सहप्रोन्नतकर्ताओं को ब्याज के भुगतान अथवा छूट के लिये, यदि वे छः माह की समाप्ति के पूर्व ही भुगतान कर देते हैं, कोई प्रावधान नहीं था।

कम्पनी ने समझौते के अनुसार, सहप्रोन्नतकर्ताओं को उच्चतम मूल्य होने के नाते स्टाक एक्सचेंज/एक्सचेंजो जिन पर ऐसे क्रय प्रस्ताव के तीन माह पूर्व से शेयर उद्धृत किये जाते रहे हैं, की शेयर के प्रभावी औसत मूल्य पर निर्धारित) 27.5166 रुपये प्रति शेयर पर 726800 शेयरों के हस्तान्तरण का प्रस्ताव किया (फरवरी 1995)। सहप्रोन्नतकर्ताओं ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और जब उन्हें शेयरों का हस्तान्तरण कर दिया गया, मार्च 1995 में 199.99 लाख रुपये का पूरा भुगतान कर दिया। कम्पनी ने समझौते के बिना किसी प्रावधान के, सहप्रोन्नतकर्ताओं को इस आधार पर कि प्रस्ताव की तिथि से छः माह की समाप्ति से 142 दिनों पूर्व ही भुगतान कर दिया गया था, 15 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर 11.67 लाख रुपये के ब्याज की राशि का भुगतान कर दिया (जुलाई 1995)। इससे सहप्रोन्नतकर्ताओं को 11.67 लाख रुपये तक का अनुचित लाभ हुआ।

कम्पनी ने 11.67 लाख रुपये की हानि उठाई क्योंकि इसने शेयरों के विनिवेश पर अस्वीकार्य छूट को स्वीकृति दे दी।

उत्तर में प्रबन्धन ने कहा (जनवरी 1996) कि मार्च 1995 में सहप्रोन्नतकर्ताओं के साथ विनिवेश के ढंग पर चर्चा हुई थी और कम्पनी ने सैद्धान्तिक रुप से पुनः क्रय प्रस्ताव पर शीघ्र भुगतान होने पर ब्याज के भुगतान के लिये सहमति दी थी। उत्तर तर्क संगत नहीं था क्योंकि कम्पनी द्वारा चर्चा का कोई भी अभिलेख रखा नहीं गया था और ब्याज के भुगतान का निर्णय समझौते के प्राविधानों के अनुरुप नहीं था। इसके अतिरिक्त, सहप्रोन्नतकर्ताओं द्वारा शीघ्र भुगतान किये जाने से उन्हें शेयरों के शीघ्र हस्तान्तरण की भी सुविधा हो गई।

प्रकरण, कम्पनी को दिसम्बर 1995 में और सरकार को मई 1996 में सूचित किया गया; उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 1996)।

4अ.3 भविष्य निधि के विलम्बित भुगतान पर क्षतिपूर्ति

कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम 1952 के अन्तर्गत, एक नियोजक को क्षेत्रीय भविष्य निधि (आर0पी0एफ0) आयुक्त के पास प्रत्येक माह की समाप्ति से 15 दिनों के अन्दर भविष्य निधि में, कर्मचारी के अंशदानों सहित नियोजक के मासिक सहभाग को भी जमा करना होता है जिसमें विफल होने पर आर0पी0एफ0 आयुक्त द्वारा क्षतिपूर्ति का निर्धारण किया जाता था।

कम्पनी की भटनी इकाई, अगस्त 1976 से जून 1987 की अवधि से सम्बन्धित 70.26 लाख रुपये के भविष्य निधि (पी0एफ0) अंशदान को 15 दिनों की निर्धारित अवधि के भीतर जमा करने में विफल रही तथा देयों के जमा करने में 6 से 1628 दिनों तक श्रेणीबद्ध विलम्ब हुआ। परिणामस्वरुप आर पी एफ आयुक्त, कानपुर ने त्रुटिपूर्ण भुगतानों पर शत प्रतिशत की दर पर 21.52 लाख रुपयें की क्षतिपूर्ति निर्धारित कर दी। बीमार इकाई द्वारा सामना किये जाने वाले वित्तीय दबावों के आधार पर, अप्रैल 1994 से दिसम्बर 1995 के दौरान क्षतिपूर्ति को माफ करने की इकाई की प्रार्थनायें आर पी एफ आयुक्त द्वारा स्वीकार नहीं की गई। इकाई ने, तदनुसार, मार्च 1995 से 6.00 लाख रुपये का अन्तरिम भुगतान किया एवं अवशेष राशि का भुगतान प्रक्रिया के अन्तर्गत था। अतः, भविष्य निधि देयों के विलम्ब से जमा करने से, इस संदर्भ में आगे की देयता सहित 6.00 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति का परिहार्य भुगतान हुआ।

प्रबन्धन ने बताया (जुलाई 1996) कि कम्पनी, निधियों की कमी के कारण भविष्य निधि जमा नही कर सकी। उत्तर तर्क संगत नहीं था क्योंकि यदि कम्पनी ऐसी सांविधित देयता का भुगतान करने के लिये 18 प्रतिशत की ब्याज दर पर ऋण लेकर इन देयों को जमा कर देती तो भी यह कम्पनी को लाभकारी होता।

4अ.4 भार के कम न किये जाने से हानि

बड़े एवं भारी विद्युत उपभोक्ताओं पर लागू उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद की दर अनुसची के अनुसार, अनुबन्धित भार के 75 प्रतिशत अथवा वास्तविक भार जो भी अधिक है, पर मांग प्रभार, उपभोग की गई विद्युत के प्रभारों सहित वसूल किया जाता है। कम्पनी की बाराबंकी इकाई जिसका 852 के0वी0ए0 का अनुबन्धित भार था और जो परिषद की उपरोक्त दर अनुसूची के अन्तर्गत देयकीकृत किया जाता था, ने सितम्बर 1989 में निर्धारित किया कि उसका स्वीकृत भार उच्चतर पक्ष में था और यह 100 के0वी0ए0 तक कम किया जा सकता है। तथापि, घटे हुये न्यूनतम मांग प्रभारों के लाभ को प्राप्त करने हेतु भार को कम करने के लिये, इकाई ने परिषद से सम्पर्क नहीं किया। लेखा परीक्षा में देखा गया कि अप्रैल 1990 से सितम्बर 1994 की अवधि के दौरान, इकाई की वास्तविक मांग मात्र 60 के0वी0ए0 और 740 के मध्य श्रेणीबद्ध रही।

इकाई ने, तत्पश्चात अक्टूबर 1994 में अपना भार 600 के0वी0 तक घटा दिया। अपने भार को समय से न घटा पाने में इकाई की विफलता से, अपने द्वारा रखे गये अतिरिक्त भार (100 के0वी0ए0) के 75 प्रतिशत पर न्यूनतम मांग प्रभारों का भुगतान किया जाना पड़ा जिससे अक्टूबर 1985 से सितम्बर 1994 की अवधि के दौरान 4.11 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ।

प्रकरण, कम्पनी को फरवरी 1996 में तथा सरकार को अप्रैल 1996 में सूचित किया गया; उत्तर प्राप्त नहीं हुये (अक्टूबर 1996)।

4अ.5 ब्याज की परिहार्य हानि

फरवरी 1990 में कम्पनी के निदेशक मण्डल ने 2750 लाख रुपये की लागत पर देवरिया जिले में बेतालपुर इकाई की 914 टी0सी0डी0 से 2500 टी0सी0डी0 क्षमता तक के विस्तार कार्यक्रम का अनुमोदन किया। कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु 49 एकड़ अतिरिक्त भूमि का अधिग्रहण किया गया जिसके लिये फरवरी 1990 में निदेशक, भूमि अधिग्रहण द्वारा कम्पनी को खेतिहर भूमि के उपभोग के लिये उपयोजन परिषद के अनुमोदन तथा भूमि के प्राक्कलित मूल्य (78.50 लाख रुपये) सहित, भूमि अधिग्रहण हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करने की सलाह दी गई। तथापि, कम्पनी ने भूमि उपयोजन परिषद के अनुमोदन के बिना ही जुलाई 1990 में जिलाधिकारी, देवरिया के पास प्राक्कलित मूल्य को जमा कर दिया। यद्यपि, भूमि के अधिग्रहण का प्रस्ताव सरकार को जुलाई 1990 में प्रस्तुत कर दिया गया था, न तो भूमि उपयोजन परिषद का अनुमोदन ही प्राप्त किया गया था और न ही भूमि अधिग्रहण अधिकारी द्वारा मार्च 1994 तक भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा (4) के अन्तर्गत अधिसूचना ही जारी की गई थी। अप्रैल 1994 में कम्पनी ने, निधियों की कमी एवं चीनी मिलों के निजीकरण की नीति के कारण विस्तार कार्यक्रम को समाप्त करने का निर्णय ले लिया। इस कारण से कम्पनी को, भूमि अधिग्रहण अधिकारी द्वारा प्रशासनिक व्ययों के नाम पर 7.85 लाख रुपये के समायोजन के पश्चात केवल 70.65 लाख रुपये ही वापस दिये गये (अगस्त 1994)।

अतः भूमि उपयोजन परिषद का अनुमोदन प्राप्त किये बिना, प्राक्कलित मूल्य के जमा किये जाने तथा भविष्य में निधियों की उपलब्धता का आंकलन न किये जाने से, न केवल 7.85 लाख रुपये की हानि हुई अपितु जून 1990 से अगस्त 1994 तक 78.50 लाख रुपये का अवरोधन भी हुआ जिस पर कम्पनी ने, उपरोक्त अवधि के दौरान 17 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से 54.49 लाख रुपये के ब्याज की भी हानि उठाई।

प्रकरण, कम्पनी को फरवरी 1995 में तथा सरकार को मई 1996 में सूचित किया गया; उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 1996)।

4अ.6 निधियों का निरोधन

कम्पनी ने रोहानकलाँ (मुजफ्फरनगर) की अपनी चीनी फैक्टरी के 1300 से 2500 टी0सी0डी0

(प्रतिदिन पेरे गये टन) तक क्षमता विस्तार एवं आधुनिकीकरण हेतु 1780 लाख रुपये पर मूल्यांकित संयंत्र एवं उपकरणों की आपूर्ति के लिये नई दिल्ली की एक फर्म (सुमैक इण्टरनैशनल प्राइवेट लिमिटेड) से एक समझौता किया (अगस्त 1989)। समझौते की शर्तों में अन्य बातों के अतिरिक्त नवम्बर 1990 तक आपूर्ति की समाप्ति तथा कम्पनी द्वारा फर्म को 356 लाख रुपये की राशि का 20 प्रतिशत अग्रिम अवमुक्त किये जाने का प्राविधान था जिस पर यदि फर्म संकल्पित तिथि तक संयंत्र एवं उपकरणों की आपूर्ति नहीं करती है तो 16.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर ब्याज देय था।

कम्पनी ने अगस्त 1989 से जनवरी 1990 के दौरान फर्म को, 356 लाख रुपये का अग्रिम निर्मुक्त किया जिसने जून 1991 तक केवल 211.09 लाख रुपये के मूल्य के संयंत्र एवं उपकरणों की ही आपूर्ति की और उसके पश्चात फर्म द्वारा कोई अन्य आपूर्ति नहीं की गई। आपूर्ति के विरुद्ध भुगतान, केवल 42.22 लाख रुपये के अग्रिम के समायोजन के पश्चात साख पत्र (एल०सी०) द्वारा किया गया। राज्य सरकार द्वारा परियोजना को बन्द किये जाने तथा समझौते को निरस्त किये जाने के निर्देशों के जारी होने के साथ, कम्पनी ने आपूर्तिकर्ता/ठेकेदार को अन्य आपूर्तियाँ रोक देने तथा लागू बैंक दर पर ब्याज सहित अग्रिम की शेष राशि को वापस किये जाने की सूचना जारी कर दी (सितम्बर 1995)।

तथापि, कम्पनी मामले का सशक्त अनुसरण करने मे विफल रही जिससे 313.78 लाख रुपये का विशाल अवशेष 276.13 लाख रुपये के ब्याज सहित अब भी बिना वसूली के पड़ा था।

प्रकरण, कम्पनी को सितम्बर 1995 में तथा सरकार को जून 1996 मे सूचित किया गया; उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 1996)।

4अ.7 विद्युत प्रभारों का परिहार्य भुगतान

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद (यू०पी०एस०ई०बी०) की दर सूची के अनुसार, 75 के० डब्ल्यू० (88 के०वी०ए०) से अधिक अनुबन्धित भार वाले के देयक, वास्तविक विद्युत उपभोग पर विद्युत प्रभारों तथा अनुबन्धित/वास्तविक भारों पर मांग प्रभारों हेतु बनाये जाते हैं।

दर सूची में यह भी प्राविधान था कि यदि किसी माह में उपभोक्ता की अधिकतम मांग अनुबन्धित भार से बढ़ जाती है, ऐसी अधिक मांग पर प्रभारों की सामान्य दर के अतिरिक्त, समय-समय पर नियत की गई एक अतिरिक्त दर से प्रभार लगाया जायेगा। घरेलू उपभोग के संयोजनों के प्रकरण में केवल विद्युत प्रभार ही देय हैं।

कम्पनी की हरदोई चीनी फैक्टरी के पास जुलाई 1991 से मार्च 1993 के दौरान, औद्योगिक तथा घरेलू प्रयोजनों हेतु उपयोजित विद्युत के लिये 135 के०वी०ए० के अनुबन्धित भार का एक संयुक्त संयोजन था। तदनुसार, फैक्टरी के देयक 136 से 172 के०वी०ए० के संयुक्त वास्तविक भारों पर आधारित मांग प्रभारों पर बनाये जाते थे जबकि औद्योगिक तथा घरेलू प्रयोजनों हेतु उपभोग की गई विद्युत

के विद्युत प्रभारों के देयक, पृथक रुप से घरेलू उपभोग के अभिलेखन के लिये लगाये गये एक उपमीटर के आधार पर बनाये जाते थे। मार्च 1993 में 80 के0डब्ल्यू0 का घरेलू भार, भार सहित एक पृथक संयोजन द्वारा अलग किया गया। प्रथक घरेलू भार के अवमूक्त किये जाने के पश्चात अप्रैल 1993 से औद्योगिक भार के विरुद्ध वास्तविक मांग 135 के0वी0ए0 की अनुबन्धित सीमा के अन्दर ही रही। अतः, जुलाई 1991 से मार्च 1993 के दौरान विद्युत के घरेलू उपभाग हेतु एक पृथक संयोजन द्वारा भार का अलग न किये जाने से अनुबन्धित भार से अधिक भार पर अतिरिक्त मांग प्रभारों के नाम पर 2.88 लाख रुपये का परिहार्य भुगतान हुआ।

प्रकरण, कम्पनी को अक्टूबर 1995 में तथा सरकार को जून 1996 में सूचित किया गया; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये (अक्टूबर 1996)।

छाता शुगर कम्पनी लिमिटेड

4अ.8 ब्वायलिंग हाउस संयंत्र के क्रय पर अतिरिक्त व्यय

कम्पनी ने अपने ब्वायलिंग हाउस संयंत्र के आधुनिकीकरण तथा छाता (मथुरा) की चीनी फैक्टरी की 1250 से 2500 टी0सी0डी0 (प्रतिदिन पेरे गये टन) तक की क्षमता के विस्तार के लिये आरेखण, निर्माण तथा मशीन एवं उपकरण की आपूर्ति हेतु लखनऊ के अल्पा इन्जीनियर्स ऐण्ड फैब्रीकेटर्स लिमिटेड को एक संविदा प्रदान की। संविदा में 354.35 लाख रुपये की एक मुश्त निश्चित राशि संकल्पित थी जिसमें शुल्क, कर, परिवहन तथा बीमा आदि सम्मिलित था। आपूर्ति 31 जुलाई 1990 तक पूर्ण हो जानी थी।

फर्म केवल 254.27 लाख रुपये मूल्य की मशीनरी एवं उपकरण जिसमें 194.50 लाख रुपये मूल्य के उपकरण तथा 59.77 लाख रुपये मूल्य की सामग्री सम्मिलित थी, की ही आपूर्ति कर सकी। आपूर्ति पूर्ण किये जाने में फर्म की विफलता को देखते हुये, शेष मशीनरी एवं उपकरण की आपूर्ति हेतु 371 लाख रुपये की एक अन्य संविदा, मेरठ के श्री राजेन्द्र उद्योग को प्रदान की गई (अक्टूबर 1991)। संविदा के अन्तर्गत अतिरिक्त मूल्य, मूल आपूर्तिकर्ता से वसूली योग्य थी। मेरठ की फर्म ने अप्रैल 1993 में 364.50 लाख रुपये में आपूर्तियाँ पूर्ण की।

अतः, अपेक्षित मशीनरी एवं उपकरणों की आपूर्तियाँ 354.35 लाख रुपये जैसा कि लखनऊ की फर्म को प्रदान की गई संविदा में संकल्पित था, के विरुद्ध 618.77 लाख रुपये की कुल लागत पर पूर्ण हुई (फरवरी 1996)। इससे, मार्च 1990 की संविदा के अन्तर्गत आपूर्तियों में विलम्ब के कारण अर्थदण्ड के रुप में 17.71 लाख रुपये के अतिरिक्त, 264.42 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ जो लखनऊ की फर्म से वसूली योग्य था। तथापि, कोई वसूली नहीं की जा सकी क्योंकि फर्म द्वारा सम्पादन गारण्टी के तौर पर दी गई (जनवरी 1990) 36.55 लाख रुपये की बैंक गारण्टी, सम्बन्धित बैंक द्वारा जाली घोषित कर दी गई (मार्च 1993)। कम्पनी द्वारा बैंक गारण्टी की सत्यता सुनिश्चित न किये जाने के लिये कोई

उत्तरदायित्व निर्धारित नहीं किया गया। मेरठ की फर्म को शेष मशीनरी के मूल्य के रुप में भुगतान किये गये 364.50 लाख रुपये के अतिशय उच्च मूल्य के कारण, अभिलेख पर नही थे।

प्रकरण, कम्पनी को अप्रैल 1996 में तथा सरकार को जुलाई 1996 में सूचित किया गया; उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 1996)।

4अ.9 अतिरिक्त भुगतान

अक्टूबर 1991 में कम्पनी ने छाता के अपने चीनी संयंत्र के आधुनिकीकरण एवं विस्तार हेतु 371 लाख रुपये की कुल लागत पर मेरठ की एक फर्म श्री राजेन्द्र उद्योग को सम्पूर्ण ब्वायलिंग हाउस के आरेखण, निर्माण एवं मशीनरी तथा उपकरण की आपूर्ति का काम प्रदान किया। दिसम्बर 1991 में फर्म ने कम्पनी से 2 लाख रुपये की सम्मत लागत पर उपकरणों के रोधन तथा बेष्ठन का उप कार्य अन्य अभिकरण द्वारा कराये जाने का अनुरोध किया।

तदनुसार, दिसम्बर 1991 में कम्पनी ने यह उपकार्य, मापन पुस्तिका में अभिलेखित मापों के अनुसार तथा कम्पनी के सम्बन्धित विभाग द्वारा नियमानुसार अनुमोदित पाइप लाइन की मोटाई के आधार पर 9.75 रुपये से 11.25 रुपये प्रति वर्ग फुट पर, मेरठ के एक ठेकेदार प्रतीक इन्सुलेशन को प्रदान कर दिया।

लेखा परीक्षा में जाँच परीक्षण के दौरान यह देखा गया (अक्टूबर 1994) कि दिसम्बर 1991 से अप्रैल 1992 के दौरान इस उपकार्य हेतु मेरठ के ठेकेदार को, किये गये कार्य की मापों को अभिलेखित किये बिना तथा 2 लाख रुपये से अधिक अतिरिक्त भुगतान (जैसा कि मेरठ की फर्म के साथ सहमति हुई थी) के कारणों की छानबीन किये बिना ही, कम्पनी के सहायक अभियन्ता तथा मुख्य अभियन्ता द्वारा सत्यापिक देयकों के आधार पर 7.92 लाख रुपये (सामग्री हेतु अग्रिम के रुप में 1.00 लाख रुपये तथा कार्य के विरुद्ध 6.92 लाख रुपये) का भुगतान कर दिया गया। दिसम्बर 1992 में एक जाँच में कम्पनी कार्यकारी निदेशक, उप मुख्य अभियन्ता तथा उप मुख्य रसायनज्ञ ने उप ठेकेदार द्वारा किये गये कार्य का मूल्य केवल 2.50 लाख रुपये ही पाया।

अतः, उप ठेकेदार द्वारा किये गये कार्य का मापन किये बिना भुगतान निर्मुक्त किये जाने तथा कार्य की 2 लाख रुपये की सीमा की उपेक्षा किये जाने से 5.42 लाख रुपये का अतिरिक्त भुगतान हुआ।

फर्म को भेजी गई कानूनी सूचना, डाक विभाग द्वारा इस टिप्पणी सहित कि ऐसी कोई फर्म अस्तित्व में नहीं थी, वापस कर दी गई।

यद्यपि, चूक के लिये उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही की जा चुकी है, कोई वसूली नही की गई और हानि की भरपाई नहीं की गई।

प्रकरण, कम्पनी को फरवरी 1996 में तथा सरकार को अप्रैल 1996 में सूचित किया गया; उत्तर प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 1996)।

उत्तर प्रदेश राज्य सीमेन्ट निगम लिमिटेड

4अ.10 उत्पाद शुल्क विभाग द्वारा क्रेडिट को अस्वीकार करने के कारण हानि

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली 1944 के नियम 57 टी जैसा कि मार्च 1994 तक संशोधित किया गया, में प्राविधान था कि सीमेन्ट (तैयार आबकारी माल) मार्च 1994 से अपनी फैक्टरी में उनके द्वारा प्रयुक्त पूँजीगत माल पर भुगतान किये गये उत्पाद शुल्क के क्रेडिट के पात्र थे। क्रेडिट, उत्पादनकर्ता द्वारा उत्पाद शुल्क विभाग के पास घोषित विवरण को जमा किये जाने की तिथि से स्वीकार्य था।

लेखा परीक्षा में जाँच परीक्षण के दौरान यह देखा गया (दिसम्बर 1995) कि कम्पनी ने 1 मार्च 1994 से 24 फरवरी 1995 के दौरान क्रय किये गये पूँजीगत माल पर भुगतान किये गये 4.60 लाख रुपये के उत्पाद शुल्क का क्रेडिट प्राप्त करने के लिये उत्पाद शुल्क विभाग के पास नियम 37 (टी) के अन्तर्गत, मार्च 1994 के स्थान पर 25 फरवरी 1995 को एक घोषणा दाखिल की। जुलाई 1995 में उत्पाद शुल्क विभाग ने उसे इस आधार पर अस्वीकार कर दिया कि घोषणा देर से प्रस्तुत की गई और इसलिये घोषणा प्रस्तुत करने की पूर्व अवधि से सम्बन्धित दावा स्वीकार्य नहीं था।

कम्पनी ने घोषणा के विलम्बित प्रस्तुतीकरण का उत्तरदायित्व नियत करने हेतु कोई भी कार्यवाही नही की। उत्पाद शुल्क विभाग के पास घोषणा के विलम्बित प्रस्तुतीकरण से कम्पनी को 4.60 लाख रुपये की हानि हुई।

प्रकरण, कम्पनी तथा सरकार को अप्रैल 1996 में सूचित किया गया; उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 1996)।

4अ.11 परिहार्य भुगतान

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद (यू0पी0एस0ई0बी0) की प्रभार सूची की दर अनुसूची एच0वी0-2 में प्राविधान है कि बड़े एवं भारी उपभोक्ताओं से, प्रभार सूची में निर्धारित दरों पर विद्युत प्रभारों सहित वास्तविक मांग अथवा अनुबन्धित मांग का 75 प्रतिशत, जो भी अधिक है, पर आधारित मांग प्रभार प्रभारित किये जाएंगे। इसके अतिरिक्त, यू0पी0एस0ई0बी0 की विद्युत आपूर्ति की शर्तों का अनुरोध अनुमन्य होगा बशर्ते उपभोक्ता संशोधित बी ऐण्ड एल प्रपत्र प्रस्तुत करता है, नवीन समझौता निष्पादित करता है और वर्तमान दरों पर जमानत की अतिरिक्त धनराशि जमा करता हैं।

निगम की चुर्क इकाई ने यू0पी0एव0ई0बी0 के साथ 10000 के0वी0ए0 भार की आपूर्ति हेतु एक समझौता निष्पादित किया (फरवरी 1982)। तथापि, इकाई द्वारा अप्रैल 1990 सें अक्टूबर 1995 के द्वारा उपयोजित, वास्तविक मासिक भार केवल 3351 और 7040 के0वी0ए0 के मध्य ही श्रेणीबद्ध रहा। उपरोक्त दर अनुसूची के अनुसार 7500 के0वी0ए0 (अनुबन्धित मांग के 75 प्रतिशत होने के कारण) प्रति माह के लिये इकाई के देयक तैयार किये गये और इकाई द्वारा भुगतान किये गये।

कम्पनी ने 83.59 लाख रुपये की परिहार्य हानि उठाई क्योंकि इसने अपना विद्युत भार कम नहीं कराया जो इसकी आवश्यकता से कहीं अधिक था।

यह देखा गया (दिसम्बर 1995) कि इकाई ने अनुबन्धित मांग को 10000 के0वी0ए0 से 8000 के0वी0ए0 तक घटाये जाने के लिये फरवरी 1990 में अनुरोध किया। भार को घटाये जाने का अनुरोध यू0पी0एव0ई0बी0 द्वारा स्वीकार कर लिया गया (फरवरी 1991) और इकाई से 13.13 लाख रुपये की राशि के अतिरिक्त जमानत प्रभारों का चार मासिक किश्तों में भुगतान करने को कहा गया। 3.50 लाख रुपये की प्रथम मासिक किश्त फरवरी 1992 में जमा की गई। चूँकि इकाई द्वारा बाद की तीन मासिक किश्तें नही जमा की गईं, यू0पी0एस0ई0बी0 ने अनुबन्धित मांग को कम नहीं किया और कम्पनी 83.59 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय करते हुये 10000 के0वी0ए0 के भार पर भुगतान करती रही।

अतः, 9.63 लाख रुपये की राशि की अतिरिक्त जमानत की तीन किश्तों के भुगतान न किये जाने से, 83.59 लाख रुपये का परिहार्य व्यय हुआ।

प्रकरण कम्पनी को अप्रैल 1996 में तथा सरकार को मई 1996 में सूचित किया गया; उनके उत्त्र प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 1996)।

4अ.12 कोयले में स्तर गिरावट के कारण हानि

कम्पनी, कोयला खदानों द्वारा की गई कोयले की आपूर्तियों की लदान, वजन करने, संयुक्त प्रतिचयन तथा गुणवत्ता आश्वासन के लिये कोयला प्रबन्ध तथा संयुक्त प्रतिचयन अभिकर्ताओं को, उनके साथ समझौते निष्पादित करके, नियुक्त करती हैं। जनवरी 1992 में, प्रबन्ध एवं प्रतिचयन अभिकर्ता के रुप में नियुक्ति के लिये कलकत्ता की एक फर्म की न्यूनतम निविदा स्वीकार की। तथापि, फर्म के साथ कोई समझौता नहीं किया गया और फरवरी 1992 से 1 वर्ष की अवधि के लिये फर्म की नियुक्ति हेतु एक आशय प्रपत्र जारी किया गया (जनवरी 1992)। निविदा की सामान्य शर्तों के अनुसार, अभिकर्ता को कोयला उत्पादकों के साथ संयुक्त रुप से कोयले के नमूने एकत्र करने थे और कम्पनी को कोयला उत्पादकों के सम्मुख, स्तर में गिरावट के लिये दावा प्रस्तुत करने की जाँच रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी। यदि अभिकर्ता द्वारा प्रतिचयन नहीं किया गया और कोयले का स्तर निम्न पाया गया, खदानों को भुगतान किया गये मूल्य में अन्तर, अभिकर्ता से वसूली योग्य था।

फरवरी 1992 से नवम्बर 1992 के दौरान, अभिकर्ता ने सेन्ट्रल कोल फील्ड लिमिटेड (सी०सी०एल०) से, खदान के साथ संयुक्त रुप से प्रतिचयन किये बिना ही 46668.90 मीट्रिक टन कोयले का परिवहन किया। कम्पनी ने अपनी प्रयोगशाला में कोयले की जाँच की और कोयले के स्तर में गिरावट पाई। सी०सी०एल० द्वारा आपूर्त किये जाने वाले बी एवं सी श्रेणी कोयले के विरुद्ध, प्राप्त किया हुआ कोयला डी से एफ श्रेणी का था। मूल्य में 118.42 लाख रुपये का अन्तर आगणित किया गया। कम्पनी ने अभिकर्ता के देयकों से, प्राप्त कोयले के मूल्य एवं किये गये भुगतान में अन्तर की कटौती करने को कोई प्रयास नही किया। कम्पनी ने सी०सी०एल० के सम्मुख किसी दावे को भी कभी प्रस्तुत नहीं किया जिनके कारण अभिलेख पर नहीं थे। नवम्बर 1992 में कम्पनी ने अभिकर्ता की नियुक्ति समाप्त कर दी और उसके बिलों का 0.26 लाख रुपये का भुगतान तथा 0.25 लाख रुपये की जमानत जब्त कर ली।

कम्पनी ने 117.91 लाख रुपये की हानि उठाई क्योंकि इसने प्रबन्ध अभिकर्ता द्वारा की जाने वाली जाँच के बिना ही घटिया स्तरों का कोयला स्वीकार कर लिया।

कम्पनी द्वारा 117.91 लाख रुपये की उठाई गई ऐसी हानि के लिये अभी तक (मई 1996) उत्तरदायित्व नियत नही किया गया था।

प्रकरण, कम्पनी को मई 1996 में तथा सरकार को जुलाई 1996 में सूचित किया गयाः उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 1996)।

दि इण्डियन टर्पेन्टाइन ऐण्ड रोज़िन कम्पनी लिमिटेड

4अ.13 परिहार्य हानि

कम्पनी ने मार्च 1990 में, अपने रबड़ एवं सम्मिश्रण संयंत्र की 113 लाख रुपये के मूल्य की परिसम्पत्तियों का बीमा कराया। नवम्बर 1990 में संयंत्र में आग लग गई और दिसम्बर 1990 में कम्पनी ने बीमा कम्पनी के पास 17.50 लाख रुपये जिसे अगस्त 1992 में 8.12 लाख रुपये में संशोधित कर दिया गया, का एक दावा प्रस्तुत किया। दावे में भवन (1.06 लाख रुपये), संयंत्र एवं मशीनरी (3.04 लाख रुपये), प्रक्रियागत माल (0.97 लाख रुपये) तथा अग्निशमन उपकरण (0.30 लाख रुपये) सम्मिलित थे। बीमा कम्पनी ने अगस्त 1992 में पूर्ण एवं अन्तिम निस्तारण के रुप में केवल 4.88 लाख रुपये का दावा ही स्वीकार किया और कच्चे माल एवं रसायन जिसे बीमा किये गये गोदामों में भण्डार न करके, प्रक्रिया खण्ड में भण्डार किया गया था, की हानि का 3.24 लाख रुपये का समस्त दावा अस्वीकार कर दिया।

कम्पनी 3.24 लाख रुपये की हानि से बच सकती थी यदि वह रसायन और कच्चे माल को बीमा किये गये गोदाम में भण्डारण करती अथवा प्रक्रिया खण्ड में रखे रसायन और कच्चे माल का बीमा कराती। कम्पनी ने दोषी कर्मचारी/अधिकारी को अभी तक (अप्रैल 1996) चिन्हित नहीं किया और उत्तरदायित्व

नियत नहीं किया।

कम्पनी ने अपने उत्तर (जून 1996) में यह तथ्य स्वीकार किया कि यदि अधिकारी द्वारा यथोचित ध्यान दिया गया होता, यह हानि बचाई जा सकती थी। यह भी कहा गया कि सम्बन्धित अधिकारी को भविष्य में सचेत रहने की चेतावनी दे दी गई थी।

प्रकरण, सरकार को अप्रैल 1996 में सूचित किया गया; उत्तर प्रतीक्षित था (अक्टूबर 1996)।

उत्त्र प्रदेश स्टेट यार्न कम्पनी लिमिटेड

4अ.14 कठोर छीजन के अधिक उत्पादन के कारण हानि

कपास से धागे के उत्पादन की प्रक्रिया के साथ-साथ नर्म छीजन, अदृश्य छीजन और कठोर छीजन की भी उत्पत्ति होती है। कम्पनी द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार, कठोर छीजन की मात्रा उपयोजित कपास के 1 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिये।

लेखा परीक्षा में देखा गया (सितम्बर 1995) कि कम्पनी की मेजा इकाई में 1994-95 के दौरान 3954725 किलोग्राम कपास से कठोर छीजन का उत्पादन 58789 किलोग्राम था जो उपयोजित कपास का 1.49 प्रतिशत था। अतः, मानक से अधिक कठोर छीजन का उत्पादन, 11.22 लाख रुपये मूल्य के 19240 किलोग्राम का था।

प्रबन्धन ने बताया (मार्च 1996) कि मानक 10 वर्ष पहले निर्धारित किये गये थे और जब तक मशीनो का जो 10 से 11 वर्षों का अपना सामान्य जीवन जी चुकी हैं, नवीनीकरण नहीं किया जाता, मानक की प्राप्ति अत्यन्त कठिन हैं। प्रबन्धन का उत्तर तर्क संगत नही था क्योंकि 1992-93 और 1993-94 के दौरान, कठोर छीजन का उत्पादन क्रमशः 0.64 और 0.80 प्रतिशत था जो मानकों के अन्तर्गत ही था और 1995-96 के दौरान भी, 1994-95 के 1.49 से 1.16 प्रतिशत तक कम हो गया।

कम्पनी ने 11.22 लाख रुपये की हानि उठाई क्योंकि धागे के उत्पादन के दौरान कठोर छीजन की उत्पत्ति की नियंत्रित करने में विफल रही।

प्रकरण, कम्पनी को अप्रैल 1996 में तथा सरकार को मई 1996 में सूचित किया गया। प्रबन्धन ने अपने उत्तर (जुलाई 1996) में कहा कि सम्मिश्रण लागत को किफायती बनाने के लिये कम्पनी को, विभिन्न श्रेणियों के उत्पादन के लिये घटिया कपास मिश्रण का उपयोजन करना पड़ा जिससे कठोर छीजन का प्रतिशत अधिक हो गया। तथापि, उत्तर किसी भी प्रमाण/अभिलेखों से, यह प्रदर्शित करने के लिये कि घटिया के मिश्रण द्वारा कम्पनी ने उत्पादित अतिरिक्त कठोर छीजन के मूल्य की तुलना में धन की बचत की, समर्थित नहीं था।

सरकार का उत्त्र प्रतीक्षित था (अक्टूबर 1996)।

4अ.15 परिहार्य हानि

वस्त्र आयुक्त (वस्त्र मंत्रालय), मुम्बई द्वारा जारी मार्च 1990 की अधिसूचना के अनुसार, धागे का प्रत्येक उत्पादनकर्ता अप्रैल 1990 से मार्च 1995 तक की प्रत्येक त्रैमासिक अवधि में उत्पादित धागे का 50 प्रतिशत से अधिक लच्छी रुप में पैक करने का अपेक्षित था। लपेटने की संतोषजनक क्षमता न होनें के प्रकरण में, किसी विशेष त्रैमास के दौरान लच्छी रुप में धागे की पैकिंग में गिरावट, अन्य उत्पादकों के माध्यम से पूरी की जानी थी।

अक्टूबर 1993 से मार्च 1995 तक के छः त्रैमास के दौरान, यद्यपि कम्पनी के पास संतोषजनक लपेटने की क्षमता थी, लच्छी धागें में 8.15 लाख किलोग्राम की गिरावट आई। कम्पनी द्वारा धागे की इस कमी को, 1.30 से 4.75 रुपये प्रति किलोग्राम तक श्रेणीबद्ध दरों पर लच्छी धागे के अनुबन्ध पत्र का क्रय करके 27.72 लाख रुपये के मूल्य पर, दो अन्य उत्पादकों के माध्यम से पूरा किया गया।

प्रबन्धन ने लेखा परीक्षा के निष्कर्षों को स्वीकार करते हुये अपने उत्तर में कहा (अप्रैल 1996) कि कम्पनी ने धागे को शंकु रुप में पैक करने को अधिमान दिया न कि लच्छी रुप में क्योंकि शंकु रुप अच्छे मूल्यों पर बिक सकने वाला था और इसीलिये लाभ हुआ। उत्त्र तर्क संगत नहीं था क्योंकि धागे को शंकु रुप में पैक करके कम्पनी ने अन्य तीन त्रैमासों में 12.51 लाख रुपये की हानि के विरुद्ध 3.03 लाख रुपये का लाभ केवल तीन त्रैमासों में अर्जित किया। ऐसा इस कारण से था कि धागे को शंकु रुप में पैक करने का अतिरिक्त मूल्य, धागे के शंकु एवं लच्छी रुपों के औसत विक्रय मूल्य में अन्तर से अधिक था।

अतः सन्तोषजनक लपेटने की क्षमता के होते हुये भी, अन्य उत्पादकों से लच्छी धागे को बाध्यता को पूरा किये जाने के कम्पनी के निर्णय से 9.48 लाख रुपये की परिहार्य हानि हुई।

प्रकरण, कम्पनी को जनवरी 1996 तथा सरकार को जून 1996 में सूचित किया गया; उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 1996)।

उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग मिल्स कम्पनी लिमिटेड

4अ.16 सूती धागे के निर्यात में हानि

कम्पनी, टैक्सटाइल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउन्सिल द्वारा आवंटित निर्यात नियतांश के विरुद्ध, क्रेताओं के साथ परस्पर तय की हुई दरों पर, विदेशी क्रेताओं को सूती धागे का निर्यात करती है। कम्पनी को ऐसी आपूर्तियों का भुगतान, क्रेताओं के विदेशी बैंकर्स द्वारा उनके यहाँ खोले गये अपरिवर्तनीय साख पत्र (एल0सी0) के विरुद्ध नौप्रेषण प्रलेख पर संवार्ता करके किया जाता है।

कम्पनी ने जून और सितम्बर 1992 के मध्य मैनचेस्टर, यूनाइटेड किंगडम (यू0के0) के शाह टैक्सटाइल्स के साथ 60.23 लाख रुपये मूल्य के 77.88 टन सूती धागे के निर्यात के लिये, तीन दर संविदायें निष्पादित कीं। कम्पनी ने, विदेशी बैंक से फैक्स द्वारा प्राप्त एल सी के आधार पर 10.95 लाख रुपये के मूल्य का सूती धागा भेज दिया। कम्पनी ने पुनः, नवम्बर और दिसम्बर 1992 के मध्य, विक्रय संविदा की शर्तों के सन्दर्भ में एल सी के परीक्षण किये बिना, 15.89 लाख रुपये के मूल्य का सूती धागा भेज दिया। तथापि, विदेशी क्रेता द्वारा आपूर्तियों के विरुद्ध, कम्पनी को बैंकर्स ने कोई भुगतान नहीं किया गया क्योंकि क्रेता द्वारा फैक्स से भेजी गयी पहली एल सी उनके द्वारा जारी ही नहीं की गई थी जबकि बैंकर द्वारा जारी (क्रेता की सलाह पर) दूसरी एल सी में इंगित गंतव्य बन्दरगाह और भुगतान हेतु विदेशी मुद्रा, विक्रय संविदा में उल्लेखित तथ्यों से अलग थी। अतैव, कम्पनी को तीन महीने के उधार पर उसी क्रेता को पहली खेप की उठान की अनुमति देनी पड़ी और बाद वाली खेप का, कम्पनी द्वारा दी गई 8.81 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति की वसूली किये बिना, उसी मूल्य पर नकद आधार पर पुनः विक्रय करना पड़ा। कम्पनी ने क्रेता से भुगतान की वसूली के लिये कोई कार्यवाही नहीं की, परिणाम यह हुआ कि तीन वर्ष से अधिक व्यतीत हो जाने पर भी, कोई भुगतान प्राप्त नहीं हुआ। बैंक से एल सी जारी किये जाने का पुष्टीकरण प्राप्त किये बिना तथा उसकी सत्यता सुनिश्चित किये बिना ही, धागे के निर्यात ने, न केवल क्षतिपूर्ति के भुगतान में 8.81 लाख रुपये की हानि उठाई बल्कि जनवरी 1993 से मार्च 1996 की अवधि के दौरान 18 प्रतिशत प्रतिवर्ष पर 11.38 लाख रुपये की बिना वसूल की गई राशि पर 6.66 लाख रुपये के ब्याज की हानि को भी प्रेरित किया।

लेखा परीक्षा में यह देखा गया कि उपरोक्त चूक इसलिये हुई क्योंकि कम्पनी ने इन विदेशी बैंको के स्थानीय प्रतिनिधि बैंको से प्रमाणित, विदेशी बैंको से स्वीकार की गई एल सी को प्राप्त करने की सामान्य पद्धति निर्धारित नहीं की। कम्पनी ने, बाद की खेप भेजने से पूर्व, गंतव्य का विवरण तथा एल सी पर मुद्रा की भी जाँच नहीं की थी। एल सी के प्रमाणीकरण की पद्धति, उपरोक्त घटनाओं के पश्चात मार्च 1994 में ही निर्धारित की गई।

यद्यपि प्रबन्धन, हानि के लिये उत्तरदायी अधिकारी के विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही कर चुका था, हानि की वसूली के लिये कोई कार्यवाही आरम्भ नहीं की गई (मार्च 1996)।

प्रकरण, कम्पनी को अगस्त 1995 और सरकार को जुलाई 1996 में सूचित किया गयाः उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये। (जुलाई 1996)।

उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड

4अ.17 बिक्री मूल्य में संशोधन न किये जाने के कारण 10.50 लाख रुपये की हानि

कम्पनी ने पुलिस विभाग से, लघु पैमाने की इकाइयों (एस0एसआई0) को बिक्री किये जाने के लिये, फरवरी 1994 में 0.65 लाख रुपये प्रति मीट्रिक टन की दर 150 मीट्रिक टन पीतल के खाली

कार्टिजों का क्रय किया। बिक्री मूल्य, पैकिंग एवं परिवहन प्रभारों सहित बीमा प्रभार, गोदाम का किराया एवं ब्याज तथा क्रय मूल्य के तीन प्रतिशत पर सेवा प्रभारों अथवा पीतल की कतरन का बाजार मूल्य जो भी अधिक था, को जोड़कर निर्धारित किया जाना था। कम्पनी द्वारा निर्धारित किये गये ऐसे बिक्री मूल्य की, अपनाई गई तथा निदेशक मण्डल द्वारा तत्पश्चात अनुमोदित (सितम्बर 1994) नीति के अनुसार प्रत्येक पखवाड़े में समीक्षा/संशोधन किया जाना था।

मूल्य युक्त आधार पर, बिक्री मूल्य 0.68 लाख रुपये प्रति मीट्रिक टन आगणित किया गया (फरवरी 1994) परन्तु एक पखवाड़े के लिये, इकोनामिक टाइम्स में प्रकाशित तत्कालीन प्रचलित बाजार दर के आधार पर 0.70 लाख रुपये प्रति मीट्रिक टन निर्धारित किया गया। 15 मई से 15 जून 1994 के दौरान कम्पनी ने, फरवरी 1994 में निर्धारित बिक्री मूल्य पर, इकोनामिक टाइम्स में प्रकाशित तत्कालीन प्रचलित बाजार मूल्य के आधार पर जो 0.77 लाख रुपये और 0.84 लाख रुपये प्रति मीट्रिक टन के मध्य श्रेणीबद्ध था, संशोधित किये बिना 150 मीट्रिक टन पीतल की कतरन बेच दी। बाजार दर के आधार पर, प्रत्येक पखवाड़े में बिक्री मूल्य का संशोधन करने में कम्पनी की विफलता से, 10.50 लाख रुपये (गणना हेतु 0.77 लाख रुपये प्रति मीट्रिक टन के न्यूनतम मूल्य को लेते हुये) की हानि हुई।

प्रकरण, कम्पनी को अप्रैल 1996 में तथा सरकार को मई 1996 में सूचित किया गया: उत्तर प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 1996)।

4अ.18 अनियोजित क्रयों में परिहार्य हानि

कम्पनी, राज्य के लघु उद्योगों की बिक्री करने हेतु, उद्योग निदेशक,उत्तर प्रदेश द्वारा आवंटित वार्षिक नियंताश के विरुद्ध, वाष्प कोयले को प्राप्त करती है। कम्पनी, जारी किये गये अनुज्ञापत्र एवं उद्योग विभाग द्वारा अनुमोदित मूल्यों पर ही कोयले की बिक्री करने की अपेक्षित थी। तथापि, यदि अनुज्ञापत्र धारकों द्वारा कोयले के रैक के आगमन की सूचना जारी होने के 30 दिनों के अन्दर कोयला नही उठाया जाता तो कम्पनी कोयले को औद्योगिक उपभोक्ताओं को बिक्री करने के लिये स्वतन्त्र थी।

कम्पनी ने वर्ष 1991 के आबंटन के विरुद्ध अपने खुर्जा गोदाम के लिये 32.66 लाख रुपये के मूल्य का 2537 टन कोयला प्राप्त किया (जून 1992)। इसमें से आबंटियों द्वारा कोयला न उठाये जाने के कारण 1430 टन कोयला (मूल्यः 18.41 लाख रुपये) अक्टूबर 1992 तक अविक्रीत पड़ा रहा। एस0एस0आई0 इकाई की मांग तथा हस्तगत अविक्रीत भण्डार के अवशेष की उपेक्षा करते हुये, कम्पनी ने सितम्बर एंव अक्टूबर 1992 के दौरान दो रैकों में 4721 टन कोयले की अन्य आपूर्तियों को (मूल्यः 60.91 लाख रुपये) प्राप्त कर लिया।

ये आपूर्तियाँ 18.54 प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज पर साख पत्र के माध्यम से वित्त पोषित की गईं। एक माह की संकल्पित अवधि के पश्चात भी अविक्रीत पड़ी हुई आपूर्तियाँ, मुक्त बाजार में भी आसानी से बिक्री नहीं की जा सकीं। कम्पनी, विभाग द्वारा अनुमोदित बिक्री मूल्य पर दो वर्षों तक के विलम्ब के पश्चात

1944 टन कोयले का ही निस्तारण कर सकी। कम्पनी ने मार्च और मई 1995 के मध्य, प्रापण मूल्य से 9.27 लाख रुपये कम पर 2399 टन कोयले का निस्तारण किया। इसके अतिरिक्त कम्पनी ने उपरोक्त अवधि मे निरुद्ध पड़ी निधियों पर 18.71 लाख रुपये की राशि के ब्याज की हानि भी उठायी।

मूल्य से कम मे, कोयले के निस्तारण (9.27 लाख रुपये) में कम्पनी द्वारा उठायी गयी 27.98 लाख रुपये की हानि तथा निस्तारण की विस्तारित अवधि के दौरान निरुद्ध भण्डार पर चुकाये गये ब्याज प्रभारों (18.71 लाख रुपये) से बचा जा सकता था यदि कम्पनी बाजारी माँग एवं भण्डार स्थिति का विचार करते हुये, सितम्बर और अक्टूबर 1992 की आपूर्तियों के निरस्तीकरण के लिये समय से कोई कार्यवाही आरम्भ कर देती।

प्रकरण, प्रबन्धन को फरवरी 1996 में तथा सरकार को जुलाई 1996 में सूचित किया गया; उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 1996)।

उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट्स ऐण्ड ट्यूबवेल कार्पोरेशन लिमिटेड

4अ.19 ब्याज की हानि

कम्पनी प्रत्येक वर्ष के अन्त में, लेखा पुस्तकों में सम्भावित चूक अथवा भूल पता लगाने की दृष्टि से, विभिन्न पार्टियों के विरुद्ध अनिस्तारित खाता-अधिशषों का प्रमाणीकरण करने के लिये अपेक्षित थी।

कम्पनी ने महाराष्ट्र के भूगर्भ जल सर्वेक्षण एवं विकास अभिकरण (जी0एस0डी0ए0) के मूल्य युक्त कार्य के रुप में 937 नलकूपों का निर्माण (प्राक्कलित मूल्यः 646.15 लाख रुपये) अपने हाथ में लिया। कार्य, दिसम्बर 1994 में सम्पन्न हुआ। तथापि, कार्य की प्रगति के दौरान कम्पनी ने, प्रत्येक वर्ष के अन्त में अनिस्तारित देयों के वार्षिक प्रमाणीकरण को प्राप्त करके , ग्राहक के साथ अपने लेखों का मिलान नहीं किया।

परिणामस्वरुप, अप्रैल 1988 में कम्पनी द्वारा जी0एस0डी0ए0 से प्राप्त 10.98 लाख रुपये के पाँच बैंक ड्राफ्ट खो गये और लेखे में लिये बिना ही पड़े रहे। यह, कम्पनी के सज्ञान में दिसम्बर 1994 में ही आया और वह भी तब जब ग्राहक ने अप्रैल 1988 के उपरोक्त भुगतानों के बारे में सूचित किया। उपरोक्त के स्थान पर, नवीन बैंक ड्राफ्ट प्राप्त किये गये और जनवरी 1995 में लेखे में लिये गये अर्थात 6 वर्ष और 9 माह के बीत जाने के पश्चात। इससे 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष के साधारण ब्याज पर 8.89 लाख रुपये के ब्याज की हानि हुई।

यदि, कम्पनी द्वारा ग्राहक के लेखों के अवधिक मिलान के आन्तरिक नियंत्रण की उचित पद्धति सुनिश्चित की गई होती, ड्राफ्ट को लेखे में न लिये जाने और उनके खो जाने का पता लगाया जा सकता था तथा ब्याज की हानि से बचा जा सकता था।

उत्तर में प्रबन्धन ने मार्च 1996 में बताया कि दोषी अधिकारियों को आर्थिक दण्ड दिया जा चुका था और चूंकि कम्पनी ने किसी बैंक या संस्था से ऋण नही लिये थे, ब्याज की कोई हानि नही हुई। उत्त्र तर्कसंगत नही था क्योंकि कम्पनी फिक्स डिपाजिट में निधियों का निवेश करके, अर्जन कर सकती थी।

प्रकरण सरकार को मई 1996 में सूचित किया गया; उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 1996)।

4अ.20 स्टील ट्यूबों के क्रय पर अतिरिक्त व्यय

कम्पनी ने गैल्वनीकृत माइल्ड स्टील ट्यूबों की 3500 मीटर (68.25 मीट्रिक टन) की आपूर्ति हेतु खुली निविदायें आमंत्रित कीं (अगस्त 1993)। तीन माह की वैधता अवधि के साथ प्राप्त की गईं (सितम्बर 1993) छः निविदाओं मे से एक, दिल्ली की फर्म (जैन ट्यूब्स कम्पनी) ने बिक्री कर एवं परिवहन प्रभारों सहित परन्तु बिना उत्पादन शुल्क के जो लागू नहीं था, 20190 रुपये प्रति मीट्रिक टन (397.70 रुपये प्रति मीटर) की न्यूनतम दर का प्रस्ताव दिया। प्रस्तावित दर ऊंची पाई गई (अक्टूबर 1993) और 26 अक्टूबर 1993 को संवार्ता हेतु निविदादाताओं को आमंत्रित किया। दिल्ली की फर्म ने संवार्ता मे भाग नही लिया परन्तु 20188 रुपये प्रति मीट्रिक टन (ब्रिक्री कर एवं परिवहन प्रभारों सहित परन्तु बिना उत्पादन शुल्क के) की संवार्ता की गई न्यूनतम दरों पर ट्यूबों की आपूर्ति किये जाने को प्रमाणित किया (नवम्बर 1993)। कम्पनी ने फरवरी 1994 में 393.67 रुपये प्रति मीटर पर क्रमशः दिल्ली एवं कानपुर (क्वालिटी स्टील ट्यूब्स) की फर्मों को 12 मीट्रिक टन तथा 10 मीट्रिक टन के दो अलग-अलग आदेश प्रेषित किये। दिल्ली की फर्म ने आपूर्तियाँ किये जाने से इस आधार पर कि आदेश निविदागत पूर्ण मात्रा के लिये नहीं था तथा 12 मीट्रिक टन की मात्रा बेल्लित करने के लिये काफी कम थी, इन्कार कर दिया (फरवरी 1994)। कानपुर की फर्म ने भी आपूर्तियाँ किये जाने से इन्कार कर दिया (फरवरी 1994) क्योंकि आदेश, वैधता अवधि की समाप्ति के पश्चात दिये गये थे (दिसम्बर 1994)।

कम्पनी ने, तत्पश्चात, नवीन निविदायें आमंत्रित किये बिना ही, दिल्ली एवं गाजियाबाद की दो अन्य फर्मों से, 63.18 रुपये के उत्पादन शुल्क सहित 421.23 रुपये प्रति मीटर (1700 मीटर) तथा 67.05 रुपये उत्पादन शुल्क सहित 446.97 रुपये प्रति मीटर (2200 मीटर) की उच्च दरों पर 76.05 मीट्रिक टन (अर्थात 3900 मीटर) ट्यूब क्रय कर लिये जिससे 3.71 लाख रुपये (केवल 3500 मीटर पर आगणित) का परिहार्य अतिरिक्त व्यय हुआ।

प्रबन्धन ने बताया (फरवरी 1996) कि कोई परिहार्य अतिरिक्त व्यय नही हुआ क्योंकि आपूर्ति आदेश, महानिदेशक, आपूर्ति एवं निस्तारण (डी जी एस ऐण्ड डी) की दर से कम दरों पर नहीं दिया जा सका। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि कम्पनी पर, डी जी एस ऐण्ड डी दरों से कम दरों पर आदेश दिये जाने की कोई बाध्यता नही थी, विशेषकर जब आपूर्तिकर्ता निम्न दरों पर आपूर्ति करने के लिये तैयार था। कम्पनी को अतिरिक्त व्यय करना पड़ा क्योंकि इसने अभिलेख पर बिना किसी वैध कारण के आदेश को (दिल्ली की फर्म को) खण्डित किया तथा वैधता अवधि के उपरान्त (कानपुर की फर्म को) आदेश देकर

विलम्ब किया।

प्रकरण, सरकार को मई 1996 में सूचित किया गयाः उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 1996)।

उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड

4अ.21 तैयार पोशाकों के निर्यात में हानि

भारत सरकार द्वारा आवंटित, पूर्व सम्पादन नियतांश (पी0पी0क्यू0) के विरुद्ध, कम्पनी निजी फर्मों से, विदेशी क्रेताओं से निर्यात आदेशों को प्राप्त करने तथा नौ प्रेषण के पश्चात, क्रेताओं को भेजी गई खेप का पूर्ण विवरण, कम्पनी को प्रस्तुत करने के लिये कहती हैं। कम्पनी, अपने बैंकरों के माध्यम से संवार्ता योग्य बैंक प्रलेखों के विरुद्ध निर्यात के भुगतान प्राप्त करती हैं। कम्पनी द्वारा, कमीशन को काट के, बिक्री की राशि इन फर्मों को प्रेषित कर दी जाती हैं।

लेखा परीक्षा में यह पाया गया कि अप्रैल 1986 से जून 1991 की अवधि के दौरान, कम्पनी के क्षेत्रीय प्रबन्धक ने गाजियाबाद और दिल्ली की फर्मों को, कम्पनी के बैकरों के स्थान पर इन फर्मों के बैंकरों के माध्यम से संवार्ता योग्य बैंक प्रलेखों के विरुद्ध, संयुक्त राज्य अमेरिका के क्रेताओं को 21.24 लाख रुपये के मूल्य की पोशाकें निर्यात करने की अनुमति दी। इससे 21.24 लाख रुपये की बिक्री राशि, फर्म द्वारा सीधे वसूल कर ली गई और उनहोंने 2.62 लाख रुपये के कम्पनी के कमीशन का भुगतान नहीं किया।

प्रबन्धन ने अपने उत्तर में बताया (मई 1995) कि प्रकरण पहले ही आर्थिक अपराध शाखा की समीक्षा के अन्तर्गत था और तत्कालीन प्रभारी अधिकारी से पूछताछ की जा रही थी, यद्यपि वह कम्पनी छोड़ चुका था। आगे कहा गया कि सम्बन्धित सहयुक्तों से कम्पनी का कमीशन जमा करने के लिये कहा जा रहा था।

तथापि, पाँच वर्षों के व्यतीत हो जाने के पश्चात भी, कम्पनी अपना कमीशन वसूल करने में विफल रही। चूक की सुविधा, आन्तरिक नियंत्रण की प्रभावी पद्धति के अभाव से हुई।

प्रकरण, कम्पनी को अप्रैल 1996 में तथा सरकार को मई 1996 में सूचित किया गयाः उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 1996)।

4अ.22 क्रय आदेश को अनियमित रुप से दिये जाने के कारण हानि

कम्पनी ने लोनी (गाजियाबाद) में एक तैयार पोशाक संकुल को प्रायोजित किया (1976-77), कम्पनी को जिसके सम्बन्ध में उद्यमियों को मार्जिन मनी ऋण तथा विपणन की सुविधा उपलब्ध करानी थी।

कम्पनी के मुख्य प्रबन्धक ने, उच्च प्राधिकारियों के अनुमोदन के बिना ही, नई दिल्ली की एक फर्म को, गाजियाबाद/दिल्ली के सात उद्यमियों को 210 सामान्य (1400 रुपये प्रति मशीन) तथा मोटरयुक्त सिलाई मशीनों (2225 रुपये प्रति मशीन) की सीधी आपूर्ति हेतु एक आदेश दिया (अगस्त 1976)। आदेश में, उद्यमियों के विरुद्ध कम्पनी को सूचित करते हुये, देयक तैयार करने का प्राविधान था। कम्पनी ने उद्यमियों के साथ न तो कोई समझौता ही निष्पादित किया और न ही सिलाई मशीनों के मूल्य के भुगताने को सुरक्षित करने के लिये उनसे कोई जमानत ही ली। नई दिल्ली की फर्म ने सात उद्यमियों को सिलाई मशीनों की आपूर्ति की (अगस्त से अक्टूबर 1976) परन्तु उनमें से छः ने अपने 1.83 लाख रुपये के देयों का चुकता नहीं किया जिसके कारण अभिलेख पर उपलब्ध नहीं थे। फर्म द्वारा दाखिल किये गये (अगस्त 1979) एक वाद पर, दिल्ली उच्च न्यायालय में फर्म के पक्ष में 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष के ब्याज सहित 1.83 लाख रुपये की एक डिक्री जारी कर दी (अप्रैल 1992)। तदनुसार, कम्पनी ने फर्म को 5.01 लाख रुपये की राशि का भुगतान कर दिया (जुलाई 1993)। उद्यमियों को जारी किये गये (सितम्बर 1993 में एक तथा जनवरी 1994 में पाँच) वसूली प्रमाण पत्र, जिलाप्राधिकारियों से इस टिप्पणी के साथ वापस प्राप्त हुये कि या तो उद्यमी उल्लेखित पते पर उपलब्ध नही थे अथवा उनके पास कोई परिसम्पत्ति नहीं थी। मामला कालबाधित होने के कारण, कम्पनी मुख्य प्रबन्धक से 5.01 लाख रुपये की वसूली के लिये कोई सिविल/फौजदारी वाद दाखिल करने की स्थिति में नही थी।

अतः, बिना कोई जमानत प्राप्त किये, उद्यमियों को सीधे सिलाई मशीनों के वितरण हेतु क्रय आदेश को अनियमित रुप से दिये जाने से, कम्पनी को 5.01 लाख रुपये की परिहार्य हानि हुई।

प्रकरण, कम्पनी को मई 1996 में तथा सरकार को जुलाई 1996 में सूचित किया गया; उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 1996)।

उत्तर प्रदेश हस्तकरघा निगम लिमिटेड

4अ.23 दरियों की आपूर्तियों में हानि

क्रेन्दीय सरकार के विभागों के, कपड़े की अपनी आवश्यकताओ के लिये, भारत सरकार, नई दिल्ली की एसोसियेशन आफ कार्पोरेशन ऐण्ड एपेक्स सोसाइटीज आफ हैन्डलूम (एकैश) से क्रय करना होता है। मांग होने पर, एकैश, राज्यों के हस्तकरघा निगम से सम्पर्क करता है और उनको मात्रा, दर एवं आपूर्ति की अवधि इंगित करते हुये आदेश प्रेषित करता हैं। निगम सीधे मांग के लिये आदेश देने वाले विभागों को सामग्री की आपूर्ति करते हैं और एकैश के माध्यम से भुगतान प्राप्त करते हैं।

कम्पनी ने जनवरी से 1 सितम्बर 1993 के दौरान, एकैश से 86.90 रुपये प्रति नग (50790 नग) और 135 रुपये प्रति नग (28000 नग) की दरों पर क्रमशः केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल तथा सीमा सुरक्षा बल को 78790 नग दरियों की आपूर्ति के लिये तीन आदेश पारित किये। ये दरें आकाश को भुगतान किये जाने वाले 5 प्रतिशत कमीशन सहित स्थिर एवं अन्तिम थीं। दरियों की आपूर्ति, अप्रैल 1991 से

जनवरी 1994 की अवधि के दौरान की जानी थी।

तथापि, कम्पनी वितरण सारणी का पालन नहीं कर सकी और उसने नवम्बर 1994 तक समय-समय पर एकैश द्वारा इस शर्त पर समय विस्तार स्वीकार किया गया कि किसी भी आधार पर दरों में वृद्धि स्वीकार नही की जायेगी। कम्पनी ने जुलाई 1991 से जुलाई 1994 के दौरान, अपने उत्पादन से 87.67 रुपये प्रति नग के मूल्य पर 32640 नगों की और शेष 46150 नगों की आपूर्ति 153 रुपये प्रति नग की दर पर खुले बाजार से प्राप्त करके की।

कम्पनी ने 21.39 लाख रुपये की हानि दरियों की आपूर्ति में ग्राहक द्वारा स्वीकृत दरों से अधिक पर करके उठायी।

मार्च 1994 में, आकाश ने कम्पनी द्वारा दरों मे वृद्धि किये जाने का अनुरोध इन आधारों पर ठुकरा दिया कि मांग के लिये आदेश देने वाले विभागों ने, कम्पनी द्वारा दरियों की विलम्बित आपूर्तियों के कारण दरों में वृद्धि करने से इनकार कर दिया। अतः, वितरण सारणी के पालन न किये जाने के कारण, कम्पनी ने 21.39 लाख रुपये की हानि उठाई।

उत्तर में प्रबन्धन ने बताया (मार्च 1996) कि आदेश में दरें अनन्तिम थीं और अन्तिम दरें अब भी निश्चित की जानी हैं। उत्तर तर्क संगत नही था क्योंकि आपूर्ति आदेश में स्पष्ट इंगित था कि दरें स्थिर और अन्तिम थीं।

प्रकरण, कम्पनी को मार्च 1996 में तथा सरकार को मई 1996 में सूचित किया गया; उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 1996)।

4अ.24 अविवेकपूर्ण क्रय

कम्पनी के प्रबन्ध निदेशक ने जून 1992 में अपने प्रदर्शन कक्षों से पैच कार्य वाले पंलग पोश एवं गद्दे के खोल की बिक्री आरम्भ करने का, वरिष्ठ प्रबन्धक (मुख्यालय) के प्रस्ताव का अनुमोदन किया। प्रारम्भ में दोहरे पलंगपोश के 1000 नगों का प्रापण करने और यदि बिक्री उत्साहजनक पाई जाए तो और अधिक क्रय किया जाए, का निर्णय लिया।

तदनुसार, कम्पनी ने जून 1992 के दौरान क्रय समिति के द्वारा, दर ज्ञापन के आधार पर अनुमोदित दरों पर गोरखपुर की एक फर्म से 3.59 लाख रुपये के मूल्य के 1000 दोहरे पलंगपोश तथा 1000 गद्दे के खोलों का क्रय किया। कम्पनी ने अपनी बिक्री करने के सामर्थ्य तथा उसके विक्रय का आंकलन किये बिना, जुलाई 1992 से मार्च 1993 के दौरान, उसी फर्म से 62.42 लाख रुपये के मूल्य के दोहर/इकहरे पलंगपोश, गद्दे एवं तकियों के खोल के 46962 नगों का पुनः क्रय किया। 66.01 लाख रुपये के मूल्य के 48962 नगों के कुल क्रय के विरुद्ध, कम्पनी फरवरी 1996 तक 1.46 लाख रुपये के

केवल 1353 नग ही बिक्री कर पाई और 64.55 लाख रुपये के मूल्य के शेष 47609 नग भण्डार में पड़े थे (मई 1996)। दिसम्बर 1995 में, प्रबन्धन ने अपने निदेशक मण्डल को, शेष भण्डार छूट पर बिक्री किये जाने तथा ऐसे में उठाई गयी 12.91 लाख रुपये की हानि को बट्टे खाते में डालने का प्रस्ताव रखा। मण्डल ने, प्रबन्ध निदेशक को शेष भण्डार को 20 प्रतिशत की छूट पर बिक्री किये जाने के लिये प्राधिकृत किया (फरवरी 1996)। कम्पनी, अब तक कोई बिक्री प्रभावी नहीं कर सकी (मई 1996)।

अतः, कम्पनी द्वारा किये गये अविवेकपूर्ण क्रय से 66.01 लाख रुपये (अप्रैल 1993 से मार्च 1995) तथा 64.55 लाख रुपये (अप्रैल 1995 से मार्च 1996) की राशि की निधियों का अवरोधन हुआ जिस पर उसे अप्रैल 1993 से मार्च 1996 के दौरान 35.38 लाख रुपये के ब्याज (18 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर) की हानि हुई।

प्रकरण, कम्पनी को जून 1995 में तथा सरकार को जून 1996 में सूचित किया गया; उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 1996)।

उत्तर प्रदेश भूतपूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड

4अ.25 ऋण की संदिग्ध वसूली

कम्पनी ने जुलाई 1990 में, भूतपूर्व सैनिक पुनर्वास एवं कल्याण समिति, लखनऊ को बजरी, पत्थर की खुदाई के काम को किये जाने हेतु 2.61 लाख रुपये का एक ऋण स्वीकृत किया। ऋण का वितरण, समिति की परिसम्पत्तियों के सम्बन्ध में बन्धक विलेख प्राप्त करके तथा औपचारिकताओं को पूर्ण करके जैसा कि बैंको/उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम द्वारा दिये गये ऋणों के प्रकरण में अपेक्षित होती थी, किया जाना था। 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष के ब्याज सहित, ऋण का भुगतान 18 महीनों में किया जाना था। इसके अतिरिक्त, समिति कम्पनी को यदि योजना से समिति को 0.36 लाख रुपये प्रति माह तक के लाभ होते, लाभ के अंश के रुप में 0.45 लाख रुपये वार्षिक की एक मुश्त धनराशि और 0.36 लाख रुपये प्रति माह से अधिक लाभ की राशि पर, एक अतिरिक्त 20 प्रतिशत का भुगतान किया जाना अपेक्षित था।

कम्पनी ने समिति को योजना की आर्थिक संभावना की छानबीन तथा अपेक्षित औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना, 2.61 लाख रुपये का ऋण वितरित कर दिया (अगस्त 1990)। समिति ने, अपने द्वारा उठाई गई हानियों के कारण, ऋण तथा उस पर देय ब्याज का भुगतान नहीं किया। अक्टूबर 1995 में, समिति से प्राप्त और मार्च 1996 में बैंक में जमा किया गया (समिति के अनुरोध पर) 0.40 लाख रुपये का एक चेक, अप्रैल 1996 मे बैंक द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया।

अतः इस तथ्य के दृष्टिगत होते हुये कि समिति 0.40 लाख रुपये की राशि का ही भुगतान करने की स्थिति में नहीं था और ऋण किसी बंधक विलेख पर हस्ताक्षर किये बिना ही वितरित किया गया था, 2.61 लाख रुपये की राशि के ऋण और 1.80 लाख रुपये के ब्याज (मार्च 1996 तक) की वसूली की

संभावना क्षीण थी।

प्रकरण, कम्पनी को अगस्त 1995 में तथा सरकार को जून 1996 में सूचित किया गया; उत्तर प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 1996)।

उत्त्र प्रदेश भूमि सुधार निगम लिमिटेड

4अ.26 अधिक भुगतान

मिलियन वेल्स स्कीम के अन्तर्गत, कम्पनी को सिंचाई एवं मत्स्य के विकास के लिये, राज्य के विभिन्न जिलों में कुएँ खुदवाने थे। कम्पनी द्वारा समय-समय पर, विभिन्न गहराइयों के कुएँ खोदे जाने की श्रम दरें, "जवाहर रोजगार योजना" के लिये सरकार द्वारा अधिसूचित, न्यूनतम पारिश्रमिक के आधार पर, निश्चित की जाती थी। कम्पनी ने अक्टूबर 1992 के सरकारी आदेश के आधार पर, पूर्वी और बुंदेलखण्ड क्षेत्र के लिये, जहाँ नयूनतम पारिश्रमिक 23 रुपये प्रतिदिन था, 0.50 मीटर की प्रत्येक अतिरिक्त ऊंचाई के लिये 0.50 रुपये प्रति घन मीटर की अतिरिक्त दर सहित 1.5 मीटर की गहराई तक कुओं को खोदने के लिये अपनी श्रम दरें 9.02 रुपये प्रति घन मीटर और पश्चिमी एवं उत्तर क्षेत्र के लिये जहाँ नयूनतम पारिश्रमिक 25 रुपये प्रतिदिन था, 9.80 रुपये प्रति घनमीटर में संशोधित कर दीं (फरवरी 1993)। तथापि, कम्पनी ने सरकारी आदेश को तीन महीने के विलम्ब के पश्चात, फरवरी 1993 में ही प्रचारित किया।

लेखा परीक्षा में यह देखा गया (अगस्त 1994) कि कम्पनी की क्षेत्रीय इकाइयों ने फरवरी 1993 से मार्च 1994 की अवधि के दौरान, जौनपुर, सुल्तानपुर, इटावा और अलीगढ़ जिलों में 37 कुओं के सम्बन्ध में भुगतान निर्मुक्त करते समय, आरम्भिक खुदाई के 1.50 मीटर तथा प्रत्येक अतिरिक्त ऊंचाई के 0.50 मीटर के स्थान पर, आरम्भिक खुदाई के 0.75 मीटर तथा प्रत्येक अतिरिक्त ऊंचाई के 0.25 मीटर पर दरों पर लागू किया जिससे 4.36 लाख रुपये का अधिक भुगतान हुआ।

प्रबन्धन ने अपने उत्तर में बताया (फरवरी 1995) कि कम्पनी द्वारा निर्धारित दरों में आरम्भिक और अतिरिक्त उंचाइयों की गहराहयाँ स्पष्ट नही की गई थीं और यह कि इकाइयों द्वारा भुगतान, मुख्यालय द्वारा स्वीकृत प्राक्कलनों की दरों के अनुसार, किये गये थे। उत्तर तर्क संगत नहीं था क्योंकि सरकारी आदेशों में दरें स्पष्ट रुप से इंगित की गई थीं और भुगतान इन आदेशों के अनुरुप किया जाना चाहिये था, न कि प्राक्कलन के आधार पर।

प्रकरण, कम्पनी को जनवरी 1995 में तथा सरकार को मई 1996 में सूचित किया गया; उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 1996)।

अनुच्छेद - 4 ब

सांविधिक निगम

प्रस्तर	विवरण	पृष्ठ संख्या
	उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद	
1	प्रणाली भरण प्रभार को प्रभारित न करना/कम प्रभारित करना	227
2	बी० एच० ई० एल० द्वारा ट्रान्सफार्मर तेल की आपूर्ति में देरी के कारण अतिरिक्त व्यय	227
3	अधिभार आरोपित न करना	228
4	दर सूची के गलत लागू किये जाने से हानि	229
5	ईंधन अधिभार का कम लगना	230
6	लाइन की कम कीमत लगाने से हानि	231
7	31.5 एम० बी० ए० पावर ट्रान्सफार्मर की खरीद पर शिथिल नियोजन	232
8	प्रारम्भिक प्रतिभूति का न वसूला जाना	232
9	विद्युत प्रभारों के देयक न बनाया जाना	233
10	कन्डक्टर का अधिक निर्गत किया जाना	234
11	उतारी गयी लाइन से प्राप्त सामग्रियों के वापस न लिए जाने से हानि	234
12	देयक निर्गत करने और उसकी वसूली में विलम्ब	235
	उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम	
13	परिहार्य व्यय	237

सांविधिक निगम

अनुच्छेद - 4ब

सांविधिक निगम

4ब उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद

4ब.1 प्रणाली भरण प्रभार को प्रभारित न करना/कम प्रभारित करना

परिषद के 3 दिसम्बर, 1993 को जारी आदेशों के अनुसार, 25 के0वी0ए0 भार प्रणालीभरण प्रभार भावी सभी नये कनेक्शनों के उपभोक्ताओं से 100 रुपये प्रति के0वी0ए0 या उसके भाग की दर से चार्ज किया जाना था।

विद्युत वितरण खण्ड (द्वितीय), फैजाबाद के प्रकाश एंव पंखे के समझोते पन्जिका की जाँच में ज्ञात हुआ (मार्च 1995) कि उक्त खण्ड ने दिसम्बर 1993 से जनवरी 1994 के मध्य 1 के0 डब्लू0 के 644 प्रकाश एवं पंखे के कनेक्शन, 1.29 लाख रुपये के प्रणाली प्रभार प्रभारित किये बिना ही अवमुक्त किया तथा फरवरी 1994 से मार्च 1995 के मध्य एक के0डब्लू0 के 1736 प्रकाश एवं पंखों के कनेक्शन भी रुपये 100 प्रति के0वी0ए0 की दर के बजाय रुपये 100 प्रति के0डब्लू0 की दर से प्रणाली प्रभार प्रभारित करते हुये अवमुक्त किया जिससे रुपये 1.74 लाख (1 के0 डब्लू0 = 1.18 के0वी0ए0) कम प्रभारित किया गया। इस प्रकार परिषद को 3.03 लाख रुपये की हानि उठानी पड़ी।

खण्डीय अधिकारी ने बताया (मार्च 1995) कि मामला जाँच आधीन है और परिषद के आदेशों के अनुसार कार्यवाही की जायगी जो सितम्बर 1996 तक प्रतीक्षित हैं।

मामला मार्च 1996 में परिषद को और मई 1996 में सरकार को सूचित किया गयाः उनके प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं (सितम्बर 1996)।

4ब.2 बी0एच0ई0एल0 द्वारा ट्रान्सफारमर तेलकी आपूर्ति में देरी के कारण अतिरिक्त व्यय

अधीक्षण अभियन्ता, 400 के0वी0 उप विद्युत गृह डिजाइन मण्डल, लखनऊ ने तीन 315 एम0 वी0 ए0, 400 के0वी0ए0 आटो ट्रान्सफारमरों की आपूर्ति स्थापन, परीक्षण एवं प्रतिष्ठापन हेतु बी0 एच0 ई0 एल0 को एक आदेश निर्गत किया (मार्च 1987)। आपूर्ति आदेश के अनुसार (कुल मूल्यः

532.83 लाख रुपये) बी० एच० ई० एल० को 12.87 लाख रुपये मूल्य का ईमा की मूल्य विविधता सूत्र के अनुसार मूल्य भिन्नता के आधीन प्रथम भरण हेतु एवं 10 प्रतिशत अतिरिक्त ट्रान्सफारमर तेल की आपूर्ति भी करनी थी।

विद्युत पारेषण खण्ड, आगरा के सम्प्रेक्षा (फरवरी 1996) के दौरान यह ज्ञात हुआ कि तीन ट्रान्सफारमरों में से उस खण्ड के लिये आदेशित जिस एक ट्रान्सफारमर की आपूर्ति बी०एच०ई०एल० ने जनवरी 1989 में की अप्रयुक्त पड़ी हुई थी (फरवरी 1996)। चूंकि अधीक्षण अभियन्ता ने फर्म को तेल की आपूर्ति 400 के०वी० विद्युत उप-ग्रह की तैयारी न होने के कारण टालने को कह दिया था (जून 1988)। अतः फर्म ने ट्रान्सफारमर के साथ तेल की आपूर्ति नहीं की। अधीक्षण अभियन्ता ने ट्रान्सफारमर तेल की तुरन्त आपूर्ति हेतु बी०एच०ई०एल० को कहा (अक्टूबर 1990)। फर्म ने इस आदेश के अधीन तेल की आपूर्ति फरवरी 1993 में 32.59 लाख रुपये के बढ़े हुये मूल्य पर की।

इस प्रकार बी०एच०ई०एल० द्वारा तेल की दो वर्ष की अधिक देर से आपूर्ति के कारण परिषद को 10.08 लाख रुपये (9.63 लाख रुपये की मूल्य वैभिन्य यदि तेल की आपूर्ति अक्टूबर 1993 में की जाती को छोड़ कर) की अतिरिक्त हानि उठानी पड़ी।

मामला मई 1996 में परिषद को और मई 1996 में सरकार को सूचित किया गया था; प्रत्युत्तर प्रतीक्षित था (अक्टूबर 1996)।

4ब.3 अधिभार आरोपित न करना

सार्वजनिक लैम्प तथा प्रकाश पर लागू दर अनुसूची एल०एम०वी० - 3 और सार्वजनिक जल निर्माण एवं औद्योगिक उपभोक्ताओं (100 बी०एच०पी० भार तक) पर लागू दर अनुसूची एल०एम०वी० - 6 में निहित प्राविधानों के अनुसार देय करण समय से एक माह के बाद तक की भुगतान न की गयी धनराशि पर 1.5 प्रतिशत प्रतिमाह या उसके भाग की दर से अधिभार आरोपित किया जाना था।

विद्युत वितरण खण्ड (द्वितीय), बंदायूँ के अभिलेखों की जाचं से ज्ञात हुआ (जून 1995) कि उपरोक्त उपभाक्ताओं से माह मार्च 1992 से मार्च 1995 तक 27.23 लाख रुपये (सार्वजनिक लैम्प एवं प्रकाश उपभोक्ता 7.55 लाख रुपये और सार्वजनिक जल निर्माण उपभोक्ताः 19.68 लाख रुपये) का अधिभार उक्त उपभोक्ताओं के अवशेष धनराशि पर नहीं आरोपित किया गया। परिषद ने अवशेष धनराशि की वसूली हेतु काई प्रभावी कार्यवाही नही की।

खण्ड ने सूचित किया (सितम्बर 1996) कि विलम्बित भुगतान अधिभार देयक जून 1995 में जारी किया जा चुका है परन्तु उसकी वसूली प्रतीक्षित थी (अक्टूबर 1996)।

मामला परिषद को अगस्त 1995 और मार्च 1996 में तथा सरकार को मई 1996 में सूचित किया गया था। सरकार का प्रत्युत्तर प्रतीक्षित था (अक्टूबर 1996)।

4ब.4 दर सूची के गलत लागू किये जाने से हानि

विश्व बैंक नलकूपों के सम्बन्ध में 18 जनवरी 1992 से लागू दर अनुसूची एच0वी0 - 4 के अनुसार स्वतंत्र फीडरों के आरम्भ बिन्दु पर वांछित ट्राईवेक्टर मीटर के न लगने तक उक्त उपभोक्ताओं का देयक सम्पूर्ण सम्बद्ध भार पर रुपये 70 प्रति बी0एच0पी0 प्रति माह की दर से मांग प्रभार और क्रमशः 18 जनवरी 1992 और 16 जुलाई 1994 से लागू मासिक 127 पैसे और 177 पैसे प्रति के0डब्लू0एच0 की दर से उपभुक्त विद्युत यूनिट पर ऊर्जा प्रभार निर्गत करने थे । मासिक ऊर्जा उपभोग का आंकलन एल0 x एफ0 x एच0 x डी0 सूत्र के आधार पर किया गया है। 75 के0डब्लू0 (100 बी0एच0पी0) से अधिक भार रखने वाले बड़े एवं भारी शक्ति उपभोक्ताओं के ऊर्जा उपयोग आंकलन के लिए फैक्टर 0.75 लिया गया हैं।

(अ) विद्युत वितरण खण्ड (द्वितीय), गोरखपुर के अभिलेखों की जाँच में पाया गया (जुलाई 1995) कि जनवरी 1992 से विश्व बैंक नलकूपों के चार संयोजित कनेक्शन कुल सम्बद्ध भाग 2142 बी0एच0पी0 (387.5 और 630 बी0एच0पी0 प्रति के मध्य) 11 के0वी0 स्वतन्त्र फीडर से जिसके आरम्भ बिन्दु पर कोई ट्राइवेक्टर मीटर नहीं लगा था, ऊर्जा उपभोग कर रहे थे। खण्ड ने वाणिज्यिक और राजस्व मैनुअल के प्राविधानों के अनुसार बताये गये मासिक ऊर्जा उपभोग के मूल्यांकन विधि 0.75 फैक्टर के स्थान पर 0.50 मान कर जनवरी 1992 से मार्च 1995 के दौरान उक्त चार उपभोकताओं का गलत देयक निर्गत किया। जिसके परिणाम स्वरुप ऊर्जा उपभोग 8040314 यूनिट विद्युत मूल्य 109.63 लाख रुपये कम आंका गया।

अधिशासी अभियन्ता द्वारा प्रत्युत्तर में बताया गया (अगस्त 1995) कि प्रत्येक नलकूप का सम्बद्ध भार 75 के0डब्लू0 से कम था अतः फैक्टर 0.50 लगाया गया। उत्तर सन्तोष जनक नही पाया गया क्योंकि प्राविधानों के अनुसार स्वतंत्र फीडर के आरम्भ बिन्दु पर वांछित मीटर नही लगाया गया था। अतः भार प्रत्येक नलकूप का अलग-अलग न लेकर स्वतन्त्र फीडर पर सम्बद्ध सभी नलकूपों का एक साथ लेना था।

(ब) इसी प्रकार विद्युत वितरण खण्ड (प्रथम) बदाँयू के अभिलेखों की जाँच के दौरान पाया गया (जून 1995) कि 58 विश्व बैंक नलकूपों के दो समायोजित कनेक्शन का कुल सम्बद्ध भार 847.5 बी0एव0पी0 (कादर चौक फीडर: 495 बी0एच0पी0 और बिन्दुबार फीडर: 352.5 बी0एच0पी0), 11 के0वी0 स्वतंत्र फीडरों से, कनेक्शन के दिनांक (फरवरी 1992) से, बिना मीटरिंग के ऊर्जा प्राप्त कर रहे थे। खण्ड ने माह फरवरी 1992 से जून 1995 तक किये गये मासिक ऊर्जा उपभोग का आंकलन 0.75 फैक्टर के स्थान पर 0.50 मान कर किया, तदनुसार देयक निर्गत किये गये। इस प्रकार ऊर्जा उपभोग

आंकलन में गलत फैक्टर लगाने से 3499432 यूनिट (के0डब्लू0एच0) मूल्य 49.14 लाख रुपये कम आंका गया। सम्प्रेक्षा द्वारा निर्दिष्ठ (जुलाई 1995) करने पर खण्ड ने 59.81 लाख रुपये (अधिभार: 6.43 लाख रुपये और विद्युत कर: 1.05 लाख रुपये जोड़कर) का पूरक बिल अक्टूबर 1995 में निर्गत किया। उपभोक्ता द्वारा देयक का भुगतान अभी तक (सितम्बर 1996) इस आधार पर कि देयक की धनराशि फीडर पर मीटर न होने के कारण सत्यापित नही की जा सकी, नहीं किया गया।

मामला परिषद को अगस्त 1995 में और सरकार को जून 1996 में सूचित किया गया; प्रत्युत्तर प्रतीक्षित था (सितम्बर 1996)।

4ब.5 ईंधन अधिभार का कम लगाना

बड़े एंव भारी उपभोक्ताओं के लिये लागू दर अनुसूची में निहित व्यवस्थाओं के अनुसार उपभोक्ताओं से नियत दरों पर ईंधन अधिभार वसूल करना था।

तीन विद्युत वितरण खण्डों के अभिलेखों की नमूना जाँच (जुलाई 1994 से अगस्त 1995 तक) में ज्ञात हुआ कि गलत दर से ईंधन अधिभार लगाने के कारण उपभोक्ताओं पर, जैसा कि नीचे वर्णित हैं, 26.49 लाख रुपये का कम देयक निर्गत किया गया:

खण्ड का नाम	उपभोक्ताओं की संख्या	कम अधिभार का समय	अधिभार की धनराशि	अधिभार लगाये और वसूली गयी धनराशि	न वसूली गयी ईंधन अधिभार की धनराशि
			(रुपये	लाख	में)
1. विद्युत वितरण खण्ड, उरई	7	अप्रैल 1994 से मार्च 1995 तक	6.19	6.19 (पाँच उपभोक्ता)	--
2. विद्युत वितरण खण्ड, फर्रुखाबाद	2	अप्रैल 1994 से मार्च 1995 तक	3.06	--	3.06
3. विद्युत वितरण खण्ड (द्वितीय), गोरखपुर	2	अप्रैल 1994 से मार्च 1995 तक	17.24	--	17.24
		योग	**26.49**	**6.19**	**20.30**

सम्प्रेक्षा द्वारा बताये जाने पर 26.49 लाख रुपये के देयक उक्त खण्डों ने निर्गत किये जिसके विरुद्ध रुपये 6.19 लाख विद्युत वितरण खण्ड, उरई द्वारा वसूल किया गया। अवशेष धनराशि 20.30 लाख रुपये की वसूली सितम्बर 1996 तक प्रतीक्षित थी।

मामला परिषद को (जुलाई 1995 से अप्रैल 1996 के मध्य) और सरकार को जून 1996 में सूचित किया गया था; प्रत्युत्तर अक्टूबर 1996 तक नहीं प्राप्त हुआ है।

4ब.6 लाइन की कम कीमत लगाने से हानि

परिषद के जुलाई 1978 के आदेशानुसार 100 बी0एच0पी0 भार से अधिक भार रखने वाले उपभोक्ताओं को स्वतंत्र फीडर की सुविधा इस शर्त के साथ दी जा सकती है कि फीडर के आरम्भ में लगाये गये स्विच गीयर और स्वतंत्र फीडर का मूल्य उपभोक्ता से अग्रिम रुप में लिया जायेगा।

विद्युत वितरण खण्ड (द्वितीय), बदाँयू के अभिलेखों के जाँच (जुलाई 1995) से पता चला कि परिषद द्वारा (फरवरी 1991) टाटा केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड बवराला (बदाँयू) को 4 एम0वी0ए0 का भार उनके प्रोजेक्ट के निर्माण की विद्युत आवश्यकताओं के पूरा करने के लिये स्वतंत्र फीडर से दिया जाना स्वीकृत किया उपभोक्ता को अस्थायी कनेक्शन देने के लिये एक परित्यक्त 66 के0वी0 चन्दौसी - हरदुआगंज लाइन का नवीनीकरण और पुर्नमरम्मत किया गया था और इससे टेप करने के लिये एक 5.3 कि0मी0 की लिंक लाइन का निर्माण किया गया जिसके लिये उपभोक्ता ने रुपये 40.49 लाख का (परित्यक्त लाइन के मूल्य को छोड़कर) भुगतान किया और इसी वर्तमान 66 के0वी0 लाइन से भार अवमुक्त किया गया था।

इसी तारतम्य में परिषद ने (दिसम्बर 1993) उपभोक्ता को स्वतंत्र फीडर से 2 एम0वी0ए0 का स्थायी भार स्वीकृत किया। वस्तुतः एक 263.84 लाख रुपये का प्राकलन अप्रैल 1994 में तैयार किया गया था जिसे उपभोक्ता के प्रतिवेदन पर अधीक्षण अभियन्ता द्वारा लाइन के निर्माण मूल्य के आधार पर मई 1994 में 128.49 लाख रुपये में परिवर्तित कर दिया। उपभोक्ता को (अगस्त 1994) 88 लाख रुपये (40.49 लाख रुपये अस्थाई कनेक्शन के लिये पूर्व में जमा धनराशि का समायोजन करने के उपरान्त) तथा प्रणाली भरण प्रभार (13 लाख रुपये) और जमानत राशि (10 लाख रुपये) जमा करने के लिये कहा गया। परिषद ने प्राकंलन में 33 के0वी0बे0 का मूल्य (17.50 लाख रुपये) जो कि परिषद के वर्तमान प्रावधानों के अनुसार उपभोक्ता से लेना था, नही सम्मलित किया। उपभोक्ता ने (अक्टूबर 1994) में आपत्ति की कि चूंकि लाइन पहले से मौजूद थी अतः लाइन का मूल्य माँगने का कोई औचित्य नही था। उपभोक्ता की आपत्ति को मुख्य अभियन्ता (वितरण), मध्य क्षेत्र, लखनऊ ने (अक्टूबर 1994) उचित माना और मात्र प्रणाली भरण प्रभार (13 लाख रुपये) और जमानत राशि (10 लाख रुपये) वसूल करने के उपरान्त कनेक्शन अवमुक्त करने का आदेश दिया।

मुख्य अभियन्ता (वितरण) मध्य क्षेत्र लखनऊ का उपभोक्ता को 33 के0वी0 फीडर के मूल्य (88 लाख रुपये) ब्रेक मूल्य (17.50 लाख रुपये) सम्मलित करते हुये से मुक्त करने का निर्णय अन्याय पूर्ण एंव परिषद के जुलाई 1978 के आदेश के विपरीत था जिससे परिषद को 105.50 लाख रुपये की हानि उठानी पड़ी।

मामला परिषद को अगस्त 1995 में और सरकार को जून 1996 में सूचित किया गया था؛ प्रत्युत्तर प्रतीक्षित था (अक्टूबर 1996)।

4ब.7 315 एम0वी0ए0 पावर ट्रान्सफार्मर की खरीद पर शिथिल नियोजन

अधीक्षण अभियन्ता 400 के0वी0 सब स्टेशन परिकल्प मंडल, लखनऊ ने (मार्च 1987) 315 एम0वी0ए0 क्षमता के 3 आटो ट्रान्सफार्मर आपूर्ति हेतु भारत हेवी इलेक्ट्रकल्स लिमिटेड पर एक आदेश पारित किया। ये ट्रान्सफार्मर मुजफ्फरनगर, आगरा और वाराणसी के 400 के0वी0 विद्युत उप-गृहों पर स्थापित होने थे। इन ट्रान्सफारमरों में से दो ट्रान्सफारमर कलपुर्जो के साथ (मूल्यः 543.83 लाख रुपये) क्रमशः जनवरी 1989 और मार्च 1994 में (मुजफ्फरनगर से स्थानान्तरित होकर) आगरा और गोरखपुर में प्राप्त हुये थे।

फरवरी 1996 में ज्ञात हुआ कि उपरोक्त दोनों ट्रान्सफारमर प्राप्ति के दिनांक से आगरा और गोरखपुर में अप्रस्थापित पड़े हुये थे। इन ट्रान्सफारमरों के क्रमशः विगत 7 और 2 वर्षों से अप्रस्थापित स्थित में पड़े रहने से न केवल 545.83 लाख रुपये का शिथिल विनियोजन बना रहा वरन मार्च 1996 तक 415.14 लाख रुपये के अतिरिक्त ब्याज वहन का भार भी बना रहा (18 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से आकंलित)।

प्रकरण परिषद को अप्रैल 1996 में और शासन को जून 1996 में सूचित किया गया था؛ प्रत्युत्तर प्रतीक्षित था (अक्टूबर 1996)।

4ब.8 प्रारम्भिक प्रतिभूति का न वसूला जाना

परिषद का मार्च 1994 का आदेश शासकीय/अर्धशासकीय और अन्य ऐसे उपभोक्ता जो पूर्व में प्रतिभूति जमा करने से मुक्त थे से प्रारम्भिक प्रतिभूति आरोपित करने का प्राविधान करता है। प्रारम्भिक प्रतिभूति मार्ग प्रकाश और सार्वजनिक जल कार्य, जल निस्तारण/पम्पिग सेट्स के उपभोक्ताओं से रुपये 1000 प्रति के0डब्लू0 एवं अन्य वर्ग के सरकारी/शासकीय/अर्धसरकारी/शासकीय उपभोक्ताओं से रुपये 300 प्रति बी0एच0पी0 की दर से माँग सूचना जारी होने के तीस दिन के अन्दर वसूल किया जाना था।

चार विद्युत वितरण खण्डों (जौनपुर - प्रथम और द्वितीय, मऊ, वाराणसी - प्रथम) और एक

विद्युत नगरीय वितरण खण्ड प्रथम बरेली के अभिलेखों के नमूना जाँच करने पर ज्ञात हुआ (सितम्बर 1994 से जून 1995 तक) कि 86.86 लाख रुपये (सार्वजनिक जल कार्य/सीवेज पम्पिंग सेट: 37.43 लाख रुपये, मार्ग प्रकाश उपभोक्ता: 8.85 लाख रुपये और अन्य उपभोक्ता 40.58 लाख रुपये) के प्रारम्भिक प्रतिभूति के देयक उपभोक्ताओं को निस्तारित नही किये गये थे। सम्प्रेक्षा द्वारा निर्दिष्ट किये जाने पर अगस्त 1995 से मई 1996 तक उक्त देयक निर्गत किये गये थे परन्तु उनकी वसूली अक्टूबर 1996 तक भी प्रतीक्षित थी।

प्रकरण परिषद को मई 1995 से दिसम्बर 1995 तक एंव सरकार को जून 1996 में सूचित किया गया था; प्रत्युत्तर प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 1996)।

4ब.9 विद्युत प्रभारों के देयक न बनाया जाना

सभी विद्युतीकृत ग्रामों और हरिजन बस्तियों के मार्ग प्रकाशों से सम्बन्धित राजस्व का देयकीकरण एवं वसूली प्रत्येक गाँव के लिये 40 वाट के 10 मार्ग प्रकाश बिन्दुओं तथा प्रत्येक बस्ती के लिये 40 वाट के 2 मार्ग प्रकाश बिन्दुओं के आधार पर केन्द्रस्थ रुप से मुख्य अभियन्ता (वाणिज्यिक) लखनऊ द्वारा की जा रही थी। मार्च 1990 से इस पद्धति का विकेन्द्रीकरण कर दिया गया और यह निर्णय लिया गया कि विद्युतीकृत ग्रामों और हरिजन बस्तियों से सम्बन्धित बकाये सम्बन्धित ग्राम प्रधान से खण्ड स्तर पर वसूल किये जाये तथा दोषी इकाईयों को कोई विद्युत सुविधा उपलब्ध न करायी जाये।

दिसम्बर 1994 से मार्च 1995 के दौरान चार विद्युत वितरण खण्डों के अभिलेखों के जाँच परीक्षण में प्रकट किया कि 21 से 60 माहों तक का 240.44 लाख रुपये (विद्युत कर सहित) देयक सम्प्रेक्षा दिवस तक जैसा कि नीचे वर्णित है, सम्बन्धित ग्राम प्रधानों पर नहीं जारी किया गया था:

खण्ड का नाम	विद्युत कृत संख्या		देयक पत्र का समय	माह	धनराशि
	ग्राम	हरिजन बस्ती			(रुपये लाख में)
विद्युत वितरण खण्ड, द्वितीय, मऊ	186	188	4/93 से 12/94	21	13.43
विद्युत वितरण खण्ड, द्वितीय, फैजाबाद	385	314	4/91 से 2/95	47	52.22
विद्युत वितरण खण्ड, बाराबंकी	562	573	4/90 से 11/94	56	78.22
विद्युत वितरण खण्ड, सिद्धार्थनगर	649	562	4/90 से 3/95	60	96.57
				योग	240.44

सम्प्रेक्षा में निर्दिष्ठ किये जाने पर विद्युत वितरण खण्ड, द्वितीय, नऊ ने अगस्त 1995 में 13.43 लाख रुपये का देयक निर्गत किया उसकी वसूली (मई 1996) तक प्रतीक्षित थी।

मामला परिषद को मई से अगस्त 1995 के मध्य और सरकार को जुलाई 1996 में सूचित किया गया था: प्रत्युत्तर अभी तक प्राप्त नही हुआ हैं (अक्टूबर 1996)।

4ब.10 कन्डक्टर का अधिक निर्गत किया जाना

अधिशाषी अभियन्ता, विद्युत परवर्धी कार्य खण्ड हल्द्वानी द्वारा काशीपुर के एक ठेकेदार को 14 कि0मी0 (33 के0वी0) रुद्रपुर - किच्छा लाइन के निर्माण का कार्य दिया गया था (मार्च 1993)। कार्य पूर्ण होने पर लाइन की वास्तविक लम्बाई 18.804 कि0मी0 पायी गयी जिसकी पुष्टि फरवरी 1996 के हस्तान्तरण प्रपत्र से भी हो गई।

खण्ड के अभिलेखों की जाँच के दौरान (मई 1995) प्रकट हुआ कि 58.104 कि0मी0 ए0सी0एस0आर0 कन्डक्टर {(18.804 X 3 तार) + 3 प्रतिशत लटक के लिए} की वांछित लम्बाई के विरुद्ध खण्ड ने 73.990 कि0मी0 कन्डक्टर अप्रैल 1993 से जून 1995 के मध्य निर्गत किया। इस प्रकार 15.886 कि0मी0 ए0सी0एस0आर0 कन्डक्टर मूल्य 5.64 लाख रुपये अधिक निर्गत किया गया। इस अधिक निर्गत कन्डक्टर में 5.85 कि0मी0 ए0सी0एस0आर0 कन्डक्टर मूल्य 2.08 लाख रुपये जो कि दिसम्बर 1993 से दिसम्बर 1994 तक लाइन से चोरी हो गया था, भी सम्मिलित था। उक्त कन्डक्टर को मार्च 1993 सम्विदा में उल्लिखित शर्तों के अनुसार ठेकेदार से वसूलने के बजाय खण्ड ने उक्त अधिक निर्गत कन्डक्टर को कार्य शीर्ष पर निर्गत दिखाया और परिवर्तित प्राकलन में इसे सम्मिलित कर लिया। 10.036 कि0मी0 अधिक निर्गत कन्डक्टर और ठेकेदार से चोरी गये कन्डक्टर के मूल्य की न वसूली का कोई औचित्य अभिलेखों पर नहीं मिले थे।

मामला परिषद और सरकार को जून 1996 में सूचित किया गया था: प्रत्युत्तर प्रतीक्षित था (सितम्बर 1996)।

4ब.11 उतारी गयी लाइन से प्राप्त सामग्रियों के वापस न लिये जाने से हानि

अधिशाषी अभियन्ता, विद्युत कार्यशाला खण्ड, फैजाबाद द्वारा केला लाल खाँ से भटमई सुल्तानपुर

तक 22.5 कि0मी0 33 के0वी - लाइन के उखाड़ने का कार्य सुल्तानपुर के एक ठेकेदार को मूल्य 1.98 लाख रुपये में दिया गया था (जनवरी 1991)। उक्त कार्य में लाइन का उखाड़ना और उखाड़ी गयी लाइन सामग्री को कार्य स्थल से दरयापुर हाइडिल कालोनी सुल्तानपुर तक की दुलाई (मूल्यः 36.45 लाख रुपये) सम्मिलित थी। कार्य जनवरी 1991 में प्रारम्भ किया गया तथा जुलाई 1992 में समाप्त किया गया। जुलाई 1991 से अगस्त 1992 के मध्य अंकित किये गये माप के आधार पर 90 पौंड रेल की 19 कि0मी0 लम्बी लाइन और 22.5 कि0मी0 लम्बी लाइन का कन्डक्टर उतारा गया था जिसके लिये 1.81 लाख रुपये का भुगतान ठेकेदार को अप्रैल 1993 में किया गया।

खण्ड के अभिलेखों की जाँच से (नवम्बर 1994) ज्ञात हुआ कि अवर अभियन्ता जिसने जुलाई 1992 में अन्य अवर अभियन्ता से कार्य भार ग्रहण किया था, ने दिसम्बर 1993 में सूचित किया कि यद्यपि लाइन का उखड़ाव समाप्त हो गया था पर गोदाम या कार्य स्थल पर कोई भी उतारी गयी सामग्री वर्तमान में नहीं थी। यद्यपि लाइन के उतारने/उखाड़ने का कार्य जुलाई 1992 में पूर्ण हो चुका था तदापि ठेकेदार ने उतारी गयी रुपये 2.54 लाख मूल्य की लाइन सामग्री वापस नहीं की जिसके विरुद्ध खण्ड ने ठेकेदार के 0.17 लाख रुपये का भुगतान तथा 0.20 लाख रुपये की नगद जमानत राशि मात्र रोक रखी थी जो कि 1.64 लाख रुपये कम थी। निदेशक आन्तरिक सम्प्रेक्षा उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद ने (नवम्बर 1995) में सूचित किया कि 4.01 लाख रुपये मूल्य की सामग्री वापस ले ली गयी थी और 0.17 लाख रुपये अवशेष लाइन सामग्री के मूल्य ठेकेदार के बिलों से समायोजित करने हेंतु आदेश पारित कर दिये गये थे।

सम्प्रेक्षा द्वारा अभिलेखों के पुनः परीक्षण करने पर खण्डीय अधिकारी ने स्वीकार किया (मई 1996) कि मात्र 2.22 लाख रुपये मूल्य की सामग्री ही वापस ली गयी थी और 0.31 लाख रुपये का समायोजन ठेकेदार के मई 1996 तक बकाया भुगतान से कर लिया गया था। अवशेष सामग्री वापस नहीं ली गयी थी जिसके लिये 1.64 लाख रुपये की सामग्री कम प्राप्ति के लिये उत्तरदायी सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता को कारण बताओं नोटिस निर्गत किया गया था।

यह प्रकरण परिषद को फरवरी 1995 में और शासन को जुलाई 1996 में सूचित किया गया था; प्रत्युत्तर प्रतीक्षित था (सितम्बर 1996)।

4ब.12 देयक निर्गत करने और उसकी वसूली में विलम्ब

कैश क्रेडिट से निधियों के आरण समेत ऋण निधियों पर परिषद कार्य करती रही है जिसपर 18 से 20 प्रतिशत का ब्याज देना पड़ता है। निर्धारण देयक निर्गत करने में विलम्ब के फलस्वरुप वसूली में विलम्ब परिषद के संसाधनों को प्रमाणित करता है।

निर्धारण देयकरण अनुसूची के अनुसार आठ वितरण खण्डों के मामलों में परिषद ने 27.28 लाख रुपये का निर्धारण देयक नही जारी किया। सम्प्रेक्षा द्वारा उल्लेख करने के उपरान्त ऐसे निर्धारण देयक निर्गत किये गये। परिणामस्वरुप ऐसे निर्धारणों की वसूली निम्निलिखित विवरणों के अनुसार विलम्ब से हुई:

क्रम संख्या	खण्ड का नाम	अल्प प्रभार की धनराशि (लाख रुपये में)	प्रकृति और प्रयुक्त अवधि	खण्ड द्वारा निर्धारण देयक निर्गत करने का माह	वसूली की धनराशि (वसूली का माह) (लाख रुपये में)
1.	विद्युत वितरण खण्ड द्वितीय, फैजाबाद	2.23	अल्प देयकीकरण (जुलाई 1994)	जून 1995	2.23 (जुलाई 1995)
2.	विद्युत नगरीय वितरण खण्ड, प्रथम, गोरखपुर	4.87	अल्प निर्धारण (जुलाई 1994 से मई 1995 तक)	सितम्बर 1995	3.76 (मार्च से अगस्त 1996)
3.	विद्युत वितरण खण्ड द्वितीय, इलाहाबाद	3.64	ईंधन प्रभार का अल्प प्रभारित करना (जनवरी से मार्च 1994)	जून 1994	3.64 (जून 1994)
4.	विद्युत वितरण खण्ड प्रथम, शाहजहाँपुर	1.25	लो वोल्टेज पर ऊर्जा आपूर्ति के लिये अतिरिक्त प्रभार का प्रभारित न करना (जुलाई 1994 से अगस्त 1995)	अक्टूबर 1995	1.25 (अक्टूबर 1995)
5.	विद्युत वितरण खण्ड प्रथम, शाहजहाँपुर	1.03	स्थापना प्रभार का प्रभारित न किया जाना (अप्रैल 1994 से मार्च 1995)	अक्टूबर 1995	1.03
6.	विद्युत वितरण खण्ड प्रथम, झाँसी	3.73	राजस्व का अल्प निर्धारण (मार्च 1993 से अप्रैल 1995)	नवम्बर 1995	1.19
7.	विद्युत वितरण खण्ड, श्रीनगर	2.24	अल्प देयकीकरण (सितम्बर 1990 से फरवरी 1995)	नवम्बर 1995	2.24
8.	विद्युत वितरण खण्ड, उरई	8.98	प्रणाली भरण प्रभार वसूल न होना (अप्रैल 1993 से जुलाई 1994)	जुलाई 1995	8.98
	योग	27.97			24.32

कुल 27.97 लाख रुपये की निर्गत धनराशि में से परिषद की दो इकाईयों 3.65 लाख रुपये की वसूली नही कर सकी। इसके अतिरिक्त "निर्धारण देय से निर्धारण निर्गत" करने की अवधि के लिये 4.60 लाख रुपये के ब्याज भुगतान की दायिता भी परिषद को उठानी पड़ी।

प्रकरण परिषद को सितम्बर 1995 से अप्रैल 1996 के मध्य एंव शासन को जुलाई 1996 में सूचित किया गया था; प्रत्युत्तर प्रतीक्षित था (अक्टूबर 1996)।

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम

4ब.13 परिहार्य खर्च

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद की औद्योगिक और/या प्रकियात्मक उपयोग हेतु 75 के0डब्लू0 से अधिक सम्बन्ध भार रखनें वाले उपभोक्ताओं पर लागू दर सूची (एच0वी0 - 2), प्राविधान करती है कि प्रत्येक माह के माँग प्रभार वास्तविक माँग या स्वीकृत भार का 75 प्रतिशत जो भी अधिक हो के आधार पर होगा।

दर अनुसूची एच0वी0 - 2 यदि ऊर्जा उपभोग के देयक का भुगतान के देयक का भुगतान देयक में अंकित देय तिथि तक नहीं किये जाता हैं तो उस पर विलम्ब प्रभार प्रभारित करने की भी व्यवस्था करता हैं।

गोरखपुर क्षेत्र के अभिलेखों की जाँच पर ज्ञात हुआ (जुलाई 1995) कि:

(अ) 200 के0वी0ए0 भार का एक पावर कनेक्शन टायर नवीनीकरण और बसरतपुर (गोरखपुर) के कार्यशाला एंव डिपों के लिये उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम से (अक्टूबर 1990) प्राप्त किया था। अक्टूबर 1990 से फरवरी 1996 के मध्य कार्यशाला की वास्तविक माँग 58 और 96.7 के0वी0ए0 के मध्य रही जबकि उक्त समायावधि के दौरान क्षेत्र ने 150 के0वी0ए0 (200 के0वी0ए0 का 75 प्रतिशत) भार का माँग प्रभार का भुगतान किया। परिणामस्वरुप इस कालावधि में 4 लाख रुपये का अतिरिक्त भुगतान करना पड़ा। निगम अपने स्वीकृत भार को पहले एक या दो वर्षों के औसत उपभोग के आधार पर कम करा सकता था और इस प्रकार अतिरिक्त माँग प्रभार के भुगतान को बचा सकता था।

(ब) क्षेत्र को अक्टूबर 1990 से जून 1995 के मध्य 2.49 लाख रुपये का भुगतान ऊर्जा प्रभार के विलम्बित भुगतान के लिये उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद को करना पड़ा। क्षेत्रीय प्रबन्धक द्वारा (अगस्त 1995) जिसका कारण उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद की दर अनुसूची के प्राविधानों का संज्ञान न होना बताया गया।

इस प्रकार निगम ने 6.49 लाख रुपये का परिहार्य अतिरिक्त भुगतान किया।

प्रकरण निगम को अक्टूबर 1995 में और शासन को अप्रैल 1996 में सूचित किया गया था; उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (अक्टूबर 1996)।

पी० मुखर्जी

लखनऊ
दिनांक:
8 फरवरी 1997

(पी0 मुखर्जी)
महालेखाकार (लेखा परीक्षा) द्वितीय
उत्तर प्रदेश

प्रतिहस्ताक्षरित

विजय शुंगलू

नई दिल्ली
दिनांक:
13 फरवरी 1997

(विजय कृष्ण शुंगलू)
भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट

परिशिष्ट - I

कम्पनियों की सूची जिनमें सरकार ने 10 लाख रुपये से अधिक निवेशित किये परन्तु जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा लेखा परीक्षा के अधीन नहीं है ।

(प्रस्तर 1.2.11 में संदर्भित)

(करोड़ रुपयें में)

क्रम संख्या	कम्पनी का नाम	नवीनतम लेखे की अवधि	सरकार द्वारा निवेश	लाभ(+)/हानि(-)	संचित हानि	प्राप्त लाभांश	टिप्पणियां
(अ)	प्रदेशीय इण्डस्ट्रियल ऐण्ड इन्वेस्टमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड (पिकप) द्वारा सहायता प्राप्त ।						
1.	इण्डिया पोली फाइबर्स लिमिटेड	1992-93	8.03	-(24.87)	101.53	शून्य	बी0 आई0 एफ0 आर0 के अन्तर्गत
2.	इण्डोगल्फ फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स कार्पोरेशन लिमिटेड	1995-96	18.15	145.23	-	3.27	

(करोड़ रुपयें में)

क्रम संख्या	कम्पनी का नाम	नवीनतम लेखे की अवधि	सरकार द्वारा निवेश	लाभ(+)/हानि(-)	संचित हानि	प्राप्त लाभांश	टिप्पणियां
3.	रोड मास्टर स्टील स्ट्रिप्स लिमिटेड	1995-96	0.62	1.26	-	शून्य	
4.	जलपाक इण्डिया लिमिटेड	1994-95	0.57	1.68	-	0.07	
5.	नैशनल स्विचगियर्स लिमिटेड	1995-96	0.26	(-) 0.58	1.40	-	
6.	बेजिप्रो फ्रूड ऐण्ड फीड्स लिमिटेड	1994-95 (30 सितम्बर 1995 तक)	2.23	(-) 10.20	19.24	-	
7.	रौनक आटोमोटिव कम्पोनेन्ट्स लिमिटेड	1995-96	1.50	1.02	3.38	-	

(करोड़ रुपये में)

क्रम संख्या	कम्पनी का नाम	नवीनतम लेखे की अवधि	सरकार द्वारा निवेश	लाभ(+)/हानि(-)	संचित हानि	प्राप्त लाभांश	टिप्पणियां
8.	पशुपति एक्रिलान लिमिटेड	1994-95	4.98	(-)2.29	10.34	-	
9.	इण्डियन मेज ऐण्ड केमिकल्स लिमिटेड	1994-95 (लेखा परीक्षित नहीं)	2.73	(-)3.92	29.96	-	
10.	हैरिंग क्रैन्क शैफ्ट्स लिमिटेड	1995-96	1.86	(-)1.30	4.98	-	
11.	उ० प्र० ड्रग्स ऐण्ड फर्मास्युटिकल्स कम्पनी लिमिटेड	1995-96	0.36	(-)2.65	10.97	-	
12.	फोनिक्स लैम्प्स इण्डिया लिमिटेड	1995-96	5.34	0.23	-	-	

(करोड़ रुपयें में)

क्रम संख्या	कम्पनी का नाम	नवीनतम लेखे की अवधि	सरकार द्वारा निवेश	लाभ(+)/हानि(-)	संचित हानि	प्राप्त लाभांश	टिप्पणियां
13.	सोलार्सन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड	1994-95	0.60	0.56	0.12	-	
14.	रतन बनस्पति लिमिटेड	1994-95 (लेखापरीक्षित नहीं)	0.89	(-)0.40	0.40	-	
15.	माया ऐग्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड	1995-96	0.71	(-)0.76	-	-	
16.	हिन्दुस्तान बायोटेक लिमिटेड	अनुपलब्ध	0.59	-	-	-	क्रियान्वयन स्तर के अन्तर्गत
17.	शैमकीन स्पिनर्स लिमिटेड	1994-95 (लेखा परीक्षित नही)	6.63	(-)24.68	-	-	

(करोड़ रुपयें में)

क्रम संख्या	कम्पनी का नाम	नवीनतम लेखे की अवधि	सरकार द्वारा निवेश	लाभ(+)/हानि(-)	संचित हानि	प्राप्त लाभांश	टिप्पणियां
18.	प्रीमियर पौली फिल्म्स लिमिटेड	1994-95	0.15	-	-	0.02	
19.	भारत बर्ज लिमिटेड	1993-94	0.50	(-)2.54	-	-	बी0आई0एफ0आर0 ने इकाई की बिक्री हेतु संस्तुति की
20.	निक्को बैट्रीज लिमिटेड	1994-95	0.45	(-)4.54	23.49	-	बी0आई0एफ0आर0के अन्तर्गत
21.	श्रीनिवास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	1994-95	0.30	अनुपलब्ध	5.25	-	बी0आई0एफ0आर0 के अन्तर्गत
22.	ए0आर0सी0 सीमेन्ट लिमिटेड	अनुपलब्ध	0.14	-	अनुपलब्ध	-	बी0आई0एफ0आर के अन्तर्गत

(करोड़ रुपयें में)

क्रम संख्या	कम्पनी का नाम	नवीनतम लेखे की अवधि	सरकार द्वारा निवेश	लाभ(+)/हानि(-)	संचित हानि	प्राप्त लाभांश	टिप्पणियां
23.	मोर वाटर पाइप्स लिमिटेड *	अनुपलब्ध	0.14	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	-	उत्पादन में
24.	मयूर सिन्टेक्स लिमिटेड	अनुपलब्ध	0.20	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	-	बी0आई0एफ0आर ने इकाई को बन्द करने का
25.	यूनिवर्सल इन्सूलेटर्स ऐण्ड सिरेमिक्स प्राइवेट लिमिटेड	1992-93	10.60	(-)0.10	1.78	-	बी0आई0आर0के अन्तर्गत
(ब)	**उ0 प्र0 राज्य औद्योगिक विकास निगम लि0 द्वारा सहयोगित**						
26.	अजन्ता टैक्सटाइल्स लिमिटेड	अनुपलब्ध	0.20	-	-	-	बी0 आई0 एफ0 आर0 के अन्तर्गत

* पिकप और यू0 पी0 एस0आई0डी0सी0 दोनों के द्वारा सहायता प्राप्त ।

(करोड़ रुपयें में)

क्रम संख्या	कम्पनी का नाम	नवीनतम लेखे की अवधि	सरकार द्वारा निवेश	लाभ(+)/हानि(-)	संचित हानि	प्राप्त लाभांश	टिप्पणियां
27.	गैन्जेज फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड	1995-96	0.20	(-)2.28	15.49	-	बी० आई० एफ० आर० के अन्तर्गत
28.	श्री ऐसिडस एण्ड कैमिकल्स लिमिटेड	1992-93	0.20	(-)6.87	1.57	-	वादकरण आधीन
29.	रीगल पालीयर्स लिमिटेड	1993-94	0.15	(-)4.55	4.85	-	
30.	बेस्ट बोर्डस लिमिटेड	1992-93	0.40	(-)2.62	9.12	-	बी० आई० एफ० आर० के अन्तर्गत
31.	महादेव फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	1994-95	0.30	(-)2.42	13.00	-	बी० आई० एफ० आर० के अन्तर्गत

(करोड़ रुपये में)

क्रम संख्या	कम्पनी का नाम	नवीनतम लेखे की अवधि	सरकार द्वारा निवेश	लाभ(+)/हानि(-)	संचित हानि	प्राप्त लाभांश	टिप्पणियां
32.	शैमकेन मल्टीफैब लिमिटेड	1993-94	0.15	2.72	-	0.02	
33.	सम्राट बाइसिकिल्स लिमिटेड	1985-86	0.19	(-)0.01	0.01	-	वादकरण आधीन
34.	श्री दुर्गा बन्सल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	1994-95	0.28	(-)1.40	10.78	-	बी० आई० एफ० आर० के अन्तर्गत
35.	टेलीमैकेनिक एण्ड कन्ट्रोल्स इण्डिया लिमिटेड	1994-95	0.12	2.25	-	-	
36.	एलायन्स बोर्डस लिमिटेड	1993-94	0.20	(-)1.20	2.58	-	

(करोड़ रुपयें में)

क्रम संख्या	कम्पनी का नाम	नवीनतम लेखे की अवधि	सरकार द्वारा निवेश	लाभ(+)/हानि(-)	संचित हानि	प्राप्त लाभांश	टिप्पणियां
37.	पोयशा इण्डिस्ट्रियल कम्पनी लिमिटेड	1992-93	0.13	(-)6.27	17.40	-	
38.	मोदीपोन लिमिटेड	1994-95	0.62	13.17	-	0.25	
39.	सार्क सिनरटेक प्राइवेट लिमिटेड	1995-96	0.20	(-)0.17	2.36	-	
40.	तराई फूड्स लिमिटेड	1995-96	0.24	(-)7.35	7.44	-	
41.	क्लैसिक रगज प्राइवेट लिमिटेड	1994-95	0.20	(-)1.02	2.00	-	

(करोड़ रुपयें में)

क्रम संख्या	कम्पनी का नाम	नवीनतम लेखे की अवधि	सरकार द्वारा निवेश	लाभ(+)/हानि(-)	संचित हानि	प्राप्त लाभांश	टिप्पणियां
42.	बेलगा फूड्स लिमिटेड	1992-93	0.22	(-)1.56	6.83	-	बी० आई० एफ० आर० के अन्तर्गत
43.	विद्या पैकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड	1994-95	0.12	(-)0.03	0.03	-	
44.	खटीमा फाइबर्स लिमिटेड	1994-95	0.18	1.57	शून्य	-	
45.	चन्द्रा सिन्थेटिक्स लिमिटेड	1993-94	0.40	0.04	-	-	
46.	मित्तल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	1993-94	0.23	(-)2.07	10.05	-	बी० आई० एफ० आर० के अन्तर्गत

(करोड़ रुपये में)

क्रम संख्या	कम्पनी का नाम	नवीनतम लेखे की अवधि	सरकार द्वारा निवेश	लाभ(+)/हानि(-)	संचित हानि	प्राप्त लाभांश	टिप्पणियां
47.	बेलवाल स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड	1994-95	0.15	(-)3.50	18.13	-	बी0 आई0 एफ0 आर0 के अन्तर्गत
48.	आदित्य केमिकल्स लिमिटेड	1993-94	0.15	(-)0.31	4.12	-	बी0 आई0 एफ0 आर0 के अन्तर्गत
(स)	उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम (यू0पी0एफ0सी0) द्वारा सहायता प्राप्त						
49.	मून बीम इन्डस्ट्रीज लिमिटेड	1993-94	0.19	(+)0.24	-	-	
50.	सिद्ध सालवेन्ट्स लिमिटेड	1993-94	0.30	(+)0.34	0.46	-	
51.	अंग एक्सपोर्टस लिमिटेड	1993-94	0.20	(+)0.31	-	-	

क्रम संख्या	कम्पनी का नाम	नवीनतम लेखे की अवधि	सरकार द्वारा निवेश	लाभ(+)/हानि(-)	संचित हानि	प्राप्त लाभांश	टिप्पणियां
52.	आल्पस इन्डस्ट्रीज लिमिटेड	1994-95	0.23	(+)1.94	-	-	
53.	भोलानाथ इन्टरनेशनल लिमिटेड	1993-94	0.13	(+)0.64	-	-	
54.	स्वास्तिक टैक्नोफैब	1994-95	0.30	(+)0.20	-	-	
55.	सिबली स्पिनिंग	1995-96	0.25	(+)0.82	-	-	
56.	दीवान टायर्स लिमिटेड	1994-95	0.50	(+)3.68	-	-	

(करोड़ रुपयें में)

क्रम संख्या	कम्पनी का नाम	नवीनतम लेखे की अवधि	सरकार द्वारा निवेश	लाभ(+)/हानि(-)	संचित हानि	प्राप्त लाभांश	टिप्पणियां
57.	दीवान रबर लिमिटेड	1994-95	0.50	(+)9.79	-	-	
(स)	उत्तर प्रदेश खनिज विकास निगम लिमिटेड (यू0पी0एस0एम0डी0सी0) द्वारा सहायता प्राप्त						
58.	उत्तर प्रदेश मिनरल प्रोडक्ट्स लिमिटेड	1993-94	0.32	-	-	-	
(द)	उत्तर प्रदेश हिल इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड (हिलट्रान) द्वारा सहायता प्राप्त						
59.	ओमनी इण्डिया लिमिटेड	अनुपलब्ध	0.13	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध		
60.	विकास जेनरल	अनुपलब्ध	0.15	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध		

(करोड़ रुपयें में)

क्रम संख्या	कम्पनी का नाम	नवीनतम लेखे की अवधि	सरकार द्वारा निवेश	लाभ(+)/हानि(-)	संचित हानि	प्राप्त लाभांश	टिप्पणियां
61.	नैना सेमी कन्डक्टर्स	अनुपलब्ध	0.55	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध		
62.	रामा विजन लिमिटेड	अनुपलब्ध	0.66	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध		
63.	दौलत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड	अनुपलब्ध	0.33	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध		
	योग		**78.50**				

परिशिष्ट -2
अद्यतन प्रदत्त पूँजी, बजट बहिर्गमन, बजट से दिये गये ऋण एवं 31 मार्च 1996 को बकाया ऋणों के वितरण दर्शाने वाली विवरणी
(प्रस्तर 1.2.2 में संदर्भित)

(आंकडे़ लाख रूपयों में)

क्रम सं.	विभाग क्षेत्र	कम्पनी का नाम	मार्च 1996 के अन्त में प्रदत्त पूँजी						
			राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	नियंत्रक कम्पनी	अन्यन्य	योग	वर्ष के दौरान बजट से दिये गये ऋण	बकाया ऋण
1	2	3	4 (क)	4 (ख)	4 (ग)	4 (घ)	4 (ड.)	5	6
1.	कृषि	उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम लि.	150.00				150.00		
2.		उत्तर प्रदेश स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन लि.	2399.17 (828.00)	332.83			2732.00 (828.00)	1000.00	1290.00
3.		उत्तर प्रदेश स्टेट हार्टिकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिग एण्ड प्रासेसिंग कारपोरेशन लि.	640.68		64.25		704.93		269.36
			3189.85 (828.00)	**332.83**	**64.25**	**0.00**	**3586.93 (828.00)**	**1000.00**	**1559.36**
4.	पशु पालन	उत्तर प्रदेश पशुधन उद्योग निगम लिमिटेड	209.08	63.00			272.08		165.11
5.		उत्तर प्रदेश स्टेट पाल्ट्री एण्ड लाइव स्टाक स्पेशलिटीज़ लिमिटेड	100.75 (100.00)	62.75			163.50 (100.00)		
			309.83 (100.00)	**125.75**	**0.00**	**0.00**	**435.58 (100.00)**	**0.00**	**165.11**

(आंकड़े लाख रूपये में)

क्रम सं.	विभाग क्षेत्र	कम्पनी का नाम	मार्च 1996 के अन्त में प्रदत्त पूँजी: राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	नियंत्रक कम्पनी	अन्यन्य	योग	वर्ष के दौरान बजट से दिये गये ऋण	बकाया ऋण
1	2	3	4 (क)	4 (ख)	4 (ग)	4 (घ)	4 (ड.)	5	6
6.	क्षेत्रीय विकास	आगरा मंडल विकास निगम	100.00				100.00		5.00
7.		इलाहाबाद मण्डल विकास निगम	66.97			0.03	67.00		65.92
8.		बरेली मण्डल विकास निगम लिमिटेड (पूर्व उ.प्र. पश्चिमी क्षेत्रीय विकास निगम लिमिटेड)	125.00				125.00		21.19
9.		बुन्देलखण्ड कंक्रीट स्ट्रक्चरल लिमिटेड (उत्तर प्रदेश बुन्देलखण्ड विकास निगम लिमिटेड की उप-कम्पनी			1.22	1.18	2.40		
10.		गोरखपुर मण्डल विकास निगम	93.56			32.47	126.03		91.60
11.		लखनऊ मण्डलीय विकास निगम	70.00				70.00		85.79
12.		मेरठ मण्डल विकास निगम	100.00				100.00		
13.		मुरादाबाद मण्डल विकास निगम	25.00				25.00		64.60
14.		उत्तर प्रदेश पूर्वांचल विकास निगम	129.80				129.80		35.00

(आंकड़े लाख रूपयों में)

क्रम सं.	विभाग क्षेत्र	कम्पनी का नाम	मार्च 1996 के अन्त में प्रदत्त पूँजी राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	नियंत्रक कम्पनी	अन्यन्य	योग	वर्ष के दौरान बजट से दिये गये ऋण	बकाया ऋण
1	2	3	4 (क)	4 (ख)	4 (ग)	4 (घ)	4 (ड.)	5	6
15.		उत्तर प्रदेश बुन्देलखण्ड विकास निगम	123.30				123.30		8.28
16.		वाराणसी मण्डल विकास निगम	70.00				70.00		30.00
			936.13		**1.22**	**33.68**	**938.53**		**407.38**
17.	इलेक्ट्रानिक्स	श्रीट्रॉन इण्डिया लि. (उ0प्र0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि. की उप-कम्पनी)			124.08	50.63	174.71	42.00	324.00
18.		अपट्रॉन काम्पोनेन्टस लि. (उ.प्र. इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटड की उप-कम्पनी)			5.43		5.43		
19.		अपट्रान इण्डिया लि. (उ.प्र. इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड की उप-कम्पनी)			5315.59		5315.59		8507.96
20.		अपट्रॉन लीजिंग लि. (उ.प्र. इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन लि. की उप-कम्पनी)			100.00		100.00		
21.		अपट्रॉन पावर ट्रानिक्स लि. (उ.प्र. इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड की उप-कम्पनी)			117.00		117.00	20.00	24.19

(आंकड़े लाख रूपयों में)

क्रम सं.	विभाग क्षेत्र	कम्पनी का नाम	मार्च 1996 के अन्त में प्रदत्त पूँजी राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	नियंत्रक कम्पनी	अन्यन्य	योग	वर्ष के दौरान बजट से दिये गये ऋण	बकाया ऋण
1	2	3	4 (क)	4 (ख)	4 (ग)	4 (घ)	4 (ड.)	5	6
22.		अपट्रॉन सेम्पैक लि. (उ.प्र. इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन लि. की उप-कम्पनी)			2.25		2.25		
23.		उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड	8060.07 (500.00)				8060.07 (500.00)	262.00	2611.00
			8060.07 **(500.00)**		**5664.35**	**50.63**	**13775.05** **(500.00)**	**324.00**	**11467.15**
24.	निर्यात प्रोत्साहन	उत्तर प्रदेश एक्सपोर्ट कारपोरेशन लि.	634.27	40.00			674.27		170.13
25.		उत्तर प्रदेश स्टेट ब्रासवेयर कारपोरेशन लिमिटेड	527.86	10.00			537.86		218.19
26.		उत्तर प्रदेश स्टेट लेदर डेवलपमेन्ट एण्ड मार्केटिंग कारपोरेशन लिमिटेड	573.94				573.94		191.40
			1736.07	**50.00**			**1786.07**		**579.72**
27.	मत्स्य	उत्तर प्रदेश मत्स्य विकास निगम लिमिटेड	100.00				100.00		
			100.00				**100.00**		

(आंकड़े लाख रूपयों में)

क्रम सं.	विभाग क्षेत्र	कम्पनी का नाम	मार्च 1996 के अन्त में प्रदत्त पूँजी राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	नियंत्रक कम्पनी	अन्यन्य	योग	वर्ष के दौरान बजट से दिये गये ऋण	बकाया ऋण
1	2	3	4 (क)	4 (ख)	4 (ग)	4 (घ)	4 (ड.)	5	6
28.	खाद्य एवम् रसद आपूर्ति	उत्तर प्रदेश खाद्य एवम् आवश्यक वस्तु विकास निगम लि.	550.39				550.39		1526.50
			550.39				**550.39**		**1526.50**
29.	हरिजन एवम् समाज कल्याण	तराई अनुसूचित जनजाति विकास निगम	45.00				45.00		325.00
30.		उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि.	2718.92 (179.00)	2444.18			5163.10 (179.00)		2710.73
31.		उत्तर प्रदेश पिछड़ी जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	610.00 (10.00)				610.00 (10.00)		1011.52
32.		उत्तर प्रदेश भूतपूर्व सैनिक कल्याण निगम	42.54				42.54		
33.		उत्तर प्रदेश महिला कल्याण निगम लिमिटेड	61.00	48.00			109.03		
34.		उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निगम लिमिटेड	15.00				15.00		686.54
			3492.46 **(189.00)**	**2492.21**			**5984.67** **(189.00)**		**4733.79**

(आंकड़े लाख रूपयों में)

क्रम सं.	विभाग क्षेत्र	कम्पनी का नाम	मार्च 1996 के अन्त में प्रदत्त पूँजी राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	नियंत्रक कम्पनी	अन्यन्य	योग	वर्ष के दौरान बजट से दिये गये ऋण	बकाया ऋण
1	2	3	4 (क)	4 (ख)	4 (ग)	4 (घ)	4 (ङ.)	5	6
35.	पर्वतीय विकास	गढवाल अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड (गढवाल मण्डल विकास निगम लि. की उप-कम्पनी)	20.00		30.00		50.00		17.48
36.		गढवाल मण्डल विकास निगम	511.50 (50.00)				511.50 (50.00)		957.42
37.		कुमायूं अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड (कुमायूं मण्डल विकास निगम की उप-कम्पनी)	22.00		28.00		50.00		
38.		कुमायूं मण्डल विकास निगम	992.88 (61.00)				992.88 (61.00)	294.10	590.76
39.		कुमायूं टेलीविजन लि. (कुमायूं मण्डल विकास निगम लि. की उप-कम्पनी)			99.75		99.75		218.00
40.		कुमट्रान लिमिटेड (उ.प्र. हिल इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड की उप-कम्पनी)			9.34		8.97		
41.		नार्दर्न इलेक्ट्रिकल इक्विपमेन्ट इण्डस्ट्रीज लिमिटेड (कुमायूं मण्डल विकास निगम लिमिटेड की उप-कम्पनी)			5500.00	1250.00	6750.00		

(आंकड़े लाख रूपयों में)

क्रम सं.	विभाग क्षेत्र	कम्पनी का नाम	मार्च 1996 के अन्त में प्रदत्त पूँजी राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	नियंत्रक कम्पनी	अन्यन्य	योग	वर्ष के दौरान बजट से दिये गये ऋण	बकाया ऋण...
1	2	3	4 (क)	4 (ख)	4 (ग)	4 (घ)	4 (ङ.)	5	6
42.		टेलीट्रानिक्स लिमिटेड (कुमायूं मण्डल विकास निगम निगम लिमिटेड की उप-कम्पनी)			280.00	64.71	344.71		144.75
43.		ट्रान्सकेबिल्स लिमिटेड (कुमायूं मण्डल विकास निगम लिमिटेड की उप-कम्पनी)			62.80	0.44	63.24		268.52
44.		उत्तर प्रदेश हिल फोन्स लिमिटेड (उ.प्र. हिल इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड की उप-कम्पनी)			3.27		3.27		
45.		उत्तर प्रदेश हिल इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड	794.53				794.53		
46.		उत्तर प्रदेश हिल क्वार्टज लिमिटेड (उ.प्र. हिल इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड की उप-कम्पनी)			0.79		0.79		
			2340.91 (111.00)		**6013.95**	**1324.12**	**9678.98 (111.00)**	**294.10**	**2196.93**
47.	गृह	उत्तर प्रदेश पुसिल आवास निगम लिमिटेड	300.00				300.00		
			300.00				**300.00**		

(आंकड़े लाख रूपयों में)

क्रम सं.	विभाग क्षेत्र	कम्पनी का नाम	मार्च 1996 के अन्त में प्रदत्त पूँजी राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	नियंत्रक कम्पनी	अन्यन्य	योग	वर्ष के दौरान बजट से दिये गये ऋण	बकाया ऋण
1	2	3	4 (क)	4 (ख)	4 (ग)	4 (घ)	4 (ङ.)	5	6
48.	उद्योग एवं औद्योगिक विकास	आटो ट्रेक्टर्स लि.	562.59			187.41	750.00		37.50
49.		कान्टीनेन्टल फ्लोट ग्लास लि. (उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम कारपोरेशन की उप-कम्पनी)	28.97			17.02	45.99	251.33	177.56
50.		इण्डियन टपेन्टाइन एण्ड रीजिन कम्पनी लिमिटेड	18.73			3.29	22.02	45.00	55.00
51.		उत्तर प्रदेश इन्स्ट्रमेन्टस लिमिटेड (उ.प्र. स्टेट इन्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट कारपोरेशन की उप-कम्पनी)	177.72			15.50	193.22	40.00	822.01
52.		उत्तर प्रदेश डिजिटल्स लिमिटेड (उ.प्र. स्टेट इन्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड की उप-कम्पनी)			35.20		35.20		312.66
53.		उत्तर प्रदेश कार्बन एण्ड केमिकल्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट इन्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट निगम लिमिटेड की उप-कम्पनी)			1.27		1.27		
54.		उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड	5640.48				5640.48	127.89	60.00

(आंकड़े लाख रूपयों में)

क्रम सं.	विभाग क्षेत्र	कम्पनी का नाम	मार्च 1996 के अन्त में प्रदत्त पूँजी राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	नियंत्रक कम्पनी	अन्यन्य	योग	वर्ष के दौरान बजट से दिये गये ऋण	बकाया ऋण
1	2	3	4 (क)	4 (ख)	4 (ग)	4 (घ)	4 (ड.)	5	6
55.		विन्ध्याचल ऐब्रैसिव्ज़ लिमिटेड (उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड की उप-कम्पनी)				270.00	270.00		76.66
			o428.49		**36.47**	**493.22**	**6958.18**	**464.22**	**1541.39**
56.	संस्थागत वित्त	उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम	818.20			0.22	818.42		15.90
			818.20			**0.22**	**818.42**		**15.90**
57.	सिंचाई	उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट्स एण्ड ट्यूबेल्स कारपोरेशन लिमिटेड (पूर्व उ.प्र. नलकूप निगम लिमिटेड)	490.00 (100.00)	100.00			590.00 (100.00)		
			490.00 **(100.00)**	**100.00**			**590.00** **(100.00)**		
58.	पंचायती राज	उत्तर प्रदेश पंचायती राज वित्त एवं विकास निगम	77.77			68.11	145.88		
			77.77			**68.11**	**145.88**		
59.	नियोजन	मोहम्मदाबाद पीपुल्स टैनरी लिमिटेड	5.61				5.61		
60.		उत्तर प्रदेश डेवलपमेन्ट सिस्टम्स कारपोरेशन लि.	100.00				100.00		
			105.61				**105.61**		

(आंकड़े लाख रूपयों में)

क्रम सं.	विभाग क्षेत्र	कम्पनी का नाम	मार्च 1996 के अन्त में प्रदत्त पूँजी राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	नियंत्रक कम्पनी	अन्यन्य	योग	वर्ष के दौरान बजट से दिये गये ऋण	बकाया ऋण
1	2	3	4 (क)	4 (ख)	4 (ग)	4 (घ)	4 (ड.)	5	6
61.	सार्वजनिक निर्माण	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड	100.00				100.00		
62.		उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड	1000.00				1000.00		
			1100.00				**1100.00**		
63.	ग्रामीण एवं लघु उद्योग	यू.पी.एस.आई.सी. पोटरीज लिमिटेड (उ.प्र. स्माल इन्डस्ट्रीज लिमिटेड की उप-कम्पनी)			75.00		75.00		65.00
64.		उत्तर प्रदेश प्लान्ट प्रोटेक्शन एप्लाएन्सेज (प्राइवेट) लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्माल इन्डस्ट्रीज कारपोरेशन लि. की उप-कंम्पनी)			1.63	1.57	3.20		10.64
65.		उत्तर प्रदेश स्माल इन्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड	596.05				596.05		309.55
66.		उत्तर प्रदेश राज्य हथकरघा निगम लिमिटेड	1375.49	909.46			2284.95	205.00	1886.78
			1971.54	**909.46**	**76.63**	**1.57**	**2959.20**	**205.00**	**2271.97**
67.	चीनी एवं गन्ना विकास	छाता शुगर कम्पनी लिमिटेड (उ.प्र. शुगर कारपोरेशन लिमिटेड की उप-कम्पनी)			1224.52		1224.52		3237.71

(आंकड़े लाख रूपयों में)

क्रम सं.	विभाग क्षेत्र	कम्पनी का नाम	मार्च 1996 के अन्त में प्रदत्त पूँजी: राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	नियंत्रक कम्पनी	अन्यन्य	योग	वर्ष के दौरान बजट से दिये गये ऋण	बकाया ऋण
1	2	3	4 (क)	4 (ख)	4 (ग)	4 (घ)	4 (ड.)	5	6
68.		घाटमपुर शुगर कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट शुगर कारपोरेशन लिमिटेड की उप-कम्पनी)			879.86	15.00	894.86	177.73	176.00
69.		किच्छा शुगर कम्पनी लिमिटेड (उ.प्र. शुगर कारपोरेशन लिमिटेड की उप-कम्पनी)	32.59		1666.45		1699.04		17.50
70.		नन्दगंज सिरोही शुगर लिमिटेड (उ.प्र. स्टेट शुगर कारपोरेशन लिमिटेड की उप-कम्पनी)			3404.04		3404.04	29.89	549.07
71.		उत्तर प्रदेश (रूहेलखण्ड तराई) गन्ना बीज एवम् विकास निगम लिमिटेड	38.25 (26.00)			30.52	68.77 (26.00)		1253.00
72.		उत्तर प्रदेश (पश्चिम) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	50.50 (38.00)			10.83	61.33 (38.00)		1968.35
73.		उत्तर प्रदेश (पूर्व) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	22.73 (3.00)			6.63	29.36 (3.00)		295.17
74.		उत्तर प्रदेश (मध्य) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	15.30 (5.00)			7.59	22.89 (5.00)		479.78
75.		उत्तर प्रदेश स्टेट सुगर कारपोरेशन लिमिटेड	48700.92 (786.00)				48700.92 (786.00)		59379.87
			48860.29 **(868.00)**		**7174.87**	**70.57**	**56105.73** **(868.00)**	**207.62**	**7356.45**

(आंकड़े लाख रूपयों में)

क्रम सं.	विभाग क्षेत्र	कम्पनी का नाम	मार्च 1996 के अन्त में प्रदत्त पूँजी राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	नियंत्रक कम्पनी	अन्यन्य	योग	वर्ष के दौरान बजट से दिये गये ऋण	बकाया ऋण
1	2	3	4 (क)	4 (ख)	4 (ग)	4 (घ)	4 (ड.)	5	6
76.	पर्यटन	उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	819.53				819.53		608.33
			819.53				**819.53**		**608.33**
77.	वक्फ	उत्तर प्रदेश वक्फ विकास निगम	150.00				150.00		
			150.00				**150.00**		
78.	वित्त	प्रदेशीय इण्डस्ट्रियल इन्वेस्टमेन्ट कारपोरेशन आफ उ.प्र. लिमिटेड	11057.50				11057.50	2310.00	40144.41
79.		उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम	1422.50 (260.00)				1422.50 (260.00)	183.00	2072.00
80.		उत्तर प्रदेश स्टेट इन्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट कारपोरेशन	2407.51				2407.51		3168.00
			14887.51 (260.00)				**14887.51 (260.00)**	**2493.00**	**45384.41**
81.	वस्त्र	उत्तर प्रदेश स्टेट यार्न कम्पनी लिमिटेड (उ.प्र. टेक्सटाइल्स कारपोशन लिमिटेड की उप-कम्पनी)			3190.52		3192.52	275.00	1682.09
82.		उत्तर प्रदेश स्टेट टेक्सटाइल कारपोरेशन लिमिटेड	16079.37 (500.00)				16079.37 (500.00)		8360.26

(आंकड़े लाख रूपयों में)

क्रम सं.	विभाग क्षेत्र	कम्पनी का नाम	मार्च 1996 के अन्त में प्रदत्त पूँजी राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	नियंत्रक कम्पनी	अन्यन्य	योग	वर्ष के दौरान बजट से दिये गये ऋण	बकाया ऋण
1	2	3	4 (क)	4 (ख)	4 (ग)	4 (घ)	4 (ड.)	5	6
83.		उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग कम्पनी लिमिटेड (उ.प्र. स्टेट टेक्सटाइल्स कारपोरेशन लि. की उप-कम्पनी)			7842.83	0.01	7842.84		4132.38
			16079.37 **(500.00)**		**11033.35**	**0.01**	**27112.73** **(500.00)**	**275.00**	**14174.73**
84.	सीमेन्ट	उत्तर प्रदेश स्टेट सीमेन्ट कारपोरेशन	6828.00				6828.00	2973.00	11856.14
			6828.00				**6828.00**	**2973.00**	**11856.14**
85.	विद्युत	उत्तर प्रदेश लघु जल विद्युत निगम लिमिटेड	70.00				70.00	500.00	1900.00
86.		उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	252.80				252.80		
			322.80				**322.80**	**500.00**	**1900.00**
		महायोग	**119922.32** **(3445.00)**	**4010.25**	**30065.09**	**2042.13**	**156039.79** **(3445.00)**	**8735.94**	**167745.26**

टिप्पणी: कोष्ठक में दी गई संख्या वर्ष के दौरान बजट बहिर्गमन प्रदर्शित करती है ।

परिशिष्ट - 3

सरकारी कम्पनी जिनके लेखाओं का अन्तिम रूप दे दिया गया, के नवीनतम वर्ष के संक्षिप्त वित्तीय परिणाम

(स्तम्भ 4 एवं 5 के आंकड़ों को छोड़ कर लाख रूपये में)

(प्रस्तर 1.2.2 एवं 1.2.5 में संदर्भित)

क्रम संख्या	विभाग	कम्पनी का नाम	निगमन तिथि	लेखाओं की अवधि	वर्ष जिसमे अन्तिम रूप दिया गया	लाभ (+) हानि (-)	प्रदत्त पूँजी	संचित लाभ(+) हानि(-)	निवेशित पूँजी	नियोजित पूँजी	निवेशित पूँजी पर प्रतिलाभ	नियोजित पूँजी पर प्रतिलाभ	कुल प्रतिलाभ का प्रतिशत निवेशित पूँजी पर	नियोजित पूंजी पर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	कृषि	उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम लिमिटेड	30 मार्च 1978	1994-95	1995-96	(-) 8.30	150.00	(-) 50.70	99.30	1534.89	(-) 8.30	6.70	--	8.44
2		उत्तर प्रदेश स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड	29 मार्च 1967	1993-94	1995-96	(-) 78.01	1904.05	(-) 4972.89	(-) 3068.84	(-) 178.98	(-) 78.98	(-) 269.81	--	150.75
3		उत्तर प्रदेश स्टेट हार्टिकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग एण्ड प्रासेसिंग कारपोरेशन लिमिटेड	6 अप्रैल 1977	1984-85	1994-95	(-) 66.57	190.76	(-) 255.33	(-) 9.31	80.72	(-) 51.97	(-) 51.97	--	--
4	पशु पालन	उत्तर प्रदेश पशुधन उद्योग निगम लिमिटेड	5 मार्च 1975	1989-90	1994-95	8.06	146.85	(-) 152.62	126.46	159.87	17.53	17.53	13.86	10.97
5		उत्तर प्रदेश स्टेट पाल्ट्री एण्ड लाइवस्टाक स्पेशियलिटीज लिमिटेड	7 दिसम्बर 1974	1992-93	1994-95	8.65	153.50	(-) 5.24	148.26	141.22	8.65	8.65	5.83	6.13
6	क्षेत्रीय विकास	आगरा मंडल विकास निगम	31 मार्च 1976	1986-87	1989-90	11.24	100.00	(-) 33.13	71.87	107.44	12.48	12.48	17.36	11.62

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.		इलाहाबाद मण्डल विकास निगम	31 जनवरी 1976	1983-84	1992-93	(-) 11.42	67.00	(-) 11.42	121.50	39.52	(-) 9.87	(-) 3.97	--	--
8.		बरेली मण्डल विकास निगम लिमिटेड (पूर्व उत्तर प्रदेश पश्चिमी क्षेत्रीय विकास निगम लिमिटेड)	31 जनवरी 1976	1984-85	1994-95	(-) 69.26	125.00	(-) 90.00	39.86	420.73	(-) 69.26	(-) 56.84	--	--
9		बुन्देलखण्ड कंक्रीट स्ट्रक्चरल लिमिटेड (उत्तर प्रदेश बुन्देलखण्ड विकास निगम लिमिटेड की उप-कम्पनी)	2 मार्च 1974	1986-87	1993-94	(-) 0.01	2.40	(-) 0.65	1.75	1.45	(-) 0.01	(-) 0.01	--	--
10		गोरखपुर मण्डल विकास निगम	31 मार्च 1976	1985-86	1995-96	2.36	122.03	(-) 158.16	243.05	59.54	2.36	2.36	0.9	3.96
11.		लखनऊ मण्डलीय विकास निगम	31 जनवरी 1976	1981-82	1992-93	0.44	50.00	(+) 1.49	51.49	60.15	0.44	0.52	0.85	0.86
12.		मेरठ मण्डल विकास निगम	31 मार्च 1976	1992-93	1995-96	(-) 10.52	100.00	(-) 67.47	36.19	38.77	(-) 10.52	(-) 10.52	--	--
13.		मुरादाबाद मण्डल विकास निगम	30 मार्च 1978	1986-87	1993-94	(-) 0.09	25.00	(+) 4.2'	94.48	95.19	2.78	2.78	2.94	2.92
14.		उत्तर प्रदेश पूर्वांचल विकास निगम	30 मार्च 1971	1986-87	1995-96	(-) 8.65	123.30	(-) 96.64	36.28	36.12	(-) 8.65	(-) 8.03	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
15		उत्तर प्रदेश बुन्देलखण्ड विकास निगम	30 मार्च 1971	1987-88	[illegible]	(-) 13.64	114.80	(-) 107.90	6.90	15.41	(-) 13.64	(-) 13.64	--	--
16		[illegible] विकास निगम	31 मार्च 1976	1987-88	1993-94	(-) 2.71	70.00	(-) 26.38	55.86	88.29	(-) 2.71	(-) 2.71	--	--
17	इलेक्ट्रॉनिक्स	श्रीट्रॉन इण्डिया लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन लिमिटेड की उप कम्पनी)	1 फरवरी 1979	1995-96	1995-96	4.15	174.71	(-) 283.35	173.36	357.06	4.15	5.44	2.39	1.52
18		अपट्रान कम्पोनेन्ट्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन लिमिटेड की उप कम्पनी)	31 मार्च 1978			--	5.43	--	5.43	-	--	--	--	--
19		अपट्रान इण्डिया लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन लिमिटेड की उप-कम्पनी)	18 अक्टूबर 1979	1994-95	1995-96	(-) 3118.95	5315.59	(-) 16481.00	(-) 7131.81	4897.53	(-) 2739.26	(-) 1070.62	--	--
20		[illegible] लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन लिमिटेड की उप कम्पनी)	5 जनवरी 1988	1995-96	1995-96	2.80	100.00	(-) 15.98	249.12	253.28	133.03	15.57	5.23	6.15
21		अपट्रॉन पावरट्रॉनिक्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन लिमिटेड की उप कम्पनी)	10 अप्रैल 1977	1995-96	1995-96	(-) 6.76	117.00	(-) 10.06	126.54	644.17	(-) 2.46	45.39	--	7.05

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
22		अपट्रॉन सर्पेक लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि. की उप-कम्पनी)	23 मई 1977	1979-80	1983-84	(-) 0.78	2.55	(-) 3.37	(-) 0.82	1.86	(-) 0.78	(-) 0.36	--	--
23.		उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड	20 मार्च 1974	1995-96	1995-96	1.94	8060.07	(+) 38.31	10659.38	3273.63	1.94	2.07	0.02	0.06
24	निर्यात प्रोत्साहन	उत्तर प्रदेश एक्सपोर्ट कारपोरेशन लिमिटेड	20 जनवरी 1966	1993-94	1995-96	(-) 185.44	520.27	(-) 546.45	135.70	525.60	(-) 166.85	(-) 155.56	--	--
25		उत्तर प्रदेश स्टेट ब्रास वेयर कारपोरेशन लिमिटेड	12 फरवरी 1974	1991-92	1995-96	(-) 45.29	537.86	(-) 648.86	(-) 148.44	565.40	(-) 34.96	(-) 34.96	--	--
26		उत्तर प्रदेश स्टेट लेदर डेवलपमेन्ट एण्ड मार्केटिंग कारपोरेशन लिमिटेड	12 फरवरी 1974	1993-94	1994-95	(-) 74.01	573.94	(-) 624.64	134.95	490.29	(-) 71.51	(-) 63.66	--	--
27.	मत्स्य	उत्तर प्रदेश मत्स्य विकास निगम लिमिटेड	27 अक्टूबर 1979	1987-88	1992-93	(-) 34.62	100.00	(-) 72.88	164.06	331.71	(-) 34.62	(-) 34.62	--	--
28.	खाद्य एवं रसद आपूर्ति	उत्तर प्रदेश खाद्य एवं आवश्यक वस्तु विकास निगम लिमिटेड	22 अक्टूबर 1974	1985-86	1995-96	34.71	50.00	(+) 95.11	145.11	524.11	34.71	120.97	23.92	23.08
29.	हरिजन एवं समाज कल्याण	तराई अनुसूचित जनजाति विकास निगम	2 अगस्त 1975	1982-83	1990-91	[illegible]	45.[illegible]	[illegible]	70.45	70.44	(-) 4.00	(-) 4.00	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
30.		उत्तर प्रदेश अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	25 मार्च 1975	1990-91	1993-94	46.79	2953.90	(+) 291.42	3245.32	3010.81	46.79	46.79	1.44	1.55
31		उत्तर प्रदेश पिछड़ी जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	26 अप्रैल 1991	1992-93	1994-95	--	100.00	--	100.00	93.47	--	--	--	--
32		उत्तर प्रदेश भूतपूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड	23 मई 1989	1993-94	1995-96	57.35	42.54	(+) 50.00	92.54	91.65	57.35	57.35	61.97	62.58
33		उत्तर प्रदेश महिला कल्याण निगम लिमिटेड	17 मार्च 1988	1992-93	1995-96	5.55	99.00	(+) 3.10	102.10	201.42	5.55	5.55	5.44	2.76
34.		उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निगम लिमिटेड	25 जून 1976	1995-96	1995-96	113.28	15.00	(+) 149.50	1375.76	1384.83	113.28	113.28	8.23	8.18
35.	पर्वतीय विकास	गढ़वाल अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड (गढ़वाल मण्डल विकास निगम लिमिटेड की उप-कम्पनी)	30 जून 1975	1987-88	1992-93	(-) 9.19	50.00	(-) 41.94	14.86	20.48	(-) 8.93	(-) 8.93	--	--
36.		गढ़वाल मण्डल विकास निगम	31 मार्च 1976	1991-92	1995-96	24.83	441.50	(+) 1.80	1608.98	2572.82	24.83	24.83	1.54	0.97
37.		कुमायूं अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड (कुमायूं मण्डल विकास निगम की उप-कम्पनी)	30 जून 1975	1983-84	1995-96	(-) 0.95	25.00	(+) 0.39	27.78	25.43	(-) 0.95	(-) 0.95	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
38		कुमायूं मण्डल विकास निगम	30 मार्च 1971	1991-92	1995-96	(-)77.77	826.61	(-)198.09	748.05	795.86	(-)77.77	(-)77.77	--	--
39		कुमायूं टेलीविजन लिमिटेड (कुमायूं मण्डल विकास निगम लिमिटेड की उप कम्पनी)	24 अगस्त 1974	1991-92	1991-92	(-)44.44	99.75	(-)199.80	31.47	95.83	(-)34.48	(-)25.33	--	--
40		कुमट्रान लिमिटेड (उत्तर प्रदेश हिल इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड की उप कम्पनी)	27 अप्रैल 1987	1989-90	1990-91	(-)1.61	18.31	(-)1.61	16.70	12.35	(-)1.61	(-)1.61	--	--
41		[illegible] इलेक्ट्रानिक्स इक्विपमेंट इण्डस्ट्रीज लिमिटेड (कुमायूं मण्डल विकास निगम लिमिटेड की उप कम्पनी)	29 जनवरी 1974	1987-88	1995-96	(-)0.01	[illegible]	--	[illegible]	(-)1.13	(-)0.01	( )0.01	--	--
42		[illegible] लिमिटेड (कुमायूं मण्डल विकास निगम लिमिटेड की उप कम्पनी)	27 जनवरी 1973	1991-92	1994-95	(-)160.69	174.71	(-)151.02	18.8[illegible]	[illegible]	(-)53.15	(-)52.99	--	--
43		[illegible] लिमिटेड (कुमायूं मण्डल विकास निगम लिमिटेड की उप कम्पनी)	29 जनवरी 1973	[illegible]	[illegible]	(-)38.64	53.23	(-)224.29	(-)170.44	75.47	(-)38.64	(-)38.64	--	--
44		उत्तर प्रदेश हिल फोन्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश हिल इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड की उप कम्पनी)	10 अप्रैल 1987				3.27	--	3.27		--	--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
45.		उत्तर प्रदेश हिल इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड	26 जून 1985	1992-93	1994-95	(-) 10.51	644.03	(-) 45.68	599.35	319.61	(-) 10.51	(-) 10.51	--	-
46.		उत्तर प्रदेश हिल क्वार्ट्ज लिमिटेड (उ.प्र. हिल इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड की उप-कम्पनी)	18 जुलाई 1989			--	0.79	--	0.79	--	--	--	--	--
47.	गृह	उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लिमिटेड	27 मार्च 1987	1994-95	1995-96	99.92	300.00	(+) 155.12	466.56	466.24	99.92	99.92	21.42	21.43
48.	उद्योग एवं औद्योगिक विकास	आटो ट्रैक्टर्स लिमिटेड	28 दिसम्बर 1972	1991-92	1995-96	10.71	750.00	(-) 6482.96	(-) 5589.72	11132.74	10.71	36.32	(-) 0.19	3.26
49.		कान्टीनेन्टल फ्लोट ग्लास लिमिटेड (उ.प्र. राज्य खनिज विकास निगम कारपोरेशन की उप-कम्पनी)	12 अप्रैल 1985	1994-95	1995-96		4521.43	--	17852.66	(-) 7538.50	--	--	--	
50.		इण्डियन टर्पेन्टाइन एण्ड रोजिन कम्पनी लिमिटेड	22 फरवरी 1924	1994-95	1995-96	(-) 324.97	22.02	(-) 716.88	(-) 585.45	(-) 431.72	(-) 309.45	(-) 309.45	--	--
51.		उत्तर प्रदेश इन्स्ट्रूमेन्ट्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट इन्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट कारपोरेशन की उप-कम्पनी)	1 जनवरी 1975	1994-95	1995-96	(-) 289.26	202.22	(-) 1895.96	(-) 911.73	(-) 153.13	(-) 146.25	(-) 132.11	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
52.		उत्तर प्रदेश डिजिटल्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट इन्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड की उप-कम्पनी	8 मार्च 1978	1994-95	1995-96	(-) 107.43	35.20	(-) 468.47	(-) 142.11	48.89	(-) 61.73	(-) 61.73	--	--
53.		उत्तर प्रदेश कार्बन एण्ड केमिकल्स लिमिटेड (उ.प्र. स्टेट इन्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट निगम लिमिटेड की उप-कम्पनी।	12 जनवरी 1982			--	1.27	--	1.27	--	--	--	--	--
54.		उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड	23 मार्च 1974	1993-94	1995-96	23.07	5640.48	(-) 100.95	6166.03	2069.14	95.08	96.30	1.54	4.65
55.		विन्ध्याचल एब्रेसिव्ज लिमिटेड (उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड की उप-कम्पनी।	5 दिसम्बर 1965	1987-88	1995-96	(-) 6.79	--	(-) 13.30	2.85	5.98	(-) 6.57	(-) 6.57	--	--
56.	संस्थागत वित्त	उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम	10 सितम्बर 1975	1992-93	1995-96	(-) 11.11	818.42	(-) 1014.09	(-) 145.41	323.12	(-) 11.11	(-) 11.11	--	--
57.	सिंचाई	उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट्स एण्ड ट्यूबवेल्स कारपोरेशन लिमिटेड (पूर्व उत्तर प्रदेश नलकूप निगम लिमिटेड	26 मई 1976	1995-96	1995-96	(-) 116.40	1087.00	(-) 453.86	633.14	570.58	(-) 116.40	(-) 116.40	--	--
58.	पंचायती राज	उत्तर प्रदेश पंचायती राज वित्त एवं विकास निगम	24 अप्रैल 1973	1988-89	1993-94	0.25	126.68	(+) 11.24	141.52	140.20	0.25	0.25	0.18	0.18

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
[illegible]	[illegible]	[illegible]	21 [illegible] 1964	[illegible]	[illegible]	(-)[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	--	[illegible]
[illegible]		[illegible]	15 [illegible] 1977	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	(-)1.67	(-)1.67	--	-
61	[illegible] निगम	[illegible]	1 [illegible] 1975	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1147.26	(-)934.60	(-)934.60	--	-
62		[illegible]	18 [illegible] 1972	[illegible]	[illegible]	203.47	[illegible]	[illegible]	[illegible]	3658.64	203.47	203.47	14.06	5.56
[illegible]	[illegible]	[illegible]	27 [illegible] 1976	1988-89	1995-96	(-)36.33	[illegible]	[illegible]	[illegible]	(-)22.66	(-)25.66	(-)25.66	--	--
[illegible]		[illegible]	28 [illegible] 1972	1974-75	1984-85	(-)0.81	0.92	(-)0.81	4.68	4.63	(-)0.81	(-)0.81	--	-
65		[illegible]	1 [illegible] 1958	[illegible]	1995-96	8.53	[illegible]	(-)116.88	914.20	1580.82	102.42	102.42	11.20	6.48
[illegible]		[illegible]	9 [illegible] 1973	1986-87	1995-96	(-)322.33	[illegible]	[illegible]	[illegible]	3213.19	(-)257.92	(-)257.92	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
67.	चीनी एवं गन्ना विकास	छाता शुगर कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश शुगर कारपोरेशन लिमिटेड की उप कम्पनी)	18 अप्रैल 1975	1992-93	1995-96	(-) 592.59	1224.52	(-) 1516.70	613.48	2111.88	(-) 502.15	(-) 384.81	--	--
68.		घाटमपुर शुगर कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट शुगर कारपोरेशन लिमिटेड की उप कम्पनी)	30 मई 1986	1992-93	1995-96	9.34	861.95	(-) 1294.94	(-) 156.43	989.89	90.46	185.50	(-) 56.80	18.74
69		किच्छा शुगर कम्पनी लिमिटेड (उ.प्र. शुगर कारपोरेशन लिमिटेड की उप-कम्पनी)	17 फरवरी 1972	1993-94	1995-96	276.45	1719.04	(-) 525.85	1537.26	3492.14	333.92	575.14	21.72	16.47
70		नन्दगंज सिहोरी शुगर कम्पनी लि. (उत्तर प्रदेश स्टेट शुगर कारपोरेशन लिमिटेड की उप कम्पनी)	18 अप्रैल 1975	1992-93	1995-96	(-) 498.82	3221.45	(-) 5032.14	(-) 959.17	704.38	(-) 397.76	(-) 280.48	--	--
71		उत्तर प्रदेश (रुहेल खण्ड एवं तराई) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	27 अगस्त 1975	1994-95	1995-96	13.06	24.77	(-) 13.98	197.98	1836.09	13.06	153.34	6.60	8.31
72		उत्तर प्रदेश (पश्चिम) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	27 अगस्त 1975	1994-95	1995-96	15.22	23.00	(-) 11.81	40.61	1710.24	15.22	109.52	37.48	6.40
73		उत्तर प्रदेश (पूर्व) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	27 अगस्त 1975	1992-93	1993-94	0.02	26.82	(-) 4.54	32.14	343.54	0.02	43.76	0.06	12.74
74		उत्तर प्रदेश (मध्य) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	27 अगस्त 1975	1993-94	1995-96	(-) 5.57	18.74	(-) 21.09	(-) 2.35	127.45	(-) 5.57	9.62	--	7.55
75		उत्तर प्रदेश स्टेट शुगर कारपोरेशन लिमिटेड	26 मार्च 1971	1992-93	1994-95	(-) 8887.54	45201.12	(-) 46047.53	17433.70	33343.67	(-) 8111.38	(-) 5084.91	--	--
76	पर्यटन	उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	5 अगस्त 1974	1995-96	1995-96	14.20	819.53	(-) 289.72	1146.38	1072.97	14.20	14.20	1.24	1.32
77	वक्फ	उत्तर प्रदेश वक्फ विकास निगम लिमिटेड	27 अप्रैल 1987	1989-90	1995-96	0.03	100.00	(-) 0.15	99.85	127.51	0.03	0.03	0.03	0.02
78	वित्त	प्रादेशिक इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन आफ उत्तर प्रदेश लिमिटेड	29 मार्च 1972	1995-96	1995-96	473.65	11657.50	(-) 15.68	45227.50	53177.76	473.65	473.65	1.05	0.8917
79		उत्तर प्रदेश अल्प संख्यक वित्तीय एवं विकास निगम	नवम्बर 1984	1989-90	1995-96	7.20	327.50	(-) 4.32	458.00	521.48	7.20	7.20	1.57	1.38

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
80.		उत्तर प्रदेश स्टेट इन्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट कारपोरेशन	29 मार्च 1961	1994-95	1994-95	42.24	2255.29	(+) 0.37	6841.97	7293.95	42.24	42.24	0.62	0.58
81.	वस्त्र	उत्तर प्रदेश स्टेट यार्न कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल्स कारपोरेशन लिमिटेड की उप-कम्पनी)	20 अगस्त 1974	1995-96	1995-96	(-) 1035.63	3190.52	(-) 6569.32	(-) 1846.71	2285.18	(-) 561.25	(-) 535.07	--	--
82.		उत्तर प्रदेश स्टेट टेक्सटाइल कारपोरेशन लिमिटेड	2 दिसम्बर 1969	1994-95	1994-95	(-) 1891.11	15579.37	(-) 19655.38	(-) 1637.88	5974.05	(-) 1382.41	(-) 799.60	--	--
83.		उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट टेक्सटाइल्स कारपोरेशन लिमिटेड की उप-कम्पनी)	20 अगस्त 1976	1994-95	1994-95	(-) 218.17	7842.84	(-) 10980.31	(-) 235.47	3529.37	525.59	758.37	(-) 223.00	21.49
84.	सीमेन्ट	उत्तर प्रदेश स्टेट सीमेन्ट कारपोरेशन	29 मार्च 1992	1994-95	1994-95	(-) 5842.71	6828.16	(-) 37823.86	(-) 24526.90	(-) 7780.98	(-) 4209.08	(-) 3542.60	--	--
85.	विद्युत	उत्तर प्रदेश लघु जल विद्युत निगम लिमिटेड	15 अप्रैल 1985	1994-95	1995-96	39.48	70.00	(+) 53.35	1523.35	568.20	236.23	236.23	15.51	41.58
86.		उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	22 अगस्त 1980	1994-95	1995-96	(-) 38.59	25280.50	(-) 11080.98	14199.52	14199.41	(-) 38.59	(-) 38.59	--	--
		योग						1558.99 (-) 25145.31			931.01	1557.13	(-) 180.04	(-) 103.46

परिशिष्ट - 4

1995-96 के दौरान क्षमता का उपयोजन दर्शाते हुये

(प्रस्तर 1.2.9 में संदर्भित)

क्रम संख्या	कम्पनी का नाम	इकाई	संस्थापित क्षमता	उपयोजन	उपयोजन का प्रतिशत
1.	छाता शुगर कम्पनी लिमिटेड	टन पेराई/दिन (टी सी डी)	2500	अनुपलब्ध	67.52
2.	उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड	टी सी डी	55105	44285	80.36
3.	नन्दगंज सिहोरी शुगर कम्पनी लिमिटेड	टी सी डी	1250	अनुपलब्ध	91.66
4.	घाटमपुर शुगर कम्पनी लिमिटेड	टी सी डी	1250	अनुपलब्ध	53.12
5.	किच्छा शुगर कम्पनी लिमिटेड	टी सी डी	4000	अनुपलब्ध	72.53
6.	ट्रान्सकेबिल्स लिमिटेड	केबिल किलोमीटर (सी0के0एम0)	7200	1047.17	14.50
7.	उत्तर प्रदेश इन्स्ट्रूमेन्ट्स लिमिटेड	संख्या	60000	--	--
8.	उत्तर प्रदेश डिजिटल्स लिमिटेड	संख्या	400000	171600	42.90
9.	उत्तर प्रदेश राज्य टैक्सटाइल्स कारपोरेशन लिमिटेड	स्पिन्डिल्स	2.25 लाख	160.88 लाख कि0ग्रा0	66.78
10.	उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग मिल्स कम्पनी लिमिटेड	स्पिंडिल्स	1.50 लाख	153.82 लाख कि0ग्रा0	87.48*
11.	उत्तर प्रदेश राज्य यार्न कम्पनी लिमिटेड	स्पिन्डिल्स	99680	113.56 लाख कि0ग्रा0	92.77
12.	उत्तर प्रदेश राज्य सीमेन्ट निगम लिमिटेड	लाख टन में	25.60	5.73	22.38
13.	उत्तर प्रदेश हिल इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड	संख्या	12000	390	3.25
14.	आटो ट्रैक्टर्स लिमिटेड	ट्रैक्टर	12000	--	--
		इन्जन	5000	1235	24.70
15.	विन्ध्याचल ऐब्रासिव्स लिमिटेड	लाख टन में	1200	581	48.47

* क्षमता उपयोजन का प्रतिशत, अकबरपुर मिल, जो वर्ष भर बन्द रही, की 0.50 लाख स्पिंडिल क्षमता को छोड़ कर 1.5 लाख स्पिंडिल की संस्थापित क्षमता पर आधारित है।

परिशिष्ट - 5

सांविधिक निगमों के नवीनतम वर्ष के, जिनके वार्षिक लेखाओं को अन्तिम रुप दिया जा चुका है, संक्षिप्त वित्तीय परिणामों को दर्शाने वाली विवरणी

(प्रस्तर 1.3.9 में संदर्भित)

क्रम संख्या	निगम का नाम	प्रशासनिक विभाग का नाम	निगमन का वर्ष	लेखे का वर्ष	कुल निवेशित पूंजी	लाभ(+)/ हानि(-)	दीर्घकालीन ऋण पर ब्याज	निवेशित पूंजी पर कुल प्रतिलाभ	नियोजित पूंजी पर कुल प्रतिलाभ	नियोजित पूंजी	निवेशित पूंजी पर कुल प्रतिलाभ का प्रतिशत	नियोजित पूंजी पर कुल प्रतिलाभ का प्रतिशत
		(	करोड़		रुपये			में		)		
1.	उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद	विद्युत	अप्रैल 1959	1995-96	13327.24	(+) 22.20	1216.45	1238.65	1238.65	11767.38	9.29	10.53
2.	उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम	उद्योग	1954	1994-95	997.90	(+) 23.32	72.15	95.47	95.47	977.56	9.57	9.77
3.	उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम	सहकारिता	1958	1995-96	24.88	(+) 4.24	0.42	4.66	4.66	24.39	18.73	19.11
4.	उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम	परिवहन	1972	1994-95	356.78	(-)35.62	20.17	(-)15.45	(-)15.45	99.61	--	--

टिप्पणी:-

1. निवेशित पूंजी, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम के सम्बन्ध में प्रदत्त पूंजी के कुल पूर्व शेष एवं इतिशेषों के औसत तथा दीर्घकालीन ऋणों और मुक्त आरक्षित निधियों के योग का प्रतिनिधित्व करती है तथा अन्य सांविधिक निगमों में यह, पूंजी तथा दीर्घकालीन ऋण और मुक्त आरक्षित निधियों के योग का प्रतिनिधित्व करती हैं।
2. नियोजित पूंजी, निवल अचल परिसम्पत्तियों तथा कार्यशील पूंजी के योग का प्रतिनिधित्व करती है।